जैन विश्वभारती संस्थान

लाडनूं - ३४१३०६ (राज.)

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

वाणिज्य स्नातक-तृतीय वर्ष
Bachelor of Commerce (Third Year)

द्वितीय पत्र
Paper-II

उद्यमिता का आधारभूत
Fundamental of Enterpreneurship

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

COPYRIGHT
Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun

Written By :
1. Sh. N.C. Gang (Section-A)
2. Dr. S.N. Trivedi (Section-B)
3. Dr. B.L. Sain (Section-C
4. Dr. Lalita Parihar (Section-D)

Edition : 2013

Printed Copies : 200

Printed By:

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

	vuØef.kdk (Contents)	
[k.M&v	उद्यमिता की अवधारणा, भूमिका, उद्यमी वर्ग की विचारधाराएं, सामाजिक आर्थिक वातावरण एवं उद्यमिता, नेतृत्व, जोखिम वहन, निर्णय एवं व्यावसायिक नियोजन	01—53
[k.M&c	उपक्रम का परिवर्तन, परिभाषा, प्रक्रिया, नई इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकता और उपक्रम पूंजी के स्रोत और प्रलेख	54—102
[k.M& l	उद्यमीय व्यवहार विशेषताएं, नवप्रवर्तन, एवं सामाजिक उत्तरदायित्व	103—158
[k.M&n	उद्यमी की भूमिका, उद्यमिता की विशेषताएं, सामाजिक स्थिरता एवं उद्योगों के संतुलित क्षेत्र विकास में उद्यमी की भूमिका, निर्यात संवर्द्धन में उद्यमी की भूमिका	159—211

खण्ड–अ

अध्याय – 1

उद्यमिता की अवधारणा

[Concept of Entrepreneurship]

आज उद्यमिता का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। कोई भी अर्थव्यवस्था बिना उद्यमिता के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता है। पिछले दो शताब्दियों में कई उद्यमी उद्यम जगत में सामने आए। उन्होंने उद्यम जगत में कई नवाचार किए। अमरिका के बिल गेट्स, हैनरी फोर्ड, रॉक फैलर,, थॉमस वाटसन, कारनेगी, भारत के जी. डी. बिड़ला, जे. आर. डी. टाटा, रामकृष्ण बजाज, एस. एल. किर्लोस्कर, धीरूभाई अम्बानी आदि अनेक महान उद्यमी हुए हैं।

आज विकसित एवं विकासशील सभी प्रकार के देश अपने आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता के महत्व को समझ गए हैं। इस शताब्दि के शुरूआत में विश्व में उद्यमिता का विकास काफी तीव्र गति से हुआ। सन् 2002 के टोटल एन्टरप्रेनीयर एक्टीविटी सूचकांक के अनुसार उद्यमिता में थाईलेण्ड का प्रथम एवं भारत का दूसरा स्थान है। भारत में जहां सभी उम्र के लोग उद्यमिता को पसंद करने लगे हैं वहीं उद्यमिता के विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भारत में उद्यमिता के विकास के लिए आधारभूत संरचना, कम लागत पर वितीय साधन की उपलब्धता, सरकार की ओर से छूट, सरकारी नियंत्रण में ढ़ील तथा प्रशिक्षण सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। इन्टरनेट के विकास ने उद्यमिता के तीव्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उद्यमिता जोखिम भरा कार्य है। इसकी सफलता आसान नहीं है। 70 प्रतिशत उद्यम किसी न किसी कारण से असफल हो जाते हैं। अतः एक उद्यमी को हमेशा सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए। वर्तमान सदी उद्यमिता की सदी है। बर्तमान एवं भविष्य के आर्थिक जगत के आर्थिक स्वरूप को परिवर्तित करने में उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मार्क डोलिंगर के अनुसार – 'भविष्य उ द्यमिता के अवसरों से भरा पड़ा है तथा नए उपक्रमों के सृजन एवं उद्यमिता से दुनिया का व्यावसायिक एवं आर्थिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है।

उद्यमिता की अवधारणा

[Concept of Entrepreneurship]

उद्यमी शब्द फ्रेन्च भाषा के शब्द Entreprendre से लिया गया है जिसका अर्थ है – व्यवसाय करना, कार्य, उद्यम। व्यवसाय में Entrepreneur शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दि में फ्रेंच अर्थशास्त्री **कैण्टीलॉन** ने किया। सामान्यतया उद्यमिता का आशय उस योग्यता, गुण एवं क्षमता से है जिसके द्वारा व्यवसाय की अनिश्चितताओं, जोखिमों को वहन करते हुए व्यवसाय का संचालन किया जाता है।

उद्यमिता की अवधारणा को आर्थिक विकास की बदलती पस्थितियों के परिपेक्ष्य में अर्थशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न–भिन्न अर्थों एवं दृष्टिकोणों से देखा एवं समझा है। उद्यमिता की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नांकित हैं –

1. **जोखिम उठाने की क्षमता [Risk Bearing Capacity]** – जोखिमों को उठाने का नाम ही उद्यमिता है। ऐसी अवधारणा करने वालों में फ्रांस के रिचर्ड केन्टीलॉन[Richard Cantillan] का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। फ्रेंक एच. नाइट ने उद्यमिता की इसी अवधारणा को स्वीकारा है। रिचर्ड केन्टीलॉन का मत है कि उद्यमी को उद्यम प्रारंभ करने तथा उसका संचालन करने में जोखिमों एवं

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। ये जोखिमें एवं अनिश्चितताएं ऐसी हैं जिसका बीमा भी नहीं कराया जा सकता है।

1. **संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता [Organisation Building and Coordination Capacity]** – इस अवधारणा को मानने वाले विद्वानों में जे.बी.से **[J.B.Say]** प्रमुख हैं। इस अवधारणा को मानने वालों का मत है कि उद्यमिता के द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित एवं समन्वित करके वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। गार्टनर **[**Gardener**]** भी उद्यमिता को नवीन संगठनों का सृजन कहा है।
2. **प्रबन्धकीय एवं नेतृत्व कौशल [Managerial and Leadership Skill]**– ऐसी अवधारणा को मानने वालों में हॉसलिज एवं जे.एस.मिल प्रमुख हैं। इस अवधारणा को मानने वालों ने उद्यमिता को प्रबन्धकीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में देखा है।
3. **नवाचारी कार्य [Innovative function]** – उद्यमिता की नवाचारी कार्य के रूप में अवधारणा सर्वप्रथम शुम्पीटर ने सन् 1934 में की। इस अवधारणा वालों का मानना है कि उद्यमिता के द्वारा नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीकों आदि को जन्म दिया एवं अपनाया जाता है।
4. **अवसर खोजने की प्रकिया [Process For Searching Opportunities]** – पीटर ड्रकर [Peter Druker] के अनुसार अवसरों को अधिकाधिक करना ही उद्यमिता की सही परिभाषा है। 20वीं सदी के नौवें दशक में उपजी इस अवधारणा को मानने वालो का कहना है कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवसरों को खोजा जाता है। अवसरों को खोज कर नवप्रवर्तन करने के साथ–साथ संसाधनों को प्राप्त करने एवं संगठित करने की जोखिम उठायी जाती है।
5. **उपलब्धि की उच्च आकांक्षा [High Need for Achiement]** – मेक्क्लीलेण्ड [Mc Clelland, के अनुसार उद्यमिता व्यक्ति की उपलब्धि की उच्च आकांक्षा का परिणाम हैं।इस अवधारणा को मानने वालो का मत है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है जिसके लिए नवप्रवर्तन तथा जोखिम में निर्णय लेने की योग्यता का होना आवश्यक है। उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है।
6. **समूह स्तरीय कार्य [Group Level)** उद्यमिता एक वैयक्तिक गुण न होकर सामाजिक एकात्मकता के लिए प्रकट की जाने वाली प्रतिक्रियात्मक क्षमता है। इस अवधारणा को मानने वालों में एफ.डब्ल्यु.यंग का नाम प्रमुख है। इन्होंने उद्यमिता को समाज के सक्रिय समूहों के रूप में स्वीकार किया।

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता की विभिन्न दृष्टिकोणों से उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

उद्यमिता का अर्थ एवं परिभाषा [Meaning and Definition of Entrepreneurship]

उद्यमिता उद्यमी योग्यताओं के द्वारा नवाचार करने, व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने, व्यूहरचनात्मक योग्यता का चयन कर लाभ उठाने तथा अवसरों का बेहतर उपयोग करने की क्रिया है। विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता की परिभाषा निम्नप्रकार की है–

प्रो. आर. गायकवाड के अनुसार उद्यमिता का नवप्रवर्तन से है। यह अनिष्चितताओं का सामना करने के लिए जोखिम उठाने की अन्तःप्रेरणा एवं इच्छा है, जो अन्ततः सत्य सिद्ध होती है।

प्रो. पारीक एवं नाडकर्णी के अनुसार – उद्यमिता से आाय समाज में नए उपक्रमों को स्थापित करने की प्रवृत्ति से है।

हॉवर्ड जॉनसन [Howard Johnson] के अनुसार–'' उद्यमिता तीन मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण है।'' प्रो. मुसेलमान तथा जेक्सन [Musselman Jackson] के अनुसार –''किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने तथा उसे सफल बनाने के लिए उसमें समय, धन तथा प्रयासों का निवेष करना तथा जोखिम उठाना ही उद्यमिता है।''

जोसेफ षुम्पीटर [Joseph Schumpeter] के अनुसार –''उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है।''

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

एच. एन. पाठक क अनुसार –उद्यमितामें वे सभी व्यापक क्षेत्र सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में निर्णय लेने होते हैं। इन निर्णयों को तीन श्रेणियो में बांटा जा सकता है – 1. अवसरों का ज्ञान करना 2. औद्योगिक इकाई का संगठन करना तथा 3. औद्योगिक इकाई को एक लाभप्रद, गतिषील तथा विकासषील संस्था के रूप में संचालित करना।

पीटर एफ ड्रकर [Peter F. Drucker] के अनुसार उद्यमिता नवप्रर्वतन की एक प्रक्रिया है जो नए अवसरों के लिए संसाधनों का पुनर्आवंटन करती है। नए अवसरों का सृजन उद्यमी के असमान्य संसाधन संयोजन तथा जोखिम उठाने के चातुर्य के द्वारा होता है।

सन् 1984 में अमरिका में उद्यमित पर आयोजित सम्मेलन में उद्यमिता की परिभाषा इस प्रकार दी गयी –''उद्यमिता किसी व्यावसायिक अवसर की खोज द्वारा उपयोगिता का सृजन करने, अवसर के अनुरूप जोखिम का प्रबन्ध करने तथा सम्प्रेषण एवं प्रबन्धकीय योग्यताओं द्वारा परियोजना की सफलता के लिए मानवीय, वित्तीय तथा सामग्री संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास है।''

उपरोक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोजकर सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने , किसी नवीन उत्पाद या सेवा को प्रस्तुत करने की जोखिम उठाता है। इस प्रकार उद्यमिता एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें विद्यमान फर्मों में से नयी फर्मों का उद्‌भव होता है, उनका विकास होता है तथा असफल फर्मों का नाश हो जाता है। यह नवप्रवर्तन, जोखिम लेने, निर्णय करने, चुनौतियों को स्वीकार करने, प्रबन्ध एवं संगठन करने तथा एक उपक्रम को सफल बनाने की प्रक्रिया है।

उद्यमिता की वि□ोषताएं [Characteristics of Entrepreneurship]

उद्यमिता की दी गयी विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उद्यमिता की निम्नलिखित विषेषताएं उजागर होती है –

1. **जोखिम [Risk]** – जोखिम उद्यमिता की बुनियादी विषेषता है। व्यवसाय में हर कदम पर जोखिम लेना होता है। उद्यमिता में जोखिम प्रायः नवाचार के असफल होने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, मूल्यों का उतार–चढ़ाव, उपभोक्ता की रूचि एवं फैशन में परिवर्तन होने, संसाधनों की आपूर्ति में कमी आदि के कारण हो सकते हैं। उद्यम में जोखिम उत्पन्न होने से आर्थिक क्षति के साथ–साथ मानसिक आघात भी लगता है। अतः कहा जा सकता है कि उद्यमिता आने वाली स्थितियों का सही पूर्वानुमान लगाने की योग्यता है।

2. **नवाचार [Innovation]**– शुम्पीटर के अनुसार –''उद्यमिता नवाचारी कार्य है।'' उद्यमिता नवाचार पर आधारित है। उद्यमिता में उद्यमी उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन तकनीक, उत्पादन संसाधनों आदि में नवाचार करता है। वास्तव में नवाचार से ही उद्यमिता का विकास होता है एवं वह सफल होती है।

3. **सृजनात्मक प्रक्रिया [A Creative Process]** – उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है एवं कुछ नया सृजित किया जाता है। हिजरिच तथा पीटर्स [Hisrich and Peters] के अनुसार –'उद्यमिता उपयोगिता, कला, कुछ भी सृजित करने की प्रक्रिया है।'' उद्यमिता व्यक्ति के मस्तिष्क में नवीन विचारों को जन्म देती है तथा कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।

4. **प्रबन्धकीय कौ□ाल एवं नेतृत्व क्षमता [Managerial Skills and Leadership Capacity]** – उद्यमिता में प्रबन्धन के द्वारा उद्यमशील निर्णयों तथा योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। प्रो. हॉसलिज [Hoselitz] के अनुसार–प्रबन्धकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो आधारभूत पहलू हैं। प्रबन्ध के द्वारा ही उद्यम में सुद्यार किए जाते हैं, नए–नए परिवर्तन लाए जाते हैं एवं व्यूह रचना की जाती है। वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें प्रबन्ध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **अवसर खोजने की प्रकिया [A Process of Searching Opportunity]** – ग्रे एवं स्मेलटर [Gray and Smelter] के अनुसार –उद्यमिता अवसर के खोज से प्रारंभ होती है एवं उसके उपयोग के साथ ही अपने चरम बिन्दू पर पहूंच जाती है। उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। व्यक्ति एवं संस्था की समस्या, लोगों की आवश्यकता एवं आकांक्षा, विभिन्न आविष्कार, प्रतिस्पर्धा, अप्रत्याशित घटनाएं, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, लोगों की रूचि एवं फैशन आदि में परिवर्तन के आधार पर उद्यमी अवसर की खोज करता है। इस प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पाद या सेवा का सृजन करने का अवसर खोजने का प्रयास करता है।

6. **निर्णय लेने की किया [Decision Making Activity]**– उद्यमिता व्यावसायिक जोखिमों एवं समस्याओं के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय लेने की क्रिया है। उद्यमिता व्यवसाय की विभिन्न प्रवृतियों में निर्णयन की क्रिया है।

7. **संगठन निर्माण की प्रकिया [Building the Organization]** – फ्रेडरिक हर्बिन्सन [Frederick Harbinson] के अनुसार उद्यमिता संगठन निर्माण की निपुणता का उपयोग है। संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को भिन्न–भिन्न कर्मचारियों को आबंटित करके उनके द्वारा उन सभी कार्यों को कुषलतापूर्वक सम्पन्न करवाता है। वास्तव में संगठन के माध्यम से उद्यमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

8. **उद्यमिता एक व्यवहार है [Entrepreneurship is a practice]** – पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार–उद्यमिता न विज्ञान है और न कला। यह तो व्यवहार है। उद्यमी अपने ज्ञान एवं अनुभवजन्य व्यवहार से उद्यम की गुणवत्ता में वृद्धि करता है एवं उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है।

9. **उद्यमिता सिद्धान्तों पर आधारित है [Based on Principles]** – उद्यमिता व्यक्ति के किसी अन्तर्ज्ञान से नहीं उपजती बल्कि यह सिद्धान्तों पर आधारित है। यह अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित है।

10. **उद्यमिता उच्च आकांक्षा का परिणाम**–मैक्क्लीलैण्ड [McClelland] के अनुसार – किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की आकांक्षा ही उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करती है।

11. **उद्यमिता वातावरण की उपज** [Entrepreneurship is created by environment] – उद्यमिता किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। जहां ये वातावरण अनुकूल होते हैं वहां उद्यम का विकास उच्च स्तर पर होता है।

12. **परिणाम–जनित व्यवहार [Result Oriented Behavior]**– एक उद्यमी भाग्य पर नहीं पुरूषार्थ एवं प्रयास पर विश्वास करता है। उद्यमिता प्रयास द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है।

13. **उद्यमिता एक पे□ावर किया है [Professional Activity]**–आज उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रही है। व्यक्ति में उद्यमशील प्रवृतियां विकसित करने के लिए विभिन्न शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

14. **परिवर्तनों की प्रवृति [Instinct for Changes**]–उद्यमिता परिवर्तन की प्रवृति को दर्शाता है। उद्यमिता अपनाकर उद्यमी अपनी परिवर्तन की प्रवृति को प्रकट करता है। नवाचार आदि से उसकी परिवर्तन की प्रवृति प्रदर्शित होती है।

उद्यमिता की भूमिका / महत्व / लाभ [Role/Importance/Advantages of Entrepreneurship]

आज के आधुनिक युग में उद्यमिता न केवल जीवन के लिए जरूरी है वरन् आर्थिक जगत के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। संतुलित आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता का विकास आवश्यक है। उद्यमिता के विकास से विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, निम्न उत्पादकता जैसी समस्याओं का समाधान करने में उद्यमिता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। डोलिंगर कें अनुसार – 'उद्यमिता के द्वारा लोग बेहतर, दीघार्यु एवं अधिक समृद्ध जीवन जीते रहेंगे।' आर्थिक विकास में उद्यमिता के महत्व/भूमिका को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट से किया जा सकता है–

Jai Vishwa Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. **उद्यमी प्रवृतियों को प्रोत्साहन** [Encourages Entrepreneurial Tendencies] – उद्यमिता व्यक्ति में उद्यमी मनोवृति एवं प्रवृति को जन्म देती है। उद्यमिता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। यह लोगों को स्वावलम्बी बनाने में योगदान देती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति में उद्यमी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं एवं लालसा को पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है।

2. **नवाचार को प्रोत्साहन [Promotes Innovation]** – पीटर ड्रकर के अनुसार – 'नवाचार उद्यमिता का एक विशेष उपकरण है। यह (नवाचार) वह कार्य है जो संसाधनों में नई दौलत सृजन करने की क्षमता प्रदान करता है। नवाचार के माध्यम से संसाधनों की उपयोगिता एवं उससे प्राप्त संतुष्टि में वृद्धि होती है जिससे उसका व्यापारिक एवं बाजार मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। उद्यमिता में नई–नई उत्पादन विधियों का उपयोग किया जाता है एवं नयी–नयी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। उद्यमिता में शोध एवं अनुसंधान पर व्यय किए जाने के कारण व्यक्ति में वैज्ञानिक चिन्तन एवं तकनीकी ज्ञान का विकास होता है।

3. **नए एवं सफल उद्यमों की स्थापना [Establishment of new enterprises]** – उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति नया व्यवसाय करता है। उद्यमी हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता है। इससे नए–नए उद्यमों की स्थापना होती रहती है। आज देश में बड़ी संख्या में उद्यम स्थापित हुए हैं। नए उपक्रमों की स्थापना आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।

4. **सफल इकाईयों की स्थापना [Establishment of viable units]**–उद्यमिता में अकुशल एवं अकर्मण्य व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते। प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्ति सफल उद्यमी होते हैं। अतः उद्यमिता के माध्यम से अधिक से अधिक सफल इकाईयों की स्थापना होती है। सफल इकाईयों के माध्यम से देश में व्याप्त संसाधनों का अधिक से अधिक सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा।

5. **नवीन तकनीकों का विकास [Development of new techniques]**–उद्यमिता में नवाचार एवं नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। पुरानी तकनीक के स्थान पर नयी तकनीक के प्रयोग साथ ही उत्पादन तकनीकों में सुधार के कारण नयी–नयी उत्पादन विधियों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

6. **संतुलित आर्थिक विकास [Balanced Economic Growth]**–उद्यमिता के माध्यम से अर्द्धविकसित एवं विकासशील देश आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऐसे देशों में व्याप्त क्षेत्रीय आर्थिक असमानता एवं संसाधनों के उपयोग में बाधाओं को उद्यमिता के माध्यम से दूर किया जाता है। तकनीकी विकास, व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना, व्यावसायिक विकास के माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है।

7. **नए बाजारों का विकास [Development of new markets]**–उद्यमी हमेशा नए बाजारों की खोज करते हैं। इसके लिए वे बाजार अनुसंधान करते रहते हैं एवं नए बाजारों से सम्बन्धित तथ्यों को जुटाते हैं। बाजार की मांग आदि का अध्ययन करके वे उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता आदि को निश्चित करते हैं। इस प्रकार उद्यमिता नए बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

8. **रोजगार के अवसर में वृद्धि [Employment Opportunity]** – भारत में बर्ष 2004–05 में पंजीकृत एवं अपंजीकृत उद्यमों में लगभग 282 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। उद्यमिता से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। उद्यमिता के कारण नए उपक्रमों, नए उत्पादों, नए बाजारों का विकास होता है। अतः उद्यमिता से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।

9. **संसाधनों का समुचित उपयोग [Proper utilization of resources]** – प्रो. सी. डब्ल्यु. कुक [Prof. C.W. Cook] के अनुसार – उद्यमिता राष्ट्र के उत्पादक संसाधनों तथा उपभोक्ताओं के मध्य सेतु का निर्माण करती है। उद्यम के माध्यम से देश में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों यथा प्राकृतिक सम्पदा, वायु, जल, पहाड़, नदियां, समुद्र एवं समुद्रतट, वन, पशु सम्पदा, खनिज, कृषि उपज,

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

मानवीय कौशल, कच्चा माल आदि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उद्यमिता द्वारा इन सभी संसाधनों का सदुपयोग करके इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है।

10. **आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक [To solve social and economical problems]**–उद्यमिता के माध्यम से सामाजिक समस्याओं जैसे–अशिक्षा, सामाजिक अपराध, बेकारी, बीमारी, गंदी बस्तियां आदि को कम किया जा सकता है। आर्थिक समस्या जैसे – वर्ग संघर्ष, आय की असमानता, बेरोजगारी आदि को दूर किया जा सकता है। कई उद्यमियों ने स्कूल, अस्पताल आदि बनवा कर सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उद्यमिता के विकास के साथ ही सामाजिक कुरीतियां आदि भी समाज से समाप्त होने लगती हैं। सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं कम होने से लोग बचत एवं पूंजी निर्माण की ओर अधिक ध्यान देंगे।

11. **आर्थिक विकेन्द्रीकरण [Decentralization of economic power]** - उद्यमिता में लधु इकाईयों के रूप में जब काफी बड़ी संख्या में उद्यम स्थापित किए जाते हैं तब आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण अपने आप हो जाता है। फलस्वरूप आर्थिक केन्द्रीकरण के दुष्परिणाम से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है।

12. **राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के कियान्वयन में सहयोगी [Contributes to the execution of government policies and plan]** - उद्यमिता के माध्यम से राजकीय नीतियों जैसे औद्योगिक नीति, आयात–निर्यात नीति, तकनीकी नीति आदि के कियान्वयन में सहायता मिलती है। देश के विकास की योजनाओं के अनुरूप उद्यमी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर अपनी कियाओं को दिशा देता है। इसप्रकार उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के कियान्वयन में सहयोगी है।

उद्यमिता के प्रकार [Types of Entrepreneurship]

उद्यमिता के स्वरूप को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है–

I. स्वामित्व के आधार पर [On the basis of Ownership]– पूंजी के स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता निम्नलिखित स्वरूप हो सकते हैं–

1. **निजी उद्यमिता [Private Entrepreneurship]** – उद्यम जब निजी क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं तो उसे निजी उद्यमिता कहते हैं। निजी उद्यमिता में उद्यमियों द्वारा काफी सावधानी बरती जाती है। पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में निजी उद्यमियों का काफी विकास हुआ है।

2. **सार्वजनिक उद्यमिता [Public Entrepreneurship]**– सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित उपक्रम सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। ऐसे उद्यम समाजवादी एवं साम्यवादी देशों जैसे–रूस, चीन आदि में अधिक हैं।

3. **संयुक्त उद्यमिता [Joint Entrepreneurship]** – संयुक्त उद्यमिता में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का विनियोग होता है। ऐसे उपक्रमों में सरकार की भूमिका मुख्य होती है एवं निजी क्षेत्र के विनियोग भी किए जाते हैं। भारत में ऐसे उद्योग बीमार औद्योगिक इकाईयों को पुनर्जिवित करने एवं आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं।

4. **सहकारी उद्यमिता [Cooperative Entrepreneurship]** – सहकारिता के आधार पर अनेक लोग जब पारस्परिक सहयोग से किसी उद्यम को प्रारंभ करते हैं तो उसे सहकारी उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता से उद्यमियों के पारस्परिक हित एवं कल्याण को साधा जाता है। भारत में खास कर डेयरी उद्योग, लघु उद्योग, कृषि उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग आदि में सहकारी उद्यमिता का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

II. व्यावसायिक किया के आधार पर [On the basis of Business Activities] –

1. **औद्योगिक उद्यमिता [Industrial Entrepreneurship]** – औद्योगिक उद्यमिता में उत्पादन कार्य अथवा निर्माण कार्य होते हैं। नयी–नयी वस्तुओं का उत्पादन होता है। रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। ऐसे उद्योगों में न केवल उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण होता है

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

बल्कि देश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी सामग्रियों का उत्पादन होता है जैसे– सीमेन्ट, मशीनें, खाद, रसायन आदि।औद्योगिक उद्यमिता कुटीर उद्योग, लधुउद्योग, सहायक उद्योग एवं बड़े उद्योग आदि के रूप में स्थापित होते रहते हैं।,

2. **सेवा उद्यमिता [Service Entrepreneurship]** – सेवा उद्यमिता से तात्पर्य उस उद्यमिता से है जिसमें सेवा कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है। जैसे – बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि।

3. **व्यापारिक उद्यमिता [Trading Entrepreneurship]** – व्यापारिक उद्यमिता से तात्पर्य उस उद्यमिता से है जिसमें व्यापारिक कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है। इसमें उत्पाद एवं सेवाओं का लेन–देन का कार्य किया जाता है। इसे विपणन उद्यमिता भी कहते हैं।

4. **कृषि उद्यमिता [Agricultural Entrepreneurship]** – ऐसी उद्यमिता में कृषि कार्य को व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाता है। इस उद्यमिता के अन्तर्गत कृषि उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास किया जाता है। ऐसा उद्यमी वह सभी कार्य करता है जिससे कृषि उत्पाद में वृद्धि हो सके एवं नए–नए कृषि उत्पादों का विकास हो सके। जैसे – कृषि फसल उत्पादन, बगान कृषि, फल उद्यान कृषि, डेयरी, पशुपालन, वानिकी आदि।

5. **मिश्रित/व्यावसायिक उद्यमिता [Composit Business Entrepreneurship]** – जिस उद्यमिता में किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक का कार्य किया जाता है उसे मिश्रित अथवा व्यावसायिक उद्यमिता कहते हैं।

III. विकास के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता [0n the basis of Attitude towards Development]

1. **परम्परागत [Traditional Entrepreneurship]**–ऐसे उद्यमों में उद्यमी उत्पादन की परम्परागत प्रक्रिया को अपनाते हैं। शोध एवं अनुसंधान पर बहुत कम व्यय करते हैं।

2. **आधुनिक उद्यमिता [Modern Entrepreneurship]** – ऐसी उद्यमिता में नवाचार को अपनाया जाता है। ऐसी उद्यमिता में नयी विधियां एवं जोखिमपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की जाती है।

IV. स्थानीयकरण के आधार पर [On the basis of Location]

1. **केन्द्रीकृत उद्यमिता [Centralised Entrepreneurship]**– ऐसी उद्यमिता में अधिकांश उपक्रम एक ही स्थान पर स्थापित होते हैं एवं नए उद्यम भी उसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं।

2. **विकेन्द्रित उद्यमिता [Decentralization]**–जब उद्यम एक जगह केन्द्रीकृत न होकर देश के विभिन्न भागों में स्थापित होते हैं तब उसे विकेन्द्रित उद्यमिता कहते हैं। विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा उद्यमों को स्थापित करके उद्यमिता का विकास किया जा रहा है।

V. आकार के आधार पर [On the basis of Size] –

1. **वृहद उद्यमिता [Large Entrepreneurship]**–जब किसी उद्यम में अधिक पूंजी, अधिक श्रम लगाया जाता है तो उसे वृहत् उद्यमिता कहते हैं जैसे–भारत में टाटा, विड़ला, बांगड़, अम्बानी आदि।

2. **लघु उद्यमिता [Small Entrepreneurship]** – जब उद्यम का आकार छोटा हो एवं जिसमें पूंजी का निवेश कम हो और कम श्रमिक काम करते हों तो ऐसे उपक्रम को लघु उद्यमिता कहते हैं।

VI. उद्यमकर्मियों की संख्या के आधार पर [Based on Number of the Entrepreneurs] –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

1. **एकाकी अथवा व्यक्तिगत उद्यमिता [Sole/Individual Entrepreneurship]**–जब कोई व्यक्ति अकेले ही किसी उपक्रम के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी लेता है एवं अकेला ही जोखिम उठाता है तो उसे एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता कहते हैं।
2. **समूह उद्यमिता [Group Entrepreneurship]**–जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी उपक्रम का निर्माण करते हैं एवं उसका संचालन करते हैं तो उसे समूह उद्यमिता कहा जाता है।
3. **जीवन साथी सह–उद्यमिता [Copreneurship]**–जब पति–पत्नि मिलकर किसी उद्यम की स्थापना एवं संचालन करते हैं तो उसे जीवन साथी सह उद्यमिता कहा जाता है।
4. **संस्थागत/निगमीय/इन्ट्राप्रेनियर उद्यमिता [Institutional or Corporate or Entrapreneurship]** - जो उद्यम किसी संस्था के द्वारा निर्मित एवं संचालित किया जाता है उसे संस्थागत उद्यमिता अथवा निगमीय उद्यमिता अथवा इन्ट्राप्रेनियरशिप कहते हैं।

प्र□न

लघु उत्तरात्मक प्र□न

1. उद्यमिता क्या है?
2. उद्यमिता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें।
3. निजी उद्यमिता से आप क्या समझते हैं?
4. संयुक्त उद्यमिता क्या है?

वृत्तउत्तरात्मक प्र□न

1. उद्यमिता से आप क्या समझते हैं?इसकी प्रकृति को स्पष्ट समझाइए।
2. उद्यमिता क्या है? इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए।
3. उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें ।
4. उद्यमिता का अर्थ स्पष्ट करें एवं इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – 2

उद्यमीवर्ग का उद्‌भव एवं विकास

[Emergence and Development of Entrepreneurial class]

आदिकाल से ही मनुष्य नए–नए उद्यम करता रहा है। औद्योगिक उद्यमी वर्ग का विकास 17वीं शताब्दि में हुआ है। 21वीं शताब्दि में उद्यमिता के विकास की गति और अधिक तीव्र हो गयी है। उद्यमी वर्ग के विकास को निम्नांकित चार चरणों में विभक्त किया जा सकता है–

1. प्राचीनकाल
2. मध्यकाल
3. औद्योगिक क्रान्ति काल
4. आधुनिक काल

1. **प्राचीन काल में उद्यमी वर्ग [Entrepreneurial class in ancient civilizations]** – इस काल में ईसा पूर्व 5000 से सन् 500 तक की अवधि को रखते हैं। इस अवधि में मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करने लगा था एवं वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रारंभ हो चुका था। इस काल के शेष 2000–2500 वर्षों में विश्व की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। मिश्र, बेबीलोनिया, युनान, चीन, रोम, भारत आदि में सभ्यता का विकास होने लगा। इसी अवधि में मिश्र के पिरामिड का निर्माण हुआ था। इसी अवधि में कई देशों में सुन्दर नगरों, मन्दिरों, चर्च, मठों, शस्त्रागारों, बस्तियों, बांधों, तालाबों आदि का निर्माण हुआ। एक–दूसरे देश के बीच व्यावसायिक संबंध बढ़ने लगे। इस युग में व्यापारी साहसियों [Merchant Adventurers] का उदय हो चुका था।

2. **मध्यकाल में उद्यमी वर्ग [Entrepreneur class in medieval period]** – ईस्वी सन 500 से 1500 तक की अवधि को इस काल खण्ड में रखा गया है। इस अवधि के प्रारंभिक 400 वर्षों में सामन्तशाही के कारण उद्योग–धंधे नष्ट होने लगे। इसे फ्रेड लूथान्स [Fred Luthans] ने काला युग कहा है। 10वीं एवं 11वीं शताब्दि में कुछ उत्पादन कार्य को प्रोत्साहन मिला। 14वीं शताब्दि में यूरोप में उद्योग संघ तथा व्यापारिक संघ बनने लगे। 16वीं शताब्दि तक उद्योगों का और अधिक विकास हुआ। अनेक महलों, मठों, मन्दिरों, गिरजाधरों, बांधों, नहरों, शस्त्रागारों का निर्माण होने लगा। इस काल में 'उद्यमी' शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो या तो कलाकार हो या जो बड़ी योजनाओं का प्रबन्ध करता था। इस युग में उद्यमी को व्यावसायिक क्रिया करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता था।

   समाज विज्ञान के विश्वकोष [Encyclopaedia of social science] के अनुसार 16वीं शताब्दि के प्रारंभ में 'उद्यमी' [Entrepreneur] शब्द का फ्रान्सिसी भाषा में प्रयोग देखा गया। इस शब्द का प्रयोग सैनिक अभियान के नेतृत्व करने वालों के लिए किया जाता था।

3. **औद्योगिक क्रान्ति काल में उद्यमी वर्ग [Entrepreneurial class in the period of industrial revolution]** – सन् 1700 से 1900 तक का काल औद्योगिक क्रान्ति का काल कहा जाता है। इस अवधि में कुटिर एवं लधु उद्योगों से लेकर स्वचालित वृहद् उद्योगों तक का विकास हुआ। उद्योगपति पूंजीपतियों के सहयोग से उद्योग स्थापित करने लगे। कारखानों के उत्पादन विश्व बाजार में बेचे जाने लगे। इस युग में उद्यमी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो सरकार को निश्चित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते थे। 17वीं शताब्दि में आयरलेण्ड मूल के फ्रान्सिसी अर्थशास्त्री रिचर्ड केण्टीलॉन को 'उद्यमी' एवं 'उद्यमिता' शब्द का जन्मदाता माना जाता है। उनके अनुसार उद्यमी जोखिम उठाने वाला होता है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दि में औद्योगिक क्रान्ति पूरे विश्व में फैल गयी। उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों में स्पष्ट अन्तर किया जाने लगा। जो लोग उत्पादन एवं क्रय–विक्रय की जोखिम लेते, उन्हें उद्योगपति कहा जाने लगा। सन् 1930 की मन्दी के समय तत्कालीन विद्वानों ने कहा कि उद्यमी वह है जो निजी लाभ के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लिए किसी उपक्रम का संगठन एवं संचालन करता है। वह संसाधनों जैसे – भूमी, पूंजी, श्रम आदि का बाजार मूल्य भुगतान करता है। वह प्रारंभ करने की भावना, चातुर्य तथा नियोजन, संगठन एवं प्रशासन करने की दक्षता का निवेश करता है। वह अनिश्चित एवं अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न जोखिम उठाता है।

4. **आधुनिक युग में उद्यमी वर्ग [Entrepreneurclass in modern age]** – बीसवीं शताब्दि के मध्य तक उद्यमी को पुनः एक नए रूप में समझा जाने लगा। उद्यमी को इस नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर [Joseph Schumpeter] को जाता है जिन्होंने कहा कि उद्यमी का उद्यमी का कार्य ही कार्य ही उत्पादन के तरीके को बदलना एवं उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है। उद्यमी को नवाचार करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। शुम्पीटर के बाद अनेक अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री उद्यमिता के अर्थ को विश्लेषित करते गए। फलतः आज उद्यमिता की व्यापक परिभाषा की जाती है।

भारत में उद्यमी वर्ग का आविर्भाव

[Emergence and Development of Entrepreneurial class in India]

भारत में उद्यमिता के आविर्भाव एवं विकास को दो समयावधियों में विभक्त किया जा सकता है–

1. स्वतंत्रता से पूर्व उद्यमी वर्ग का विकास 2. स्वतंत्रता के बाद उद्यमी वर्ग का विकास

1. **स्वतंत्रता से पूर्व उद्यमी वर्ग का विकास**– भारत प्राचीन काल से ही अपने कुटीर उद्योगों एवं हस्तषिल्प के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय व्यापारी ईसा के 2000 वर्ष पूर्व भी विदेश व्यापार किया करते थे। मिश्र में 'ममी' को भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था। यूनान में ढ़ाका की उच्च किस्म की मलमल 'गंगेटिया' के नाम से बिकती थी। सत्रहवीं शताब्दि में भारत में उद्यमी वर्ग का जन्म हो गया था। भारतीय औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1916–18) में लिखा है कि–ऐसा समय जबकि आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की जन्म स्थली पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां निवास करती थीं तब भारत अपने शासकों की समृद्धि एवं अपने कारीगरों की कलात्मक कारीगरी के लिए मशहूर था। भारत में कपड़ा के अतिरिक्त दस्तकारी वस्तुएं, कालीमिर्च, नील, अफीम, रेशमजरी का सामान, कीमती पत्थर का निर्माण होता था।

   सत्रहवीं शताब्दि के मध्य तक भारतीय हस्त शिल्प बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। भारत में 18वीं शताब्दि के प्रारंभ में वृहद् स्तरीय उद्यमिता का विकास आरंभ होगया था। इस्ट इंडिया कम्पनी ने चाय काफी के बगानों का विकास किया। भारतीय समुदाय के लोगों को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया।

   उन्नीसवीं शताब्दि में 'मैनेजिंग एजेन्सीज व्यवस्था' का विकास हुआ। एण्ड्रेव एफ ब्रिमर [AndrewF.Brimmer] के अनुसार एजेन्सी घरानों ने भारत में वास्तविक उद्यमियों की भूमिका निभायी है। इन्होंने ही उत्पादन की नई विधियों एवं तकनीकों को अपनाया, संसाधन के स्रोतों को अपनाया, नए उत्पादों का निर्माण किया तथा नए–नए बाजारों का विकास किया।

   सन् 1850 के बाद भारत में वृहद् उद्योगों एवं कारखानों की स्थापना में गति आने लगी। पहली सूती वस्त्र मिल बम्बई के पारसी समुदाय के कावोसजी नानाभाय डावर ने स्थापित की। उन्नीसवीं शताब्दि के अन्तिम दशकों में जमशेदजी टाटा ने भी लोहे एवं इस्पात के निर्माण हेतु कारखाने स्थापित किए। बर्ष 1931–32में कुल 7707 कम्पनियां कार्यरत थी जिनमें कुल 28590 लाख रूपए की प्रदत्त पूंजी का निवेश था। इनमें बीमा, बैंकिंग, व्यापारिक, परिवहन, प्रिंटींग, सूती वस्त्र, जूट, उनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चाय बगान, कोयला खादान, चीनी मिल, पेपर मिल आदि उद्योग शामिल थे। इसप्रकार विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं में उद्यमिता का विकास हो चुका था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देश में भारी परिवर्तन हुए। उद्योगों एवं उद्यमिता का तीव्र विकास हुआ।

   वर्ष 1946–47 में बम्बई, बंगाल, मद्रास में ही देश की लगभग 69 प्रतिशत कम्पनियां स्थापित थीं। स्वतंत्रता से पूर्व तक बहुत बड़ी संख्या में कम्पनियों पर नियंत्रण ब्रिटेन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वासियों का था। भारतीयों में पारसी, गुजराती, मारवाड़ी, बंगाली समुदाय के लोगों का नियंत्रण था। धीरे–धीरे कम्पनियों के नियंत्रण में भारतीय समुदाय का अनुपात बढ़ने लगा।

2. **स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्यमिता का विकास** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्यमिता के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। सन् 1948 में औद्योगिक नीति में उद्यमिता के विकास की घोषणाएं भी की गयीं। सन् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास की योजनाएं प्रस्तुत की गयीं। सन् 1956 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गयीं। निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास को महत्वपूर्ण समझा गया। तृतीय पंचबर्षीय योजना में उद्यमियों के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे – कच्चामाल, पूंजी, तकनीकी ज्ञान, भूमि आदि को उपलब्ध कराने के लिए नियमों में सुधार किए गए। औद्योगिक विकास के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गयीं, जैसे– उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निगम, लधु उद्योग सेवा संस्थान, वित्त निगमों आदि की स्थापना लगभग प्रत्येक राज्य में की गयीं। परिणाम स्वरूप देश में उद्यमिता के विकास को गति मिली। आगामी पंचबर्षीय योजनाओं में भी उद्यमिता के विकास के प्रयास जारी रहे।

   सन् 1991 के बाद उदारीकरण की नीति को अपनाने के कारण देश में निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं संयुक्त क्षेत्र में उद्यमिता के विकास को बल मिला। वृहद् उद्योगों, लघु उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए अलग–अलग नीतियां बनायी गयीं। फलस्वरूप देश में उद्यमिता के विकास को काफी बल मिला।

भारत में उद्यमिता के विकास संबंधी तथ्य

भारत में उद्यमिता के विकास की स्थिति को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

1. **लघु क्षेत्र में उद्यमिता** – भारत में बर्ष 2001–02 में कुल 105 लाख से भी अधिक लघु इकाईयां थीं। जिनकी स्थायी सम्पतियों में कुल निवेश 154348 करोड़ रूपए से भी अधिक था तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन लघु क्षेत्र में कुल 2,82,270 करोड़ रूपए का हुआ था। भारत में लघु क्षेत्र में उद्यमिता का विकास हुआ है।

2. **वृहद् उद्योग क्षेत्र में उद्यमिता** – स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वृहद्उद्योग क्षेत्र में उद्यमिता का तेजी से विकास हुआ है। लाइसेंसिंग पद्धति में सुधार किया गया। अब केवल 5 उद्योगों में ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सन् 2003 –04 तक बड़े उद्योगों के कुल 55,335 स्मरण पत्र भारत सरकार के उद्योग विभाग को प्राप्त हुए थे, इनमें कुल 13,75,152 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव था।

3. **कारखाना क्षेत्र में उद्यमिता** – उद्यमिता के विकास के साथ ही भारत में कारखानों की संख्या भी बढ़ती गयी। वर्ष 2000–2001 में भारत में कुल कारखानों की संख्या 1,31,269 थीं, जिनमें 1,12,001 कारखाने निजी क्षेत्र में थे। कुल कारखानों में कुल स्थायी पूंजी 3,99,605 करोड़ रूपए लगी थीं। उत्पादन 9,26,902 करोड़ रूपए का था।

4. **कम्पनियों की संख्या** – वर्ष 1956–57 में भारत में कुल पंजीकृत कम्पनियां 29357 थीं जिनमें कुल 1050 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी लगी थी। वर्ष 2000–01 में इन कम्पनियों की संख्या 5,42,308 हो गयी जिनमें 2,67,818 करोड़ रूपये की प्रदत्त पूंजी लगी थी। उपरोक्त आंकड़ों से कम्पनी क्षेत्र में उद्यमिता की प्रगति स्पष्ट होती है।

5. **वस्तुओं का उत्पादन** – आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के अनुसार बर्ष 1951 में भारत में स्टील 1 मिलियन टन, पेट्रोल एवं कूड ऑयल 0.3 मिलियन टन, एल्युमुनियम 4 मिलियन टन का उत्पादन होता था। 2003–04 में इनका उत्पादन उत्पादन बढ़कर क्रमशः 36 मिलियन टन, 33 मिलियन टन तथा 601 मिलियन टन हुआ।

Jain Vishva Bharati Institute Deemed University, Ladnun

6. **आयात–निर्यात** – आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1951–52 में केवल 647 करोड़ रूपयों का माल निर्यात हुआ था जबकि वर्ष 2003–04 में 2,83,605 करोड़ रूपयों का निर्यात हुआ। वर्ष 1951–52 में 650 करोड़ रूपयों का आयात हुआ था जबकि वर्ष 2003–04 में 3,46,474 करोड़ रूपयों का आयात हुआ। इन आंकड़ों से उद्यमिता का भारत में विकास स्पष्ट होता है।

7. **जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण** – व्यावसायिक क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारत में उद्यमिता विकास निरन्तर हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1951 में देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी वहीं वर्ष 2000 में इसका प्रतिशत घटकर 56.7 रह गया। वर्ष 1951 में द्वितीयक क्षेत्र में 10.7 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 17.2 प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई थी जबकि वर्ष 2000 में द्वितीयक क्षेत्र में 17.5 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 25.8 प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में हस्तान्तरण हो रहा है। केवल बड़े उद्योगों में ही नहीं छोटे एवं सेवाओं उद्योग में भी उद्यमिता का विकास हो रहा है।

8. **दे□ा के उत्पादन में योगदान** – नेशनल एकाउन्ट्स स्टेटिस्टिक्स 2004 के अनुसार वर्ष 1951–61 की अवधि के बीच देश के सकल उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 45. 2 प्रतिशत, निर्माणी क्षेत्र का योगदान 23.7 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 31.1 प्रतिशत था जो कि वर्ष 1997–2004 की अवधि के बीच क्रमशः 13 प्रतिशत, 23.1 प्रतिशत एवं 63.9 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का बढ़ते योगदान से स्पष्ट है कि भारत में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास हुआ है।

   उपरोक्त आंकड़ो से स्पष्ट है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर 1991 के बाद उदारीकरण की नीति के कारण उद्यमियों का विकास तेजी से हुआ है। फिर भी उद्यमिता के विकास की गति जो अपेक्षित थी वह हम प्राप्त नहीं कर सके हैं।

भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण

[Causes of slow development of entrepreneurship in India]

भारत में उद्यमिता का अपेक्षानुसार नहीं हुआ। उद्यमिता के विकास की गति बहुत धीमी रही है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. **परम्परागत व्यवसाय** – भारत में व्यक्ति पारिवारिक व्यवसाय, वंशानुगत व्यवसाय को ही अपना लेता है। यह परम्परागत व्यवसाय परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पिता के व्यवसाय को पुत्र अपना लेता है। लोगों को परम्परागत अथवा वंशानुगत उद्यम मिलने के कारण भारत मे उद्यमिता का विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ है।

2. **वर्ण व्यवस्था** – प्राचीन काल से ही भारत में समाज चार वर्णों – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटा है। फलतः वैश्य वर्ण ही उद्यमिता से जुड़ा रहा। दूसरे वर्णों ने उद्यमिता में रूचि नहीं दिखाई। हालांकि वर्तमान में ऐसी बात नहीं है। अब तो सभी वर्ण के लोग उद्यमिता को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी वर्ण व्यवस्था के कारण उद्यमिता का विकास सीमित ही रहा।

3. **अन्धवि□वास एवं रूढ़िवादिता** – भारतीय अन्धविश्वास एवं रूढ़िवाद के शिकार हैं। इसलिए वे नई तकनीकों, नवीन वस्तुओं को जल्दी अपनाना नहीं चाहते। अपनी परम्परा एवं कुरीतियों से ग्रसित रहते हैं। इससे उद्यमिता का विकास तेजी से नहीं हो पाता है।

4. **आध्यात्मिकता** – भारतीय दर्शन एवं संस्कृति अध्यात्मवादी रही है। यहां भौतिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक सुख को अधिक महत्व दिया गया है। अतः आध्यात्मिकता से ओत–प्रोत भारतीय लोग सादा जीवन, संतोष एवं सीमित आवश्यकताओं में विश्वास रखते हैं। यह उद्यमिता के धीमे विकास का एक प्रमुख कारण है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **साहस का अभाव** – भारतीय लोगों में प्रायः बिना जोखिम के जीविका चलाने में विश्वास रखते हैं। वे जोखिम उठाना नहीं चाहते। फलतः उद्यमिता के लिए उनमें साहस का अभाव होता है। यह प्रवृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फलस्वरूप उद्यमिता को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

6. **तकनीकी शिक्षा का अभाव** – भारत में तकनीकी शिक्षा का अभाव है। यहां तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का अभाव रहा है। हालांकि वर्तमान में ऐसी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं फिर भी इसकी संख्या अपर्याप्त है। अतः तकनीकी शिक्षण के अभाव में उद्यमियों का विकास संभव नहीं हो पाता।

7. **पूंजी की कमी** – भारत में लोगों की अल्प आय के कारण बचत की मात्रा कम होती है। यदि कुछ बचत होती भी है तो लोगों में अपनी बचत को केवल जमीन, मकान, सोने–चांदी के रूप में रखने की प्रवृति पायी जाती है। वे उत्पादक कार्यों में जोखिम के कारण विनियोग नहीं करना चाहते। है। अतः उद्यम हेतु पूंजी का अभाव के कारण उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है।

8. **प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव** – भारत में उद्यमिता के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र बहुत ही कम है। जो थोड़े–बहुत प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे भी बड़े शहरों में सीमित हैं। अतः उद्यमिता का विकास भी सीमित है।

9. **आधारभूत सुविधाओं का अभाव** – भारत में उद्यमिता के विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां पर्याप्त रूप से उर्जा के संसाधनों , यातायात के संसाधनों, संचार सुविधाओं का अभाव है। आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उद्यमिता का विकास काफी धीमी गति से हुआ है।

10. **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा** – भारत में कई बड़े उद्योग हैं जहां उनका एकाधिकार सा रहा है। फलतः छोटे उद्यमी उन वस्तुओं के उत्पादन करने का जोखिम उठाना नहीं चाहते क्योंकि बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाते हैं। उनमें बड़े औद्योगिक घरानों का भय बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में नये उद्यमियों का विकास बहुत सीमित होता है।

11. **भ्रष्टाचार** – भारत में नीचे से लेकर उपर तक सभी स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। फलतः उद्यमियों को उपक्रम की स्थापना में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः वे नए उद्यम की स्थापना से कतराते हैं।

12. **भारी कर** – भारत में करों की दर उंची एवं अव्यावहारिक है। कर भुगतान एवं उससे संबंधित लेखा–जोखा की प्रक्रिया भी क्लिष्ट है। फलतः उद्यमी हतोत्साहित होते हैं। पिछले शताब्दि के अन्तिम वर्षों में कर की दरों में कमी की गयी है एवं करों को व्यावहारिक बनाने का प्रयास भी किया गया है।

13. **आर्थिक नीतियां** – सरकार की औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति आदि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं हो पाती हैं। कुछ नीतियां अव्यावहारिक भी हैं। फलतः उद्यमिता का विकास धीमी गति से होता है।

14. **लालफीताशाही** – भारत के कार्यालयों में किसी उपक्रम की स्वीकृति, ऋण की स्वीकृति, लाइसेंस लेने आदि में काफी दिक्कत होती है। अफसरशाही की प्रवृति एवं लालफीताशाही के कारण कार्यों को टालने की प्रवृति रहती है। अतः उद्यमी हतोत्साहित होते हैं।

15. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण** – भारतीय समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता एवं परम्परागत कुरीतियॉ पायी जाती है। ये प्रवृतियां उद्यमिता के विकास में प्रतिकूल भूमिका अदा करती है। लोग पुरूषार्थ की अपेक्षा भाग्यवादिता के सहारे सफलता को देखना चाहते हैं। अपनी रीति रिवाजों एवं समाज में झूठी शान के लिए वे विभिन्न पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर बहुत अधिक फिजूलखर्ची करते हैं। इससे उनके उद्यम पूंजी पर विपरीत असर पड़ता है। ये स्थितियां उद्यमिता के विकास को हतोत्साहित करती हैं।

भारत में उद्यमिता के विकास हेतु किए गए प्रयास

[Efforts for development of entrepreneurship in India]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक उद्यमियों की संख्या बहुत कम थी। उद्यमिता कुछ ही जाति एवं भौगोलिक क्षेत्र के लोग तक सीमित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्यमियों के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए गए। भारत में उद्यमिता के विकास के लिए किए गए प्रयासों का विवरण निम्नप्रकार है –

1. **औद्योगिक नीतियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन** – भारत की औद्योगिक नीति ने उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 1991 की उदारवादी नीतियों के कारण देश में उद्यमियों के विकास को बल मिला। इस नीति से उद्यमियों में निश्चितता बढ़ी एवं अनेक नए उद्यमियों का जन्म हुआ। पुराने उद्यमियों ने भी नए उद्यमों को स्थापित किया।

2. **उदार आर्थिक नीतियां** – पिछले दो दशकों में सभी आर्थिक नीतियों जैसे – आयात–निर्यात नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, तकनीकी नीति आदि को बहुत उदार बनाया गया है, जिससे उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहन मिला है।

3. **वस्तुओं से संबंधी नीतियां** – पिछले कुछ वर्षों से भारत में वस्तुवार नीतियों की घोषणा की जा रही हैं, जैसे – वस्त्र नीति, औषध नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आदि। वस्तुवार नीतियों की घोषणा से उनसे जुड़े उद्योगों में नवाचार करने , नवीन वस्तुओं के निर्माण करने, नए बाजारों की तलाश करने ,नए बाजारों का विकास करने के लिए उद्यमियों मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इससे उद्यमिता के विकास में बहुत सहयोग मिलेगा।

4. **लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण** – भारत में लाइसेंस प्राप्ति में होने वाले विलम्ब को कम करने, उसकी औपचारिकता को कम करने का प्रयास किया गया है। लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। अनेक वस्तुओं के उत्पादन के लए अब लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल पांच प्रकार के उद्योगों के लिए ही लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण के कारण उद्यमिता के विकास को बल मिला है।

5. **वित्तीय नीति की घोषणा** – जनवरी 1986 में भारत सरकार ने दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा की। इस दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा से उद्यमी दीर्घकालीन कर नीति को ठीक से समझ पाएंगे। इस नीति में समय–समय पर संशोधन भी किया जा रहा है। दीर्घकालीन वित्तीय नीति से उद्यमियों को भावी कर संबंधी योजनाओं को तैयार करने में सहयोग मिलता है।

6. **वित्तीय संस्थाओं की स्थापना** – भारत में अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना उद्यमिता के विकास में सहयोग प्रदान कर रही है। ये वित्तीय संस्थाएं उद्यमों को स्थायी पूंजी के साथ– साथ बीज पूंजी, कार्यषील पूंजी भी प्रदान करती है। ये उद्यमियों की परियोजनाएं तैयार करने एवं उसे क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करती है। इन वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में 'उद्यम पूंजी कोष' [Venture Capital Fund] कम्पनियों की भी स्थापना हो रही है। ये कम्पनियां नवीन उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं की स्थापना से उद्यमिता के विकास को बल मिला है।

7. **पूंजी बाजार का विकास** – भारत सरकार ने पूंजी बाजार के विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं।वर्तमान में 25 लाख पूंजी वाली कम्पनियां भी अपने अंश का सार्वजनिक निर्गमन करने के लिए 'सूचीयन' करवा सकती है। पूंजी बाजारों के नियमन की प्रभावी व्यवस्था से भी निवेशकों में कम्पनियों में निवेश करने की प्रवृति बढ़ी है।

8. **विकास संस्थाओं की स्थापना** – उद्यमियों को मार्गदर्षन, प्रशिक्षण, तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्यमी परामर्श संगठन, उद्यमिता विकास केन्द्र, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केन्द्र, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, जिला उद्योग केन्द्र, विकास केन्द्र आदि संस्थाएं स्थापित की गयी हैं। इससे देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है।

9. **उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना**– सन् 1966 में उद्योग विकास विभाग के तहत् उद्यमी सहायता इकाई की स्थापना की गयी। यह इकाई उद्यमियों की अनेक समस्याओं को सरकारी संस्थाओं से दूर करवाने का प्रयास करती है। उद्यमियों के प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही से यह इकाई अवगत कराती है। यह इकाई उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951, विदशी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सहयोग, पूंजीगत माल के आयात, भारतीय मूल के विदेशियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता करती है।

10. **पूंजी निर्गमन प्रणाली पर प्रतिबन्ध में छूट** – किसी भी कम्पनी द्वारा अपनी अंश पूंजी जारी करने में लगा प्रतिबन्ध अब बहुत कम कर दिया गया है। अब कोई भी कम्पनी केवल SEBI [Security and Exchange Board of India] से अपने प्रविवरण का अंकन करवा कर बाजार में अंश जारी कर सकती है। पूंजी निर्गमन में उदारीकरण के कारण उद्यमियों के लिए उपक्रम स्थापित करना आसान हो गया है।

11. **औद्योगिक क्षेत्रों का विकास** – राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक बस्तियों का विकास किया जा रहा है। इन क्षेत्रों एवं बस्तियों में आधारभूत साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उद्यमिता के विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

12. **अनुदान** – नवीन उपक्रमों की स्थापना के लिए उद्यमियों को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नकद अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कई राज्य सरकारें उद्यमियों को ब्याज, परिवहन, कच्चा माल, पर भी अनुदान दे रही है। कुछ उपक्रमों को प्रारंभिक कुछ वर्षों के लिए बिक्री कर में भी छूट देती है। इस प्रकार अनुदान से उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है।

13. **लघु क्षेत्र के लिए उत्पादों का आरक्षण** – लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण भी किया गया है। जून 2006 में 506 उत्पाद लघु क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादों का आरक्षण काफी सहायक हुआ है।

14. **आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता** – उद्यमियों के लिए आधारभूत संसाधन जैसे – कच्चा माल, शक्ति के साधन, भूमि, परिवहन, संचार, पूंजी आदि अब आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित उद्योग विकास निगम एवं जिला उद्योग केन्द्र उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत साधन उपलब्ध करा रहे हैं एवं उद्यमियों को सहायता पहुंचा रहे हैं। इससे उद्यमिता के विकास को गति मिली है।

15. **प्रशिक्षण सुविधाएं** – उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित संगठन कार्य कर रहे हैं–
    1. राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
    2. लघु उद्योग विकास संस्थान
    3. वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम
    4. राज्य स्तरीय परामर्शदात्री संगठन

16. **महिला उद्यमिता का विकास** – सीडो [SIDO] की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। दिल्ली प्रशासन ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष संस्था स्थापित की है। राजस्थान सरकार ने भी महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर ऋण देना प्रारंभ कर दिया है।

17. **साहित्य सृजन** – भारत में कार्यरत 18 तकनीकी सलाहकार संगठनों ने उद्यमिता से संबंधित सभी पहलुओं पर साहित्य का सृजन किया है, जो उद्यमियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं।

18. **प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण** – भारतीय औद्योगिक उद्यमिता विकास संस्थान, गांधीनगर, गुजरात द्वारा उद्यमिता के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। साथ ही उद्यमिता से संबंधी आवश्यक सूचना सामग्री तैयार करने एवं अनुसंधान करने का कार्य करता है।

19. **विचार गोष्ठियों / कार्यशालाओं का आयोजन** – भारतीय औद्योगिक उद्यमिता संस्थान ने भारत के कई शहरों में उद्यमिता से संबंधित कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन किया है। 'राजकॉन' भी राजस्थान के विभिन्न शहरों में इस प्रकार की विचार गोष्ठियां आयोजित करता है।

उद्यमिता के विकास के लिए सुझाव –

[Suggestions for the Development of Entrepreneurship]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यमिता के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

1. सभी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए अलग से दीर्घकालीन नीति की घोषणा करनी चाहिए।

2. बजट तैयार करते वक्त दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों का पूर्णतः पालन करना चाहिए।

3. आधारभूत सुविधाओं खासकर संचार, परिवहन सेवाओं का गांवों एवं छोटे शहरों में विकास करके उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. आवश्यकतानुसार सही उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

5. उद्यमियों को विशेष कर छोटे–छोटे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवानी चाहिए।

6. नई वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7. उद्यमियों को विशेषकर छोटे उद्यमियों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।

8. सरकारी प्रक्रिया एवं सरकारी तंत्र को सरल बनाना चाहिए।

9. वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाओं एवं उद्यमियों में करीबी सम्पर्क बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

11. औद्योगिक स्थलों पर शक्ति के साधन, कच्चामाल आदि उपलब्ध करवाने चाहिए।

12. शिक्षण एवं तकनीकी संस्थाओं में उद्यमिता के विकास के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहना चाहिए एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना चाहिए।

प्र□न

लघुउत्तरात्मक प्र□न

1. उद्यमी वर्ग एवं उद्यमी शब्द का आविर्भाव कब हुआ ?
2. औद्योगिक क्रान्तिकाल में उद्यमिता के विकास पर टिप्पणी लिखें।
3. भारत में स्वतंत्रता पूर्व उद्यमिता की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
4. भारत में उद्यमिता के धीमें विकास के प्रमुख चार कारण लिखें।
5. भारत में उद्यमिता के विकास हेतु सुझाव दें।

.

वृहद्उत्तरात्मक प्र□न

1. भारत में उद्यमिता के विकास को विस्तारपूर्वक लिखें।
2. भारत में उद्यमिता के विकास के धीमी गति के कारणों को स्पष्ट करें। इनके तीव्र विकास हेतु सुझाव दें।
3. भारत में उद्यमिता के विकास के लिए कौन–कौन से प्रयास किए गए। उद्यमिता के विकास के लिए सुझाव दें।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – 3

उद्यमिता के विकास की विचारधाराएं

[Theories of Development of Entrepreneurship]

लगभग 300 वर्षों में उद्यमिता के जन्म एवं विकास की कई विचारधाराएं प्रतिपादित की गयीं। कुछ विद्वानों ने उद्यमिता के जन्म एवं विकास में आर्थिक कारणों को तो कुछ ने सामाजिक कारणों एवं परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना है। कुछ विद्वानों ने मानसिक गुणों या व्यक्तिगत गुणों को उद्यमिता के जन्म एवं विकास का कारण माना है। उद्यमिता के विकास की विचारधाराओं को निम्नांकित चार वर्गों में बांटा जा सकता है–

I. आर्थिक विचारधारा [Economic Theory]–आर्थिक विचारधारा के प्रतिपादकों को मानना है कि उद्यमिता का जन्म एवं विकास तब होता है जब अनुकूल एवं उपयुक्त आर्थिक परिस्थितियां मौजूद होती है। कोई भी उद्यमी तभी जोखिम उठाता है जब उसे लाभ की संभावना दिखती है। ऐसी आर्थिक परिस्थिति जिसमें लाभ की संभावना नहीं हो वहां कोई भी उद्यमी जोखिम उठाना नहीं चाहेगाा। पेपेनेक एवं हेरिस [Papanek and Harris] के अनुसार–आर्थिक प्रेरणाएं ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरक शक्ति है।' आर्थिक विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों का मत है कि उद्यमिता के विकास में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अनुकूल परिस्थितियां निम्नानुसार हो सकती है–

1. संसाधनों का उचित मूल्य पर उपलब्ध होना
2. उद्योगों एवं व्यवसाय के लिए आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना
3 .आर्थिक नीतियों यथा– औद्योगिक नीति, कर नीति, आयात–निर्यात नीति आदि का सकारात्मक होना
4. बाजार व्यवस्था नियंत्रित एवं सुदृढ़ होना
5. उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति होना

आर्थिक विचारधारा के समर्थकों में प्रो. नाईट [Night] तथा प्रो. लीबेन्स्टीन [Leibenstien] का नाम प्रमुख है। प्रो. नाईट के अनुसार उत्पादन में जोखिम निहित है। उनके अनुसार उद्यमिता का विकास तभी होता है जब उत्पादन कार्य से लाभ होने की संभावना होती है। प्रो. लीबेन्स्टीन के अनुसार सभी संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने हेतु उद्यमियों का जन्म एवं विकास होता है। वे अवसर के अनुरूप संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, विभिन्न बाजारों के बीच समन्वय करते हैं तथा लाभ कमाते हैं। अतः आर्थिक विचारधारा के अनुसार जब आर्थिक परिस्थितियां जोखिम उठाकर लाभ कमाने योग्य होती हैं, तब उद्यमिता का जन्म एवं विकास होता है। अतः सकारात्मक आर्थिक परिस्थितियां ही उद्यमिता के जन्म एवं विकास में सहायक होती हैं। आर्थिक विचारधारा के अनुसार उद्यमियों में निम्नांकित गुण अथवा लक्षण होते हैं–

1. आर्थिक परिस्थितियों को पहचानने एवं आकलन करने की क्षमता
2. लाभ के अवसरों को पहचानने एवं उनसे लाभ उठाने की क्षमता
3. लाभ अर्जित करने की भावना
4. संसाधनों के उपयुक्त एवं अनुकूलतम उपयोग की क्षमता
5. बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय करने की क्षमता
6. संगठन स्थापित एवं संचालित करने की क्षमता
7. जोखिम वहन करने की क्षमता

II. समाज□ास्त्रीय विचारधारा [Sociological Theory] – समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार किसी भी समाज में उद्यमिता का विकास सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

से प्रभावित होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वयं की विशेषताएं, व्यवहार, रोजगार के अवसर, धार्मिक आस्थाएं, आर्थिक अधिकार आदि सभी को सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। कोक्रान [Cochran] के अनुसार – 'उद्यमी समाज का आदर्श व्यक्तित्व माना जाता है। सामाजिक मूल्य ही उसके व्यवहार तथा उसकी भूमिका की अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं।' यूरोप में 'प्रोटेस्टेन्ट' समाज, जापान में समुरायी समुदाय, फ्रांस की पारिवारिक स्थितियां, भारत में मारवाड़ी, गुजराती, पारसी आदि समुदायों की सामाजिक परिस्थितियों ने उद्यमिता के विकास को प्रेरित किया है। सामाजिक परिस्थितियों के कुछ प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं –

1. समाज में उद्यमियों की स्थिति, भूमिका एवं ख्याति
2. समाज की उद्यमियों से अपेक्षा
3. लोगों में उद्यमिता संबंधी योग्यताएं
4. नकारात्मक परिणामों का भय
5. रोजगार के अन्य अवसरों में लोगों की रूचि
6. सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं एवं प्रेरणा
7. पारिवारिक प्रेरणा एवं सहयोग
8. राजनीतिक एवं कानूनी अधिकारों की स्थिति

समाजशास्त्रीय विचारधारा में प्रमुख रूप कोक्रान, यंग, मैक्सबेवर आदि की विचारधारा का योगदान रहा है।

III. मनोवैज्ञानिक विचारधारा [Psychological Theory] – मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार समाज में उद्यमिता का जन्म एवं विकास समाज में मनोवैज्ञानिक विशेषताओं एवं गुण वाले व्यक्तियों के जन्म लेने से होता है। कोई भी व्यक्ति उद्यमी होगा या नहीं यह उसके व्यक्तित्व एवं मानसिक गुणों पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार समाज में उद्यमियों का विकास तब होता है जब निम्नलिखित मानसिक एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण लोगों में विकसित होते हैं –

1. व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की आकांक्षाओं का होना आवष्यक है। मेक्क्लीलैण्ड के अनुसार उद्यमी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा, सत्ता की आकांक्षा तथा अपनत्व की आकांक्षा से प्रेरित होते हैं।
2. जब व्यक्ति भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होते हैं। वे अपने भाग्य पर कार्यों से नियंत्रण रख सकते हैं।
3. जब व्यक्ति में नवाचार करने की अन्तर्दृष्टि एवं अन्तःप्रेरणा होती है।
4. जब व्यक्ति में समाज में अपनी स्थिति को सुधारने की तीव्र इच्छा होती है।
5. जब व्यक्ति में भविष्य के प्रति अन्तर्ज्ञान होता है।
6. जब व्यक्ति में संतुलित जोखिम उठाने की भावना होती है।
7. जब व्यक्ति सामाजिक दबावों एवं भावनाओं के सामने झुकता नहीं हैं।
8. जब व्यक्ति में राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होती है।

मुख्यरूप से मेक्क्लीलेण्ड, कुन्केल, हेगेन आदि मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रतिपादक रहे हैं।

IV. व्यापक विचारधारा [Ectic Theory] – व्यापक विचारधारा के अनुसार उद्यमिता का जन्म एवं विकास केवल एक ही प्रकार के घटकों के प्रभाव से नहीं होता है बल्कि विभिन्न प्रकार के घटकों के सामूंहिक प्रभाव से होता है। उद्यमिता का जन्म एवं विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक,

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

मानसिक तथा वातावरणीय संबंधी घटकों के सामूहिक प्रभाव से होता है। इन घटकों को निम्नांकित चार समूहों में बांट सकते हैं –

1. **व्यक्तिगत घटक [Individual]** –किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत घटकों का समूह उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। व्यक्ति अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण में ही पलता–बढ़ता, शिक्षा ग्रहण करता है। अतः व्यक्ति में उद्यमिता की भावना भी उसी पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है।

2. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक [Socio-cultural factor]** – उद्यमिता के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति से समाज को अपेक्षाएं रहती हैं। जोखिम वहन करने वाले की समाज में स्थिति, वैकल्पिक रोजगारों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, स्वावलम्बन का समाज में महत्व, कार्य स्वतंत्रता का समाज में महत्व आदि ऐसे घटक हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उद्यमिता के जन्म एवं विकास को प्रभावित करते हैं। इन्हीं सामाजिक स्थितियों के कारण कोई व्यक्ति उद्यमिता की ओर आकर्षित अथवा उदासीन हो सकता है।

3. **सहायता करने वाले घटक [Support System Factors]** – सहायता करने वाले घटकों से तात्पर्य उद्यमिता के जन्म एवं विकास में योगदान करने वाले उन घटकों से है जो जिनकी सहायता के बिना उद्यमिता का विकास संभव नहीं है जैसे – आधारभूत ढ़ांचागत संसाधनों की उपलब्धता, तकनीकी विकास एवं सुविधाएं, सरकारी प्रेरणाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, व्यावसायिक सहयोग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं उसकी उपलब्धता की शर्तें, गैर–सरकारी संगठनों की सहायता, विकास सुविधा आदि। ये घटक उद्यमिता के जन्म एवं विकास में सहायता पहुंचाते हैं।

4. **वातावरणीय घटक [Environmental Factors]** – उद्यमिता के विकास को देश व समाज का वातावरण भी प्रभावित करता है। देश का आर्थिक, साामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, जनांकिकीय, भौगोलिक, तकनीकी, शैक्षिक वातावरण उद्यमिता के जन्म और विकास को प्रभावित करता है।

   इस प्रकार उद्यमिता की व्यापक विचारधारा उद्यमिता के जन्म एवं विकास में विभिन्न घटक समूहों को महत्वपूर्ण मानती है। व्यापक विचारधारा का प्रतिपादन मुख्यरूप से जॉन केओ [John Kao], पारीक एवं नाडकर्णी रहे हैं।

प्रमुख विद्वानों की उद्यमिता की विचारधाराएं

[Entrepreneurship Theories by Main Thinkers]

I. आर्थिक विचारधाराएं

1. नाइट की जोखिम वहन विचारधारा [Risk Bearing Theory of Knight]

प्रो. फ्रेंक एच. नाइट [Pro. Franke H. Knight] के अनुसार प्रत्येक उद्यमी लाभ कमाता है क्योंकि वह जोखिम उठाता है। कोई भी उद्यमी तब तक जोखिम नहीं उठाएगा जब तक उसे उस जोखिम के अनुपात में लाभ मिलने की संभावना न दिखाई दे। इस प्रकार हम कह सकते है कि जोखिम का पुरस्कार लाभ है। नाइट के अनुसार अलग–अलग व्यवसायों में जोखिम की मात्रा अलग–अलग होती है। इसी प्रकार एक ही व्यवसाय में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जोखिम की मात्रा भी अलग–अलग होती है। जिस उद्योग में लाभ की संभावना कम रहती है, उद्यमी उस ओर आकर्षित कम होते हैं। जहां लाभ की संभावना अधिक होती है, उस ओर सभी उद्यमी आकर्षित होते हैं।

उत्पादन में लगे सभी घटकों को उनका पूर्व निर्धारित मूल्य अथवा पारिश्रमिक मिलता है जबकि उद्यमी को जोखिम के बदले में मिलने वाला लाभ अनिश्चित होता है। उद्यमी को यह लाभ तभी मिलता है जब कुछ बच पाता है। नाइट के अनुसार जोखिम जितनी अधिक होगी उद्यमी को लाभ उतना ही अधिक मिलना चाहिए। जोखिम अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होती है। अतः जिन जोखिमों अथवा अनिश्चितताओं का बीमा करवाया जा सकता है उसके लिए लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां बीमा के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

द्वारा अनिश्चितताओं को निश्चित कर लिया जाता है। अतः जोखिम नहीं रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमी का केवल गैर–बीमा योग्य [Non-insurable] जोखिमों का ही प्रतिफल मिलता है, जिसे लाभ कहते हैं। नाइट के अनुसार किसी भी उत्पादन में जोखिम वहन करना ही पड़ता है। अतः जोखिम उठाने का पुरस्कार को लागत में जोड़ना चाहिए।

इस प्रकार प्रो. नाइट के अनुसार कोई भी उद्यमी जोखिम तभी उठायगा जब उसे उसका प्रतिफल मिलेगा। अच्छा प्रतिफल मिलने से उद्यमियों का विकास होगा। नए उद्यमी जन्म लेंगे और उद्यमिता का विकास होगा।

प्रो. नाइट के विचारों की आलोचनाएं [Criticism] –

1. नाइट ने उद्यमियों के केवल एक कार्य जोखिम पर ही ध्यान दिया है। उद्यमियों के अन्य कार्य जैसे – संगठन की स्थापना, संचालन, संसाधन जुटाना, नवाचार करना आदि पर ध्यान नहीं दिया। इन कार्यों के पारिश्रमिक पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
2. जोखिम उठाना एक मानसिक स्थिति है जिसे लागत में गणना करना कठिन कार्य है।
3. उपक्रम में लाभ केवल उद्यमियों के कार्यों से नहीं ही नहीं अन्य कारणों से भी उत्पन्न होता है, जैसे – बाजार में एकाधिकारी स्थिति का होना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का न होना आदि से भी लाभ उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थितियों में उत्पन्न लाभ जोखिम का पुरस्कार नहीं कह जा सकता है।
4. नाइट ने कहा कि जितना जोखिम अधिक होगा लाभ की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। जोखिम और लाभ की मात्रा का कोई निष्चित सम्बन्ध मापा नहीं जा सकता, क्योंकि अनिष्चितता को सही–सही मापना संभव नहीं हैं।

उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि उद्यमी को जोखिम उठाने का पुरस्कार मिलना ही चाहिए। यह पुरस्कार जितना उचित एवं आकर्षक होगा उद्यमिता का विकास उतना ही अधिक होगा।

2.लीबेनस्टीन की एक्स–कु□ालता विचारधारा [Leibensteins X-Efficiency Theory]

जब किसी एक संसाधन का कुशलता से उपयोग नहीं होने के कारण उस संसाधन के वास्तविक उत्पादन तथा उससे अपेक्षित अधिकतम उत्पादन के बीच का जो अन्तर होता है उसे एक्स–कुशलता [X-efficiency] कहते हैं। इस प्रकार एक्स–कुशलता अकुशलता की वह मात्रा है जो किसी संस्था में किसी संसाधन के अकुशल उपयोग के कारण या उस संसाधन की अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं कर पाने के कारण उत्पन्न होती है। लीबेनस्टीन के अनुसार एक्स–कुशलता संसाधनों को गलत तरीके से उपयोग करने या संसाधनों को अप्रयुक्त छोड़ देने से या संसाधनों के अपव्यय से उत्पन्न होती है। इस एक्स–कुशलता को दूर करने हेतु उद्यमी की आवश्यकता होती है।

लीबेनस्टीन के अनुसार उद्यमी दो प्रकार के होते हैं –

1. **नैत्यिक उद्यमी [Routine Entrepreneurs]** – नैत्यिक उद्यमी प्रतिदिन व्यवसाय के कार्यों का संचालन करते हैं तथा विद्यमान उपक्रम के कार्यों का अन्य बाजारों से समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। ऐसे उद्यमी पूर्व में स्थापित बाजारों एवं विद्यमान उपक्रमों का संचालन करते हैं जहां उत्पादन के सभी साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
2. **नवाचारी उद्यमी [Innovational Etrepreneurs]** – ऐसे उद्यमी किसी नए अथवा अल्पविकसित बाजार में तब उपक्रम की स्थापना करते हैं जबकि वहां पर उत्पादन के संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे उद्यमी बाजार या संसाधनों में विद्यमान कमियों को दूर करते हैं एवं उमने उपक्रम को सफल बनाने का जोखिम उठाते हैं।

लीबेनस्टीन की विचारधारा निम्नलिखित **मान्यताओं** पर आधारित है –

1. सम्पूर्ण उद्योग के सभी उद्यमियों को सभी संसाधनों का ज्ञान एवं उपलब्धि की जानकारी नहीं होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. संसाधनों तथा उनसे होने वाले उत्पादन के बीच कोई निश्चित सम्बन्ध या अनुपात नहीं होता है।

इस प्रकार लीबेनस्टीन के अनुसार उद्योग में उत्पादन कार्य के सम्बन्ध में जानकारी की बड़ी कमी [Gap] है। उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को बाजार के क्षेत्र, प्रकृति, संसाधनों की उपलब्धता, उनकी उत्पादकता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नहीं होती है। उनमें ज्ञान एवं जानकारी की भारी कमियां [Gap] होती हैं। उद्यमी ही इन कमियों को दूर करने का कार्य करता है। लीबेनस्टीन के अनुसार उद्यमी वह है जो बाजार सम्बन्धी पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक्स–कुशलता को समाप्त कर देता है। लीबेनस्टीन के अनुसार ऐसे उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए –

1. विभिन्न बाजारों में उपलब्ध क्रय–विक्रय के अवसरों की पहचान की योग्यता
2. संसाधनों के उत्पादन करने अथवा उत्पाद बनाने के अवसरों की संभावना को ज्ञात करने की क्षमता
3. उपर्युक्त कार्यों हेतु आवष्यक क्रियाओं को निर्धारित करने तथा उन्हें लाभपूर्ण तरीके से सम्पन्न करने की योग्यता

लीबेनस्टीन के अनुसार एक उद्यमी एक्स–कुशलता को समाप्त करने में दो प्रकार से भूमिका निभा सकता है–

1. सभी संसाधनों को उपलब्ध कराने, विद्यमान उत्पादन विधियों का पूर्ण उपयोग करने का कार्य करके
2. कमियों को दूर करने ख्ळंच थ्पससमत, के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता, अभिप्रेरणा क्षमता, सहयोग प्राप्त करने की योग्यता का उपयोग करके

उद्यमी की यह भूमिका बहुत ही चुनौती पूर्ण भूमिका है। अतः ऐसे ही उद्यमियों के विकास की आवश्यकता है।

लीबेनस्टीन की यह विचारधारा स्पष्ट करती है कि प्रत्येक देश में आर्थिक विकास एक समान क्यों नहीं होते हैं। इसी प्रकार एक ही देश में दो विभिन्न उपलब्धियों में आर्थिक विकास की दर में भिन्नता क्यों पायी जाती है। यह विचारधारा यह भी स्पष्ट करती है कि किसी उपक्रम की अधिकतम कुषलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो तथा एक्स–कुशलता शून्य हो जाए।

II. मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं

1. मेक्क्लीलैण्ड की उपलब्धि विचारधारा [McClellands Achivement Theory]

यह विचारधारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख तथ्य निम्नप्रकार हैं–

1. **आवश्यकता पर आधारित मान्यता [Based on the assumption of certain needs]** – मनुष्य अपने जीवन में तीन प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करता है – **i-** उपलब्धि की आवश्यकता [Need for achievement] – प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उपलब्धि के लिए कार्य करता है। व्यक्ति ये कार्य अपनी उच्च आकांक्षा अथवा सामान्य आकांक्षा की पूर्ति के लिए करता है।

   ii-सत्ता की आव□यकता [Need for power] – लोग दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभुत्व एवं अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वे सत्ता पाने के लिए कार्य करते हैं।

   iii-अपनत्व की आव□यकता [Need for affiliation] – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः वह एक–दूसरे से सम्बन्ध बनाना चाहता है। जब उसे मित्रता या अपनत्व का भाव का भाव महसूस होता है तभी वह अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है।

2. **शोध का निष्कर्ष [Research Conclusion]** – मैक्क्लीलैण्ड ने मनुष्य की उपरोक्त तीनों आवश्यकताओं का अध्ययन करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं –

   क. उद्यमिता के विकास में आवश्यकताओं का प्रभाव : मेक्क्लीलैण्ड ने अपने शोध में पाया कि उपलब्धि की आवश्यकता तथा सत्ता की आकांक्षा वाले व्यक्ति प्रायः अधिक सफल उद्यमी होते हैं। किन्तु सफल उद्यमियों में अपनत्व की आवश्यकता बहुत निम्न स्तर की होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ख. उच्च उपलब्धि की आकांक्षा सफल उद्यमियों के लिए आवश्यक है : निम्नांकित कारणों से उद्यमी उच्च उपलब्धियों की आकांक्षा रखते हैं –

i. .समाज में उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए

ii. सफल उपलब्धियों का रिकार्ड बनाने के लिए

iii. राष्ट्र सेवा करने के लिए

मेक्क्लीलैण्ड ने अपने शोध में पाया कि अधिकांश उद्यमी (i) एवं (iii) प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं।

ग. उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वालों में विशेष गुण – उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वालों में निम्नांकित विशेष गुण होते हैं –

i. ये उद्यमी प्रायः संतुलित अथवा मध्यम श्रेणी के जोखिम उठाते हैं क्योंकि वे जोखिम उठाने से पहले उसका समुचित आकलन करते हैं।

ii. ये उद्यमी ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो प्राप्त किया जा सकता हो अर्थात व्यावहारिक हो।

iii. ये उद्यमी तत्काल परिणाम चाहते हैं।

iv. ये उद्यमी अपनी उच्च उपलब्धि के लिए किसी मौद्रिक पुरस्कार की आशा नहीं रखते हैं।

v. ये उद्यमी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं।

vi. ये उद्यमी चुनौतिपूर्ण कार्यों में रूचि लेते हैं।

vii. ये उद्यमी व्यक्तिगत दायित्वों को समझते हैं।

viii. इनमें कुछ नया करने की क्षमता सामान्य से अधिक होती है

3. **प्रमुख सिद्धान्त [Main Tenets]**– मेक्क्लीलैण्ड ने अपने शोध के उपरान्त निम्नांकित सिद्धान्त का प्रतिपादन किया –

i. किसी भी देश का आर्थिक विकास उद्यमियों की उत्साही क्रियाओं पर निर्भर है।

ii. उद्यमियों का व्यवहार उच्च उपलब्धि की आकांक्षा से अधिक प्रेरित होता है।

iii. उच्च उपलब्धियों की आकांक्षा वाले व्यक्ति निर्धन देशों की तुलना में धनी देशों में अधिक होते हैं।

iv. निर्धन देशों में उद्यमिता के विकास हेतु उच्च आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

आलोचनाएं –

1. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वयस्क व्यक्तियों में प्रेरणाएं उत्पन्न नहीं की जा सकतीं, क्योंकि प्रेरणाएं अथवा आकांक्षाएं व्यक्ति में बचपन से ही जन्म लेती हैं। किन्तु मेक्क्लीलैण्ड का कहना है कि वयस्क एवं अधेड़ों में भी प्रेरणाएं लायी जा सकती हैं।

2. आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा आकांक्षाओं में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यदि परिवर्तन होता भी है तो केवल अल्पकाल के लिए ही होता है।

3. आलोचकों का कहना है कि मेक्क्लीलैण्ड की शोध प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है, क्योंकि इस विचारधारा पर जिन लोगों ने शोध कार्य किया उन्हीं लोगों ने इस विचारधारा का जांच कार्य भी किया है।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी कहा जा सकता है कि मेक्क्लीलैण्ड की उच्च उपलब्धि की आकांक्षा की विचारधारा बहुत उपयोगी है क्योंकि यह सही है कि जिन लोगों में उच्च उपलब्धि की आकांक्षा होती है वे ही अधिक सफल होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. शूम्पीटर की नवाचार विचारधारा [The Innovation Theory of Shumpeter]

प्रो. जोसेफ शूम्पीटर का मानना है कि उद्यमी स्वभाव से ही सृजनशील होता है। वह हमेशा किसी नए उत्पाद के विकास, नयी उत्पादन तकनीकी का प्रयोग, संसाधनों के नए स्रोत से नयी सामग्री का उत्पादन तथा किसी नए प्रकार के संगठन की स्थापना का प्रयास करता रहता है। शूम्पीटर के अनुसार उद्यमी सदैव नवाचार करने के अवसर खोजता रहता है। शूम्पीटर का विश्वास है कि देश के आर्थिक विकास के लिए अवसरों का लाभ उठाकर नवाचार करना अनिवार्य है। अतः किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमी का होना आवश्यक है।

शूम्पीटर का मानना है कि उद्यमी दूरदर्शी एवं अन्तर्दृष्टि रखता है। भले ही उसके पास पूंजी, प्रबन्धकीय दक्षता, उत्पादन के अन्य संसाधन नहीं हो परन्तु उसमें कुछ नया करके दिखाने की अथवा नवाचार करने की क्षमता जरूर होनी चाहिए।

शूम्पीटर के अनुसार नवाचार निम्नांकित में से किसी भी रूप में हो सकता है –

1. किसी नए उत्पाद को विकसित एवं प्रस्तुत करके
2. उत्पादन की नयी विधि अथवा तकनीक को अपनाकर
3. नए बाजारों को विकसित करके
4. संसाधनों के आपूर्ति के नए स्रोत को खोजकर
5. उत्पादन की नयी किस्म को विकसित एवं उसे प्रस्तुत करके
6. नए संगठन का निर्माण करके

इस प्रकार उद्यमी उपरोक्त रूप में नवाचार कर सकता है।

मान्यताएं –

1. शूम्पीटर का मानना है कि आर्थिक जगत में बड़ी मात्रा में जोखिम एवं अनिश्चितताएं हैं। ऐसे में जोखिम का सही आकलन करना संभव नहीं है।
2. जोखिम की अनिश्चितता के कारण सामान्य व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं करते हैं।
3. शूम्पीटर का मानना है कि वही उद्यमी सफल हो सकता है जो जोखिमपूर्ण वातावरण में लाभकारी अवसरों की खोज करके उसका उपयोग कर लाभ उठा सके।
4. शूम्पीटर का यह मानना है कि उद्यमी केवल लाभ के लिए ही कार्य नहीं करता बल्कि वह व्यावसायिक जगत की प्रतिस्पर्धा की जंग जीत कर व्यावसायिक जगत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा भी रखता है।
5. शूम्पीटर के अनुसार उपभोक्ता के आधिपत्य को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। उनके अनुसार उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन प्रायः उत्पादकों के कारण ही होते हैं। अतः उपभोक्ता के आधिपत्य को नकार कर ही नवाचार की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है।

शूम्पीटर के अनुसार उद्यमी के विशिष्ट लक्षण [Special CharaCteristics of an Entrepreneur]

1. उद्यमी प्रबन्धक से भिन्न होता है। प्रबन्धक विद्यमान संसाधनों के तहत् ही कार्य करता है। किन्तु उद्यमी नए संसाधनों से कुछ न कुछ नया करने का कार्य करता है। वह प्रबन्धक की तरह रोजाना के प्रबन्धन का कार्य नहीं करता है।
2. उद्यमी एवं पूंजीपती में अन्तर होता है। उद्यमी पूंजीपती भी हो सकता है, पर यह अनिवार्य नहीं है। पूंजीपती का कार्य पूंजी उपलब्ध कराना है और उद्यमी का कार्य उस पूंजी के उपयोग को निश्चित करना है।
3. उद्यमी नेतृत्वकर्ता होता है। वह उपक्रम में किए जाने वाले कार्यो एवं कर्मचारियों का नेतृत्व करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. उद्यमी आविष्कारक नहीं होता है। वह नवाचारी होता है। आविष्कार एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और नवाचार एक आर्थिक प्रक्रिया है। उद्यमी आविष्कार को नवाचार के रूप में देखता है।

आलोचनाएं –

1. एकाकी विचार धारा–एकाकी विचारधारा –शूम्पीटर का मानना है कि आविष्कार वैज्ञानिक कार्य है जबकि नवाचार उद्यमी का कार्य है। किन्तु व्यवहार में उद्यमी को भी आविष्कार करने पड़ते हैं तभी वह उपभोक्ता के लिए नयी किस्म की वस्तुएं दे सकेगा साथ ही बाजार की प्रतिस्पर्धा से भी बचा रह सकेगा।
2. आविष्कार भी आर्थिक उदेश्यों से प्रेरित – आविष्कार भी नवाचार की तरह ही आर्थिक उदेश्यों से प्रेरित होते हैं। आविष्कार के द्वारा भी वही सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो नवाचार के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
3. आवश्यक संसाधनों पर कम ध्यान – शूम्पीटर ने उद्यमिता के विकास में नवाचार की अपेक्षा आवश्यक संसाधनों को गौण माना है। जबकि नवाचार अपनाने के लिए भी तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संसाधन आदि की आवश्यकता होती है, जिनका शूम्पीटर ने कम महत्व आंका है।
4. संगठन निर्माण को महत्व –शूम्पीटर ने उद्यमिता के विकास में संगठन के निर्माण की क्षमता को कम महत्व दिया है। जबकि संगठन के वगैर उद्यम की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
5. जोखिम उठाने के क्षमता की उपेक्षा– शूम्पीटर ने अपनी विचारधारा में जोखिम लेने की क्षमता को भी कम महत्व दिया है। बिना जोखिम के उद्यमिता का अस्तित्व ही नहीं नहीं रहता। किन्तु इस विचारधारा में इस पक्ष को लगभग नकार दिया गया है।
6. वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा – इस विचारधारा में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि उद्यमियों के विकास में वातावरण का भी योगदान है। जबकि उद्यमी वातावरण से पूर्णतः प्रभावित होता है।
7. अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में उद्यमिता कम – यह विचारधारा विकसित देशों के लिए उपयोगी है। अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में इसकी उपयोगिता बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे देशों में स्वरोजगार का कोई भी कार्य उद्यमिता कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शूम्पीटर ने उद्यमियों को 'नवाचारी उद्यमी' बनने हेतु प्रेरित किया है। उन्होंने उद्यमी को एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो सृजनात्मक नवाचार एवं परिवर्तन करता है।

3- कुन्केल की व्यवहारवादी विचारधारा [Kunkels Behavioral Theory]

जॉन एच. कुन्केल ने उद्यमिता के व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार उद्यमिता का विकास समाज में विद्यमान निम्नांकित चार संरचनाओं पर आधारित है –

1. **परिसीमा संरचना [Limitation Struture]**– सभी को एक सीमा में रहकर कार्य करना पड़ता है। यह सीमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संबंधित होती है। उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो परिसीमन संरचना का उल्लंघन करता है। किन्तु सामाज की परिसीमा संरचना उसके व्यवहार को नियन्त्रित या प्रतिबन्धित करती है।
2. **मांग संरचना [Demand Structure]** – प्रत्येक समाज की मांग संरचना होती है। समाज की मांग अथवा अपेक्षा संरचना आर्थिक विकास एवं सरकारी नीतियों के साथ–साथ परिवर्तित होती रहती है। इस संरचना के कुछ घटकों जैसे,–भौतिक पुरस्कार आदि में परिवर्तन करके समाज में उद्यमिता सम्बन्धी व्यवहार को विकसित किया जा सकता है।
3. **अवसर संरचना [Opportunity Sructure]** – उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली अवसर संरचना के प्रमुख घटक हैं – पूंजी, प्रबन्धक, तकनीक, उत्पाद विधि, श्रम तथा बाजार सम्बन्धी सूचनाएं आदि। जिस समाज में अवसर संरचना के सभी घटक मौजूद हों, वहां उद्यमिता के विकास की अधिक संभावना होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **श्रम संरचना [Labour Structure]**– जिस समाज में सक्षम एवं श्रम में रूचि रखने वाले श्रमिक होते हैं, उसकी श्रम संरचना को सुदृढ़ कहा जाता है। ऐसी सुदृढ़ संरचना उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

कुन्केल के अनुसार किसी देश में उद्यमिता का विकास उपरोक्त चारों संरचनाओं पर निर्भर करता है। संरचनाओं का अनुकूल एवं प्रभावी संयोजन उद्यमिता के तीव्र विकास में सहायक होता है।

4- हेगन की पीड़ित अल्प समूह विचारधारा [Hagen's Depressed Minority Group Theory]

ई. ई. हेगन ने उद्यमिता की 'पीड़ित अल्प समूह' विचारधारा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार जब कुछ सशक्त लोग किसी परम्परागत रूप से सशक्त एवं समृद्ध समुदायों को उनकी सम्मानजनक स्थिति से विस्थापित कर देते हैं तब उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। वे उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे पुनः अपने परिश्रम एवं सृजनात्मक कार्यों द्वारा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अतः उद्यमिता का जन्म एवं विकास होता है। जैसे – जापान के समुराई समुदाय के लोगों ने उद्यमिता का विकास किया।

हेगेन के अनुसार पीड़ित अल्प समूह वाले समाज में से निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं का जन्म होता है–

1. **मौन प्रवृति** [Retreatistics] – पीड़ित अल्प समूह वाले व्यक्ति मौन प्रवृति के हो जाते हैं। वे अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं।
2. **विधिवादी** [Retualist] – ऐसे व्यक्ति समाज के इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। उनमें सुधार की आशा नहीं रहती।
3. **सुधारवादी** [Reformist] – पीड़ित समूह वाले व्यक्ति समाज में विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हैं एवं नए समाज के निर्माण का प्रयास करते हैं।
4. **नवाचारी** [Innovator] – पीड़ित अल्प समूह वाल व्यक्ति सृजनात्मक नवाचार करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में उद्यमियों का जन्म होता है। हेगेन के अनुसार ऐसे व्यक्ति समाज की समस्याओं एवं अवस्थाओं से दुःखी होने के बजाय उनका सामना करते हैं तथा नवाचार के माध्यम से उसका समाधान करते हैं।

III- समाज□ास्त्रीय विचारधाराएं

1. यंग की समूह स्तरीय प्रतिक्रिया विचारधारा [Group Level Pettern Theory]

समाजशास्त्रीय विचारधारा में एफ. डब्ल्यु. यंग [F. W. Young] के अनुसार – उद्यमिता समूह स्तर पर होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम है। उनके अनुसार समूह स्तर पर प्रतिक्रियाएं निम्नांकित स्थितियों में होती हैं –

i. जब समूह की महत्ता एवं सम्मान का स्तर कम हो रहा हो।

ii. जब समूह के लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश का अवसर नहीं मिलता है।

iii. जब एक समूह के पास अन्य समूहों की तुलना में अच्छे संसाधन होते हुए भी उन्हें विकास का अवसर नहीं मिल रहा हो।

iv. जब समाज के समूहों में प्रतिक्रिया होती है तो समाज और सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण उद्यमियों का विकास होता है।

2 वेबर की नैतिक मूल्य व्यवस्था विचारधारा [Weber's Ethical Value System Theory]

मेक्स वेबर ने उद्यमिता की 'नैतिक मूल्य व्यवस्था' विचारधारा का प्रतिपादन किया। वेबर के अनुसार उद्यमिता के विकास को नैतिक मूल्य अधिक प्रभावित करते हैं। जिस समाज में नैतिक मूल्य भौतिकवाद से अधिक प्रभावित होते हैं वहां उद्यमिता का विकास अधिक होता है। जैसे – प्रोटेस्टेन्ट [Protestents] समाज

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

में भौतिक मनोवृति पायी जाती है, अतः उस समाज में उद्यमिता का अधिक विकास हुआ। हिन्दू समाज में आध्यात्मिक मनोवृति के कारण उद्यमिता का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ।

3. कोकान की विचारधारा [CoChrans Theory]

कोकान के अनुसार उद्यमिता का विकास सामाजिक मूल्यों एवं व्यक्ति से समाज की अपेक्षाओं से प्रभावित होता है। उनके अनुसार उद्यमिता का विकास निम्नलिखित घटकों से प्रभावित होता है –

1. व्यवसाय के प्रति उद्यमी की रूचि एवं समाज का दृष्टिकोण
2. समाज द्वारा अपेक्षित साहसी की भूमिका
3. उद्यमी के व्यवसाय से समाज के आवश्यकताओं की पूर्ति

इस प्रकार कोकान के अनुसार व्यक्ति से समाज की अपेक्षाएं एवं उद्यमी के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है।

4. हासलिज की विचारधारा [Hoslitzs Theory]

बी. एफ. हॉसलिज की विचारधारा के अनुसार जिस समाज में लोचशीलता होती है वहां उद्यमिता का विकास अधिक होता है। जिस समाज में जड़ता न हो अर्थात समाज व्यवसाय के विकास में सहयोग देता हो, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए छूट देता हो तो वहां उद्यमिता के विकास के अवसर अधिक होते हैं। रूस एवं फ्रांस में लोचहीनता के कारण ही उद्यमिता का विकास विलम्ब से हुआ।

उद्यमिता के विकास के अभिप्रेरक तत्व

अथवा

उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटक

[Factor affecting Development of Entrepreneurship]

उद्यमिता के सम्बन्ध में अबतक प्रतिपादित विचारधाराओं को ध्यान में रखकर उद्यमिता के विकास के अभिप्रेरक तत्व निम्नलिखित हैं –

I- व्यक्तिगत घटक [Personal Factor] – उद्यमिता को अपनाने वाला कोई व्यक्ति ही होता है। अतः उसका व्यक्तित्व एवं उसके व्यक्तिगत गुण से उद्यमिता प्रभावित होती है। व्यक्तित्व संबंधी कुछ प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं–

1. **उपलब्धि की उच्च आकांक्षा**– जिस व्यक्ति में उद्यमी बनने की अन्तःप्रेरणा होती है, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है, वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति ही चुनौतिपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं समस्याओं को हल करने में रूचि लेते हैं। इस प्रकार उद्यमिता का विकास तब होता है जब उद्यमी में आकांक्षा एवं प्रेरणा हो।
2. **स्थिति पर नियंत्रण रखने की क्षमता**– जिन लोगों में स्थिति पर नियंत्रण रखने की क्षमता होती है वे ही उद्यमिता में सफल होते हैं। स्थिति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति बाह्य वातावरण पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग कर्मवादी होते हैं। अतः वे उद्यमिता के विकास में योगदान देते हैं।
3. **जोखिम उठाने की क्षमता**–जोखिम उठाना ही उद्यमिता है। जोखिम उठाने की क्षमता से उद्यमिता प्रभावित होती है। जब जोखिम की सही पहचान की क्षमता होती है तो उद्यमिता का विकास होता है।
4. **शैक्षणिक योग्यताएं** –व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति सफल उद्यमी होते हैं। सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले उतने सफल उद्यमी नहीं बन पाते। सुशिक्षित व्यक्तियों में अवसरों को पहचानने, परियोजनाएं बनाने, परियोजना की व्यावहारिकता को परखने, उपक्रम की स्थापना, प्रबन्धन, निर्णय की क्षमता होती है। अतः उद्यमिता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
5. **व्यक्तिगत गुण**–जो व्यक्ति कल्पनाशील, परिश्रमी, ईमानदार, आशावादी, दूरदर्शी, आत्मविश्वासी, नेतृत्वक्षमता वाले तथा प्रगतिशील विचारों वाले होते हैं, वे अधिक सफल उद्यमी होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

शूम्पीटर ने भी ऐसे व्यक्तिगत गुणों को उद्यमिता के विकास के लिए आधारभूत माना है।

II. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक घटक [Socio-cultural and Family Factors] – ये घटक निम्नांकित हैं–

1. **पारिवारिक परिस्थितियां**– उद्यमिता के विकास में पारिवारिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कहीं तो पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वे आर्थिक बोझ के तले दबे रहते हैं और उन्हें विवश होकर नौकरी करनी पड़ती है। वे चाहकर भी साहसी नहीं बन पाते हैं।
2. **परिवार का समर्थन एवं सहयोग**– उद्यमिता में जोखिम उठाना पड़ता है। स्थिति प्रतिकूल होने पर परिवार की आय, जीवन कार्य प्रणाली, सभी कुछ अव्यवस्थित हो सकती है। आर्थिक हानी भी उठानी पड़ती है। ऐसे में परिवार का समर्थन एवं सहयोग बहुत आवश्यक होता है अन्यथा उद्यमी हताश हो जायगा। इस प्रकार उद्यमिता के विकास में उद्यमी को परिवार का आर्थिक एवं नैतिक दोनों समर्थन आवश्यक है।
3. **परिवार एवं समाज की अपेक्षाएं**– परिवार एवं समाज के लोग जब अपने सदस्यों से जोखिम उठाने, आत्मनिर्भर बनने, राष्ट्र विकास में योगदान देने आदि की अपेक्षाएं रखते हैं तो उद्यमियों के विकास की संभावनाएं अधिक होती है।
4. **परंपराएं** – प्रायः लोग सामाजिक एवं पारिवारिक परम्परा के अनुसार ही कार्य करते हैं। वैश्य का पुत्र वैश्य का ही कार्य करना पसंद करता है। अन्य वर्ग के लोग वैश्य का कार्य करना पसंद नहीं करते। हालांकि अब ये परम्पराएं बदल रही हैं फिर भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।
5. **कार्य संस्कृति** – जिस समाज में लोग कर्मवादी होते हैं, कार्य में विष्वास रखते हैं, उस समाज में उद्यमिता का विकास होता है। जिस समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं, कार्य को महत्व न देकर भाग्य के भरोसे रहते हैं, उस समाज में उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। इस प्रकार कार्य संस्कृति उद्यमिता को प्रभावित करती है।

III- सहायता व्यवस्था संबंधी घटक [Factor Effecting to Support System]

उद्यमिता सहायता सम्बन्धी घटक उद्यम के विकास को प्रभावित करते हैं। सहायता व्यवस्था सम्बन्धी घटक निम्नानुसार हैं–

1. **आधारभूत संरचनाएं** – आधारभूत संरचना सुविधाएं जैसे –औद्योगिक बस्तियां, उर्जा के स्रोत, परिवहन व्यवस्था, संचार का साधन, कच्चा माल, पूंजीगत सामग्री एवं यंत्र आदि जहां उपलब्ध है वहां उद्यमिता का विकास तेजी से होता है।
2. **वित्तीय सुविधाएं** – जहां वित्तीय सुविधाएं आसान शर्तों पर उपलब्ध होती है एवं जहां रियायती दरों पर दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं वहां उद्यमिता का विकास तेजी से होता है।
3. **बैंक सुविधाएं** – उद्यमिता के विकास हेतु बैंक सुविधाओं का पर्याप्त होना अनिवार्य है। जहां बैंक सुविधाएं पर्याप्त एवं व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है, वहां उद्यमिता का विकास होता है।
4. **बीमा एवं अन्य सुविधाएं** – उद्यमिता के विकास हेतु बीमा सुविधा के साथ–साथ विज्ञापन, दलालों, नियोजन एजेन्सियों, कुरियर, आयात–निर्यात आदि सुविधाओं का भी उपलब्ध होना आवश्यक है।
5. **षिक्षण–प्रषिक्षण** – जहां उद्यमिता सम्बन्धी शिक्षण–प्राक्षिण की व्यवस्था अच्छी होती है, वहां उद्यमिता का विकास तेजी से होता है। यह षिक्षण–प्रषिक्षण व्यवस्था सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर षिक्षण संस्थाओं के माध्यम से की जाती है।
6. **परामर्ष व्यवस्था** – व्यक्ति के भीतर छिपी उद्यमिता की भावना एवं क्षमता को उभारने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन एवं परामर्श आवश्यक है। मार्गदर्शन एवं परामर्श की सुविधाएं जहां उपलब्ध होगी, वहां उद्यमिता को उभारने एवं उसके विकास में काफी सहयोग मिलता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम** – उद्यमिता के विकास हेतु सरकार अनेक संस्थाएं एवं संगठन स्थापित करती हैं एवं उनके माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने एवं उद्यमिता के विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है।

8. **आर्थिक सहायता** – उद्यमियों को आर्थिक सहायता नकद रूप में, कम ब्याज में, कर मुक्ति आदि के रूप में उपलब्ध करवा कर सरकार उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। भारत में पिछड़े एवं अल्प विकसित भौगोलिक क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए सरकार अनेक प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है।

9. **उदार कानून एवं आर्थिक नीतियां** – जिस देश में आर्थिक, व्यापारिक, श्रम, कराधान आदि से सम्बन्धित कानून सकारात्मक होते हैं, वहां उद्यमिता का विकास तेजी से होता है। जहां आर्थिक नीतियां जैसे– श्रम नीति, औद्योगिक नीति, कर नीति, आयात–निर्यात नीति, विदेशी विनिमय नीति आदि सकारात्मक एवं उदार होती है वहां उद्यमिता का विकास तेजी से होता है।

IV. वातावरण सम्बन्धी घटक [Environmental Factors]–उद्यमिता को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी घटक निम्नांकित हैं–

1. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण** – उद्यमिता के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण जैसे– परम्पराएं, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं, रूढ़ियां, आपसी व्यवहार, जीवन शैली, जीवन स्तर, फैशन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक उद्यमी को इन्हीं वातावरणों में रहकर अपना कार्य करना पड़ता है।

2. **जनसंख्या सम्बन्धी वातावरण**– जनसंख्या संबंधी वातावरण के घटकों में जनसंख्या का आकार, आय, आयु, व्यवसाय, जाति, धर्म, लिंग, शैक्षिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण आदि आते हैं। वातावरण के ये घटक उद्यमिता के अवसर को प्रभावित करते हैं।

3. **तकनीकी वातावरण** – तकनीकी वातावरण उद्यमिता को काफी प्रभावित करता है। तकनीकी के आधार पर उद्यमी नवाचार के अवसर प्राप्त करता है। किसी भी देश के तकनीकी विकास की स्थिति वहां के उद्यमिता के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

4. **आर्थिक वातावरण** – देश का आर्थिक वातावरण उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मुद्रा स्फीति, तेजी–मन्दी, औद्योगिक नीति, कर नीति, रोजगार की स्थिति, आयात–निर्यात नीति, श्रम नीति, आर्थिक विकास की स्थिति आदि ये सभी आर्थिक वातावरण के घटक उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं।

5. **राजनीतिक वातावरण** – उद्यमिता के विकास हेतु राजनीतिक स्थिरता भी आवश्यक है। यदि राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो सरकार की नीतियों को लागू करने में कठिनाई आती है, क्योंकि सरकार के बदलने के साथ ही नीतियां भी बदल दी जाती है। स्थायी तौर पर नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अतः स्थिर राजनीतिक स्थितियां उद्यमिता के विकास मे सहयोग करती है।

6. **वैधानिक वातावरण** – किसी देश का वैधानिक वातावरण भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। उद्यमियों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं कानून आदि अनुकूल हैं तो उद्यमिता के विकास को सहयोग मिलता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि देश में उद्यमिता के जन्म और विकास में उपर्युक्त सभी घटकों का प्रभाव पड़ता है। इन सभी घटकों में अनुकूल एवं उचित संयोजन से ही देश में उद्यमिता का विकास होता है।

प्र□न

लघु उत्तरात्मक प्र□न

1.उद्यमिता के मनोवैज्ञानिक विचारधारा को समझाइए।

2.उद्यमिता की आर्थिक विचारधारा को समझाइए।

3.उद्यमिता की सामाजिक विचारधारा को समझाइए।

4.शूम्पीटर की नव विचारधारा को समझाइए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5.मैक्क्लीलैण्ड की उपलब्धि की विचारधारा को समझाइए।

6.नाइट की जोखिम वहन विचारधारा को समझाइए।

वृहत् उत्तरात्मक प्रश्न

1.उद्यमिता के विभिन्न विचारधाराओं की विवेचना कीजिए।

2.उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना करें।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय–4

समाजिक–आर्थिक वातावरण एवं उद्यमिता

[Socio-Economic Environment and Enrepreneuship]

उद्यमिता के विकास में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। उद्यमिता आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांसकृतिक वातावरण की दशा एवं दिशा दोनों निर्धारित करते हैं।

'वातावरण' का अर्थ वेबस्टर भाब्द कोष के अनुसार – वातावरण से तात्पर्य उन घेरे रहने वाली दशाओं, प्रभावों तथा परिस्थितियों से है, जो सभी व्यक्तियों तथा जीवित प्राणियों के जीवन को प्रभावित करती हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाह्य परिस्थितियों दशाओं तथा प्रभावकारी घटकों से है जो किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। वातावरण के घटकों पर उस व्यक्ति अथवा संस्था का नियंत्रण नहीं होता है।

इस प्रकार वातावरण वे बाह्य परिस्थितियां एवं प्रभाव हैं जो लोगों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करती है।

उद्यमीय वातावरण (Entrepreneurial Environment)

उद्यमीय वातावरण से तात्पर्य उन दशाओं, परिवर्तनों एवं घटकों से है जो उद्यमियों के विकास को प्रभावित करती है। उद्यमीय वातावरण से आशय उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं संस्थागत परिस्थितियों से है, जिनके अन्तर्गत उधमी को नवाचार करना एवं उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करना होता है। उद्यमी को इस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है। वातावरण उद्यमी से प्रभावित नहीं होता बल्कि उद्यमी वातावरण से प्रस्तावित होता है।

उद्यमीय वातावरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. **उद्यमी वातावरण जीवन का अभिन्न अंग है**– एक उद्यमी सदैव उद्यमी वातावरण से घिरा रहता है। उद्यमीय वातावरण उद्यमी के जीवन का अभिन्न अंग होता है। उद्यमी जीवन पर्यन्त वातावरण से प्रभावित होता रहता है।
2. **गति□ीलता** – उद्यमीय वातावरण हमेशा गतिशील एवं परिवर्तनीय होता है। वह कभी स्थिर नहीं रहता है। उद्यमी वातावरण के घटकों में परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण की गतिशीलता के कारण उद्यमी भी अपनी क्रियाओं में वातावरण के परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन करते रहते हैं।
3. **व्यापक वातावरण** – उद्यमीय वातावरण आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता है। मानव को अपने वातावरण के अनुकूल ढालना पड़ता है। उद्यमीय वातावरण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी आदि सभी तरह के वातावरण आते हैं।
4. **उद्यमी वातावरण की उपज है** – एक उद्यमी जिस वातावरण में पलता है, बढता है, वह उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। वह वातावरण में मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकता है। वह वातावरण की उपज होता है।
5. **भौगोलिक परिसीमा** – प्रत्येक उद्यमी का अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार एक भौगोलिक परिसीमा होती है। उसे उस परिसीमा के वातावरण के घटक प्रभावित करते हैं।
6. **वातावरण चुनौतियां प्रस्तुत करता है** – उद्यमीय वातावरण अपनी गतिशीलता एवं परिवर्तनीय प्रकृति कारण मनुष्य के सामने चुनौतियां प्रस्तुत करता रहता है। उद्यमी इन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करता है।
7. **नए अवसर** – वातावरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के साथ–साथ मनुष्य के सम्मुख अवसर भी प्रदान किए जाते हैं, जिसका उपयोग उद्यमी–उद्यमिता के विकास हेतु करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8. **परस्पर निर्भर घटक** – उद्यमीय वातावरण के विभिन्न घटक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। साथ ही एक–दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।

9. **अनियंत्रणीय**–वाातवरण पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता। मनुष्य अपने प्रयास से कुछ आन्तरिक घटकों पर तो नियंत्रण कर सकता है किन्तु बाह्य घटकों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। उसे वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है।

10. **संसाधनों का आदान–प्रदान** – उद्यमी अपने उत्पादनों के लिए विभिन्न संसाधन वातावरण से ही पाता है एवं उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को पुनः उसी वातावरण को लौटा देता है।

11. **उधमीय वाातवरण अनिश्चित होता है**– उद्यमीय वातावरण सदैव अनिश्चित रहता है। भावी घटनाओं के बारे में केवल कुछ सीमा तक अनुमान ही लगाया जा सकता है, निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

12. **सूचनाओं का अदान प्रदान**– उद्यमी–विभिन्न सूचनाएं वातावरण से ही प्राप्त करता है। उद्यमी वातावरण से ही विभन्न सूचनाओं का आदान–प्रदान करता है।

13. **बाजार**– उद्यमियों के लिए बाजार भी वातावरण का ही देन है। बाजार में ही उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय होता है।

उद्यमिता एवं आर्थिक वातावरण (Entrepreneurship and Economic Environment)

उद्यमिता के आर्थिक वातावरण का तात्पर्य उन बाह्य शक्तियों से है जिनका उद्यमियों के विकास पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है। उद्यमिता के आर्थिक वातावरण का निर्माण उन घटकों एवं शक्तियों से होता है, जिनका उद्यमियों की कार्य प्रणाली एवं सफलता पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उद्यमिता के विकास में आर्थिक वातावरण की प्रमुख भूमिका रहती है।

आर्थिक वातावरण के संघटक (Components of Economic Environment)

आर्थिक वातावरण के कुछ प्रमुख घटक निम्नांकित हैं–

1. **आर्थिक प्रणाली** – किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली उस देश में उद्यामिता के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह प्रणाली पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी तथा मिश्रित किसी भी प्रकार की हो सकती है। अनुकूल आर्थिक प्रणाली उद्यमिता के विकास में सहायक होती है।

2. **अर्थव्यवस्था की अवस्था**– अर्थव्यवस्था विकसित, विकासशील, अविकसित अवस्था में हो सकती है। अविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों के कारण उद्यमिता का विकास तेज नहीं हो पाता है। उद्यमियों को अनेक कठिनाईयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता के विकास अनुकूल परिस्थियां रहती है।

3. **आर्थिक ढांचा**– किसी भी देश का आर्थिक ढांचा आर्थिक वातावरण का महत्त्वपूर्ण संघटक है। अर्थव्यवस्था की संचरना के विभिन्न घटकों जैसे–राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण, आय का वितरण, वाणिज्य, विदेशी व्यापार आदि का सकारात्मक विकास उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करता है। जहां इन सबका समुचित विकास नहीं होता है, वहां उद्यमिता के विकास हेतु वातावरण अनुकूल नहीं रहता है।

4. **आर्थिक चक्र** –किसी भी अर्थव्यवस्था में तेजी–मंदी, मुद्रा का प्रसार एवं संकुचन, मूल्य स्तर की दर में परिवर्तन होते रहते हैं। यह आर्थिक चक्र उद्यमियों के लिए कठिनाईयां एवं चुनौतियां उत्पन्न करता है। आर्थिक चक्र में उच्चावचन का वातावरण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है।

5. **प्राकृतिक संसाधन** – प्राकृतिक संसाधन आर्थिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। खनिज पदार्थ, खनिज तेल, वन, कृषि उत्पादन, नदियां, समुद्र तट, सिंचाई, पेयजल की सुविधाएं आदि प्राकृतिक संसाधन अच्छे आर्थिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

6. **आधारभूत ढ़ांचा** –आधारभूत ढ़ांचा आर्थिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिस देश में आधारभूत ढ़ांचा मजबूत एवं विकसित होता है वहां उद्यमिता के अनुकूल वातावरण होता है। औद्योगिक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

केन्द्र, औद्योगिक बस्तियां, आधारभूत उद्योग, परिवहन एवं संचार सुविधाएं, तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएं, उर्जा के स्रोत, बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, विज्ञापन सेवाएं आदि जितनी विकसित एवं पर्याप्त उपलब्ध होगी, उद्यमिता का विकास उतना ही अधिक होगा।

7. **पूंजी निर्माण** –पूंजी आर्थिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूंजी निर्माण की दर जहां उंची एवं पूंजी की उपलब्धता पर्याप्त होगी वहां उद्यमिता का विकास होगा।

8. **निवे□ा**– पूंजी बाजार एवं निवेशकों की पर्याप्त उपब्धता से देश का औद्योगिक वातावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। आर्थिक वातावरण के इन घटकों का विकास उद्यमिता के विकास में सहायक होता है।

9. **आर्थिक नीतियां**– देश की आर्थिक नीतियां आर्थिक वातावरण की एक महत्वपूर्ण घटक है, जो उद्यमिता की दिशा निर्धारित करने में योगदान देती है। ये आर्थिक नीतियां हैं – औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, मौद्रिक नीति, आयात–निर्यात नीति आदि। आर्थिक नीतियां उद्यमिता के वातावरण का नियमन करती है।

10. **आर्थिक सन्नियम** – देश के आर्थिक सन्नियम जैसे – व्यापारिक सन्नियम, कम्पनी सन्नियम, बैंकिंग सन्नियम, पूंजी बाजार संबंधी सन्नियम, विदेशी विनिमय संबंधी सन्नियम, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी सन्नियम आदि आर्थिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं। ये सन्नियम उद्यमिता के वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं।

11. **आपूर्तिकर्ता** –वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए सामग्री, मशीनें, उपकरण, वित्त, उर्जा आदि की आवश्यकता पड़ती है। इनके आपूर्तिकर्ता आर्थिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। उद्यमिता के लिए इन सभी चीजों के आपूर्तिकर्ता का होना आवश्यक है।

12. **श्रम** –श्रम आर्थिक वातावरण का एक सजीव एवं सक्रिय साधन है। श्रम की उपलब्धि, शैक्षिक स्तर, मानसिक स्तर, उत्पादकता, नियोजकों के साथ संबंध, मजदूरी, अपेक्षाएं आदि उद्यमिता के विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। नियोजकों के साथ अच्छे श्रम संबंध एवं श्रम की उच्च उत्पादकता से अनुकूल उद्यमीय वातावरण का निर्माण होता है।

13. **कर ढ़ांचा**–आयकर, बिक्रीकर, उत्पादन शुल्क, निर्यात शुल्क, मूल्यवर्धित कर आदि की संरचना उद्यमियों के विकास को प्रभावित करती है। ये उद्यमीय आर्थिक वातावरण के प्रमुख घटक हैं।

14. **संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा**–एक प्रतिस्पर्धी उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं तथा उनकी गुणवत्ता आदि दूसरे प्रतिस्पर्धी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। यह भी आर्थिक वातावरण का महत्वपूर्ण घटक है।

इस प्रकार आर्थिक वातावरण के उपरोक्त घटक उद्यमिता के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक वातावरण के संघटक [Components of Social Environment]

समाजिक वातावरण के प्रमुख घटक निम्नांकित हैं –

1. **जनसंख्या**–जनसंख्या सामाजिक वातावरण का एक प्रमुख संघटक है। जनसंख्या का आकार, जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म, स्त्री–पुरूष, शिक्षा, आयु, आय आदि उद्यमिता के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

2. **परिवार** –संयुक्त परिवार, एकल परिवार आदि पारिवारिक संरचना सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। उद्यमिता के उद्भव एवं विकास में पारिवारिक संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

3. **संगठन**–लोगों का आपसी सहयोग एवं संगठन जैसे –सहकारी संगठन, निजी संगठन, श्रम संघ, हितकारी संगठन, आपसी विश्वास, धार्मिक एवं सामाजिक संगठन आदि सामाजिक वातावरण के प्रभावकारी संघटक हैं।

4. **अधिकार एवं दायित्व**– अधिकार एवं दायित्वों के प्रति निष्ठा का भाव, अधिकारियों के बीच आपसी संबंधों एवं आपसी विश्वास सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **कार्य–भावना**– लोगों में कार्य के प्रति भावना, धन कमाने की लालसा आदि सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं जो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं।

6. **उद्यमियों के प्रति दृष्टिकोण** – सामाजिक वातावरण के निर्माण में समाज का उद्यमियों के प्रति दृष्टिकोण, उद्यमियों से अपेक्षाएं, उद्यमियों की सामाजिक स्थिति आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7. **परिवर्तनों के प्रति दृष्टिकोण** –नित नए परिवर्तनों के प्रति जनता का दृष्टिकोण सामाजिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। उद्यमिता का वातावरण इससे अधिक प्रभावित होता है।

8. **जोखिम के प्रति दृष्टिकोण** – जनता का जोखिम उठाने के प्रति दृष्टिकोण का प्रभाव उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। यदि सकारात्मक है तो उद्यमिता के विकास को बल मिलता है। सामाजिक वातावरण का यह घटक उद्यमिता के प्रमुख लक्षणों में एक है।

9. **लोगों की सोच** – समाज के लोगों की सोच रूढ़िवादि है अथवा वैज्ञानिक इसका असर उद्यमिता के विकास पर पड़ता है। यदि समाज के लोगों की सोच रूढ़िवादि है तो वह उद्यमिता के लिए नकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगी। यदि सोच वैज्ञानिक, आधुनिक एवं प्रगतिशील है तो उद्यमिता के लिए सकारात्मक सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है।

10. **परम्पराएं एवं प्रथाएं** – परम्पराएं एवं प्रथाएं सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण घटकों में हैं। यह काफी हद तक उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती हैं।

11. **धार्मिक आस्थाएं** – लोगों की धार्मिक आस्थाएं यदि कर्म एवं पुरूषार्थ पर बल देती है तो ऐसा सामाजिक वातावरण उद्यमिता हेतु अनुकूल है। इसके विपरीत यदि भाग्यवादी एवं पलायनवादी है तो उद्यमिता के लिए प्रतिकूल वातावरण तैयार होता है।

इस प्रकार सामाजिक वातावरण के उपरोक्त संघटक उद्यमिता के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

उद्यमिता के विकास में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण की भूमिका/प्रभाव

[Role/Effect of Social and Economic Environment On Entrepreneurial Development]

उद्यमिता के जन्म एवं विकास में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण का उद्यमिता पर प्रभाव अथवा योगदान को निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचित किया जा सकता है–

I. उद्यमिता के विकास में आर्थिक वातावरण की भूमिका/प्रभाव

II. उद्यमिता के विकास में सामाजिक वातावरण की भूमिका/प्रभाव

उद्यमिता के विकास में आर्थिक वातावरण की भूमिका/प्रभाव

[Role/Effect of Economic Environment on Entrepreneurial Development]

1. **आर्थिक प्रणाली** –आर्थिक प्रणाली उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देष की आर्थिक प्रणाली उद्यमिता के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में व्यवसाय में स्वतंत्रता एवं निजी स्वामित्व के कारण उद्यमिता का विकास तेजी से होता है। लोगों को उद्यमिता के सहारे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। जबकि साम्यवादी आर्थिक प्रणाली में उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, फलतः उद्यमिता प्रोत्साहित नहीं होती है। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके कारण देश में सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं संयुक्त सभी क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास हुआ। भारत में बर्ष 2000–2001 में कुल 1,31,269 कारखाने थे। इनमें निजी क्षेत्र में 1,12,001, सार्वजनिक क्षेत्र में 16,695, संयुक्त क्षेत्र में 1834 तथा सहकारी एवं अन्य क्षेत्र में 739 कारखाने थे। भारत में अपनायी जाने वाली आर्थिक प्रणाली ने उद्यमिता के विकास को प्रभावित किया है।

2. **अर्थव्यवस्था की द□ा** –अर्थव्यवस्था की विभिन्न अवस्थाएं जैसे –अविकसित, विकासशील एवं विकसित आर्थिक दशाएं उद्यमिता के को प्रभावित करती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

विकास तीव्र गति से होता है। अविकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। संसाधन एवं तकनीकी अभाव के कारण उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमिता धीरे–धीरे विकास की ओर अग्रसर होने लगती है। विकासशील अर्थव्यवस्था की अपनी विकास की गति एवं स्थिति ही उद्यमिता की विकास की गति को निर्धारित करती है। भारत एक विकासषील अर्थव्यवस्था वाला देश है। अतः यहां आर्थिक विकास के साथ–साथ उद्यमिता का विकास भी तेजी से हो रहा है।

3. **आर्थिक चक्र** –देश में आर्थिक चक्र के कारण आने वाली तेजी–मंदी के चक्र की स्थिति भी उद्यमिता के विका को प्रभावित करती है। तेजी की स्थिति उत्पादन, रोजगार, आय आदि में वृद्धि होने से वस्तु एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। तेजी की स्थिति में उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत मंदी की स्थिति में उद्यमिता का विकास धीमा पड़ जाता है। अमेरिका में आयी आर्थिक मंदी के दौर में उद्यमिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4. **मुद्रा प्रसार की द□ा** – मुद्रा–प्रसार एवं मूल्य स्तर में परिवर्तन भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। मुद्रा–प्रसार से सभी संसाधनों की लागत बढ़ती है। परिणाम स्वरूप उत्पादों के मूल्य भी बढ़ते हैं। इससे उद्यमिता के विकास में कठिनाई उत्पन्न होती है।

5. **आर्थिक संरचना** –देश की आर्थिक संरचना जितनी अधिक मजबूत होगी उद्यमिता का विकास उतनी ही तेजी से होगा। पूंजी निर्माण, औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, राष्ट्रीय आय आदि उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। पूंजी की कम ब्याज दर पर पर्याप्त उपलब्धता, उद्योगों एवं विदेश व्यापार का विकास उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वर्तमान में भारत में उद्यमिता के तीव्र गति से विकास का कारण अर्थव्यवस्था की संरचना में तेजी से हो रहा विकास है।

6. **आधारभूत ढ़ांचागत सुविधाएं**– आधारभूत ढ़ांचागत सुविधाओं का विकास उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक क्षेत्र, सीमेन्ट, स्टील, उर्जा के स्रोत, परिवहन एवं संचार सुविधाएं आदि पर्याप्त उपलब्ध होने से उद्यमिता का विकास तेजी से होता है। भारत में पिछले वर्षों में संचार एवं परिवहन साधनों, उर्जा के स्रोतों, औद्योगिक बस्तियों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों [SEZs] आदि का तीव्र गति से विकास हुआ है। बैंकों एवं बीमा सेवाओं का विस्तार हुआ है। कम ब्याज दर पर पर्याप्त वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इन सभी आधारभूत सुविधाओं के विकास से उद्यमिता के विकास को बल मिला है।

7. **आर्थिक नीतियां एवं सन्नियम** –किसी भी देश की आर्थिक नीतियां एवं सन्नियम उद्यमिता के वातवरण का नियमन करते हैं। देश की प्रमुख आर्थिक नीतियां जैसे– औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, मौद्रिक नीति, आयात–निर्यात नीति एवं देश के प्रमुख आर्थिक सन्नियम जैसे– कम्पनी सन्नियम, बैंकिंग सन्नियम, पूंजी बाजार संबंधी सन्नियम, विदेशी विनिमय संबंधी सन्नियम आदि के द्वारा उद्यमिता के वातावरण का नियमन होता है। देश की सकारात्मक आर्थिक नीतियां एवं सन्नियम देश में उद्यमिता के विकास को गति प्रदान करते हैं। 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण निजी क्षेत्र में उद्यमिता का विकास तीव्र गति से हुआ है। इन नीतियों एवं सन्नियम में उदारीकरण के कारण ही उर्जा, परिवहन, जनसंचार माध्यम, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों में विदेशी निवेश काफी मात्रा में बढ़े हैं। अब केवल 5 उद्योगों के लिए ही लाईसेंस लेना अनिवार्य रह गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब केवल तीन उद्योग ही आरक्षित रह गए हैं। लघु उद्योग नीति, कर नीति, आयात निर्यात नीति को उदार बनाया गया है। कम्पनी अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं। 'फेरा' के स्थान पर 'फेमा' [FEM] तथा 'एम.आर.टी.पी. एक्ट' के स्थान पर "कम्पीटीशन एक्ट' बना दिया गया है। पूंजी बाजार का विकास हो रहा है। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता का बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सबके कारण उद्यमिता के विकास ने गति पकड़ी है।

8. **प्राकृतिक संसाधन** –प्राकृतिक संसाधनो की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उद्यमिता के विकास को गति प्रदान करता है। खनिज पदार्थ, खनिज तेल, पेड़–पौधे, कृषि उत्पादन, नदियां, समुद्र तट, सिंचाई एवं पेयजल सुविधाएं आदि उद्यमिताके विकास के लिए आर्थिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इनकी उपलब्धि उद्यमिता के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाती है। भारत में कोयले के अभाव के कारण उर्जा के स्रोत का अभाव है, विद्युत उर्जा का अभाव है, अतः कोयला आयात करना पड़ता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है। ऐसे कई संसाधनों का अभाव उद्यमिता का विकास अवरूद्ध होता है। इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

9. **पूंजीनिर्माण एवं विनियोग** –पूंजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता एवं विनियोग उद्यमिता के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देती है। पूंजी निर्माण की दर,निवेशकों की उपलब्धता, पूंजी बाजार का विकास आदि उद्यमिता को प्रभावित करते हैं। इनका विकास उद्यमिता के विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाता है। इसके विपरीत स्थिति में उद्यमिता का विकास अवरूद्ध होता है। सकल घरेलू उत्पाद में से बर्ष 1993–94 के मूल्यों के आधार पर भारत में 1950–51 में पूंजी निर्माण की दर 14 प्रतिशत थी, जो कि 2001–02 में बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गयी। पूंजी निर्माण की सकारात्मक वृद्धि दर ने भारत में उद्यमिता के विकास में योगदान दिया है।

10. **अन्य आर्थिक तत्व**–उद्यमिता के विकास में योगदान देने वाले वातावरण के उपरोक्त आर्थिक तत्वों के अलावा कुछ निम्नांकित तत्व भी हैं –

    1. ग्राहकों की प्रकृति
    2. स्वैछिक खर्च हेतु उपलब्ध राशि
    3. आपूर्तिकर्ता
    4. श्रम संघ
    5. प्रतिस्पर्धी संस्थाएं
    6. कर संरचना आदि।

उद्यमिता के विकास में सामाजिक वातावरण की भूमिका/प्रभाव

[Role/Effect of Social Environment on Entrepreneurial Development]

उद्यमिता के विकास में सामाजिक वातावरण के विभिन्न घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सामाजिक वातावरण के विभिन्न घटकों का उद्यमिता के विकास में भूमिका/प्रभाव निम्नांकित हैं–

1. **जातिगत प्रवृति**–भारत में उद्यमिता का विकास कुछ जातियों के बीच हुआ। भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के कारण केवल वैश्य जाति के लोगों ने ही उद्यमिता को अपनाया था और उसे विकसित करने का प्रयास किया था। धीरे–धीरे अन्य जाति के लोगों ने भी उद्यमिता के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू किया। आज सभी जाति के लोग उद्यमिता से जुड़े हैं। पिछले 10–15 वर्षों में वैश्य जाति की अपेक्षा गैर–वैश्य जाति के लोग उद्यमिता को अधिक अपना रहे हैं। भारतीय लघु उद्योगों की तृतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001–02 में भारत में लगभग 15 प्रतिशत लघु उद्योग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग तथा लगभग 41 प्रतिशत लघु उद्योग अन्य पिछड़ी जातियों के लोग संचालित कर रहे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में भारत में वर्ण व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है।

2. **जनसंख्या**– जनसंख्या में स्त्री, पुरूष, जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म, शिक्षा, आय आदि की स्थिति का उद्यमिता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि जनसंख्या शिक्षित है, युवा है, धार्मिक वातावरण कर्म एवं पुरूषार्थ को प्रोत्साहित करता है तो उद्यमिता के विकास के लिए वातावरण साकारात्मक होगा। इसके विपरीत यदि जनसंख्या अशिक्षित, रूढ़िवादी, भाग्यवादी है तो यह उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता है।

3. **परिवार की संरचना** –संयुक्त एवं एकल परिवार की संरचना का भी उद्यमिता के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार संयुक्त है तो उद्यमिता के लिए पूंजी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है जबकि एकल परिवार में यह प्रायः संभव नहीं हो पाता है।

4. **पारिवारिक पृष्ठभूमि** –उद्यमिता के विकास में पारिवारिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रो. मित्तल के शोध (वर्ष 2000) के अनुसार हरियाणा एवं पंजाब में लगभग 70 प्रतिषत उद्यमी व्यावसायिक घरानों से हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि परम्पराएं एवं पारिवारिक सोच का प्रभाव भी पड़ता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है। लोग प्रायः परम्परागत व्यवसाय अपनाते हैं। यदि पारिवारिक सोच प्रगतिशील एवं आधुनिक है तो वे परम्पराओं से आगे निकलकर उद्यमिता को अपनाने का प्रयास करते हैं।

5. **कार्य के प्रति धारणा** –यदि समाज के लोगों की धारणा कार्य के प्रति सकारात्मक हो, वे अपने संतोष एवं सम्मान के लिए कार्य की भावना रखते हों, साथ ही उनमें धन कमाने हेतु कार्य करने की तत्परता हो तो ये स्थितियां उद्यमिता को विकसित करने में योगदान देती है। इसके विपरीत स्थिति में उद्यमिता विकसित नहीं हो पाता है।

6. **प्रबन्धन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण**– प्रबन्धकीय पहलुओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। प्रबन्धकों के अधिकारों, उत्तरदायित्वों, कर्मचारियों की प्रबन्धन में सहभागिता, प्रबन्धक के प्रति समाज का दृष्टिकोण आदि सभी प्रबन्धकीय पहलुओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। प्रबन्धन के प्रति समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण उद्यमिता के विकास में योगदान देता है।

7. **शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान** –शिक्षित एवं तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा उद्यमिता को अपनाने में जल्दी पहल करता है। हालांकि बहुत सारे अशिक्षित अथवा मैट्रिक से भी कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी उद्यमिता से जुड़े हुए हैं फिर भी शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान के बिना उद्यमिता का तेजी से विकास संभव नहीं है। शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति उद्यमिता को आसानी से अपनाता है।

8. **महिला उद्यमी** –वर्ष 2000 से पूर्व महिला उद्यमियों के बारे में कोई विशेष उल्लेख उद्यमिता कार्यों में नहीं मिलता है। लघु औधोगिक इकाईयों की तृतीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001–02 में देष की 10 प्रतिशत लघु इकाईयों का संचालन महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। महिला शिक्षा के विकास के साथ ही उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

9. **जोखिमों एवं परिवर्तनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण** –परिवर्तनों को अपनाने एवं जोखिम उठाने के प्रति समाज के लोगों का दृष्टिकोण यदि सकारात्मक होता है तो उद्यमिता के विकास को बल मिलता है। बिना परिवर्तन, नवाचार एवं जोखिम के उद्यमिता संभव नहीं है। इनके प्रति समाज का दृष्टिकोण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है।

10. **परम्पराएं**–सदियों से चली आ रही परम्पराएं एवं सामाजिक प्रथाएं उद्यमिता के वातावरण को प्रभावित करती है। ये परम्पराएं उद्यमीवर्ग के कार्य संचालन को प्रभावित करती हैं।

11. **सामाजिक मूल्य** – किसी भी देश मे उद्यमिता के विकास में वहां के सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छे सामाजिक मूल्य जिस समाज में व्याप्त होंगे वहां उद्यमिता के विकास को काफी बल मिलता है एवं उद्यमिता भी मूल्यों से युक्त होती है। इसके विपरीत स्थिति में उद्यमिता अनैतिकता एवं असामाजिक तत्वों के कारण विकसित नहीं हो पाती। अतः अच्छे सामाजिक मूल्य उद्यमिता के लिए आवश्यक तत्व हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमिता के विकास में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न है क्या भारत का आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण उद्यमिता के लिए अनुकूल है ? प्रायः यह कहा जाता है कि भारत का आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण धार्मिक परम्पराओं, रूढ़िवाद, पुरातन सामाजिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाले विलम्बों एवं क्लिष्टताओं से भरा है। अतः उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। परन्तु अब वैसी बात नहीं है। परिवर्तित होते सामाजिक–आर्थिक परिदृष्य, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, उपभोक्ता संस्कृति का विकास, नीजि क्षेत्र की बढ़ती सहभागिता आदि ने उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फलस्वरूप भारत में उद्यमिता का विकास तेजी से हो रहा है।

प्र□न

लघुउत्तरात्मक प्र□न

1. उद्यमीय वातावरण से क्या आशय है ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. उद्यमिताके आर्थिक वातावरण के संघटकों को बताइए।
3. उद्यमिता के सामाजिक संघटकों को लिखें।

वृहद्उत्तरात्मक प्र□न

1. उद्यमीय वातावरण से आप क्या समझते हैं ? उद्यमीय वातावरण के आर्थिक एवं सामाजिक संधटकों की विवेचना करें ।
2. उद्यमिता के आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण से आप क्या समझते हैं ? उद्यमिता के विकास में आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण की भूमिका की विवेचना करें।
3. उद्यमिता के विकास को आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण किस प्रकार प्रभावित करते है ? विवेचना करें।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय –5

उद्यमी की विशेषताएं / गुण

[Characteristics/ Traits of Entrepreneur]

सफल उद्यमी वह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार का चातुर्य, कौशल होता है। वह सामान्य व्यक्ति से भिन्न होता है क्योंकि उसकी सोच, कार्य प्रणाली, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि सभी साहस से भरे एवं अद्भूत होते हैं। वह प्रवर्तन, नयी वस्तु का उत्पादन, नवीन विधियों का प्रयोग, संगठन का निर्माण एवं संचालन, प्रबन्ध नियंत्रण, निर्णय, विपणन करता है तथा जोखिम एवं अनिश्चितता का वहन करता है। अतः इन सभी कार्यों की सफलता उसके गुणों पर निर्भर करती है।

इमर्सन [Emerson] का यह कहना सही है कि 'व्यवसाय चातुर्य का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है।'

गार्डन बी. बेट्टी [Garden B. Betty] का मत है कि उद्यमी होने का आशय व्यक्तिगत गुणों को वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करना है।

हेनरी पी. डटन के अनुसार – वह व्यक्ति जिसने एक बार भी व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों का ज्ञान अर्जित कर लिया हो, संगठन, आर्थिक प्रबन्ध, लेखाकार्य, सहयोगियों के साथ कार्य करने, उन्हें नेतृत्व देने तथा क्रय–विक्रय के मूल सिद्धान्त सीख लिए हों वह बहुत जल्दी व्यवसाय में कुशल और सफल हो जाता है।

एक उद्यमी एक सपने का सृजन करता है, उसके अनुरूप इरादा बनाता है, उसमें उर्जा एवं संसाधनों को लगाता है तथा परिवर्तन हेतु सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक उद्यमी में निम्नांकित क्षमता एवं योग्यता होनी चाहिए –

1. व्यावसायिक संस्थाओं का ज्ञान
2. निष्कर्ष निकालने की क्षमता
3. व्यावसायिक योग्यता
4. संगठन संबंधी ज्ञान
5. आर्थिक प्रबन्ध की क्षमता
6. लेखा का ज्ञान
7. नेतृत्व क्षमता
8. क्रय–विक्रय की क्षमता आदि

अतः एक उद्यमी की सफलता उसकी क्षमता एवं गुण पर निर्भर करता है।

उद्यमी की आवश्यक विशेषताएं

प्रो. जे.बी.से [J.B.Say] ने उद्यमी की निम्नांकित विशेषताएं बतायी हैं –

1. निर्णयन क्षमता
2. दृढ़ प्रतिज्ञा
3. व्यावसायिक जगत का ज्ञान
4. पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक क्षमता

होर्नाडे तथा अबाउड [Hornadey and Aboud] ने एक सफल उद्यमी की निम्नलिखित विशेषताएं बतायी हैं–

1. जोखिम वहन करने की मनोवैज्ञानिक क्षमता।

1. संसाधनों के संयोजन की योग्यता।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. संगठनात्मक एवं प्रशासनिक योग्यता।
3. तकनीकी ज्ञान।
4. परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता।
5. नए अवसरों के प्रति सजगता।

मेक्क्लीलैण्ड (Mc Clelland) के अनुसार एक सफल उधमी में निम्नलिखित विशेषताएं होती है–

1. सृजनशीलता
2. जोखिम उठाने की क्षमता
3. उपलब्धि प्राप्त करने की आकांक्षा

जेम्स बर्न (James Burna) के अनुसार एक साहसी में संगठनात्मक, प्रशासकीय, तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान, अवसरों के प्रति सजगता, परिवर्तनों को स्वीकार करने की अभिव्यक्ति एवं जोखिम उठाने जैसे गुणों का होना आवश्यक है।

विद्वानों के विभिन्न विचारों के आधार पर एक सफलत उद्यमी की **वि□ोषताओं / गुणों** को निम्नांकित वर्गों में बांटा जा सकता है –

I. शारीरिक गुण [Physical Quality]

1. **उत्तम स्वास्थ्य [Sound Health]** – स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उद्यमी को सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर का मालिक होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही वह उद्यमिता संबंधी सभी कार्यों का ठीक ढ़ंग से निष्पादन कर सकता है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है।
2. **प्रभाव□ाली व्यक्तित्व [Effective Personality]** – एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उद्यमी के काम , व्यवहार एवं बातचीत आदि के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि उद्यमी सुन्दर, सुडौल, गंभीर, शालीन, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक हो तो वह अपने कार्य व्यवहार से लोगों को आकर्षित एवं प्रभावित करता है, जो कि एक उद्यमी के लिए आवश्यक है।
3. **कार्य□ाक्ति [Stamina]** – एक उद्यमी में कार्य करने की पूरी उर्जा एवं उत्साह होना चाहिए ताकि वह अपने निर्धारित कार्य को अच्छी तरह पूरा कर सके। अच्छी कार्यशक्ति का होना एक उद्यमी के लिए बहुत ही आवश्यक है।
4. **प्रसन्न मुद्रा [Smiling Face]** – उद्यमी का चेहरा हमेशा तरोताजा एवं प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए ताकि वह लोगों को अपनी प्रसन्न मुद्रा से आसानी से प्रभावित कर सके।

II. मानसिक गुण [Mental Qualities]

1. **उच्च उपलब्धि की आकांक्षा [High need for Achievement]** – मेक्क्लीलैण्ड के अनुसार– जिन लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है वे ही सफल उद्यमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित एवं कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लक्ष्य उंचे होते हैं, जिसे पाने के लिए वे हमेशा समर्पित भाव से कार्य करते रहते हैं।
2. **प्रखर बुद्धि [Sharp Mind]**–उद्यमी में प्रखर बुद्धि होना आवश्यक है। प्रखर बुद्धि के आधार पर ही वह उपक्रम का प्रभावकारी संचालन कर सकेगा एवं नए अवसरों से लाभ उठा सकेगा।
3. **कल्पना शक्ति [Imaginative]**–एक उद्यमी में कल्पनाशक्ति का होना आवश्यक है। कल्पना के आधार पर ही वह उद्यम की योजना बनाता है, उसे मूर्तरूप देता है और उसके कार्य व्यवहार का निर्धारण करता है। उद्यमी में यह कल्पना शक्ति वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए।
4. **सतर्कता [Alertness]**– आज के प्रतिस्पर्धा युग में उद्यमी को सतर्क एवं सावधान रहना आवश्यक है। उसे होने वाले नवीनतम परिवर्तनों, बाजार तथा प्रतिस्पर्धियों के प्रति सजग एवं सतर्क रहना चाहिए तभी वह अपने उपक्रम को बचाए रख सकता है एवं दूसरों से अधिक विकास कर सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **कार्यनिष्ठ [Dutiful]**–एक उद्यमी अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है। वह अपने कार्य को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता है। उद्यमी अपने प्रयासों से भविष्य को बनाते हैं। वे कर्मवादी एवं परिश्रमी होते हैं। तभी वे एक सफल उद्यमी बन पाते हैं।

6. **परिपक्वता [Maturity]**–एक उद्यमी में परिपक्वता का होना उसकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। परिपक्वता के आधार पर ही वह किसी को समझने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम हो पाता है।

7. **दूरदर्शिता [Foresightedness]** – एक उद्यमी मे दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। दूरदर्षी उद्यमी ही सही निर्णय कर सकता है साथ ही परिस्थितियों, कार्यों, विचारों एवं धारणाओं पर नजर रख सकता है ताकि वह किसी भी जोखिम से उपक्रम को बचा सके।

8. **आशावादी [Optimist]** –एक उद्यमी को आशावादी होना चाहिए। **स्टीवेन्सन** [Stevention] के अनुसार – सफलता की शर्तें आसान है, हमें केवल कुछ परिश्रम करना है, कुछ सहन करना है, सद्विश्वास करना है तथा कभी पीछे नहीं मुड़ना है। व्यक्ति को अपनी असफलता से हार कर नहीं बैठना चाहिए। उसे सफलता के लिए पुनः प्रयास में जुट जाना चाहए। अफलताएं ही सफलता की सीढ़ी खोलती है। इसलिए उद्यमी को हमेशा आशावादी होना चाहिए।

9. **आत्मविश्वास [self confidence]** – आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे विपरीत एवं प्रतिकूल स्थितियों को बनाया जा सकता है। एक उद्यमी सभी तरह की परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करता है एवं लक्ष्य के प्रति सतत् प्रयास करते हुए आगे बढ़ता रहता है।

10. **निर्णयन क्षमता [Ability to Judge]** – एक उद्यमी में अवसर एवं परिस्थितियों का अवलोकन करने के साथ–साथ उससे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक है। नित नए होने वाले परिवर्तनों को उद्यमी को समायोजित करना पड़ता है। परिवर्तित स्थितियों के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। अतः निर्णयन की क्षमता का होना एक उद्यमी में बहुत ही आवश्यक है।

11. **स्मरण शक्ति [Sharp Memory]** –एक उद्यमी में दिन–प्रतिदिन के कार्यों को निपटाने, भावी कार्यों की योजना बनाने, सभी प्रकार की अद्यतन सूचनाएं एवं जानकारी रखने हेतु स्मरण शक्ति का तीव्र होना आवश्यक है।

12. **प्रगतिशील विचार [Dynamic Philoslphy]** – एक उद्यमी को प्रगतिशील विचार का होना चाहिए क्योंकि वस्तु, बाजार, परिस्थितियों, तकनीकों आदि में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को अपनाने एवं उनके अनुसार उपक्रमों में परिवर्तन करने के लिए उद्यमी विचारों का प्रगतिशील होना जरूरी है। एक प्रगतिशील विचार वाला उद्यमी ही समय के साथ उद्यम का विकास कर सकता है।

III. सामाजिक गुण [Social Qualities]

1. **मिलनसार एवं व्यवहार कुशल [Sociable and Tactful]**–उद्यमी को मिलनसार एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। सभी के साथ मिलनसारिता रखना, आत्मीयता तथा विश्वास प्रदर्शित करना, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है। मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता स्वयं में स्वतः लानी पड़ती है। वह बाजार से खरीदी बेची नहीं जा सकती है।

2. **आदरभाव [Respectful]**–एक उद्यमी को अपने उपक्रम में कार्य करने वाले सभी छोटे–बड़े व्यक्तियों के प्रति समान आदर का भाव रखना चाहिए। उसे अपने उपक्रम से जुड़े सभी लोगों को उपक्रम की धरोहर समझना चाहिए। उनके प्रति मानवीयता रखनी चाहिए।

3. **सहयोगपूर्ण व्यवहार [Helpful Behavior]** –एक उद्यमी को अपने उपक्रम से जुड़े लोगों के साथ एवं अन्य संस्थाओं तथा व्यावसायियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग देना चाहिए ताकि उसे स्वयं भी सहयोग मिल सके। सहयोगपूर्ण व्यवहार उद्यमी की मुख्य विशेषता होनी चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **सु□ील व्यवहार [Fair Behavior]** –एक उद्यमी का व्यवहार सुशील एवं विनम्र होना चाहिए। उसमें धैर्य एवं सहिष्णुता भी होनी चाहिए। उद्यमी अपने सुशील व्यवहार से प्रतिकूल व्यक्ति को भी अनुकूल बना सकता है।

IV. नैतिक गुण [Moral Qualities]

1. **ईमानदारी [Honesty]**– उद्यमी में ईमानदारी के गुण बहुत आवश्यक हैं। उसे भुगतान, लेन–देन के साथ ही पूरे व्यवहार में ईमानदार होना आवश्यक है अन्यथा उपक्रम का स्थायी रूप से चल पाना संभव नहीं हो सकता। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। वही उद्यमी सफल हो सकता है जो अपने कार्य व्यवहार में ईमानदारी रखता हो।

2. **निर्मल चरित्र [Sound Character]** – प्रो. हाकिन्स के शब्दों में – 'चरित्रवान व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा, अपने हाव–भाव द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने कथन के तथ्यों द्वारा अपने लोगों में अपना मन डाल देता है।' चरित्रवान उद्यमी अपने व्यवहार एवं कार्यों से दूसरे को अपना बना लेता है, जो कि एक उद्यम के लिए अति आवश्यक है। यदि उद्यमी चरित्रवान नहीं है तो लोग उनसे बात करने में भी कतराएंगे साथही उनसे सम्पर्क रखना भी नहीं चाहेंगे। यह स्थिति उद्यमी के लिए हानिकारक हो सकती है। अतः निर्मल चरित्र एक उद्यमी के जीवन की अमूल्य धरोहर है।

3. **नम्रता [Politeness]**– एक उद्यमी को विनम्र होना चाहिए। नम्रता से उद्यमी की लोकप्रियता बढ़ती है। एक उद्यमी को नम्र होकर बात करना, व्यवहार करना, आदेश देना एवं समस्या का निवारण करना चाहिए। उद्यमी को अपनी स्थिति के अनुकूल दूसरों से प्रेम, सद्भाव तथा मधुरवाणी से व्यवहार करना चाहिए।

4. **निष्ठावान [Loyality]** – उद्यमी को अपने सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसे कालाबाजारी, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी जैसी प्रवृतियों में नहीं पड़ना चाहिए। इससे ग्राहकों के प्रति निष्ठा नहीं रहती है। अपने ग्राहकों को उचित समय पर उचित वस्तु उचित कीमत में उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि ग्राहकों के प्रति उसकी निष्ठा बनी रहे। इसी प्रकार विनियोजकों, पूर्तिकर्ताओं, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं एवं सरकार के प्रति भी निष्ठावान बने रहना चाहिए। उसे किसी भी अफवाह, भ्रम से विचलित नहीं होना चाहिए।

V. व्यावसायिक गुण [Business Quality]

1. **व्यावसायिक अभिरूचि [Business Aptitude]**– अपनी व्यावसायिक अभिरूचि के कारण ही एक उद्यमी अपने उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकता है तथा निरन्तर व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के प्रति सजग रहता है। मेयर एवं ग्रीनबर्ग [Mayer and Greenberg] के अनुसार – उद्यमी में व्यवसाय के लिए आत्मप्रेरणा होनी चाहिए। महान औद्योगिक उद्यमी हेनरी फोर्ड अपनी अभिरूचि के कारण ही सफल हुए हैं। विश्व के लगभग सभी औद्योगिक उद्यमी व्यावसायिक अभिरूचि के कारण ही सफल हुए हैं। अतः उद्यमी की सफलता के लिए उसमें व्यावसायिक अभिरूचि होनी चाहिए।

2. **जोखिम वहन करने की क्षमता [Risk Bearing Capacity]** – उद्यमी में जोखिम वहन करने, अनिश्चितता आदि को सहन करने की क्षमता का होना आवश्यक है। जब उद्यमी किसी उपक्रम को प्रारंभ करता है, नवाचार करता है, तो वह उसकी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न जोखिम उठाता है। यह जोखिम केवल उद्यमिता से जुड़े आर्थिक जोखिम ही नहीं होती बल्कि पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक भी होती है। अतः उद्यमी में जोखिम वहन करने की योग्यता एवं क्षमता का होना आवश्यक है।

3. **नेतृत्व क्षमता [Leadership Capicity]** – उद्यमी को उद्यम में संलग्न कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करना पड़ता है। उसमें नेतृत्व क्षमता होने पर ही वह उपक्रम में कार्यरत लोगों से कार्य ले सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है तथा समूह का उचित नेतृत्व कर सकता है। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना ही नहीं है बल्कि सहयोग प्राप्त करने की क्षमता का होना भी आवश्यक है। चर्च [Church] के अनुसार – लोगों को आज्ञा तो कोई बेवकूफ आदमी भी दे सकता है, किन्तु नेतृत्व तो वास्तविक आदमी ही प्रदान कर सकता है। व्यवहार में देखा गया है कि हर व्यक्ति में

Jain Vishva Bharati Institute Deemed University, Ladnun

नेतृत्व का गुण नहीं होता है। अतः जिसमें नेतृत्व का गुण नहीं है, वह उद्यमीय कार्यों को सफलता पूर्वक नहीं कर सकता है। अतः उद्यमी में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए।

4. **प्रबन्ध क्षमता [Management Capacity]** – एक उद्यमी में अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने, कार्य विभाजन करने, आदेश देने, निदेश देने, अभिप्रेरित करने, नियंत्रण करने तथा समूहीकरण के लिए प्रबन्ध क्षमता का होना आवश्यक है। प्रबन्ध क्षमता के आधार पर ही वह उपक्रम का सुचारूरूप से संचालन कर सकता है।

5. **वि□लेषण योग्यता [Analytical ability]** – उद्यमी में विद्यमान परिस्थितियों, अवसरों एवं समस्याओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। विश्लेषण की योग्यता की सहायता से ही वह समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करके उनके समाधान करने का प्रयास करता है। विश्लेषण योग्यता ही उसे एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित करती है।

6. **निर्णयन क्षमता [Decision Capability]** – एक उद्यमी में तत्काल एवं सही निर्णय लेने की क्षमता का होना आवश्यक है। उद्यमी को विभिन्न कार्यों, नीतियों आदि के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। जो उद्यमी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सकता वह अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता है। उद्यमी द्वारा लिए गए निर्णय पर ही उद्यम की सफलता निर्भर करती है। अतः उद्यमी में तत्काल, व्यावहारिक एवं उचित निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है।

7. **नवीनतम तकनीकों का ज्ञान [Knowledge of latest technology]** – उद्यमी में नवीन तकनीकों एवं प्रोद्योगिकी की जानकारी होना आवश्यक है। आज उत्पादन, विपणन, समय एवं श्रम बचत आदि के क्षेत्र में नवीन तकनीकों का विकास हो चुका है। ऐसी स्थिति में उद्यमी को यदि नवीन तकनीकी का ज्ञान नहीं होगा तो वह बहुत ही पिछड़ा उद्यमी कहलाएगा। नवीन तकनीकों की जानकारी के आधार पर ही वह उपक्रम का भावी विकास कर सकता है। विकास एवं नवीनीकरण की सही योजना के आधार पर ही वह प्रतिस्पर्धी उपक्रमों के सामने टिक सकता है।

8. **बाजार का ज्ञान [Knowledge of Market]** – उद्यमी को बाजार की दशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एक उद्यमी को यह जानकारी रखनी आवश्यक है कि बाजार में वस्तु की मांग की स्थिति क्या है ? नया बाजार कौन सा हो सकता है ? वस्तु की कीमत क्या है ? आदि–आदि बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। बाजार के ज्ञान के आधार पर ही वह वस्तु के उत्पादन की मात्रा, किस्म, कीमत तथा विक्रय को निर्धारित कर सकता है।

9. **नियोजन योग्यता [Planning Ability]**– उद्यमी में नियोजन की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह अपने वर्तमान कार्य संचालन एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार कर सके। उद्यमी कौन सा कार्य कब, किस प्रकार, किसकी सहायता से, किन संसाधनों को प्रयुक्त करके करायगा – इसकी योजना तैयार करने के लिए उसमें नियोजन की योग्यता होनी आवश्यक है।

10. **वैधानिक नियमों का ज्ञान [Knowledge of Statutory Laws**] – उद्यमी को आर्थिक, वाणिज्यिक एवं श्रम सन्नियमों के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए। ये सन्नियम उपक्रम को प्रभावित करते हैं। उद्यमी को औद्योगिक नीतियों, लाइसेंसिंग नियमों, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, आयात–निर्यात नियम , आवश्यक वस्तु अधिनियम, बिक्रीकर, कम्पनी अधिनियम, श्रम अधिनियम, पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम तथा व्यवसाय और उद्योग से संबंधित अन्य वैधानिक नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इससे उद्यमी देश के वैधानिक नियमों के आधार पर अपने उपक्रम का संचालन करेगा और कानून का उल्लंघन के परिणामों में अनावश्यक ही नहीं उलझना पड़ेगा।

11. **राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान [Knowedge of national policies]** – उद्यमी को देश की राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान भी होना चाहिए। देश की औद्योगिक नीति, आयात–निर्यात नीति, लघु उद्योग नीति, लाईसेंसिंग नीति आदि की जानकारी आवश्यक है। इन्हीं नीतियों की जानकारी के आधार

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पर ही वह उपकम की स्थापना, विस्तार, विकास की योजना बनाएगा तथा राष्ट्रीय नीतियों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। देश की सरकार इन्हीं राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर ही उपक्रमों का नियमन एवं नियंत्रण करती है। सरकार समय–समय पर इन नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन भी करती रहती है। अतः उपक्रम की स्थापना एवं सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय नीतियों का ज्ञान उद्यमियों को होना आवश्यक है।

12. **सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता [Alertness of Social Responsibilities]** – उद्यमी का समाज के प्रति भी दायित्व होता है और उसे सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता के कारण उसे लाभ कम हो सकता हैं, किन्तु उसकी ख्याति अच्छी होती है। उद्यमी को अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार अन्य व्यावसायिक संस्थाओं आदि के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। उद्यमी अपने सामाजिक उत्तदायित्वों को निभाये वगैर सफल नहीं हो सकता है। उद्योगपति आर. के. बजाज के अनुसार –'व्यवसाय को समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए।'

13. **संगठन निर्माण योग्यता [Organizing Ability]** – उद्यमी में संगठन निर्माण संबंधी कार्यों को करने की योग्यता होनी चाहिए। उद्यमी को संसाधनों के उपयोग के लिए संगठन का निर्माण करना पड़ता है। कर्मचारियों में कार्य विभाजन करना उन्हें संसाधन उपलब्ध करवाना, उनके अधिकार एवं कार्यों को सुनिश्चित करना, नीतियों, नियमों, कार्यविधियों आदि का निर्माण करना आदि कार्य उद्यमी को करने पड़ते हैं ताकि उद्यमी अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो सके।

14. **संसाधनों को जुटाने एवं उपयोग करने की योग्यता [Ability to mobilize and utilize resources]**– एक उद्यमी तभी सफल हो सकता है जब वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर लेता है एवं उसका कुशलता पूर्वक एवं प्रभावकारी उपयोग करता है। उद्यमी में वित्तीय, मानवीय, भौतिक एवं सूचनात्मक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उसके सदुपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए।

15. **सम्प्रेषण योग्यता [Comunication Ability]**– एक उद्यमी में सम्प्रेषण अथवा संचार की योग्यता होनी चाहिए। सामने वाले पक्षकार के समक्ष अपनी बात रखने, समझाने की पूरी योग्यता उद्यमी में होनी आवश्यक है तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। उसे अपने से जुड़े सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, उपक्रम में कार्यरत लोगों सभी से निरन्तर सम्पर्क रखना चाहिए। सम्पर्क हेतु जनसम्पर्क माध्यमों का उपयोग करना चाहिए।

16. **कर्मचारियों के साथ व्यवहार की योग्यता [Ability to deal with personnel]**– कर्मचारी किसी उपक्रम का वह अतिआवश्यक अंग है जिसके बिना उपक्रम का कार्य एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः उद्यमी में कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार की योग्यता होनी चाहिए। उद्यमी को कर्मचारियों की भावनाओं, आवश्यकताओं, मानसिक दशाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए तभी वह कर्मचारी को सुचारूरूप से कार्य संचालन हेतु अभिप्रेरित कर सकता है। कर्मचारी का कार्य के प्रति उत्साह, निष्ठा बनाए रखने के लिए उसके साथ उचित व्यवहार आवश्यक है।

प्र□न

लघुउत्तरात्मक प्र□न

1. एक सफल उद्यमी के चार प्रमुख व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए।
2. एक सफल उद्यमी के चार मानसिक गुणों का उल्लेख कीजिए।
3. एक सफल उद्यमी के चार सामाजिक गुणों का वर्णन कीजिए।
4. एक सफल उद्यमी के चार नैतिक गुणों का वर्णन कीजिए।

वृहद्उत्तरात्मक प्र□न

1. एक सफल उद्यमी की विभिन्न विशेषताओं अथवा गुणों का वर्णन करें ।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – 6

नेतृत्व, जोखिम वहन, निर्णयन एवं नियोजन

[Leadership, Risk Bearing, Decision Making and Planning]

एक उद्यमी में अपना उपक्रम प्रारंभ करने एवं उसे सफलता पूर्वक चलाने के लिए मुख्य रूप से निम्न लिखित सामर्थ्य होना आवश्यक है –

1. नेतृत्वकारिता
2. जोखिम वहन क्षमता
3. निर्णयन क्षमता
4. नियोजन क्षमता

1. नेतृत्व [Leadership]

एक सफल उद्यमी में नेतृत्वकारिता का सामर्थ्य होना आवश्यक है। उद्यमी उपक्रम का कप्तान होता है। शूम्पीटर के अनुसार –उद्यमी व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करता है तथा समाज को एक नई दिशा देता है।

नेतृत्व की परिभाषा [Definition of Leadership]

नेतृत्व की परिभाषा अलग–अलग विद्वानों ने अलग–अलग दृष्टिकोण से दी है। सामान्यतया नेतृत्व का तात्पर्य व्यक्ति के उस गुण विशेष से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों तथा अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है एवं अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है।

नेतृत्व के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं –

आर. टी. लिविंग्स्टन [R.T. Livingston] के अनुसार– नेतृत्व अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करने की योग्यता है।

जार्ज आर. टेरी [George R. Terry] के अनुसार– नेतृत्व पारस्परिक उदेश्यों के लिए स्वेच्छा पूर्वक प्रयास करने हेतु लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है।

कूण्ट्ज एवं ओ'डोनेल [Koontz and O'Donnell] के अनुसार – किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संदेश वाहन [Means of Communication] के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है।

डेविस [Keith Devis] के अनुसार – नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उदेश्यों को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की क्रियाओं का, उपलब्ध परिस्थितियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की क्रिया है। नेतृत्व एक व्यावहारिक गुण या व्यवहार है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की स्वेच्छा से अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देता है। नेतृत्व दूसरों को प्रभावित करने तथा दूसरों के साथ व्यवहार करने का कार्य है।

नेतृत्व की प्रकृति [Nature of Leadership]

नेतृत्व कारिता के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर नेतृत्व की निम्नांकित प्रकृति होती है–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. **अनुयायियों का होना [Followers]** –अनुयायियों से आशय उन व्यक्तियों से है जो नेता के उदेश्यों एवं निर्देशों का पालन करता है। नेतृत्व के लिए अनुयायियों का होना आवश्यक है, अन्यथा नेतृत्व संभव नहीं है। नेता का नेतृत्व एवं आज्ञा अनुयायियों को स्वीकार होनी चाहिए।

2. **सामान्य लक्ष्य [General Goal]** –नेतृत्वकर्ता उपक्रम के सामान्य लक्ष्यों की जानकारी अपने अनुयायियों को देता है तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्देशन एवं मार्गदर्शन करता है। वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है।

3. **कियाीील संबंध [Working Relationship]**– नेतृत्व में नेता एवं अनुयायियों के आपसी संबंध निश्चित क्रियाओं के आधार पर होते हैं। नेता अनुयायियों द्वारा कियाएं सम्पादित तो करवाता ही है साथ ही साथ स्वयं भी अनुयायियों के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्ति में अग्रणी बनकर प्रयास करता है।

4. **आपसी हितों की एकता [Unity of Mutual Interest]** – किसी भी संगठन में प्रभावी नेतृत्व तभी माना जा सकता है जब नेता और अनुयायी एक ही उदेश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हों। नेता और अनुयायियों के बीच हितों की एकता नेतृत्व की प्रकृति है। प्रबन्धक एवं अधिनस्थों द्वारा उपक्रम के हितों की रक्षा करना ही सभी के हितों की रक्षा करना है।

5. **आदर्ा आचरण [Ideal Conduct]**– नेता का आचरण एवं कार्य व्यवहार अनुयायियों को प्रभावित करता है। नेता की कथनी एवं करनी में समानता होनी चाहिए। नेता का आचरण यदि आदर्श एवं उच्चकोटि का है तो अनुयायी भी उसी तरह का आचरण करेंगे। यदि नेता लापरवाह एवं समय का पाबन्द नहीं है तो अनुयायी भी वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करेंगे।

6. **व्यक्तिगत गुण [Personal Quality]**– नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है जिसके माध्यम से नेता अपनी योग्यता एवं क्षमता का प्रभावकारी उपयोग करता है। एक उद्यमी में उपक्रम से संबंधित योजना एवं नीति–निर्धारण आदि का पूर्ण ज्ञान होने पर भी यदि उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता है।

7. **गतिशील प्रक्रिया [Dynamic Process]** – नेतृत्व एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी उपक्रम की स्थापना से लेकर अन्त तक नेतृत्व की प्रक्रिया चलती रहती है।

नेतृत्व का महत्व [Importance of Leadership in Entrepreneurship]

नेतृत्व ही उद्यमिता के सफलता की कुंजी है। नेतृत्व ही वह उद्यमीय शक्ति है जो उपक्रम के आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग को संभव बनाता है। आज बड़े–बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों, उपक्रमों में का फी बड़ी संख्या में मानव श्रम लगे हुए हैं। उन्हें कार्यों का आबंटन करना एवं उनसे कार्य लेना नेतृत्व का दायित्व है। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार – ''अधिकांश संस्थाएं इसलिए असफल रहती है, क्योंकि वहां अच्छे नेतृत्व का अभाव रहता है।'

कूण्ट्ज एवं ओ'डोनेल के अनुसार – 'प्रबन्धक को नेता अवश्य होना चाहिए'।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एवं उद्यमीय सफलता में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है। उद्यमिता में नेतृत्व की महत्ता निम्नांकित है –

1. कुशल नेतृत्व कर्मचारियों के अभिप्रेरणा की आधारशिला है जो उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के सदस्यों को प्रेरणा प्रदान करती है।
2. नेतृत्व संगठन के सदस्यों में समन्वय की भावना का विकास करता है एवं उनकी क्रियाओं को समन्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता हैं।
3. नेतृत्व सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला है। नेतृत्व संगठन के सदस्यों में आपसी असहयोग को समाप्त करके सहयोग की भावना का विकास करता है।
4. नेतृत्व न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की वृतियों, मान्यताओं आदि को प्रभावित कर उनको परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

5. नेतृत्व अपने अधिनस्थों को उपक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
6. नेतृत्व संगठन की नीतियों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करता है।
7. नेतृत्व उपक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक क्रियाओं का सफलता पूर्वक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8. नेतृत्व अपने अधिनस्थों में पारस्परिक विश्वास एवं सद्भावना का विकास कर उनमें समूह भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता है।
9. उपक्रम की सफलता एवं असफलता नेतृत्व पर ही निर्भर करती है। जॉन जी. ग्लोवर के अनुसार – अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने में अकुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी है उतना कोई अन्य कारण उत्तरदायी नहीं है।
10. नेतृत्व अपने अधिनस्थों के व्यक्तित्व के विकास का हमेशा प्रयास करता है।
11. कुशल नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं उच्च मनोबल को बढ़ाया जा सकता है।
12. नेतृत्व अपने अधिनस्थों में अनुशासन बनाए रखता है।
13. नेतृत्व अपने आचरण एवं व्यवहार से कर्मचारियो ंको संतुष्ट रखने का प्रयास करता है एवं अच्छे वातावरण का निर्माण करता है।
14. नेतृत्व अपने प्रभाव से अधिनस्थों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है ताकि वे उनके अनुकूल सहयोगी बन सकें।

नेतृत्व के लिए आव□यक गुण/वि□ोशताएं (Necessary traits/Characteristics of Leadership)

सफल नेतृत्व के लिए निम्नांकित गुण होने आवश्यक हैं –

1. **स्वस्थ एवं सुघड़ भारीर [Healthy and Well-built Physique]** – एक सफल नेता का शरीर स्वस्थ एवं सुन्दर होना चाहिए। प्रभावकारी होने के साथ ही उसमें स्फूर्ति एवं कार्यशक्ति से भरपूर होनी चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
2. **कुशाग्र बुद्धि [Sharp Mind]** – नेता में कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए। अपनी विशेष बुद्धिमत्ता से ही वह विभिन्न गंभीर एवं पेचीदा मसलों का हल निकाल सकता है, विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकता है। अपनी विशेष बुद्धिमत्ता के बल पर ही वह अपने अधिनस्थों को प्रभावित कर सकता है।
3. **भावनात्मक परिपक्वता [Emotional Maturity]** –एक सफल नेता में भावनात्मक परिपक्वता होनी चाहिए। उसे पक्षपातों, दबावों, भय एवं प्रलोभनों में नहीं आना चाहिए। उसे निरपेक्ष भाव से स्वतंत्र विचारों का सृजन करना चाहिए। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके ही विवेकपूर्ण आधार पर सही निर्णय कर सकता है।
4. **आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा भाक्ति [Self Confidence and Strong Will_Power]** – नेता को आत्मविश्वासी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होना चाहिए। आत्मविश्वास एवं मजबूत इरादे के बल पर ही वह अपने अधिनस्थों में उत्साह एवं आशा का संचार कर सकता है। वह अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक विचार रखता है एवं दृढ़ आत्मविश्वास के साथ उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।
5. **मिलनसारिता [Sociality]** एक सफल नेता मे मिलनसारिता का गुण होना भी आवश्यक है। उसमें सभी के साथ मिलजुल कर काम करवाने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को लोगों के प्रति आत्मीयता एवं अपनत्व की भावना रखनी चाहिए।
6. **व्यवहार कु□ालता [Tactfulness]**– नेता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार कुशलता अर्जित करने हेतु उसे अपने आचरण एवं जीवन शैली को बदलना पड़ता है। नेता को व्यवहार कुशलता स्वयं में स्वतः विकसित करनी पड़ती है। एक नेता में अपने अधिनस्थों का मित्र, सहायक,

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सलाहकार एवं पथ–प्रदर्शक बनने की क्षमता होनी चाहिए। अपने लोगों का दिल जीत कर ही वह सहयोग प्राप्त कर सकता है।

7. **वस्तुनिश्ठता [Objectivity]**–नेता को वस्तुनिष्ठ एवं निरपेक्ष होना चाहिए। उसे प्राप्त आंकड़ों एवं सूचनाओं के आधार पर अपना कार्य करना चाहिए। उसे पक्षपात, प्रलोभन, भय, लगाव, दबाव, पूर्वाग्रह आदि से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए।

8. **परानुभूति [Empathy]**–एक नेता को किसी भी तथ्य एवं परिस्थितियों को दूसरे के दृष्टिकोण से भी समझना का प्रयास करना चाहिए। कार्यों के आबंटन, दायित्वों के आबंटन, योजना तैयार करने आदि से पूर्व उसे अधिनस्थों की राय भी लेनी चाहिए। उनके विचारों एवं भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। उस पर ध्यान देते हुए योजना एवं कार्यविधि तैयार करनी चाहिए।

9. **दूरदर्शिता [Foresightedness]** – एक नेता को दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शिता से ही वह भविष्य की स्थितियों को सही आकलन कर सकता है, जो कि एक उद्यमी के लिए आवश्यक है।

10. **जोखिम वहन करने की क्षमता [Risk Bearing Capacity]**– एक नेता में जोखिम वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उद्यमी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अधिनस्थों को जोखिम उठाने के लिए तभी प्रेरित कर सकता है जब वह स्वयं जोखिम वहन करे। अतः नेतृत्वकर्ता में जोखिम वहन करने की क्षमता होनी आवश्यक है।

11. **निर्णयन क्षमता [Decisiveness]** – नेता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें परिस्थितियों को समझने एवं उसके अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें उद्यम संबंधी योजनाओं एवं कार्यों के बारे में निर्णय लेने की उच्च क्षमता का होना आवश्यक है।

12. **अभिप्रेरण गुण [Motivating Skill]**– नेता मे अपने अधिनस्थों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपने अधिनस्थों आवश्यकताओं, इच्छाओं, भावनाओं को समझकर उसे संतुष्ट करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने कार्य एवं लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित किया जा सके।

13. **प्र□ासकीय एवं तकनीकी कौ□ाल [Administrative and Technical Skills]** – नेता में प्रबन्धकीय क्षमता एवं तकनीकी कौशल होना आवश्यक है। उसे अपने कार्य से संबंधित सभी तकनीकी बातों, सिद्धान्तों, नियमों, कानूनों एवं कार्यविधियों आदि का ज्ञान होना चाहिए। उसमें नियोजन, संगठन, अधिकार प्रत्यायोजन नियंत्रण आदि कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से मजबूत नेता ही अपने अधिनस्थों के कार्यों का सही मार्गदर्शन कर सकता हैं।

14. **सम्प्रेशण क्षमता [Communication Skill]**– एक नेता मे सम्प्रेषण की कला होनी चाहिए। उसमें अपनी बात, भावना, विचार, संवेग आदि को अपने अधिनस्थों तक सही रूप में पहूंचाने की योग्यता एवं क्षमता होनी चाहिए।

15. **उत्तरादायित्व की भावना [Sense of Responsibility]** – एक अच्छे नेता मे उत्तरदायित्व को लेने एवं उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपने उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिए। जो उत्तरदायित्व को समझता एवं निभाता है वही सफल उद्यमी बन सकता है।

इस प्रकार एक उद्यमी नेता में उपरोक्त गुण होने आवश्यक हैं।

जोखिम वहन [Risk Taking]

उद्यमी की परिभाषा करते हुए रिचर्ड केण्टीलॉन ने कहा था कि ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाता है, क्योंकि वह संसाधनों को एक निश्चित मूल्य पर क्रय करता है किन्तु उनका विक्रय अनिश्चित मूल्य पर करता है।' उद्यमी को जोखिम उठानी पड़ती है। वह सदैव जोखिम एवं अनिश्चितता में जीता है। एक सफल उद्यमी केवल वास्तविक जोखिमों को ही वहन करता है। वह कठिनतम लेकिन चुनौतिपूर्ण जोखिम उठाने हेतु सदैव तत्पर रहता हैं। एक उद्यमी नवाचार करता है, नए–नए अवसरों को तलाशता है तथा परिवर्तन एवं अवसरों का उपयोग करते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्तमान मे उद्यमी को केवल क्रय–विक्रय में मूल्यों के अन्तर के कारण ही जोखिम नहीं उठाना पड़ता बल्कि अन्य अनेक कारणों से भी जोखिम उठाना पड़ता है। एक उद्यमी को निम्नांकित कारणों से जोखिम उठाना पड़ता है–

1. उपभोक्ता की रूचि, प्राथमिकता, जीवन शैली में परिवर्तन के कारण
2. तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण
3. सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण
4. प्रतिस्पर्धा के कारण
5. कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण
6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण
7. तरलता की समस्या उत्पन्न होने के कारण
8. आपूर्तिकर्ताओं के व्यवहार के कारण
9. वैधानिक दायित्वों के उत्पन्न होने के कारण
10. विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण
11. विदेशी राष्ट्र की कठिनाइयों के कारण
12. मध्यस्थों के व्यवहार के कारण
13. आन्तरिक प्रक्रियाओं की असफलता के कारण

जोखिमों के प्रकार [Type of Risks] –

उद्यमी को निम्नांकित प्रकार की जोखिमें उठानी पड़ती है –

1. **व्यावसायिक जोखिम**–व्यावसायिक जोखिम में उद्यमी को अपने उपक्रम के असफल होने की जोखिम होती है।
2. **वित्तीय जोखिम**– वित्तीय जोखिम में उद्यमी को पूंजी खोने एवं दिवालिया होने की जोखिम होती है।
3. **आजीविका जोखिम**– आजीविका जोखिम में उद्यमी को अपनी आजिविका के साधन खोने एवं जीवनयापन पर संकट का जोखिम रहता है।
4. **पारिवारिक जोखिम** – पारिवारिक जोखिम में उद्यमी को अपने परिवार के सदस्यो के सामने संकट उत्पन्न होने का जोखिम रहता है।
5. **मनोवैज्ञानिक जोखिम** – मनावैज्ञानिक जोखिम में उद्यमी को मानसिक पीड़ा एवं आघात का जोखिम रहता है।
6. **सामाजिक जोखिम** – सामाजिक जोखिम में उद्यमी को समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम होता है।
7. **कानूनी जोखिम** – कानूनी जोखिम में उद्यमी को अपने कानूनी दायित्वों से उत्पन्न जोखिम का भय रहता है।

उद्यमी की सभी प्रकार की **जोखिमों को दो मुख्य वर्गों** में विभक्त किया जा सकता है –

1. **बीमा योग्य जोखिमें [Insurable Risks]** – जिन जोखिमों का बीमा कराया जा सकता है वैसी जोखिमों को बीमा योग्य जोखिमों के वर्ग में रखा जाता है ऐसी जोखिमों का सही –सही आकलन किया जा सकता है। अतः ऐसी जोखिमों के आकलन के अनुसार बीमाकर्ता बीमा प्रीमियम निर्धारित कर सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **बीमा अयोग्य जोखिमें [Uninsurable Risks]** – इस वर्ग में वे जोखिमें होती हैं जिनका पूर्व आकलन करना संभव नहीं होता है। ये जोखिमें अज्ञात होती हैं। इसलिए आकलन की कठिनाई के कारण इन जोखिमों का बीमा संभव नहीं होता है।

एक उद्यमी को बीमा योग्य जोखिमों से सुरक्षित हो सकता है परन्तु बीमा अयोग्य जोखिमों को उसे वहन करना पडता है। जो उद्यमी बीमा अयोग्य जोखिमों को जितनी सफलतापूर्वक वहन कर लेता है वह उतना ही सफल उद्यमी होता है।

जोखिम वहनकर्ता के आव□यक गुण

एक उद्यमी में जोखिम वहनकर्ता के रूप में निम्नांकित गुण होने चाहिए –

1. **आकलन करने की क्षमता** – उद्यमी में जोखिम आकलन करने की क्षमता का होना आवश्यक है। इससे वह जोखिम वहन के निर्णय से पहले उसके विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर सकता है।
2. **वातावरण वि□लेशण की योग्यता** – उद्यमी में वातावरण संबंधी विश्लेषण की योग्यता होनी आवश्यक है ताकि इससे संबंधित जोखिमो के सही स्वरूप को समझा जा सके।
3. **अवसरों एवं चुनौतियों को पहचानने की क्षमता** – उद्यमी में अवसरों एवं चुनौतियों को पहचानने की क्षमता का होना आवश्यक है, ताकि इसमें निहित जोखिमों की भी सही पहचान की जा सके।
4. **जोखिम वाले** – उद्यमी को संतुलित जोखिम चयन की प्रवृति होनी चाहिए। उसे न तो अधिक जोखिम वाले और न ही कम जोखिम वाले अवसरों का चयन करना चाहिए।
5. **सलाह लेने की आदत** – उद्यमी को जोखिम वहन करते समय अनुभवी एवं विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह उसे अनेक मुसीबतों से बचा सकती है।
6. **धैर्य** – उद्यमी को जोखिम उठाने का निर्णय करने में धैर्य रखना चाहिए।
7. **दूरदर्□िता** – जोखिम वहन करते समय उद्यमी को दूरदर्शी होना चाहिए।
8. **सतर्कता** – उद्यमी में सतर्कता होनी चाहिए। उसे सतर्क रहकर जोखिम के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
9. **जोखिम बांटने की प्रवृति** – उद्यमी में जोखिम बांटने की प्रवृति होनी चाहिए। बीमा द्वारा कई जोखिमों को अन्तरित किया जा सकता है।यष्सषस

निर्णयन [Decision]

उद्यमी को अपने कार्य के संबंधित विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक विकल्प के अपने लाभ एवं सीमाएं होती है। उद्यमी को उन विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना पड़ता है, जो निर्णय कहलाता है। उद्यमी निर्णयन प्रक्रिया की सहायता से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने का प्रयास करता है।

कूण्ट्ज एवं ओ'डोनेल [Koontz and O'Donnel] के अनुसार–''निर्णय लेना किसी भी कार्य को करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक चयन है''

जार्ज आर. टेरी [G. R. Terry] – के अनुसार –''निर्णयन कुछ मापदण्डों के आधार पर दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है।''

अतः हम कह सकते हैं कि निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निष्चित किया जाता है तथा अनिष्चय की स्थिति को निष्चय की स्थिति में बदल दिया जाता है।

निर्णयन का महत्व [Impirtance of Decision&Making]

उद्यमिता में निर्णयन महत्व निम्नांकित है –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. **सर्वोतम विकल्प का चयन**–निर्णयन की सहायता से उद्यमी विभिन्न विकल्पों में से सर्वोतम विकल्प का चयन करता है। किसी उपक्रम के लाभ में वृद्धि करने के लिए विभिन्न विकल्प हो सकते हैं, जैसे – लागतों में कमी, विक्रय वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि आदि। उद्यमी इनमें से जो समय विषेष एवं स्थिति के अनुसार कौन सा सबसे उपयुक्त होगा – उसका चयन निर्णयन प्रक्रिया से करता है।

2. **जोखिम में कमी [Reduce the Risk]**–उद्यमिता में जोखिम वहन करना होता है। निर्णयन प्रक्रिया में उद्यमी निर्णय से पूर्व संबंधित सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित कर उनका विष्लेषण करता है। इसप्रकार अनिष्चिता एवं जोखिम का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें कम किया जा सकता है।

3. **प्रभावी प्रबन्धन [Effective Management]**–प्रबन्धकीय प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों जैसे–नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं नियंत्रण का प्रभावी निष्पादन निर्णयन द्वारा ही संभव है। निर्णयन की सहायता से ही प्रभावी प्रबन्धन किया जा सकता है।

4. **उद्यमीय सफलता** [**Entrepreneurial Success]** –उद्यम की सफलता उद्यमी द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही निर्भर करती है। उद्यमी में निर्णय लेने की दक्षता जितनी अधिक अधिक होगी उद्यमिता को भी उतनी अधिक सफलता मिलेगी।

5. **उद्यमीय गति□ीलता [Entrepreneurial Dynamics]**–निर्णयन में कर्मचारियों की भागीदारी गतिशील प्रबन्ध का सूचक है। निर्णयन प्रक्रिया की जानकारी से उद्यमीय गतिशीलता की जानकारी होती है। उद्यमशील निर्णय प्रबन्धकीय गतिशीलता के सूचक होते हैं।

6. **समस्याओं में कमी [Minimise Problems]**–निर्णयन प्रक्रिया में प्रत्येक समस्या के कारणों का पता लगाकर उसके मूल कारणों तक पहूंचने का प्रयास किया जाता है। समस्या के मूल कारण को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि उस समस्या के दोबारा उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहे। इस प्रकार निर्णयन प्रक्रिया में समस्या के मूल कारणों को दूर करके समस्याओं में कमी लायी जाती है।

निर्णयन प्रक्रिया [Decision-making Process]

निर्णयन प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नांकित हैं –

1. **समस्या या अवसर की पहचान एवं वि□लेषण [Identification and Analysis of the Problem and Opportunity]** – उद्यमी द्वारा निर्णय किसी समस्या को हल करने अथवा अवसर का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। उद्यमी को समस्या के लक्षणों का विश्लेषण कर उसके मूल कारणों को जाना जा सकता है। समस्या का विश्लेषण करने के लिए उसे उप–समस्याओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उप–समस्या के कारण तथा स्रोतों की जानकारी की जाती है।

2. **सूचनाएं एकत्रित करना [Collection of Information]** –समस्या को जानने एवं अवसर को पहचाने के बाद उससे सबंधित सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ये सूचनाएं आन्तरिक एवं बाह्य दोनो प्रकार के स्रोतों से एकत्रित की जा सकती है। इसके लिए एक डाटा बैंक बनाया जा सकता है। सूचना एकत्रित करते समय ध्यान रखा जाए कि सूचनाएं विश्वसनीय हों।

3. **विकल्पों का विकास [Devdloping Alternatives]** – एकत्रित सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर संभावित विकल्प विकसित किए जा सकते हैं। विकल्पों के विकास के लिए उद्यमी में कल्पनाषक्ति एवं रचनात्मक चिन्तन आवष्यक है। विभिन्न विकल्पों के विकास के लिए सामूहिक निर्णयों को बढ़ावा देना ज्यादा उपयोगी होता है।

4. **संभावित विकल्पों का मूल्यांकन [Evalution of Probable Alternatives]** – विकल्पों के विकास के बाद विकसित विकल्पों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक विकल्प के अपने लाभ एवं सीमाएं होती हैं। अतः प्रत्येक विकल्पों का लाभ–लागत विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों की व्यावहारिकता का पता लगाया जाता है। विश्लेषण विवेकपूर्ण, निष्पक्ष होना चाहिए ताकि मूल्यांकन सही किया जा सके।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **सर्वोत्तम विकल्प का चयन या निर्णय [Selection of the best Alternative or Decision]**– मूल्यांकन के आधार पर श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। उद्यमी ऐसे विकल्प का चयन करता जो उसकी संगठनात्मक परिस्थिति एवं सीमाओं के संदर्भ में सर्वोत्तम एवं संतोषप्रद हो एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दे सके, व्यावहारिक हो, समयानुकूल हो।

6. **निर्णय को कियान्वित करना, [Implementing the Decision**)–निर्णयन प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए उन निर्णयों का कियान्वयन करना एवं उसके प्रभावों को देखना आवश्यक है। निर्णय के प्रभावी एवं सामयिक कियान्वयन के लिए निर्णय का प्रभावी सम्प्रेषण आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त एवं अधिकार, सम्बद्ध अधिकारियो की वचनबद्धता, उपयुक्त वातावरण होना आवश्यक है।

7. **निर्णय का अनुसरण करना [Follow-up the Decision]**–निर्णयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी प्रभावशीलता का मापन करने के लिए निर्णय का अनुसरण करना चाहिए। निर्णय के अनुसरण से यह जाना जा सकता है कि समस्या के विश्लेषण, सूचनाओं के एकत्रीकरण, विकल्पों के विकास एवं विश्लेषण तथा विकल्पों के चयन में कोई कमी तो नहीं रही थी। यदि किसी चरण में कोई कमी रही है, तो निर्णय के उसके कारणों का विश्लेषण करके उसे जाना जा सकता है एवं उसके आधार पर निर्णय प्रक्रिया मे आवश्यक सुधार किया जा सकता है। कोई भी निर्णय प्रक्रिया अथवा तकनीक पूर्ण नहीं होती है। अतः सुधार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है।

निर्णयों के प्रकार [Types of Decisions]–उद्यमी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नांकित है –

1. नवाचार करने का निर्णय
2. उपक्रम की स्थापना का निर्णय
3. संयंत्र की स्थापना का निर्णय
4. उपक्रम के उच्च प्रबन्धक वर्ग की नियुक्ति का निर्णय
5. आपूर्तिकर्ताओं के चयन का निर्णय
6. मध्यस्थों की नियुक्ति का निर्णय
7. नवीन उत्पादों के विकास एवं निर्माण का निर्णय
8. उत्पाद श्रृंखला के विस्तार एवं संकुचन का निर्णय
9. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का निर्णय
10. अन्तराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की विधि के चयन का निर्णय
11. किसी नवाचार या उपक्रम के असफल होने पर उसे बन्द करने का निर्णय

निर्णयन के लिए आव□यक गुण [Necessary Qualities for Decision Making]

एक निर्णयकर्ता उद्यमी में निम्नांकित गुणों का होना आवश्यक है –

1. **तर्कपूर्ण सोच** – एक निर्णयकर्ता उद्यमी की सोच तर्कपूर्ण एवं व्यवस्थित होनी चाहिए तभी वह विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता है।

2. **वैज्ञानिक दृष्टिकोण**–निर्णयकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति तथ्यों की सत्यता को जांच परखने के बाद ही उस पर विश्वास करता है। इससे निर्णयन में विवेकशीलता लायी जा सकती है।

3. **वस्तुनिष्ठता**–निर्णयकर्ता को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जो निर्णयकर्ता किसी बात, व्यक्ति अथवा भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लेता है तो वह निर्णय विवेकपूर्ण नहीं हो सकता।

4. **पर्याप्त सूचना**–निर्णयों में विवेकशीलता लाने के लिए निर्णयकर्ता के पास पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। सूचनाएं पूर्ण एवं सत्य होनी चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **समस्या की स्पष्टता**–समस्या के सन्दर्भ में पूर्ण एवं स्पष्ट सूचनाएं समस्या को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। अतः निर्णयकर्ता के पास समस्या की पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
6. **लक्ष्य की स्पष्टता**–निर्णयकर्ता को अपने लक्ष्यों की जानकारी होनी चाहिए। उसे यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि उसे किन लाभों एवं सुविधाओं को अधिकतम एवं किन हानियों को न्यूनतम करना है।
7. **विकल्पों की जानकारी** –निर्णयकर्ता उद्यमी को अपनी समस्याओं के सभी संभावित विकल्पों की जानकारी के साथ–साथ उनके संभावित प्रभावों की जानकारी भी होनी चाहिए।
8. **व्यावहारिक ज्ञान** –निर्णयकर्ता को व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव भी होना चाहिए तभी उसके निर्णय व्यवहार में लागू करने योग्य हो सकेंगे।
9. **समय की पाबन्दी** –निर्णयकर्ता में समय की पाबन्दी का गुण भी होना आवश्यक है तभी वह सही समय पर सही निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित कर सकता है।
10. **धैर्य** –जिन उद्यमियों में धैर्य नहीं होता वे जल्दबाजी में आधी–अधूरी सूचनाओं के आधार पर निर्णय कर लेते हैं। फलस्वरूप उनके निर्णय प्रभावी नहीं होते हैं। अतः उद्यमियों में धैर्य होना आवश्यक है।
11. **वरीयता क्रम का ज्ञान**–निर्णयकर्ता को विभिन्न विकल्पों के वरियताक्रम की जानकारी भी होनी चाहिए। एक निर्णयकर्ता सही निर्णय तभी ले सकता है जब उसे विकल्पों के सही वरीयता क्रम की जानकारी हो।
12. **राष्ट्रीयता की भावना**– निर्णयकर्ता उद्यमी में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए तभी वह नवाचार एवं उपक्रम संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रीय भावना एवं सम्मान तथा देश के नियमों एवं नीतियों के अनुरूप कर सकेगा।

नियोजन [Planning]

नियोजन कार्य वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। व्यावसायिक नियोजन से आशय संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबन्ध प्रक्रिया की आधारभूत बातों के पूर्व निर्धारण से होता है। व्यावसायिक नियोजन के माध्यम से ही एक उद्यमी कल्पित विचारों को मूर्तरूप प्रदान करता है, उपक्रम के भविष्य पर विचार करता है, भावी व्यूहरचनाएं तैयार करता है, कर्मचारियों के लिए निष्पादन मानदण्डों का निर्धारण करता है, संगठन में उचित व्यवस्था का निर्माण करता है तथा जोखिम एवं अनिश्चितता का सामना करता है।

रोबर्ट अल्बानीज [Robert Albanese] के अनुसार–''नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करने की प्रक्रिया या क्रिया है कि किन्हीं विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे कब और कहां किया जाना चाहिए तथा इसे किसके द्वारा किया जाना चाहिए।''

विलियम एच. न्यूमैन [William H. Newman]के अनुसार –''सामान्य रूप से, भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। इस दृष्टि से नियोजन मानवीय आचरण का अत्यन्त व्यापक रूप है।''

अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक साधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धितियों, कार्यक्रमों, व्यूहरचनाओं आदि को भी निर्धारित किया जाता है। यह मानसिक कार्य है जिसके द्वारा भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान में निर्धारण किया जाता है। इस क्रिया का सम्पन्न करते समय प्रबन्धक अपने विवेक, अनुभव, दूरदृष्टि एवं विद्यमान तथ्यों का उपयोग करता है।

उद्यमी का व्यावसायिक नियोजन दीर्धकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही प्रकार का होता है। व्यावसायिक नियोजन में अनेक बातों का समावेश होता है। उपक्रम का नाम, उसके व्यवसाय की प्रकृति, वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, वातावरण विश्लेषण, उत्पादन, विपणन, संगठन, वित्तीय एवं मानवीय संसाधन योजना, जोखिम विश्लेषण आदि–आदि बातों का व्यावसायिक नियोजन में उल्लेख किया जाता है।

नियोजन का महत्व [Importance of Planning]

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आज के गतिषील एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक युग में नियोजन के बिना उद्यमी अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नियोजन के बिना प्रबन्ध का कार्य दिशाहीन हो जाता है। नियोजन से प्राथमिकताओं के उचित निर्धारण द्वारा साधनों का उचित आबंटन एवं सदुपयोग होता है। नियोजन का महत्व निम्नांकित है–

1. **संगठन को प्रभावी बनाना**–नियोजन के आधार पर उपक्रम की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण कर संगठन को प्रभावी बनाया जाता है। नियोजन के माध्यम से संगठन में अव्यवस्थित एवं अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है।

2. **अच्छा समन्वय**–नियोजन उद्यमी को समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। नियोजन के माध्यम से उद्यमी सभी विभागों एवं कर्मचारियों के लक्ष्य, कार्यक्रम, नीतियां, बजट, अधिकार, कर्तव्य आदि निर्धारित करते हैं। सभी विभागों की कार्य–योजनाएं इस तरह बनायी जाती है कि वे एक दूसरे के बाधक न होकर पूरक होते हैं।

3. **सही निर्णयन**–नियोजन के माध्यमय योजना बनाते समय विभिन्न पहलुओं जैसे– क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसे करना है आदि पर गंभीरता से विचार किया जाता है। निर्णय करते समय उपक्रम साधनों, परिस्थितियों, समस्याओं एवं लागत का भी ध्यान रखा जाता है। इससे निर्णय प्रक्रिया में समय लगता है। इस प्रकार नियोजन उतावले जल्दबाजी में लिए गये निर्णयों पर रोक लगाकर उद्यमी को सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।

4. **अभिप्रेरणा में वृद्धि**–नियोजन के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी के उद्देश्य, क्षेत्र, कार्य करने की सर्वोत्तम विधि आदि की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। अतः कर्मचारियों को अपने कार्य एवं कार्य विधि के बारे में पता रहता है। फलस्वरूप कर्मचारियों को उद्देयों की प्राप्ति हेतु स्वतः अभिप्रेरणा मिलती है।

5. **मनोबल में वृद्धि**–नियोजन में योजना बनाते समय कर्मचारियों से परामर्श एवं सहयोग लिया जाता है जिससे योजना के प्रति अपनत्व की भावना जागती है तथा कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है।

6. **प्रभावपूर्ण नियंत्रण**–नियोजन प्रबन्धकीय एवं वित्तीय नियंत्रण की आधारशिला है। नियोजन यह निश्चित करता है कि किस विभाग या कर्मचारी को कितने समय में, कितनी लागत पर, क्या–क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं।

7. **नियुक्ति एवं प्रा□क्षण का आधार** –नियोजन के द्वारा उद्यमी को यह पता लग जाता है कि उसे योजना को पूरा करने के लिए किस योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है। अतः वे उन्हीं योग्यता वाले कर्मचारियों का चयन करते हैं। कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करते हैं।

8. **प्रभावी नेतृत्व**–नियोजन से उद्यमी को अपने कर्मचारियों को प्रभावी नेतृत्व देने में सहायता मिलती है। उद्देश्यों का निर्धारण एवं सर्वोत्तम विधि का चयन नेतृत्व को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।

9. **मितव्ययिता** –नियोजन द्वारा उपक्रम में कार्य करने हेतु एक निश्चित एवं मितव्ययी मार्ग तय हो जाता है। नियोजन के द्वारा उत्पादन एवं विपणन में अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसप्रकार नियोजन से लागत में कमी करने में सहायता मिलती है।

10. **लक्ष्यों पर ध्यान**–नियोजन के माध्यम से उद्यमी एवं कर्मचारियों का ध्यान लक्ष्य प्राप्ति की ओर केन्द्रित किया जाता है। नियोजन के माध्यम से लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं एवं लक्ष्य प्राप्त करने हेतु साधन जुटाए जाते हैं। अतः उद्यमी एवं कर्मचारी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं।

11. **अनि□चितताओं एवं जोखिमों में कमी**–नियोजन के माध्यम से भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करके अनिश्चितताओं एवं जोखिमों को कम किया जा सकता है। भावी अनिश्चितता एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों का सामना करने के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

12. **साधनों का अधिकतम उपयोग**–नियोजन के माध्यम से उपलब्ध मानवीय, आर्थिक एवं भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

13. **नए एवं सृजन□ील विचारों को प्रोत्साहन**–नियोजन के माध्यम से उद्यमी का ध्यान महत्वपूर्ण निर्णयों एवं संस्था के भावी विकास पर केन्द्रित हो जाता है। फलस्वरूप नए एवं सृजनशील विचार आते रहते है।

14. **परिवर्तनों का सामना करने में सुविधा**–उद्यमी आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को रोक नहीं सकता। अतः उद्यमी नियोजन के माध्यम से इन परिवर्तनों को अपनाकर उपक्रम को परिवर्तन के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास करता है।

15. **विपदाओं का सामना करने में सहयोग**–भविष्य अनिश्चित होता है। अतः व्यवसाय में भावी आर्थिक विपदाएं आना स्वाभाविक है। नियोजन के माध्यम से पूर्वानुमान करके आर्थिक विपदाओं को कम किया जा सकता है।

16. **प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति मे वृद्धि**–नियोजन से उपक्रम की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। एक उद्यमी नियोजन के माध्यम से अपने उत्पाद की गुणवता में परिवर्तन करके, नयी वस्तु का उत्पाद करके, कार्यविधि में परिवर्तन करके, तकनीक में परिवर्तन करके, उत्पाद की डिजाइन में परिवर्तन करके ग्राहकों की आवश्यकता एवं रूचि का पता लगा सकता है। इससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी।

17. **राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि**–नियोजन के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके, देश के साधनों के समुचित उपयोग को सम्भव बनाता है। इससे साधनों का समान वितरण संभव होता है जिससे आर्थिक विषमता दूर करने में सहायता मिलती है। देश में संतुलित तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है।

व्यावसायिक नियोजन हेतु आव□यक गुण [Necessary Qualities for Business Planning]

व्यासायिक नियोजन हेतु उद्यमी में निम्नांकित गुण होना आवश्यक है –

1. **उद्दे□यों की स्पष्ट जानकारी**–एक सफल एवं प्रभावी नियोजन हेतु उद्यमी को नियोजन के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
2. **दूरदर्□िता**–उद्यमी में परिवर्तन एवं नवाचार करने की दूरदर्शिता होनी चाहिए।
3. **अवसरों की पहचान की क्षमता**–उद्यमी में अवसरों के पहचान की क्षमता होनी चाहिए ताकि अवसरों के अनुरूप नियोजन किया जा सके।
4. **मितव्ययिता की योग्यता**–उद्यमिता उद्यमी में मितव्ययिता से नियोजन की क्षमता होनी चाहिए।
5. **तथ्यों का ज्ञान**–उद्यमी को नियोजन से संबंधित सभी तथ्यों का ज्ञान एवं सम्यक जनकारी होनी चाहिए।
6. **तर्कपूर्ण सोच**–उद्यमी की सोच व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण होनी चाहिए।
7. **निष्पक्ष**–उद्यमी को नियोजन करते समय निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।
8. **श्रेष्ठ विकल्प चयन करने की क्षमता**–नियोजन के लिए उद्यमी में विकल्पों के मूल्यांकन, आकलन करने एवं श्रेष्ठ विकल्प का चयन करने की क्षमता होनी चाहिए।
9. **व्यावहारिक ज्ञान**–उद्यमी में नियोजन के लिए व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए ताकि वह व्यवहार योग्य योजनाओं का निर्माण कर सके।
10. **पूर्वानुमान की क्षमता**–नियोजन के लिए उद्यमी में पूर्वानुमान की क्षमता होनी चाहिए।
11. **प्राथमिकताओं का ज्ञान**–उद्यमी को अपनी प्राथमिताओं का ज्ञान होना चाहिए।
12. **आ□ावादी** –नियोजनकर्ता को आशावादी होना चाहिए।
13. **समय का पाबन्द**– नियोजनकर्ता को समय का पाबन्द होना चाहिए।
14. **लचीला दृष्टिकोण**–उद्यमी को लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए। तभी समय एवं परिस्थितियों के अनुसार नियोजन किया जा सकेगा।

लघुउत्तरात्मक प्र□न

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों को समझाइए।
2. जोखिम–वहनकर्ता के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए।
3. निर्णयन कर्ता के लिए आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए।
4. व्यावसायिक नियोजनकर्ता के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख कीजिए।
5. नेतृत्व की प्रकृति का उल्लेख करें।
6. निर्णयन के प्रकारो ंको लिखें।

वृहत्उत्तरात्मक प्र□न

1. नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व की प्रकृति एवं महत्व को समझाइए।
2. निर्णयन से आप क्या समझते हैं? उद्यमिता में निर्णयन के महत्व को स्पष्ट कीजिए
3. व्यावसायिक नियोजन की परिभाषा दीजिए। उद्यमिता में व्यावसायिक नियोजन का महत्व को स्पष्ट कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

खण्ड –ब

उपक्रम का प्रवर्तन

Promotion of venture

परिचय Introduction

साधारण शब्दों में प्रवर्तन का अर्थ "प्रारंभ करने" से लिया जा सकता है। जब किसी व्यवसायी/उद्यमी के मस्तिष्क में किसी उद्योग/उपक्रम को प्रारंभ करने का विचार आता है तथा इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है तो उसे हम प्रवर्तन के नाम से जानते है। उपक्रम को प्रारंभ करने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। पढ़ा लिखा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कुछ नया कर दिखाने की इच्छा लेकर उपक्रम का प्रवर्तन करता है। कुछ लोग किसी दूसरे के अधीन कार्य करना पसन्द नहीं करते तो वे स्वयं का उपक्रम स्थापित करने का सोचते हैं तथा अपने लिए रोगजार की व्यवस्था करते हैं। अन्य उद्यमियों की सफलता से प्रेरित हो कर भी कुछ लोग उपक्रम की स्थापना का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग धन कमाने की लालसा या इच्छा को मन में रखकर उपक्रम की स्थापना करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम को स्थापित करना एवं उसे सफलता तक पहुंचाना बड़ा कठिन कार्य है। अतः उपक्रम की स्थापना से पूर्व उद्यमी को इस बात पर विचार कर लेना चाहिए।

प्रवर्तन की परिभाषा :

Definition of Promotion

प्रवर्तन की परिभाषाएँ निम्नानुसार है :

1. **सी.डब्ल्यू.गर्स्टनबर्ग** के मतानुसार, "प्रवर्तन से आशय व्यापार सम्बन्धी सुअवसरों की खोज करने और उनसे लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से पूँजी, सम्पत्ति और प्रबन्धकीय योग्यता को व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करने से है। "
2. **एच.ई.हॉगलैण्ड** के अनुसार "प्रवर्तन एक विशिष्ठ व्यासयिक उपक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है। उन सब द्वारा की गई क्रियाओं का योग प्रवर्तन है जो इस कार्य में भाग लेते है।
3. **प्रो.ई.एस.मीड** के अनुसार "प्रवर्तन के चार तत्व है : खोज. जाँच, एकत्रीकरण एवं वित्त।"
4. इस प्रकार प्रवर्तन से आशय व्यवसाय स्थापना की उन समस्त क्रियाओं से हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के मस्तिक में जन्म लेती है। एक व्यवसायी/उद्यमी द्वारा प्रवर्तन के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते है –
    1. व्यवसाय की स्थापना का विचार करना।
    2. व्यवसाय स्थापना से सम्बन्धित सम्भावनाओं पर विचार करना।
    3. प्रस्तावित व्यवसाय के उदेश्य, क्षेत्र एवं सीमाओं का निर्धारण करना।
    4. उद्योग नये सिरे से स्थापित किया जायेगा अथवा वर्तमान उद्योगों संयोजित करके उद्योग स्थापित किया जायेगा।
    5. तकनीकी विशेषज्ञों से परार्मश करना।
    6. उद्योग निर्माण के विचार को साकार करने का प्रयास करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

7. तकनीकी विशेषज्ञों से प्राप्त प्रतिवेदनों का अध्ययन करना
8. व्यवसायी द्वारा निर्माण में काम आने वाले साधनों का अनुमान लगाना।
9. उत्पाद की मांग एवं पूर्ति का अध्ययन करना।
10. प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बारे में जाँच करना।
11. नये उपक्रम के लिए भूमि, भवन एवं अन्य साधनों के लिए प्रारम्भिक अनुबंध करना।
12. प्रबन्धकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सचिव एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
13. वैधानिक सलाहकारों की नियुक्ति करना।
14. उद्योग के कार्यालय के लिए यंत्रों एवं उपकरणों की व्यवस्था करना।
15. उद्योग का नाम निश्चित करना।
16. व्यवसाय/उद्योग का पंजीकरण करवाना।
17. रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान निश्चित करना।
18. समामेलन का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना।
19. प्रारम्भिक पूँजी की व्यवस्था करना।
20. बैंकों, दलालों एवं अभिगोपकों की नियुक्ति करना।
21. उपक्रम के अंकेक्षकों की नियुक्ति करना।
22. उद्यमी द्वारा भावी लाभों का प्रता लगाना।
23. व्यवसाय प्रारम्भ करना एवं कम्पनी रजिस्ट्रार को सूचना देना।

उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया :

Venture Promotion Process

जैसा कि हम जानते है कि उपक्रम का प्रवर्तन एक कठिन कार्य है। जो व्यक्ति उपक्रम की स्थापना करने की सोचता है तथा उपक्रम को स्थापित करने का निर्णय लेता है उसे हम प्रवर्तक के नाम से जानते है। एक प्रवर्तक को उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया में अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया अनेक चरणों से गुजरती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं :–

I अवसरों की पहचान करना

II उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण करना

III प्रारंभिक तैयारियाँ करना

IV पूंजी श्रोतों का प्रबन्ध करना

V उपक्रम संरचना का निर्माण करना

I अवसरों की पहचान करना

Identification of Opportunities

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपक्रम की स्थापना की दिशा में पहला कदम है अवसरों की पहचान करना। अवसरों की पहचान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उद्यमी हाथ में आये अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठा लेता है वह दूसरे उद्यमियों से बहुत आगे निकल जाता है। अतः उद्यमी को सर्व प्रथम यह सोचना चाहिए कि वे कौन–कौन से अवसर है जिनका लाभ उठाने के लिए उपक्रम स्थापना का निर्णय लिया जा सकता है या सोचा जा सकता है। एक उद्यमी को निम्नलिखित क्षैत्रों में अवसर दिख सकते है :–

(i) किसी नये अविष्कार से समाज के लिए उपयोगी नवीन उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है।

(ii) किसी उत्पाद के निर्माण में परम्परागत सामग्री के स्थान पर नवीन समाग्री का उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी उत्पाद या सेवा के वितरण के लिए नये वितरण माध्यम का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) किसी विद्यमान उत्पाद में सुधार करके नवीन उपयोग उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है।

(v) किसी उत्पाद के निर्माण के लिए परम्परागत तकनीक के स्थान पर नवीन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) जनता की समस्याओं/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नये उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है।

(vii) किसी विद्यमान उत्पाद का विपणन उन बाजारों में किया जा सकता है जिनमें अभी तक उस उत्पाद को प्रवेश नहीं मिला है।

(viii) विद्यमान उत्पाद के रंग, रूप, डिजाइन आदि में परिवर्तन की संभावनाएँ देखकर नये अवसरों की खोज की जा सकती है।

(ix) आकस्मिक रूप में घटित होने वाली घटनाएँ नये अवसरों को जन्म देने वाली होती है। युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाएँ शान्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा आपदा के समाप्त होने पर अनेक नये अवसर प्रदान करती है।

एक उपक्रम के प्रवर्तन एवं अवसरों की खोज के लिए उद्यमी द्वारा निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है :–

(1) **बातचीत द्वारा –** एक उपक्रम के प्रवर्तन एवं अवसरों की खोज के लिए निम्नलिखित लोगों एवं संगठनों से बातचीत की जा सकती है–

A. मित्रों, सम्बन्धियों एवं परिवारजनों से

B. तकनीकी विशेषज्ञों के साथ

C. मध्यस्थ– थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी

D. पूर्तिकर्त्ता संस्थानों के साथ

E. बैंक, बीमा एवं व्यावसायिक सलाहकारों के साथ

F. व्यापारिक एवं पैशेवर संघों के साथ

(2) **अवलोकन द्वारा –** एक उपक्रम के प्रवर्तन एवं अवसरों की खोज के लिए निम्नलिखित माध्यमों का अवलोकन किया जा सकता है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

A पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टी.वी., रेडियों एवं अन्य संचार माध्यम।

B मेलों, प्रदर्शनियों, सेमीनारों एवं कार्यशालाओं का अवलोकन एवं भाग ले कर।

C लोगों की प्रवृतियों का अवलोकन करके।

II उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण करना

Analysis of Entrepreneurial Environment

एक उद्यम के प्रवर्तन की प्रक्रिया में व्यावसायिक अवसरों की पहचान के पश्चात उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण करना होता है। उद्यमशील वातावरण में आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है।

1. **आन्तरिक वातावरण –** आन्तरिक वातावरण एक उद्यम या संस्था का अपना आन्तरिक वातावरण होता है जिसमें संस्था की विचारधारा और दर्शन, संस्था के लक्ष्य एवं उदेश्य, संस्था के नियम एवं नीतियाँ, संसाधन, कार्यविधियाँ आदि आते है। एक उद्यमी इनका मूल्यांकन कर सरलता से आन्तरिक वातावरण के साथ अपना समायोजन कर सकता है।

2. **बाह्य वातारण –** बाह्य वातावरण संस्था के आसपास के वातावरण को कहते है इसमें निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जाता है :–

(I) **आर्थिक वातावरण –** आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली का स्वरूप, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, आर्थिक सन्नियम, पूंजी निर्माण एवं निवेश आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(II) **सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण –** सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अन्तर्गत सामाजिक प्रथाएँ एवं परम्पराएँ, सामाजिक मूल्य, समाज के लोगों की सोच एवं विचाराधारा, परिवर्तन के प्रति समाज का दृष्टिकोण आदि बातें आती है।

(III) **प्राकृतिक वातावरण** – प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, शक्ति के साधन, जनोपयोगी सेवाएँ आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(IV) **राजनीति वातावरण –** राजनीति वातावरण में सरकार की राजनीतिक विचारधारा, सरकारी नियम एवं नीतियाँ, राष्ट्रीय सैन्य व्यवस्था एवं नीतियाँ, अफसरशाही आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

(V) **वैधनिक वातावरण –** वैधानिक वातावरण में संवैधानिक प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, कराधान, प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

(VI) **तकीनीक वातावरण–** तकनीकी वातावरण में उत्पादन प्रणालियॉं, स्वचालित यंत्र, जैविक रसायन एवं अनुवांशिकी, उत्पादन प्रक्रियाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त देश का शैक्षिक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण, नीतिशास्त्रीय वातावरण आदि भी एक उपक्रम को प्रभावित करते हैं।

आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के घटकों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के बाद उद्यमी को इनका विश्लेषण करना चाहिए तथा इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि वातावरण का कोनसा घटक उपक्रम को सर्वाधिक प्रभावित करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वातावरण के विश्लेषण हेतु एक उद्यमी को निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिएः–

1. सूचनाएँ प्राप्त करना –

सर्व प्रथम उद्यमी को बाह्य वातावरण से सूचनाएँ प्राप्त करनी चाहिए तथा इन सूचनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालनें चाहिए। सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी एवं अधिकारीयों की नियुक्ति, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित सूचनाएँ, निजी संस्थाओं द्वारा कराये गये सर्वे एवं सर्वे रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सीज द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट आदि श्रोतों का उपयोग किया जा सकता है।

2. पूर्वानुमान करना –

भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान विधी का उपयोग किया जाता है। इस विधी से भी उद्यमी को अनेक प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त हो सकती है।

3. बाजार सर्वेक्षण –

बाह्य वातावरण के विश्लेषण हेतु बाजार सर्वेक्षण का भी सहारा लिया जाता है। इसके द्वारा उद्यमी उपभोक्ता की पंसद, रूचि एवं आवश्यकता के बारे में पता लगा सकता है। इसके साथ–साथ उत्पाद की मांग एवं भावी मांग, उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति आदि बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है।

4. वातावरण संकट एवं अवसर परिदृश्य

(Environmental Threat and Opportunity Profile or ETOP)

वातावरण के घटकों का विभिन्न अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए वातावरण संकट एवं अवसर परिदृश्य तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक द्वारा वातावरण के विभिन्न घटकों का अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों का एक व्यवस्थित विवरण पत्र तैयार किया जाता है।

5.स्वोट विश्लेषण (SWOT Analysis)

स्वोट विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा एक संगठन के आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण को समझा जा सकता है। इस तकनीक के अन्तर्गत एक उद्यमी संभावित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों एवं चुनौतियों का अध्ययन करता है। इस तकनीक का पूरा नाम शक्ति, कमजोरी, अवसर एवं चुनौतियाँ आदि है। (Strengtn, Weakness, Opportunities and Threats)

इस प्रकार एक उद्यमी आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण कर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेता है तथा इस जानकारी के आधार पर उद्यम की स्थापना एवं आगे की कार्यवाही करने का निर्णय लेता है।

III प्रारम्भिक तैयारियाँ करना

Doing Preliminary Preparations

आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण के विश्लेषण के बाद एक उद्यमी को निम्नलिखित प्रारम्भिक तैयारियाँ करनी चाहिए :–

1. प्रारम्भिक तैयारियों में सर्व प्रथम उपक्रम के लक्ष्यों एवं उदेश्यों का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्यों एवं उदेश्यों के आधार पर ही उपक्रम का संचालन किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. इस बात पर विचारा करना कि उपक्रम की स्थापना स्वामित्व के किस प्रारूप के अन्तर्गत की जायेगी। उपक्रम की स्थापना एकाकी व्यापार, साझेदारी अथवा संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के रूप में की जा सकती है।

3. किसी उत्पाद या सेवा का चयन कर लेना चाहिए। उत्पाद या सेवा का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि भविष्य में उत्पाद या सेवा की मांग पर ही उपक्रम की प्रगति निर्भर है।

4. उपक्रम के लिए स्थान का चयन करना चाहिए। उपक्रम का स्थान मांग बाजारों के निकट होना चाहिए तथा परिवहन एवं वितरण माध्यमों की सुगम उपलब्धता होनी चाहिए।

5. 5.उपक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक अनुबन्ध करने आवश्यक होते हैं। प्रारम्भिक अनुबन्ध निम्न प्रकार के हो सकते है :–

   (i) यदि किसी विद्यमान व्यवसाय को खरीदना है तो उसके स्वामी के साथ व्यवसाय को खरीदने का अनुबन्ध करना चाहिए।

   (ii) यदि नवीन व्यवसाय को प्रारम्भ करना है तो भूमि, भवन, पेटेन्ट एवं कॉपीराइट आदि के लिए सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनुबन्ध करने चाहिए।

   (iii) प्रबन्धकीय कार्मिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैधानिक सलाहकारों आदि के साथ प्रारम्भिक अनुबन्ध करने चाहिए।

   (iv) यदि उपक्रम की स्थापना साझेदारी प्रारूप में की जा रही है तो साझेदारों के साथ अनुबन्ध करना चाहिए एवं यदि कम्पनी प्रारूप में उपक्रम की स्थापना की जा रही है तो प्रारम्भिक सदस्यों एवं अन्य पक्षकारों के साथ अनुबन्ध करना चाहिए और यदि 'फ्रेन्चाइज' अधिकार के अन्तर्गत उपक्रम की स्थापना की जा रही है तो फ्रेन्चाइजर के साथ अनुबन्ध करना चाहिए। यदि उपक्रम की स्थापना संयुक्त क्षैत्र में की जानी है तो सरकार के साथ अनुबन्ध करना चाहिए।

IV पूंजी के श्रोतों का प्रबन्ध करना Management of Sources of Capital

साहसिक कार्य के प्रवर्तन हेतु पूंजी एक नितान्त आवश्यक घटक है। बिना पूंजी के व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता है। व्यवसाय में पूंजी की एक उचित एवं प्रयाप्त मात्रा होनी चाहिए। पूंजी की प्रर्याप्त मात्रा से आशय पूंजी की एक उचित मात्रा से हैं जो आवश्यकता से कम एवं अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूंजी की कमी एवं आधिक्य दोनों ही स्थितियाँ व्यवसाय के लिए धातक सिद्ध हो सकती है। अतः व्यवसाय में पूंजी यथेष्ट मात्रा में होनी चाहिए।

व्यवसाय में आवश्यक पूंजी दो प्रकार की होती है :–

(1) स्थायी पूंजी

(2) कार्यशील पूंजी

1. स्थायी पूंजी की व्यवस्था अंशो, ऋण पत्रों एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण लेकर की जा सकती है। अंशों का निर्गमन पूंजी प्राप्ति का सबसे सुविधाजनक माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा कम्पनी को लम्बी अवधि के लिए पूंजी प्राप्त हो जाती है। अंशो द्वारा प्राप्त पूंजी को एक कम्पनी द्वारा अपने जीवनकाल में लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है।

ऋण पत्र भी दीर्घ अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। ऋण पत्रों पर एक कम्पनी को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इसके अतिरिक्त विशिष्ट वित्तीय संस्थानों से भी लम्बी अवधि के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है जिनमें निम्नलिखित संस्थाएँ प्रमुख है :–

A भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

B औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

C राज्य वित्त निगम

D राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

E भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

F भारतीय यूनिट ट्रस्ट

G जीवन बीमा निगम

H लघु उद्योग विकास निगम आदि।

2. कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जो व्यवसाय के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी की व्यवस्था निम्नलिखित श्रोतों से की जा सकती है :–

A व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋण

B सार्वजनिक निक्षेप

C अर्जित आय का पुनः विनियोग

D ह्रास कोष

E सरकारी पूंजी एवं सहायता

F ग्राहकों द्वारा अग्रिम

G मित्रों एवं रिश्तेदारों से सहायता एवं ऋण

H देशी बैंकर्स द्वारा वित्त व्यवस्था

I संचित कोष आदि

उद्यमी को वित्त व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके उपक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में स्वयं की पूंजी या ऋण का अधिकाधिक उपयोग किया जाय ताकि उपक्रम पर अपनी स्वयं की नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित रह सके। बाद में उपक्रम के विस्तार के समय नियन्त्रण के अधिकारों का आवश्यक विस्तार किया जा सकता है।

V उपक्रम संरचना का निर्माण (Building Veuture Structure)

उपक्रम संरचना के निर्माण के लिए निम्नलिखित कदमों को उठाना जरूरी होगा :–

(1) वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना –

उपक्रम की संरचना के निर्माण के लिए निम्नलिखित वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति आवश्यक रूप से करनी चाहिए :–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) यदि उपक्रम की स्थापना कम्पनी प्रारूप में की जा रही है तो कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपक्रम का पंजीयन या समामेलन कराना आवश्यक होगा। एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों की स्थापना बिना पंजीयन के की जा सकती है।

(ii) औद्योगिक उपक्रम यदि किसी नगर पालिका के क्षैत्र में आता है तो नगर पालिका की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) औद्योगिक उपक्रम को जिस राज्य में स्थापित किया जाना है उस राज्य के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

(iv) स्थापित उद्योग में यदि 20 से अधिक श्रमिक कार्यरत है तो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना होगा। यदि कारखाना शक्ति के साधनों का प्रयोग करता है तो 10 श्रमिकों की संख्या पर पंजीयन करना आवश्यक है।

(v) यदि औधोगिक उपक्रम द्वारा उत्पादित उत्पाद इस प्रकृति का है जिसके लिए उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 से लाईसेंस प्राप्त करना आवश्यक है तो लाईसेंस भी प्राप्त करना पड़ेगा।

2. आन्तरिक संगठन संरचना का निर्माण करना –

सभी संसाधनों को सही प्रकार से उपयोग में लेने के लिए आन्तरिक संगठन संरचना का निर्माण करना आवश्यक होगा। इसके लिए उपक्रम में किये जाने वाले समस्त कार्यों का एक विवरण पत्र तैयार किया जाना चाहिए तथा विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए। सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित कर दिये जाने चाहिए। जिन व्यक्तियों को कार्य एवं अधिकार सत्ता का हस्तान्तरण किया गया है उनके आपसी सम्बन्धों का निर्धारण भी कर दिया जाना चाहिए।

संगठन संरचना का सम्पूर्ण नियन्त्रण उच्च प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। उपक्रम के आकार और आवश्यकता के अनुसार ही कार्यकारी वर्ग तैयार किया जाना चाहिए। कार्यकारी वर्ग में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च प्रबन्धकों को उपक्रम का नियन्त्रण एवं समन्वय करना चाहिए।

3. उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था करना –

वस्तुओं एवं सेवाओं के मितव्ययी उत्पादन एवं वितरण व्यवसथा हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिए :–

(i) संयन्त्रण अभिन्यास (Plant Layout)

(ii) उत्पादन प्रणाली का चयन करना

(iii) उत्पादन कार्य हेतु भवन तथा उपकरणों की व्यवस्था करना।

(iv) उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन करना

(v) विक्रय प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना

(vi) माल के परिवहन एवं संग्रहण हेतु व्यवस्था करना

(vii) यदि माल निर्यात योग्य है तो माल निर्यात के लिए आवश्यक प्रयास करना

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(viii) माल के विज्ञापन और विक्रय संवर्द्धन साधनों का चयन करना एवं विज्ञापन और विक्रय संवर्द्धन कार्य करना।

4- उपक्रम को प्रारम्भ करना Commencement of the Venture

समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उपक्रम के शुभारम्भ की बात आती है। एक सार्वजनिक कम्पनी अपने पंजीयन के बाद तब तक व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकती है जब तक कि व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाय। यह प्रमाण पत्र कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के बाद कम्पनी अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकती है।

अभ्यास के लिए प्रश्न :

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. उपक्रम के प्रवर्तन से आप क्या समझते है ?
2. उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया के चरणों के नाम लिखें ?
3. उपक्रम के आन्तरिक वातावरण से आप क्या समझते है ?
4. उपक्रम के बाह्य वातावरण से आप क्या समझते है ?
5. उपक्रम के आर्थिक वातावरण का अर्थ लिखें ?
6. स्वोट विश्लेषण क्या है ?
7. कार्यशील पूंजी का अर्थ बतायें ?
8. स्थाई पूंजी का अर्थ बतायें ?
9. उपक्रम संरचना के निर्माण का अर्थ लिखें ?

निम्बन्धात्मक प्रश्न :

1. किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उठाये जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए।
2. एक मध्यम आकार के व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उठाये जाने वाले कदमों को समझाइये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

नई इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ

Legal Requirements For Establishment for a New Unit

परिचय Introduction

नवीन इकाई की स्थापना करना वास्तव में एक जटिल कार्य है। किसी भी प्रकार की इकाई की स्थापना करनी हो तो वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होगी। बिना किसी वैधानिक औपचारिकताओं के आज किसी भी इकाई की स्थापना के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। इकाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक किसी भी प्रकार की हो सकती है लेकिन इनकी स्थापना से पूर्व विभिन्न प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है।

भारत में व्यवसायिक/औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए, पंजीयन कराने के लिए, भूमि भवन, यंत्र, संयत्र, पेटेण्ट, कॉपीरॉइट आदि को क्रय करने के लिए, ऋण प्राप्त करने आदि कार्यों में विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इन औपचारिकताओं की संख्या काफी अधिक होती है तथा इनमें काफी समय भी लगाना पड़ता है। इसलिए यह कहा गया है कि नवीन इकाई की स्थापना वास्तव में एक जटिल कार्य है।

व्यावसायिक स्वामित्व के प्रारूप :–

Form of Business Owenership

व्यावसायिक स्वामित्व के विभिन्न प्रारूप निम्नानुसार है :

एकाकी व्यापार

साझेदारी

संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी

सहकारी स्वामित्व

संयुक्त हिन्दु परिवार

अब हम उपरोक्त प्रारूपों की स्थापना के लिए पूरी की जाने वाली वैधानिक औपचारिकताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे।

एकाकी व्यापार/एकाकी स्वामित्व

(Sole Proprietorship)

एकाकी व्यापार व्यवसाय प्रारम्भ करने का सबसे प्राचीन एवं सरलतम प्रारूप है। व्यवसाय के इस प्रारूप के अन्तर्गत एक व्यक्ति अकेला व्यवसाय का स्वामी होता है तथा इसके प्रबन्ध एवं संचालन का कार्य करता है। व्यवसाय में होने वाले लाभों एवं हानियों के लिए अकेला पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है।

एकाकी स्वामित्व में इकाई की स्थापना करने के लिए या उपक्रम को प्रारम्भ करने के लिए भारत में स्वामित्व के प्रारूप सम्बन्धी कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है। अतः एकाकी व्यवसाय की स्थापना स्वतंत्र रूप से की जा सकती है।

साझेदारी

Partnership Firm

साझेदारी प्रारूप में व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यवसाय चलाने का एक अनुबन्ध होता है। यह अनुबन्ध मौखिक एवं लिखित

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

दोनों ही प्रकार का हो सकता है। भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए अनुबन्ध लिखित होना चाहिए। इस प्रकार के अनुबन्ध को साझेदारी संलेख **(Partnership deed)** के नाम से जाना जाता है।

साझेदारी फर्म का पंजीयन एच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। साझेदारी फर्म यदि चाहे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपना पंजीयन करा सकती है।

साझेदारी संलेख Partnership Deed

साझेदारी संलेख सोझेदारों के मध्य एक लिखित अनुबन्ध पत्र है जिसके द्वारा साझेदारी व्यवसाय तथा साझेदारों के बीच के सम्बन्धों का नियमन किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करने के साथ संलेख का निर्माण कर लिया जाता है। एक साझेदारी संलेख में समान्यतया निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है :–

(i) साझेदारी फर्म का नाम, पता, व्यवसाय करने का स्थान।

(ii) साझेदारों के नाम एवं पते।

(iii) साझेदारी व्यवसाय का प्रकार।

(iv) साझेदारी/फर्म की अवधि।

(v) साझेदारी को प्रारम्भ करने का दिनांक या तिथि।

(vi) साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी।

(vii) लाभों एवं हानियों का बंटवारा किस अनुपात में किया जायेगा।

(viii) पूंजी से आहरण के नियम, आहरण की सीमा एवं आहरण राशि पर देय ब्याजं

(ix) पूंजी पर ब्याज

(x) साझेदारी ऋणों पर ब्याज।

(xi) व्यवसाय के प्रबन्ध एवं संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाएँ एवं नियम।

(xii) साझेदारी में हिसाब किताब एवं लेखों की विधी।

(xiii) नये साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृति एवं साझेदार का निष्कासन।

(xiv) साझेदारों को देय पारिश्रमिक।

(xv) साझेदारी फर्म के समापन की स्थिति में हिसाब किताब एवं लेखों का निबटारा करनां

(xvi) साझेदारों की सेवानिवृति एवं निष्कासन पर हिसाब किताब का निपटारा।

साझेदारी फर्म की पंजीयन प्रक्रिया

(Procedure for Registration of Firm)

(xvii) साझेदारी फर्म का पंजीयन साझेदारी फर्मों के रजिरूट्रार के पास कराया जा सकता है। साझेदारी फर्म के पंजीयन की प्रक्रिया निम्ननुसार है :–

(xviii) फर्म का पंजीयन कराने के लिए एक निर्धारित आवेदन पत्र या फार्म भरकार रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करना होता है। एक फार्म में सामान्यतः निम्नलिखित विवरण देना पड़ता है :–

(xix) ।फर्म का नाम

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

B फर्म के व्यवसाय का स्थान

C अन्य स्थानों के नाम जहाँ फर्म व्यवसाय चलाती है।

D सभी साझेदारों के फर्म में सम्मिलित होने की तिथि।

E सभी साझेदारों के नाम एवं पते।

F फर्म की अवधि (Duration)

1. प्रार्थना पत्र/आवेदन पत्र पर साझेदारों अथवा उनके अधिकृत एजेन्टों के हस्ताक्षर कराने चाहिए। हस्ताक्षरों का सत्यापन भी होना चाहिए।
2. निर्धारित शुल्क जमा करना एवं आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद संलग्न करना आवश्यक है।
3. पंजीयक द्वारा प्रार्थना पत्र का निरिक्षण किया जाता है तथा यदि पंजीयक यह समझता है कि आवेदकों द्वारा सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया है तो पंजीयक द्वारा फर्म का पंजीयन कर लिया जाता है।
4. पंजीयन के पश्चात फर्म के पंजीयन का प्रमाण पत्र पंजीयक द्वारा जारी किया जाता है।

संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी (Joint Stock Company)

यदि व्यवसाय की स्थापना संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के रूप में की जा रही है तो उसका कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराना आवश्यक है। यदि कम्पनी की स्थापना सार्वजनिक कम्पनी के रूप में की जानी है तो कम से कम सात सदस्य होने चाहिए तथा एक निजी कम्पनी की दशा में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए। एक कम्पनी के पंजीयन के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने आवश्यक है :–

1. **पार्षद सीमा नियम** – प्रत्येक कम्पनी को पार्षद सीमा नियम की तीन प्रतियाँ कम्पनी रजिस्ट्रर के यहाँ जमा करानी होती है। सभी प्रतियाँ अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित और साक्षियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
2. **पार्षद अन्तर्नियम** – प्रत्येक कम्पनी द्वारा अपने अन्तर्नियमों की तीन प्रतियाँ कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करानी होती है। सभी प्रतियाँ अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित एवं साक्षियों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
3. प्रबन्ध संचालक, पूर्णकालिक संचालक एवं प्रबन्धकों की नियुक्ति के अनुबन्ध पत्रों की प्रति।
4. कम्पनी के समामेलन के लिए निर्धारित प्रारूप में एक वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के समामेलन से सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। वैधानिक घोषणा निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा की जा सकती है :–
   - **(i)** उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय के एडवोकेट
   - **(ii)** उच्च न्यायालय में उपस्थित होने वाले सक्षम एटॉर्नी या अधिवक्ता द्वारा।
   - **(iii)** भारत में कार्यरत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या कम्पनी सचिव द्वारा जो कम्पनी के निर्माण से सम्बन्धित हो।
   - **(iv)** कम्पनी के सचिव, संचालक अथवा प्रबन्धक द्वारा जिसका नाम कम्पनी के अन्तर्नियमों में दिया गया हो।
5. कम्पनी के संचालकों की सूचि दो प्रतियों में रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कम्पनी के प्रथम संचालक बनने को तैयार हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. उपरोक्त सूचि में दर्शाये गये संचालकों की लिखित सहमति कि वे कम्पनी के प्रथम संचालक बनने के लिए तैयार है, रजिस्ट्रार के पास भेजना आवश्यक है।

7. यदि किसी सार्वजनिक कम्पनी के संचालकों द्वारा योग्यता अंश लेने आवश्यक है तो संचालकों द्वारा की गई इस आशय की प्रतिज्ञा कि योग्यता अंश उनके द्वारा ले लिये गये हैं अथवा ले लिये जायेंगें।

8. कम्पनी के रजिस्ट्रर्ड कार्यालय की सूचना देनी चाहिए किन्तु यदि किसी कारण वश यह सूचना समामेलन के समय नहीं दी गई हो तो कम्पनी के समामेलन/पंजीयन की तिथि या कम्पनी के व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि, जो भी पहले हो, के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेज दी जानी चाहिए।

9. नाम की उपलब्धता के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार से प्राप्त पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी।

10. यदि किसी अभिदाता ने अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया है तो इस हेतु तैयार किया गया 'मुखत्यारनामा' **(Power of Attorney)** भी समामेलन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. समामेलन के लिए निर्धारित शुल्क की रसीद भी संलग्न करना आवश्यक है।

समामेलन (Incorporation)

उपरोक्त वर्णित सभी प्रलेख जब कम्पनी रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिये जाते हैं तो कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा इन प्रपत्रों की जांच की जाती है। जांच के पश्चात जब रजिस्ट्रार इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि सभी वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति हो गई है जो रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक है तो वह कम्पनी का समामेलन कर देता है तथा कम्पनी को एक प्रमाण पत्र देता है जिसे समामेलन का प्रमाण पत्र कहते है। कम्पनी के समामेलन का प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि कम्पनी ने समामेलन से सम्बन्धित समस्त वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली है तथा कम्पनी समामेलन के योग्य है और कम्पनी का पंजीयन या समामेलन हो चुका है।

व्यवसाय प्रारम्भ करना (Commencement of Business)

एक निजी कम्पनी समामेलन का प्रमाण–पत्र प्राप्त करते ही व्यवसाय प्रारम्भ कर सकती है किन्तु एक सार्वजनिक कम्पनी तब तक व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकती है जब तक उसे व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाय। व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ती है।

1. न्यूनतम अभिदान राशि नकद में प्राप्त करना तथा उस राशि के बाराबर अंशों का आबन्टन करना।

2. संचालकों द्वारा लिये गये अंशों पर आवेदन तथा आबन्टन की राशि प्राप्त करना।

3. मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनियम केन्द्र से अंशों का लेनदेन करने के लिए अनुमति प्राप्त करना।

4. कम्पनी के किसी संचालक या सचिव द्वारा इस बात की वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है कि उपयुक्त वर्णित सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है।

यदि किसी कम्पनी ने अंशो के अभिदान हेतु प्रविवरण पत्र का निर्गमन नहीं किया है तो व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर प्राप्त होगा।

1. अंशों के आबन्टन से तीन दिन पूर्व कम्पनी रजिस्ट्रार के पास स्थानापन्न प्रविवरण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. संचालकों द्वारा लिये गये अंशों पर आवेदन तथा आबन्टन की राशि प्राप्त करना।

3. कम्पनी के किसी संचालक या सचिव द्वारा इस बात की प्रमाणित घोषणा की जानी चाहिए कि उपर्युक्त वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है।

जब उपर्युक्त वर्णित सभी बातों को पूरा कर लिया जाता है तो रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी को व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जो इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि कम्पनी व्यापार प्रारम्भ करने का वैधानिक अधिकार रखती है।

सहकारी स्वामित्व (Cooperative Owenership)

सहकारी स्वामित्व के अन्तर्गत स्थापित सहकारी संस्थान इसके संदस्यों द्वारा अपने पारस्परिक हितो की अभिवृद्धि हेतु चलाये जाते हैं। सहकारी संस्थान को प्रारम्भ करने के लिए कम से कम दस सदस्यों का होना आवश्यक है। सहकारी स्वामित्व के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले उपक्रमों का पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। सहकारी उपक्रमों का पंजीयन सम्बन्धित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहाँ किया जाता है इसके लिए सहकारी उपक्रम के संचालन के लिए बनाये गये नियमों की प्रति के साथ आवेदन किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के पश्चात सहकारी उपक्रम अपना अलग एवं स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा ये उपक्रम सम्पतियाँ खरीद सकते हैं, अनुबन्ध कर सकते है, अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अन्य पक्षकारों द्वारा इन पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

संयुक्त हिन्दु परिवार (Hinduundivided Family)

भारत में संयुक्त परिवार प्रथा के अन्तर्गत उपक्रमों का का संचालन किया जाता है। इस प्रकार के उपक्रम परिवार के मुखिया द्वारा संचालित किये जाते हैं। उपक्रम की सम्पूर्ण आमदनी एवं खर्च पर परिवार के मुखिया का नियन्त्रण होता है। परिवार का मुखिया सभी प्रकार के लाभों एवं आमदनीयों का संरक्षक होता है। परिवार के सभी सदस्यों को परिवार के मुखिया का निर्णय मान्य होता है।

नवीन औधोगिक इकाई की स्थापना में अन्य कई अधिनियमों एवं कानूनी प्रावधानों का भी प्रभाव होता है, इनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है :–

1. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम (Shops and Commercial Estabilishment Act.)

प्रत्येक राज्य में दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम प्रभावी होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नई दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। पंजीयन की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ही होती है।

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (The Factories Act. 1948)

कारखाना एक ऐसा स्थान है जहाँ शक्ति के साधनों का उपयोग करने की दशा में 10 या अधिक व्यक्ति तथा शक्ति के साधनों का प्रयेाग नहीं करने की स्थिति में 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं। कारखानों के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधान लागू होते हैं। कारखाना अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में कारखानों के अनुमोदन, अनुज्ञापन एवं पंजीयन हेतु नियम बना सकती है।

3. उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम (Industries (Devlopment and Regulation) Act.

इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ दशाओं में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। सरकार की नवीन नीति के अनुसार निजी क्षैत्र के औद्योगिक उपक्रमों को केवल छः प्रकार के उद्योगों के लिए ही लाईसेंस हेतु आवेदन करना पड़ता है :–

i मादक पेय पदार्थों का निर्माण।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ii तम्बाकू की सिगार तथा सिगरेट एवं तम्बाकू के स्थानापन्न उत्पादों का निर्माण।

iii सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक, अन्तरिक्षयान एवं रक्षा उपकरण।

iv औद्योगिक विस्फोटक

v खरतनाक रसायन

vi ड्रग एवं फारमास्यूटिकल्स जो 1994 की संशोधित ड्रग पालिसी के अनुसार है।

4. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 Water (Prevention and Control) Pollution Act. 1974

जब किसी नवीन औद्योगिक इकाई के परिचालन या निर्माण प्रक्रिया के दौरान मल निस्तारण **(Discharge of sevage)** की संभावना हो तो उस औद्योगिक इकाई को अपना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

5. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 Air (Prevention and Control Pollution) Act. 1981

जब किसी नवीन औद्योगिक इकाई के संयंत्र के उपयोग से वायु प्रदूषण होने की संभावना हो तो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी।

(i) वाणिज्यिक कर अधिनियम
(ii) आयकर अधिनियम
(iii) ट्रेड मार्क्स अधिनियम
(iv) पेटेन्ट एवं कॉपीरॉइट अधिनियम
(v) न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम
(vi) बाट एवं माप अधिनियम
(vii) फूड एवं ड्रग्स कन्ट्रोल अधिनियम
(viii) फुट प्रिजरवेशन एण्ड कन्ट्रोल अधिनियम

अभ्यास के लिए प्रश्न :

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. व्यवसायिक स्वामित्व के प्रारूपों के नाम लिखो ?
2. साझेदारी संलेख से आप क्या समझते है ?
3. साझेदारी फर्म की पंजीयन प्रक्रिया लिखें ?
4. संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के पंजीयन के लिये रजिस्ट्रार के पास कौन–कौन से प्रलेख प्रस्तुत करने आवश्यक है ?
5. संयुक्त हिन्दु परिवार से आप क्या समझते है ?
6. समामेलन का अर्थ लिखें ?
7. सहकारी स्वामित्व का अर्थ लिखें ?

निम्बन्धात्मक प्रश्न :

1. किसी नई इकाई की स्थापना के समय की प्रमुख वैधानिक आवश्यकताओं की विवेचना कीजिये।
2. किसी नई इकाई को व्यावसायिक स्वामित्व के कम्पनी प्रारूप में स्थापित करने हेतु वैधानिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वित्तीय श्रोत

Sources of Finance

परिचय Introduction

वित्त प्रत्येक व्यवसाय का जीवन रक्त है। वित्त के अभाव में व्यवसाय का संचालन कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव है। एक व्यवसायिक संस्था की स्थापना से लेकर उसके अन्त होने तक वित्त अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रगट करता है। व्यवसायिक संस्था की प्रत्येक क्रिया जैसे व्यवसाय की स्थापना, भूमि, भवन, यंत्र, सामग्री, श्रम, व्यवसाय के विकास एवं विस्तार आदि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। सम्पूर्ण व्यवसाय की सफलता एवं असफलता वित्त व्यवस्था पर ही निर्भर होती है।

वित्त का अर्थ एवं परिभाषाएँ :–

Meaning and Definitions of Finance

वित्त की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित है :–

1. **प्रो. एस.सी. कुच्छल** – "वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है।
2. **प्रो. एफ. डब्लू पैश**– "मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक अर्थ व्यवस्था में वित्त से आशय मुद्रा की उस समय उपलब्धि से हैं जब उसकी आवश्यकता हो।"

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि वित्त से तात्पर्य उस नगद धन राशि से हैं जो संस्था के उदेश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

वित्त की आवश्यकता एवं महत्व

Need and Importance of Finance

वित्त व्यवसाय की जीवन रेखा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है कि "पूंजी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ व्यवस्था चक्कर लगाती है।" वित्त के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझाा जा सकता है–

1. **व्यवसाय का आधार** –वित्त व्यवसाय का आधार है क्योंकि बिना वित्त व्यवस्था के न तो व्यवसाय की स्थापना संभव है ओर न व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वित्त व्यवसाय का आधार हैं।
2. **संगठन की स्थापना के लिए**– संगठन की स्थापना के लिए श्रम, सामग्री, यंत्र एवं मशीन आदि की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कार्यालय की स्थापना एवं उसमें आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है।
3. **व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए** – व्यवसाय का प्रारम्भ करने के लिए स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता भूमि, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि कार्यों के लिए होती है जबकि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कच्चा माल खरीदने, दिन–प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने आदि कार्यों के लिए होती है। अतः स्थायी एवं कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए** – व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए वित्त की आवश्यकता निर्विवाद है। व्यवसाय के विकास एवं विस्तार की स्थिति में संस्था का खर्च बहुत बढ़ जाता है जिसके लिए वित्त की आवश्यकता होती है।

5. **शौध कार्यों के लिए** – बदलते हुए युग में उपभोक्ता की आवश्यकता एवं पसन्द परिवर्तन का विषय बन गई है। उत्पाद एवं बाजार अनुसंधान का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इन कार्यों के लिए पृथक से वित्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

6. **विपणन खर्चों के लिए** – विपणन कार्य में विज्ञापन, विक्रय संवर्द्धन, प्रचार व प्रसार, मध्यस्थों की नियुक्ति, माल का परिवहन एवं भण्डारण आदि अनेक कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। इस सब कार्यों को सम्पादित करने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है।

7. **श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा** – नियोक्ता एवं श्रमिको के मध्य अच्छे सम्बंधों के लिए श्रमिकों के हितो की रक्षा करना आवश्यक है। अतः इन्हें आवास, उपचार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वाचनालय आदि की सुविधाएँ प्रदान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पेंशन, ग्रेच्युइटी बीमा आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिएं। वित्त के अभाव में इन सुविधाओं का प्रदान करना संभव नही है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता कि एक संस्था के लिए वित्त कितना आवश्यक है।

प्रो. व्हीलर ने कहा है कि ''वित्त वह चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। यह विपणन क्रय तथा सेविवर्गीय क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है।"

पूंजी का वर्गीकरण Classification of Capital

पूंजी का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर किया जा सकता हैः–

A. निवेश के आधार पर

I स्थायी पूंजी

II कार्यशील पूंजी

B. अवधि के आधार पर

I दीर्घकालीन पूंजी

II मध्यम कालीन पूंजी

III अल्पकालीन पूंजी

सर्वप्रथम हम निवेश के आधार पर किये गये पूंजी के वर्गीकरण का अध्ययन करेगें।

I.स्थायी पूंजी (Fixed Capital)

स्थायी पूंजी को अकार्यशील पूंजी एवं अचल पूंजी भी कहते हैं। स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय में स्थायी प्रकृति की सम्पतियों के क्रय के लिए होती है। जैसे– भूमि, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि के क्रय हेतु स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि धन का इन सम्पतियों में एक बार विनियोग होने के बाद उसे पुनः आसानी से निकाला जाना संभव नही है।

II. कार्यशील पूंजी (Working Capital)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यवसाय में दिन–प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने, व्यवसाय का प्रबन्ध एवं संचालन करने आदि के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती हे। इस प्रकार की पूंजी को अल्पकालीन पूंजी एवं तरल पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी निम्न तीन प्रकार की होती है :–

1. **नियमित कार्यशील पूंजी**– वह पूंजी जिसका उपयोग संस्था में हमेशा एवं नियमित रूप से किया जाता है, नियमित कार्यशील पूंजी कहलाती है। इस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता कच्चे माल को खरीदने, वेतन एवं मजदूरी का भुगतान करने, कार्यालय के नियमित खर्चों का भुगतान करने के लिए होती है।
2. **मौसमी कार्यशील पूंजी** – इस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता वर्ष भर नहीं होती है अतः इसे मौसमी कार्यशील पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी मिलों, कपड़ा मिलों एवं आटा मिलों को मौसमी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।
3. **विशिष्ट कार्यशील पूंजी** – जब किसी विशेष कारण वश कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसे विशिष्ट कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए हड़ताल एवं तालाबन्दी के दौरान श्रमिकों के साथ समझौता करने एवं खर्चों को चुकाने के लिए विशिष्ट कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है।

अब हम अवधि के आधार पर किये गये पूंजी के वर्गीकरण का अध्ययन करेगें।

I दीर्घकालीन पूंजी (Long Term Capital)

दीर्घकालीन पूंजी व्यवसाय में स्थायी सम्पतियों में विनियोजित की जाती है। इस प्रकार की पूंजी संस्था में संस्था के जीवन काल तक बनी रहती है। यह स्थायी प्रकृति की पूंजी होती है जो भूमि, भवन, यंत्र एवं मशीनरी आदि में विनियोजित की जाती है। दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था प्रायः अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा की जाती है।

II मध्यकालीन पूंजी (Medium Term Capital)

मध्यकालीन पूंजी वह पूंजी होती है जिसका उपयोग व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए किया जाता है। मध्यकालीन पूंजी की व्यवस्था व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण लेकर, अर्जित आय का पुनः विनियोग, ह्रास कोष, ग्राहकों से अग्रिम, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण आदि के द्वारा की जाती है। मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकता एक नवीन उद्यम के बजाय दस–पन्द्रह वर्ष पुराने उद्यम को अधिक होती है।

III अल्पकालीन पूंजी (Short-Term Capital)

अल्पकालीन पूंजी वह पूंजी है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय के दिन–प्रतिदिन के खर्चो का भुगतान करने एवं व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन के लिए होती है। कच्चामाल क्रय करने, श्रमिकों को भुगतान करने के लिए, वेतन, बिजली, पानी, किराया आदि खर्चो का भुगतान करने के लिए अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है।

सामान्यतः दस वर्षो से अधिक समय तक विनियोजित की जाने वाली पूंजी को दीर्घकालीन पूंजी, दो से पांच वर्ष की अवधी तक विनियोजित रहने वाली पूंजी को मध्यकालीन पूंजी तथा एक वर्ष की अवधि तक विनियोजित रहने वाली पूंजी को अल्पकालीन पूंजी के नाम से जाना जाता है।

वित्त के श्रोत अथवा साधन (Sources of Finance)

वित्त के श्रोत अथवा साधनों को हमने दो भागों में विभक्त किया हैः–

1. स्थायी या दीर्घकालीन वित्तीय श्रोत
2. अल्पकालीन वित्तीय श्रोत

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

स्थायी या दीर्घकालीन वित्तीय श्रोत निम्नानुसार हैः–

I. साधारण अंश

II. पूर्वाधिकार अंश

III. ऋणपत्र

IV. अर्जित आय का पुनः विनियोग

V. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ

VI. लीज या पट्टे पर वित्त

VII. अन्य वित्तीय श्रोत

अब हम प्रत्येक श्रोत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगें ।

I. साधारण अंश Equity Shares

अंश का शाब्दिक अर्थ है '' हिस्सा या भाग''। एक कम्पनी पूंजी का एक छोटा भाग या हिस्सा अंश कहलाता है। अंश दो प्रकार के होते है साधारण अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। साधारण अंशों से आशय कम्पनी के उन अंशों से है जिनके धारकों को पूर्वाधिकार अंशधारियों की तरह कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है। साधारण अंशधारकों को लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के बाद किया जाता है। इसी प्रकार कम्पनी के समापन के समय पूंजी का पुर्न भुगतान प्राप्त करने का कोई पूर्वाधिकार नही होता है। साधारण अंशधारी ही कम्पनी के संचालन की सामान्य जोखिम को वहन करते है।

साधारण अंशधारी कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त कर सकता है, कम्पनी की सभाओं में भाग ले सकता है एवं मतदान का अधिकार रखता है।

साधारण अंशो के लाभ Advantages of Equity Shares

A. कम्पनी को लाभ– साधारण अंशो का निर्गमन कर पूंजी प्राप्त करने के कम्पनी को निम्नलिखित लाभ होते हैः–

1. पूंजी सरलता से प्राप्त हो जाती है।
2. पूंजी को वापस नहीं करना पड़ता है।
3. किसी सम्पत्ति को गिरवी या बंधक नहीं रखना पड़ता है।
4. ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
5. लाभांश का दायित्व सिर्फ लाभ होने पर ही होता है।
6. पूंजी प्राप्त करने का सबसे सस्ता साधन है।
7. लाभांश की घोषणा न करके कम्पनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है।

B. निवेशकों को लाभ – साधारण या समता अंशो से निवेशकों को निम्नलिखित लाभ हैः–

1. इन अंशो में आसानी से निवेश किया जा सकता है।
2. इन अंशो को आसानी से बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है।
3. बोनस अंशो के निर्गमन से पूंजी में वृद्धि का लाभ मिल जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. कम्पनी की सभाओं में उपस्थित होने व मतदान का अधिकार होता है।
5. समता अंशो के निवेशक कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते है।

साधारण अंशो की हानियाँ Disadvantages of Equity Shares

साधारण अंशो से निम्नलिखित हानियाँ है :

A. कम्पनी को हानियॉ – एक कम्पनी को साधारण अंशो के निगर्मन से निम्नलिखित हानियॉ है–

1. साधारण अंशो पर लाभांश की दर अन्य अंशो की अपेक्षा अधिक रखनी पड़ती है।
2. अंशो में सट्टेबाजी का डर बना रहता है।
3. अंशो के बाजार मूल्य में घट–बढ़ होती रहती है।
4. अंशधारियों के बदल जाने से कम्पनी की नीतियों में भी परिवर्तन हो जाता है।

B. निवेशकों को हानियाँ – निवेशकों को साधारण अंशो से निम्नलिखित हानियॉ है:–

1. पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद ही लाभ मिल पाता है।
2. लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है।
3. मन्दी के समय अंशो का मूल्य कम हो जाता है।
4. सट्टे के कारण भी निवेशकों को हानि उठानी पड़ती है।

II पूर्वाधिकार अंश Preference shares

पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर अंशधारियों को एक निश्चित दर पर लांभाश पाने का अधिकार होता है तथा समापन के समय पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 85(1) के अनुसार''पूर्वाधिकार अंशो से आशय उन अंशों से है जिन पर (**i**) लाभांश प्राप्त करने तथा (**ii**) समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान के सम्बंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते है।

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार Types of Preference Shares

A. संचयी पूर्वाधिकार अंश – संचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर लांभाश संचित होता रहता है। कम्पनी में लाभ न होने की स्थिति में जब संचयी अंशो पर लांभाश की घोषणा संभव नही होती है, तो लाभ होने की स्थिति में सर्वप्रथम इन अंशधारियों को संचित लांभाश का भुगतान किया जाता है।

B. अंसचयी पूर्वाधिकार अंश – असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर लांभाश संचित नहीं होता है। हानि होने या लाभ न होने की स्थिति में इनं अंशधारियों को कोई लांभाश का भुगतान नहीं किया जाता है।

C. सहभागी पूर्वाधिकार अंश – सहभागी पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशो की भांति लांभाश देय होता है तथा साधारण अंशधारियों को लांभाश का भुगतान करने के बाद भी यदि लांभाश की राशि शेष बचती है तो इस राशि में से इन अंशधारियों को अतिरिक्त लांभाश प्राप्त करने का अधिकार होता है।

D. असहभागी पूर्वाधिकार अंश – इस प्रकार के अंशधारकों को केवल एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। शेष बचे अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है।

E. परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश – परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिनका एक निश्चित अवधि के बाद साधारण अंशो में परिवर्तन कराया जा सकता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

F. अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश – अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिनका एक निश्चित अवधि के बाद साधारण अंशो के परिवर्तन नहीं होता है।

G. शोध्य पूर्वाधिकार अंश – शोध्य पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर लगी पूंजी को एक निश्चित अवधि के बाद अंशधारी को वापिस प्राप्त करने का अधिकार होता है।

H अशोध्य पूर्वाधिकार अंश – अशोध्य पूर्वाधिकार अंश वे अंश है जिन पर लगी पूंजी को कम्पनी के जीवनकाल में वापस प्राप्त नही किया जा सकता है। न्यायालय के आदेश या कम्पनी के समापन पर इन अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाई जाती है।

पूर्वाधिकार अंशों के लाभ Advantages of Preference Shares

पूर्वाधिकार अंशों के लाभ निम्नानुसार है :

A. कम्पनी को लाभ

1. पूर्वाधिकार अंशधारी कम्पनी के प्रबंध संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
2. वित्त प्राप्त करने में आसानी रहती है।
3. कम्पनी के पास धन की अधिकता होने पर इन्हें पूंजी का भुगतान किया जा सकता है।
4. अति पूंजीकरण का भय नहीं रहता है।

B. निवेशकों को लाभ

1. पूंजी के पुनर्भुगतान पर पूर्वाधिकार प्राप्त होता है।
2. एक निश्चित आमदनी होती रहती है।
3. मंदीकाल में सुरक्षा रहती है।
4. निश्चित अवधि के बाद पूंजी वापस प्राप्त की जा सकती है।
5. परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों के बदले साधारण अंश प्राप्त किये जा सकते है।

पूर्वाधिकार अंशो की हानियाँ Disadvantages of preference Shares

A. कम्पनी को हानियाँ

1. कम्पनी पर एक निश्चित लांभाश का भार हो जाता है।
2. जब लाभ कम होता है तो कम्पनी साधारण अंशों पर लांभाश की घोषणा नहीं कर सकती है।
3. बार–बार निर्गमन करने के कारण अनावश्यक रूप से धन का व्यय होता है।

B. निवेशकों को हानियाँ

1. केवल सीमित मताधिकार प्राप्त होता है।
2. शोध्य पूर्वाधिकार अंशधारियों को कम्पनी जब चाहे मूल्य चुका कर कम्पनी से अलग कर सकती है।
3. निवेशकों में लोकप्रियता का अभाव है।

साधारण तथा पूर्वाधिकार अंशो में अंतर

साधारण एवं पूर्वाधिकार अंशो में अन्तर निम्नलिखित है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. कम्पनी में लाभ होने पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश पहले मिलता है तथा इसके बाद साधारण अंशधारियों को देय होता है।
2. साधारण अंशधारियों को लाभांश निश्चित दर पर प्राप्त नहीं होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित दर पर लाभांश का भुगतान किया जाता है।
3. साधारण अंशो पर अधिक जोखिम रहती है जबकि पूर्वाधिकार अंशो में कम जोखिम रहती है।
4. साधारण अंश एक ही प्रकार के होते है जबकि पूर्वाधिकार अंश अनेक प्रकार के होते हैं।
5. साधारण अंशो पर पूर्ण मताधिकार रहता है जबकि पूर्वाधिकार अंशो पर सीमित मताधिकार होता है।
6. प्रत्येक संयुक्त पूंजीवाली कम्पनी में साधारण अंश होने आवश्यक है जबकि पूर्वाधिकार अंश होने आवश्यक नही है।
7. पूर्वाधिकार अंशो का शोधन एक निश्चित अवधि के बाद होता है जबकि साधारण अंशो का शोधन कम्पनी के समापन पर होता है।
8. कम्पनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार है जबकि साधारण अंशधारियों को ऐसा पूर्वाधिकार नहीं है।
9. पूर्वाधिकार अंशो पर लाभांश की निश्चितता रहती है जबकि साधारण अंशो पर लाभांश मिलना निश्चित नहीं होता है।
10. पूर्वाधिकार अंशों का साधारण अंशो में परिवर्तन हो सकता है जबकि साधारण अंशो का पूर्वाधिकार अंशो में परिवर्तन संभव नही है।

III ऋणपत्र (Debenture)

ऋणपत्र एक ऐसा प्रलेख है जो कम्पनी द्वारा लिये गये ऋण को प्रमाणित करता है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को प्रगट करता है। ऋणपत्रों का निर्गमन भी अंशो की तरह ही किया जाता है। किन्तु ऋण पत्रधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। इन पर एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है।

ऋणपत्रों के प्रकार **Types of Debeutures**

1. **रजिस्टर्ड ऋणपत्र** – जिन ऋणपत्र धारकों का नाम कम्पनी के ऋणपत्रों के रजिस्टर में लिखा होता है तथा रजिस्टर्ड धारक को ही ब्याज पाने का अधिकार होता है। इस प्रकार के ऋणपत्र रजिस्टर्ड ऋणपत्र कहलाते है।
2. **वाहक ऋणपत्र** – इस प्रकार के ऋणपत्र धारकों का नाम कम्पनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है। सिर्फ वाहक को ही ब्याज पाने का अधिकार होता है। वाहक ऋणपत्रों का हस्तान्तरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है।
3. **सुरक्षित ऋणपत्र** – सुरक्षित ऋणपत्रों से आशय उन ऋणपत्रों से है जिनके धारकों के पास कम्पनी की कोई सम्पत्ति बंधक रखी जाती है। यदि कम्पनी समय पर ऋणों का भुगतान नही करती है तो बंधक रखी सम्पत्ति धारक द्वारा बेची जा सकती है।
4. **असुरक्षित ऋणपत्र** – इन ऋणपत्रों के एवज में कम्पनी की कोई सम्पत्ति बंधक नहीं रखी जाती है। इस प्रकार इन पर मूलधन एवं ब्याज दोनो सुरक्षित नहीं होता है।
5. **शोधनीय ऋणपत्र** – वे ऋणपत्र जो एक निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किये जाते है। निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद इनका भुगतान कर दिया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. **अशोधनीय ऋण** – इन ऋणपत्रों का भुगतान सामान्यतया कम्पनी के समापन पर ही किया जाता है। कम्पनी के जीवनकाल में इनका भुगतान नहीं किया जाता है।

7. **परिवर्तनशील ऋणपत्र** – परिवर्तनशील ऋणपत्र वे ऋणपत्र है जिनका एक निश्चित अवधि के बाद साधारण अंशो में परिवर्तन कर दिया जाता है।

8. **अपरिवर्तनशील ऋणपत्र** – अपरिवर्तनशील ऋणपत्रों से आशय उन ऋणपत्रों से है जिनका साधारण अंशो में कभी परिवर्तन नहीं होता है।

ऋणपत्रों के लाभ Advantages of Debentures

A. कम्पनी को लाभ –

I. वित्त प्राप्त करने का एक सरल साधन है।

II. वित्त प्राप्त करने का एक मितव्ययी साधन है।

III. ऋणपत्र धारी कम्पनी के प्रबंध एवं संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।

IV. ऋणपत्र निर्गमन कम्पनी के लाभांशो पर कोई प्रभाव नहीं डालतें है।

B. ऋणपत्र धारियों को लाभ –

I. आय में निश्चितता एवं निरन्तरता बनी रहती है।

II. पूंजी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है।

III. पूंजी में तरलता बनी रहती है। ऋणपत्रों को बाजार में बेचकर आवश्यकता के समय धन प्राप्त किया जा सकता है।

ऋणपत्रों की हानियाँ (Disadvantages of Debentures)

A. कम्पनी को हानियाँ –

I. कम्पनी पर ब्याज एक स्थायी भार हो जाता है।

II. कम्पनी की सम्पत्ति को गिरवी रखना पड़ सकता है।

III. ऋण प्राप्त करना पूंजी की अपेक्षा मंहगा साधन है।

IV. कम्पनी की सम्पत्ति को बंधक रखने के कारण ऋण प्राप्ति की क्षमता सीमित हो जाती है।

B. ऋणपत्र धारकों को हानियाँ

I. ऋणपत्र धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता है।

II. कम्पनी में लाभ अधिक होने पर भी ऋणपत्र धारियों को कोई लाभ नहीं होता है।

IV. अर्जित आय का पुनः निवेश Ploughing-back of Profit

व्यवसाय में लाभ होने पर उसका एक भाग संचित कोषो में डाल दिया जाता है। संचित कोषो में संचित लाभों को पूंजी के रूप में उपयोग कर लिया जाता हैं। इसी को अर्जित आय का पुनः निवेश कहते है। इस प्रकार पूंजी प्राप्त करने का एक आन्तरिक साधन है संस्था की लाभांश वितरण की नीति भी अर्जित आय के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पुनः निवेश को प्रभावित करती है। यदि अर्जित लाभों का वितरण कर दिया जाता है तो उसका निवेश संभव नहीं हो पाता है।

लाभ–

1. संस्था की स्थिति सुदृढ़ बनी रहती है।
2. धन उधार लेने की आवश्यकता नहीं रहती है।
3. जब लाभ कम होते है तो संचित कोषों से लाभांश दिया जा सकता है।
4. कम्पनी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।
5. विस्तार एवं आधुनिकीरण करना आसान हो जाता है।
6. संस्था के प्रबंध में बाहय पक्षकारों का हस्तक्षेप नहीं रहता है।
7. संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है।

दोष–

1. संचालक संस्था के संचित कोषो का दुरूपयोग कर सकते है।
2. अंशधारियों को प्रयाप्त लाभांश नहीं मिल पाता है।
3. अतिपूंजीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
4. अंशो में सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है।

V. विशिष्ट वित्तीय संस्थायें Special financial Institutions

भारत में ओद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए अनेक विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थायें इस प्रकार हैः–

I. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

II. राज्यवित्त निगम

III. औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

IV. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

V. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

VI. भारतीय लघुउद्योग विकास बैंक

VII. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक

VIII. एक्जिम बैंक

IX. आई. एफ. सी. आई. वैन्चर केपिटल फण्ड

X. आई. सी. आई. वैन्चर केपिटल फण्ड

XI. भारतीय जीवन बीमा निगम

XII. भारतीय पर्यटन वित्त निगम

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

XIII. भारतीय साधारण बीमा निगम

XIV. राष्ट्रीय आवास बैंक

XV. भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

XVI. भारतीय यूनिट ट्रस्ट

XVII. भारतीय निर्यात साख एवं गारंटी निगम

XVIII. निक्षेप बीमा एवं साख गारंटी निगम

XIX. संरचना विकास वित्त निगम

XX. चारों साधारण बीमा कम्पनीयॉ

VI. लीज / पट्टे पर वित्त (Lease Finance)

इस विधी में वित्त नकद रूप में प्राप्त नहीं होता है बल्कि मशीन, उपकरण, या अन्य किसी सम्पति के रूप में प्राप्त होता है। इस विधी में सम्पति पर स्वामित्व लीजिंग कम्पनी का होता है जबकि सम्पति प्राप्त करने वाली कम्पनी उस सम्पति के उपयोग का अधिकार रखती है। सम्पति प्राप्त करने वाली कम्पनी को सम्पति का किराया चुकाना पड़ता है। लीज का अनुबंध एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसका नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।

लाभ–

1. संस्था की पूंजी को अन्य उत्पादक कार्यो में लगाया जा सकता है।
2. किराया एक खर्च माना जाता है। अतः करों में बचत होती है।
3. पट्टे पर वित्त प्रदान करने वाली कम्पनी का प्रबंध संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
4. पट्टे की किराया राशि एक समान बनी रहती है। इस प्रकार यह मुद्रा स्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है।
5. सम्पति के अप्रचलित होने या तकनीक में परिवर्तन की जोखिम नहीं रहती है।
6. संस्था की उधार लेने की क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
7. आय होने पर भुगतान करना पड़ता है अर्थात पहले आय हो जाती है किराया बाद में अदा करना पड़ता है।
8. वित्त प्राप्त करने की सरल विधी है।

दोष–

1. किराये का भुगतान करना पड़ता है जो सामन्यतया काफी ऊंचा होता है।
2. संस्था की पूंजी अप्रयुक्त रह जाती है।
3. मशीने यदि निश्चित अवधि से पहले अप्रचलित हो जाती है तो कम्पनी को भारी हानि उठानी पड़ती है।
4. मरम्मत एवं रखरखाव के लिए लीजिंग कम्पनी पर निर्भर रहना पड़ता है।

अन्य साधन

I. सार्वजनिक निक्षेप (Public Deposits)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सार्वजनिक निक्षेप वित्त प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार कम्पनीयॉ अपने शुद्ध कोषों के 35 प्रतिशत के बराबर तक जनता से जमाऍ आमन्त्रित कर सकती है। ये जमाऍ 6 माह की अवधि से लेकर 36 माह की अवधि तक की हो सकती है।

लाभ–

1. इससे संस्था पर कोई प्रभार **(Charge)** उत्पन्न नहीं होता है।
2. पूंजी प्राप्त करने का सरल व सस्ता साधन है।
3. ब्याज की दर व्यापारिक बैंकों से कम रहती है।
4. कम्पनी की पूंजी संरचना मे लोच बना रहता है।
5. 36 माह तक की अवधि का ऋण प्राप्त हो सकता है।

दोष–

1. नई संस्थाऍ इस साधन से वित्त प्राप्त नहीं कर सकती है।
2. लम्बी अवधि के कारण विनियोजकों को तरलता का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।
3. इस साधन पर अत्यधिक निर्भरता होने से दूसरे साधनों जैसे ऋणपत्र, अंश आदि के विकास में रूकावट आती है।
4. निक्षेपों से प्राप्त धन से कम्पनीयॉ धन कमाने के लिए सट्टा बाजार का सहारा लेती है जो अनुचित है।
5. विनियोजकों कोई सुरक्षा उपलब्ध नही है।

II. व्यापारिक ऋण या साख (Trade Credit)

व्यापारिक ऋण कोई नकद में प्राप्त होने वाला ऋण नहीं है बल्कि माल क्रय करने वाली संस्था द्वारा माल के मूल्य का भुगतान कुछ दिनों बाद किया जाता है। यह अवधि सामान्यतया 15 दिन से लेकर 6 माह तक हो सकती है। इस प्रकार एक क्रेता को कुछ दिनों के लिए मूल्य के भुगतान से छूट मिल जाती है। इसे ही व्यापारिक ऋण या साख का नाम दिया गया है।

व्यापारिक ऋण के प्रकार

1. चालू उधार खाते की सुविधा स्थायी ग्राहकों को दी जाती है। इन्हे उधार बेचे गये माल के मूल्य का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद करना होता है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। व्यापारी निरन्तर माल क्रय करता रहता है और एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान का क्रम चलता रहता है। उधार पर खरीदे माल का मूल्य बाद में चुकाना होता है अतः इससे अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूरी हो जाती है।
2. कई बार विक्रेता माल के मूल्य के लिए विनिमय विपत्र लिख देता है जिसे क्रेता स्वीकार कर लेता है एवं देय तिथी पर क्रेता द्वारा इसका भुगतान कर दिया जाता है।
3. कुछ खर्चे जिनका बाद में भुगतान करना होता है। उदाहरण के लिए बिजली, पानी के बिलों की राशि, टेलीफोन बिल, भवन का किराया आदि। ये अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता पूरी करते हैं।

III. व्यापारिक बैंक

व्यापारिक बैंक भी अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह ऋण व्यवसायकि संस्थाओं को स्टाक या अचल सम्पतियों पर दिया जाता है। व्यापारिक बैंको द्वारा निम्न प्रकार की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती हैं :–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

I. साधारण ऋण देकर
II. अधिविकर्ष (Oevrdraft) की सुविधा प्रदान करकें
III. अंशो एवं ऋणपत्रों की खरीद करकें
IV. गारंटी देकर
V. स्थायी सम्पतियों की जमानत पर ऋण
VI. अल्पावधि ऋणों का नवीनीकरण करके
VII. कम्पनी की प्रतिभूतियों का अभिगोपन करके
VIII. कम्पनी की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण

व्यापारिक बैंकों से पूँजी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ :–

एक व्यवसायी/उद्यमी को व्यापारिक बैंकों से पूँजी प्राप्त करने में निम्नलिखित कठिनाईयाँ है :–

1. व्यापारिक बैंक नये उद्यमीयों को ऋण देना कम पसन्द करते हैं।
2. व्यापारिक बैंकों द्वारा पूरी करवाई जाने वाली औपचारिकताओं की संख्या काफी अधिक होती है।
3. व्यापारिक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर काफी ऊंची होती है।
4. ऋण देने में अनावश्यक विलम्ब होता है।
5. व्यापारिक बैंक व्यक्तिगत साख पर ऋण प्रदान नहीं करते हैं।
6. व्यापारिक बैंकों द्वारा अधिकांश ऋण ख्याति प्राप्त संस्थाओं को ही दिये गये हैं।

बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सुझाव :–

बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते है :–

1. बैंकों को नये उद्यमियों को ऋण प्रदान करना चाहिए।
2. बैंकों को कुछ मात्रा में व्यक्तिगत साख पर भी ऋण प्रदान करना चाहिए।
3. ऋण देने में औपचारिकताओं को कम करना चाहिए।
4. ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब को रोका जाना चाहिए।
5. बैंकों को उदार ऋण नीति का पालन करना चाहिए।
6. बैंकों को जमाओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
7. बैंकों को ऋणों पर ब्याज दरें कम करनी चाहिए।

IV. ह्रासकोष (Depreciation Fund)

व्यवसाय मे लेखा व्यवस्थाओं के कारण प्रतिवर्ष स्थायी सम्पतियों पर एक ह्रास कोष का निर्माण किया जाता है ताकि सम्पति के अनुपयोगी हो जाने के बाद नवीन सम्पति का क्रय किया जा सके। इस कोष का शेष प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है अतः इस धन राशि का उपयोग कुछ वर्षो तक कार्यशील पूंजी के रूप में किया जा सकता है।

V. साहूकार/देशी बैंकर्स (Indigenous Bankers)

साहूकार या देशी बैंकर्स प्राचीनकाल से ही वित्त प्रदान करने का कार्य कर रहें है। ग्रामीण वित्त की अधिकांश आवश्यकता इनके द्वारा ही पूरी की जाती है। इनके द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर काफी ऊंची होती है। इनके पास विशाल धन राशि नहीं होती है। अतः बड़े उद्योगों के लिए ये उपयोगी नहीं है। छोटे व्यवसायिक संस्थानों के लिए इस श्रोत का विशेष महत्व है।

VI. ग्राहकों से अग्रिम (Customer's Advances)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

यह श्रोत उन्ही संस्थाओं द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है जिनके द्वारा उत्पादित माल की मांग बहुत ज्यादा हो। ये संस्थाएँ अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राहकों से माल के आदेश के साथ ही अग्रिम लेती है। रसोई गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, रेल एवं आवासीय कम्पनीयों द्वारा प्रायः इस श्रोत का उपयोग किया जाता है।

अंशो एवं ऋण पत्रों में अंतर
Distinctions between Shares and Debentures

अंशो एवं ऋणपत्रों में निम्नलिखित अन्तर है :–

1. अंश पूंजी का एक भाग है जबकि ऋण पत्र कम्पनी को दिया गया एक ऋण है।
2. अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते है जबकि ऋणपत्रधारी ऋणदाता होते है।
3. अंशो का निर्गमन संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के लिए अनिवार्य होता है जबकि ऋणपत्र आवश्यकतानुसार निर्गमित किये जाते है।
4. अंशो पर लाभांश प्राप्त होता है जबकि ऋणपत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है।
5. अंशो को प्रिमियम पर निर्गमित किया जा सकता है जबकि ऋणपत्रों का प्रिमियम पर निर्गमन संभव नहीं है।
6. ऋणपत्रों पर ब्याज की आय निशचित होती है। अंशो पर आय का होना निश्चित नहीं होता है।
7. कम्पनी बोनस अंशो का निगर्मन कर सकती है जबकि बोनस ऋण पत्रों का निगर्मन संभव नहीं है।
8. अंशो में निवेश पर जोखिम होती है जबकि ऋणपत्रों के निवेश में कोई जोखिम नहीं होती है।
9. अंशो की दशा में पूंजी में वृद्धि संभव है जबकि ऋणपत्रों की दशा में ऐसा संभव नहीं है।
10. अंशधारीयों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है जबकि ऋणपत्र धारी कम्पनी प्रबंध में भाग नहीं ले सकते है।

अभ्यास के लिए प्रश्न :

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. वित्त की परिभाषा दिजीये।
2. व्यापारिक साख का अर्थ बताईये।
3. पूर्वाधिकार अंश क्या है।
4. परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या है।
5. कार्यशील पूँजी क्या है।
6. संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या है।
7. वाहक ऋण पत्र क्या है।
8. अशोध्य ऋण पत्र क्या है।

निम्बन्धात्मक प्रश्न :

1. भारत में दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त प्राप्त करने की विभिन्न पद्धत्तियों का वर्णन कीजिये।
2. भारतीय उद्यमी को पूँजी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विभिन्न श्रोतों का वर्णन कीजिये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यम पूंजी श्रोत एवं आवश्यक प्रलेख
Venture Captial Sources and Documentation Required

परिचय Introduction

परम्परागत उपक्रमों को वित्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। वित्त प्रदाता एवं वित्त प्रदान करने के साधन परम्परागत उपक्रमों की दशा में निश्चित होते हैं। यदि परम्परागत उपक्रम के स्थान पर किसी नवाचार के आधार पर एक अनुभवहीन एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त नये उद्यमी द्वारा कोई उपक्रम स्थापित किया जाता है तो उस उपक्रम को वित्त प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार के उपक्रमों में जोखिम की मात्रा बहुत अधिक होती है। अतः इस प्रकार के उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताएँ उद्यम पूंजी कोषो द्वारा पूरी की जाती है।

उद्यम पूंजी : अर्थ एवं परिभाषा
Venture Captial : Meaning and Definition

साधारण शब्दों में, उद्यम पूंजी से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जो नवाचारी उपक्रमों में निवेशित की जाती है। इस प्रकार का निवेश सिर्फ ब्याज या लाभांश की प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता है बल्कि पूंजी की अभिवृद्धि के लिए भी किया जाता है।

उद्यम पूंजी की परिभाषाएँ निम्नानुसार है :–

1. भारतीय उद्यम पूंजी संघ – "उद्यम पूंजी तीव्रगति से विकास करने वाली निजी क्षेत्र की कम्पनियों को वित्त पोषण करने का साधन है। ऐसे वित्त की आवश्यकता कम्पनी का विस्तार या विकास करने या नये व्यवसाय को क्रय करने के लिए होती है।"
2. डोलिंगर – "उद्यम पूंजी बाह्य पूंजी है जो निवेशकों के पेशेवर ढंग से प्रबन्धित कोष से प्राप्त होती है।"
3. एकोनोमिक टाइम्स – "उद्यम पूंजी वह पूंजी हे जो पेशेवर लोगों की फर्मों द्वारा उन कम्पनीयों में प्रबन्धकीय भागीदारी के साथ निवेश की जाती है जो तीव्र गति से विकास एवं परिवर्तन कर रही है तथा जिनमें विकास ही उच्च क्षमता होती है।"

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि उद्यम पूंजी वह पूंजी हे जो नवाचारी उपक्रमों में प्रबन्धकीय कौशल के साथ उद्यम पूंजी कोषों द्वारा निवेशित की जाती है।

उद्यम पूंजी की विशेषताएँ/प्रकृति
Characteristics/Nature of Venture Captial

उद्यम पूंजी की विशेषताएँ/प्रकृति निम्नानुसार है :–

1. **वित्त प्राप्त करने का एक साधन** – उद्यम पूंजी निजी क्षैत्र के तीव्रगति से विकास करने वाले नवाचारी उपक्रमों के लिए वित्त प्राप्त करने का एक साधन है।
2. **उद्यम पूंजी एक व्यापक दृष्टिकोण** – उद्यम पूंजी एक व्यापक दृषिकोण के साथ प्रदान की जाती है। उद्यम पूंजी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए ही प्रदान नहीं की जाती है बल्कि व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के लिए भी प्रदान की जाती है।
3. **लम्बी अवधि के लिए निवेश** – उद्यम पूंजी एक दीर्घकालीन पूंजी है जो सामान्यतया लम्बी अवधि के लिए निवेश हेतु प्रदान की जाती है। यह प्रायः 5 से 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **समता पूंजी एवं अर्द्ध–समता पूंजी** – उद्यम पूंजी समता पूंजी एवं अर्द्ध–समता पूंजी के रूप में प्रदान की जा सकती है। दूसरे शब्दों में उद्यम पूंजी साधारण अंशो एवं आशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों के रूप में हो सकती है।

5. **भावी विकास की संभावना वाले उपक्रम** – उद्यम पूंजी उन उपक्रमों में लगाई जाती है जिनके भविष्य में विकास की भरपूर संभावना होती है।

6. **ऊंची विकास दर वाले उपक्रम** – उद्यम पूंजी का निवेश ऐसे उपक्रमों में किया जाता है जिनकी विकास दर अन्य उपक्रमों की अपेक्षा ऊंची होती हैं। ये आधुनिक एवं नवाचारी उपक्रम होते हैं।

7. **उच्च तकनीक एवं ज्ञान पर आधारित** – उद्यम पूंजी उच्च तकनीक एवं ज्ञान पर आधारित नवाचारी उपक्रमों में विनियोजित की जाती है जिनके भावी विकास की उच्च संभावनाएँ होती है।

8. **प्रबन्धकीय कौशल** – उद्यम पूंजी कोष सिर्फ उद्यम पूंजी की ही व्यवस्था नहीं करते हैं वरन प्रबन्धकीय ज्ञान एवं कौशल भी उपलब्ध कराते है। यह कार्य निजी क्षैत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में हिस्सेदारी के माध्यम से किया जाता है।

9. **प्रतिफल** – उद्यम पूंजी कोष ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि लाभांश एवं पूंजी अभिवृद्धि के रूप में इन्हें प्रतिफल प्राप्त होता है।

10. **जोखिम** – उद्यम पूंजी कोषों को भारी जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अनुभवहीन नवाचारी उद्यमियों को वित्त प्रदान करने का कार्य करते हैं। उपक्रमों के असफल होने पर इन्हें भारी हानि का सामना करना पड़ता है।

उद्यम पूँजी कोष का अर्थ एवं परिभाषा Meaning and Definition of Venture Captial Fund

उद्यम पूँजी कोष की परिभाषा सेबी **(SEBI)** द्वारा दी गई है, जो निम्नानुसार है :–

"उद्यम पूँजी कोष से तात्पर्य किसी ऐसे कोष से हैं जिसका 'सेबी' के नियमों के अधीन कम्पनी या निगम, निकाय या प्रन्यास के रूप में पंजीयन किया गया है।" तथा

(i) जिसके पास पूँजी का समर्पित कोष है।
(ii) जिसने सेबी के नियमों में निर्धारित रीति से इन कोषों को एकत्र किया है तथा
(iii) जो इन कोषों का सेबी के नियमों के अनुरूप निवेश करती है।

उद्यम पूँजी कोषों के प्रकार Types of Venture Captial Fund

उद्यम पूँजी कोष निम्न प्रकार के होते है :–

1. एकाकी उद्यम पूँजी कोष Sole Venture Captial Fund :

एकाकी उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना ऐसे धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो नये प्रतिभाशाली एवं नवाचारी उद्यमियों को पूँजी उपलब्ध कराने हेतु तैयार रहते है। ऐसे पूँजीपतियों को उद्यम पूँजी पति भी कहते हैं। उद्यम पूँजी कोष में सम्पूर्ण पूँजी एक ही धनी व्यक्ति की लगी हुई होती है अतः इन्हें एकाकी उद्यम पूँजी कोष कहते हैं।

इस प्रकार के पूँजीपतियों को देवदूत उद्यम पूँजी पति भी कहते है क्योंकि नये उद्यमियों के लिए ये देवदूत के समान होते है जो इनकी पूँजी की आवश्यकता को तत्काल पूरा कर देते हैं।

2. स्वतंत्र उद्यम पूँजी कोष Independent Venture Captial Fund:

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इस प्रकार के उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना कुछ उद्यम पूँजीपतियों द्वारा मिलकर की जाती है। जब कुछ बड़े निवेशक आपस में मिलकर किसी कोष की स्थापना कर लेते है तो ऐसे कोष को स्वतंत्र उद्यम पूँजी कोष के नाम से जाना जाता है।

3. **सहायक उद्यम पूँजीपति कोष Subsidiary Venture Captial Fund :**

जब कुछ संस्थाऐं या कम्पनियाँ मिल कर अपनी एक सहायक संस्था बना लेती है तथा उस सहायक संस्था के माध्यम से अपनी निवेश योग्य पूँजी को निवेश करने के लिए एक कोष बना लेती है तो इस प्रकार के स्थापित कोष को सहायक उद्यम पूँजीपति कोष के नाम से जाना जाता है।

भारत में इस प्रकार के कोषों की स्थापना विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षैत्र की कम्पनीयों द्वारा की गई है। राजस्थान में राजस्थान वेन्चर केपीटल फण्ड की स्थापना 'रिको' (RICCO) तथा 'सिडबी' (SIDBI) द्वारा की गई है।

4. भारत में उद्यम पूँजी कोष Venture Captial Fund in India :

भारत में स्थापित उद्यम पूँजी कोषों को चार भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है।

1. अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित उद्यम पूँजी कोष :–

भारत में अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित उद्यम पूँजी कोषों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा कई उद्यम पूँजी कोषों को स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख उद्यम पूँजी कोष निम्नानुसार है :

1. आईसीआईसीआई (ICICI) वेन्चर के केपीटल फण्ड
2. एचडीएफसी (HDFC) प्रोपर्टी फण्ड
3. आईसीआईसीआई (ICICI) एकोनेट फण्ड
4. आई डी एफ सी इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड
5. सिडबी वेन्चर केपीटल लि.

2. राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यम पूँजी कोष :

भारत में लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में एक वित्त निगम तथा एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। राजस्थान में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई है। इन वित्त एवं विकास निगमों द्वारा अपने–अपने राज्यों में उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना की गई है।

राजस्थान में रीको एवं सिडबी ने "राजस्थान वेन्चर केपिटल फण्ड की स्थापना की है।

3. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित उद्यम पूँजी कोष :

भारत में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना की गई है तथा सेबी के पास उनका पंजीयन भी करवा रखा है। उदाहरण के लिए केनरा बैंक ने कैन बैंक वेन्चर केपीटल फण्ड लि. के नाम से उद्यम पूँजी कोष की स्थापना की है।

4. निजी क्षैत्र की संस्थाओं द्वारा स्थापित पूँजी कोष :

निजी क्षैत्र की संस्थाओं द्वारा भी उद्यम पूँजी कोष स्थापित किये गये है उदाहरण के लिए कोटक महेन्द्रा बैंक द्वारा भी एक उद्यम पूँजी कोष की स्थापना की गई है। इस के अतिरिक्त निजी क्षैत्र की कम्पनियों द्वारा अनेक उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना की गई है।

परम्परागत पूंजी एवं उद्यम पूंजी में अन्तर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Distinctions Betveen Conventional Capital and Venture Captial

1. परम्परागत पूंजी अनेक साधनों से प्राप्त की जाती है लेकिन उद्यम पूंजी उद्यम पूंजी कोषों द्वारा प्राप्त की जाती है।
2. परम्पारागत पूंजी अंशों, ऋण पत्रों, सामान्य ऋणों एवं सार्वजनिक जमाओं के रूप में हो सकती है लेकिन उद्यम पूंजी समता पूंजी एवं अर्द्ध–समता पूंजी के रूप में होती है।
3. परम्परागत पूंजी परम्परागत उपक्रमों को उपलब्ध होती है जबकि उद्यम पूंजी नवाचारी उपक्रमों को उपलब्ध कराई जाती है।
4. परम्पारागत उद्योगों में जोखिम सीमित एवं पूर्व निर्धारित होती है जबकि नवाचारी उपक्रमों में असीमित जोखिम पायी जाती है।
5. परम्परागत उपक्रम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्थापित किये जाते हैं जबकि नवाचारी उपक्रम तकनीकी ज्ञान एवं प्रबन्धकीय ज्ञान पर आधारित होते हैं।
6. परम्परागत पूंजी में वित्तीय निवेश होता है जबकि उद्यम पूंजी में वित्तीय निवेश के साथ प्रबन्धकीय कौशल का भी निवेश किया जाता है।
7. परम्परागम पूंजी व्यक्तियों एवं संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जबकि उद्यम पूंजी उद्यम पूंजीपति तथा उद्यम कोषों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
8. परम्परागत पूंजी प्रदाता प्रतिभूति की मांग करता है जबकि उद्यम पूंजी–प्रदाता बिना किसी जमानत के वित्त प्रदान करता है।
9. परम्परागत पूंजी का प्रतिफल ब्याज होता है जबकि उद्यम पूंजी का प्रतिफल लाभांश एवं पूंजी अभिवृद्धि के रूप में होता है।

उद्यम वित्त पोषण अवस्थाएँ Venture Financing Stages

उद्यम पूंजी कोषों द्वारा उपक्रम की निम्नलिखित अवस्थाओं में वित्त उपलब्ध कराया जाता है :–

1 **प्रारम्भिक अवस्था –** उपक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में निम्नलिखित कार्यों/उदेश्यों के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है :–

(i) बाजार अनुसंधान के लिए
(ii) उत्पाद अनुसंधान के लिए
(iii) उत्पाद/सेवा के उत्पादन एवं विकास के लिए
(iv) व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए
(v) विपणन कार्यों के लिए
(vi) विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन कार्यों के लिए

2. **विस्तार एवं विकास की अवस्था –** उपक्रम के विस्तार एवं विकास की अवस्था में निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है। :–

(i) उत्पादन एवं वितरण कार्यों हेतु अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था
(ii) कार्यशील पूंजी की व्यवस्था
(iii) उत्पादन एवं वितरण कार्यों में विस्तार हेतु पूंजी की व्यवस्था
(iv) किसी विद्यमान व्यवसाय को अधिग्रहीत करने हेतु पूंजी की व्यवस्था
(v) किसी विद्यमान उत्पाद के निर्माण के अधीकार क्रय करने हेतु पूंजी की व्यवस्था

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यम पूंजी के प्रारूप
Forms of Venture Capital

उद्यम पूंजी के प्रमुख प्रारूप निम्नलिखित है :–

1. **समता अंश –** उद्यम कोषों द्वारा इस विधी में कम्पनी की समता पूंजी में से एक निश्चित हिस्सा क्रय कर लिया जाता है। सामान्यमया एक उद्यमी द्वारा अपनी समता पूंजी का 49% से अधिक हिस्सा उद्यम कोषों को नहीं दिया जाता है क्योंकि उद्यमी उपक्रम पर अपना स्वयं का नियन्त्रण रखने का इच्छुक होता है। समता अंशों में निवेश से उद्यमी एवं उद्यम पूंजी कोष दोनों को बहुत लाभ होते हैः–

   (i) उपक्रम के लाभों में से लाभांश के रूप में हिस्सा प्राप्त होता है।

   (ii) एक निश्चित अवधि के बाद पूंजी अभिवृद्धि का लाभ भी प्राप्त होता है।

   (iii) एक निर्धारित अवधि के बाद निवेश में तरलता भी प्राप्त हो जाती है।

उपक्रम को लाभ :–

(i) उद्यमी की स्वतंत्रता हमेशा के लिए बनी रहती है।

(ii) लाभाशं लाभ होने पर दिया जाता है तथा ब्याज का विशेष भार नहीं होता है।

2. **परिवर्तनीय ऋण पत्र –**

उद्यम पूंजी कोष परिवर्तनीय ऋण पत्र खरीद कर वित्त–पोषण का कार्य करते हैं। इन ऋण पत्रों पर एक निश्चित अवधि तक ब्याज दिया जाता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद पूंजी कोषों को समता अंश जारी कर दिये जाते हैं। ऋण पत्र अंशतः परिवर्तनीय भी होते है ऐसी स्थिति में ऋणों के एक भाग को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष राशि पर ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार या तो ब्याज का भुगतान जारी रखा जाता है या शेष ऋण राशि का भुगतान कर दिया जाता है।

3. **संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश –**

संचयी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश देय होता है। यह लाभांश तब तक संचित होता रहता है जब तक संस्था को प्रयाप्त लाभ नहीं होता है। लाभ होने की स्थिति में संचित लाभांशों का भुगतान कर दिया जाता है। एक निश्चित अवधि के पूर्ण होने पर इन अंशों को साधारण/समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है।

इन अंशों के निर्गमन से उद्यम पूंजी कोषों को लाभांश मिलता रहता है तथा पूंजी में अभिवृद्धि का लाभ भी प्राप्त हो जाता है।

इन अंशों के निर्गमन से कम्पनी/संस्था को कोई विशेष भार नहीं होता है। लाभांश का भुगतान लाभ होने पर ही किया जाता है। इस प्रकार कम्पनी/संस्था को बिना ब्याज के पूंजी प्राप्त हो जाती है।

उपरोक्त प्रारूपों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रारूप भी है जिनका भारत में सीमित प्रयोग किया जाता है। इन प्रारूपों का संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार हैः–

(i) **भागीदारी ऋण पत्र –** भागीदारी ऋण पत्रों में ब्याज की दरें एवं शर्तें उद्यम पूंजी कोष तथा उद्यमी के बीच एक अनुबन्ध द्वारा तय की जाती है। सामान्यतया इस प्रकार के ऋण पत्रों में ब्याज की दर उपक्रम की सफलता के साथ बढ़ाने की व्यवस्था होती है। प्रारंभिक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अवस्था में या तो ब्याज नहीं लिया जाता है तथा यदि ब्याज लिया जाता हे तो उसकी दर बहुत कम होती है। जब उपक्रम सफलता के स्तर पर पहुंच जाता है तो ऊंची दर से ब्याज वसूल किया जाता है। यह लगभग 20% तक हो सकता है।

(ii) आय पत्र – इस विधी में उद्यमी द्वारा उद्यम पूंजी कोष को एक आय पत्र जारी किया जाता है। इस आय पत्र की शर्तों के अनुसार उद्यम पूंजी कोष को ब्याज एवं रायल्टी दोनों का भुगतान किया जाता है। ब्याज एवं रायल्टी की दरें सामान्य या सामान्य से कम होती है। इस प्रकार के आय पत्रों को उद्यमी एवं उद्यम पेंजी कोष दोनों के द्वारा बहुत कम पसन्द किया जाता है। उद्यम पूंजी कोष आय पत्र को कम पसन्द करते है क्योंकि इनमें ब्याज एवं रायल्टी की दरें बहुत कम होती है। उद्यमी द्वारा भी इसे पसन्द नहीं किया जाता है क्योंकि आय पत्र जारी करने के बाद ब्याज एवं रायल्टी का भार उत्पन्न हो जाता है।

(iii) सशर्त ऋण – उद्यम पूंजी कोष सशर्त ऋण भी प्रदान करते हैं इन ऋणों पर ब्याज के स्थान पर रायल्टी का भुगतान किया जाता है। रायल्टी उत्पाद मूल्य के 16 प्रतिशत तक हो सकती है। उद्यम पूंजी कोष द्वारा यह शर्ते भी लगाई जा सकती है कि उपक्रम के लाभदायी स्थिति में पहुचने पर रायल्टी के स्थान पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा। इस समय ब्याज की दर काफी ऊंची रखी जाती है। इस साधन को उद्यम पूंजी कोष एवं उद्यमी दोनों द्वारा ही कम उपयोग में लिया जाता है।

उद्यम पूंजी कोष से वित्त प्राप्ति के लाभ
Advantages of Financing form Venture Capital Funds

उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्ति के प्रमुख लाभ इस प्रकार है :–

1. **एक ही ऋणदाता द्वारा सम्पूर्ण वित्त –**

   उद्यम पूंजी कोष साधन सम्पन्न होते हैं अतः उद्यमी को एक ही श्रोत से सम्पूर्ण आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध हो जाता है उसे ऋण के लिए विभिन्न ऋणदाताओं के पास भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है।

2. **दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था –**

   उद्यम पूंजी कोषों से वित्त की व्यवस्था एक लम्बे समय के लिए हो जाती है। उद्यमी अपना सम्पूर्ण ध्यान व्यवसाय के प्रबन्ध संचालन पर लगा सकता है।

3. **ब्याज का कम भार –**

   प्रारम्भिक अवस्था में उद्यमे बहुत कम लाभ कमाने की स्थिति में होता है तथा कभी कभी लाभ के स्थान पर हानि का भार भी उठाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति में उद्यमी के लिए ब्याज का भुगतान एक कठिन कार्य होता है। उद्यमी एवं उद्यम पूंजी कोष आपस में सहमति द्वारा प्रारंभ में ब्याज की एक निम्न दर रख सकते है।

4. **भागीदारी –**

   उद्यम पूंजी कोष उपक्रम के समता अंशों या पूर्वाधिकार अंशों को क्रय कर वित्त व्यवस्था करते है तो वे एक प्रकार से उपक्रम के साझेदार हो जाते हैं तथा व्यवसाय से होने वाली जोखिम का बंटवारा हो जाता है।

5. **प्रबन्ध संचालन में भाग –**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यम पूंजी कोष उपक्रम के प्रबन्ध में सहयोग करते हैं। उद्यम पूंजी कोषों के पास विभिन्न येाग्यताओं को धारण करने वाले विशेषज्ञ होते हैं जिनकी सेवायें आसानी से उद्यमी को प्राप्त हो जाती है।

6. **मूल्यवर्द्धित सेवाएँ –**

उद्यम पूंजी कोष विभिन्न प्रकार की मूल्यवर्द्धित सेवाएँ प्रदान करते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएँ निम्न प्रकार की हो सकती है।

(i) **परामर्श सेवाएँ –**

A. अंशों का सार्वजनिक निगर्म लाने हेतु सेवाएँ प्रदान करना।

B. अंशों के स्कन्ध विनियम केन्द्र में सूचीयन हेतु

C. प्रबन्धकीय परामर्श सेवा

D. तकनीकी परामर्श सेवा

E. उत्पादन एवं विपणन कार्य हेतु परामर्श देना

(ii) उपक्रम के विभिन्न मामलों में नियोजन एवं निर्णयन की सेवा प्रदान करना।

(iii) बैंकों से कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कार्य में योगदान करना।

(iv) सामरिक साझेदार **(Strategic Partner)** के चयन में सहयोग प्रदान करना।

7. **नवाचारी उपक्रमों को प्रोत्साहन –**

नवाचारी उपक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराने में परम्परागत पूंजी श्रोतों की रूचि नहीं होती है। उद्यम पूंजी कोष नवाचारी उपक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था कर उन्हें आगे बढ़ाने में येागदान करते हैं।

उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्ति के दोष
Disadvantages of Financing from Venture Capital Funds

उद्यम पूंजी कोषों से वित्त प्राप्ति के प्रमुख दोष निम्नानुसार है :–

1. **स्वतंत्रता का हनन** –उद्यम पूंजी कोष से ऋण लेने में उद्यमी की स्वतंत्रता का हनन होता है, प्रबन्ध संचालन में हस्तक्षेप बढता है तथा उद्यम पूंजी कोष की अनेक शर्तों के अनुसार चलना पड़ता है।
2. **स्वामित्व में हिस्सेदारी** –उद्यम पूंजी कोष समता अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं जिससे उन्हें स्वामित्व में हिस्सेदारी मिल जाती है। व्यवसायी के साथ उद्यम पूंजी कोष भी व्यवसाय में स्वामी बन जाते हैं।
3. **वित्त की लागत ज्यादा होना** –उद्यम पूंजी कोष से लिया गया ऋण या वित्त सस्ता लग सकता है लेकिन वास्तव में वह सस्ता नहीं होता है। उद्यमी को रायल्टी, लाभाशं एवं ब्याज के रूप में एक बड़ी रकम पूंजी कोष को चुकानी पड़ती है जो उसके लिए महंगी पड़ती है।

उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया
Venture Capital Investment Process

उद्यम एवं उद्यमी पूंजी कोष दोनों के लिए उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतया निम्नानुसार सम्पन्न की जाती है –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. उद्यम पूंजी कोषों द्वारा निवेश योग्य उपक्रमों की खोज
2. उपक्रम द्वारा आवेदन करना
3. उद्यम पूंजी कोष द्वारा आवेदन की प्रारम्भिक जांच
4. व्यवसायिक योजना का अनुमोदन
5. अनुबन्ध पत्र का निर्माण एवं क्रियान्वन

1. निवेश योग्य उपक्रमों की खोज :

उद्यम पूंजी कोष अपने व्यवसाय की अभिवृद्धि हेतु स्वयं ऐसे उपक्रमों/उद्यमी की खोज करते है जिन्हें वित्त की आवश्यकता है। उद्यमी पूंजी कोषों के सूचना श्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं।

1. उद्यम पूंजी कोष संघ
2. व्यापारिक मित्र एवं साझेदार
3. पितृ एवं सहोदर संगठन (Parent and Sister Concerns)
4. व्यापारिक मेले, सम्मेलन एवं सेमीनार
5. सम्पर्क एवं सन्दर्भ व्यक्ति, संस्थाएँ, मध्यस्थ आदि

2. उपक्रम द्वारा आवेदन करना –

उद्यमी/उपक्रम द्वारा वित्त प्राप्ति हेतु उद्यम पूंजी कोष को आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ उसे व्यावसायिक योजना (Business Plan) भी बना कर प्रस्तुत करनी पड़ती है। आवेदन पत्र का प्रारूप उद्यम कोषों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार तैयार किया जाता है। एक आवेदन पत्र में सामान्यतया उद्यमी को निम्नलिखित बातों की जानकारी देनी पड़ती है।

1. उपक्रम का नाम एवं पता
2. उपक्रम के प्रवर्तकों के नाम व पते
3. उपक्रम द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी
4. अपेक्षित पूंजी की मात्रा
5. उपक्रम के प्रारम्भ होने में लगने वाला समय (संभावित)
6. उपक्रम की व्यवसायिक योजना

3. आवेदन की प्रारम्भिक जांच करना –

उद्यम पूंजी कोषों द्वारा आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच की जाती है। व्यावसायिक योजना को वास्तविकता के धरातल पर परखा जाता है। यह जांच सरसरी तौर पर की जाती है। इस अवस्था में यदि योजना उद्यम कोषों को उनके द्वारा बनाये गये आधारों के अनुकूल लगती है तो इस पर आगे विचार किया जाता है अन्यथा आवेदन पत्र को अस्वीकार कर उद्यमी को सूचित कर दिया जाता है।

आवेदन पत्र की स्वीकृति के साथ ही व्यावसायिक योजना का गहन परिक्षण किया जाता है। गहन परिक्षण द्वारा व्यावसायिक योजना का ठीक–ठीक मूल्यांकन हो जाता है तथा उपक्रम की जोखिम एवं धन राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। व्यावसायिक योजना के परिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यकता पड़ने पर बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जा सकती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. व्यावसायिक योजना का अनुमोदन –

व्यावसायिक योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट यदि अनुकूल होती है तो योजना का अनुमोदन कर दिया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रतिकूल होने पर व्यावसायिक योजना को अस्वीकार कर उद्यमी को सूचित कर दिया जाता है अनुमोदन के पश्चात निवेश के लिए आगे की कार्यवाही की जाती है।

5. अनुबन्ध पत्र का निर्माण एवं क्रियान्वन –

व्यावसायिक योजना के अनुमोदन के बाद अनुबन्ध पत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश किया जा सकता है :–

1. वित्त पोषण की विधी
2. वित्त पोषण की अवस्थाएँ एवं प्रत्येक अवस्था पर दिया जाने वाला वित्त
3. वित्त पोषण की शर्तें
4. प्रतिफल का स्वरूप – ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आदि
5. विनिवेश की शर्तें
6. संचालक मण्डल का गठन
7. संचालक मण्डल में पूंजी कोषों की भागीदारी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यम पूंजी निवेश प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार
Bases for Evaluation of Venture Capital Investment Process

उद्यम पूंजी कोष एक उद्यमी के निवेश प्रस्ताव को स्वीकार करते समय प्रायः निम्नलिखित आधारों का उपयोग करते हैं :–

1. उद्यमी की शिक्षा, तकनिकी ज्ञान एवं कौशल।
2. उद्यमी का पिछला रिकार्ड यदि कोई हो।
3. उत्पाद की तकनीक, पेटेण्ट या अधिकार की स्थिति।
4. उत्पाद की बाजार मांग एवं कच्चे माल की आपूर्ति।
5. उत्पाद बाजार की विकास की दर।
6. प्रतिस्पर्धा की स्थिति।
7. प्रबन्धकों का कौशल, पिछला अनुभव एवं कार्य परिणाम।
8. निवेश पर प्रतिफल की संभावना एवं समान प्रकार के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल की स्थिति।
9. देश का राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक वातावरण।
10. निवेश एवं लाभों पर काराधान की स्थिति एवं उसका प्रभाव।
11. उत्पाद की व्यावहारिक उत्पादन एवं विपणन योग्यता।
12. उपक्रम एवं उत्पाद में नवाचार की स्थिति।

उपरोक्त मानदण्डों के सन्दर्भ में पूंजी निवेश प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है तथा मूल्यांकन का परिणाम सन्तोषजनक होने पर ही निवेश के बारे में निर्णय लिया जाता है।

आवश्यक प्रलेख Essential Documents

उद्यम पूंजी निवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत वित्त प्राप्त करने हेतु उद्यमी को व्यावसायिक योजना का निर्माण कर उद्यम पूंजी कोष को प्रस्तुत करना होता है। उपक्रम की व्यावसायिक योजना में अनेक बातों का उल्लेख किया जाता है। इनमें प्रमुख बातें निम्नानुसार है :–

1. उपक्रम तथा उद्यमी का पूरा नाम, पता एवं सम्पर्क सूत्र आदि के बारे में विस्तृत जानकारी।
2. उद्यमी का पिछला रिकार्ड, अनुभव पिछले वर्षों की उपलब्धियाँ आदि।
3. उपक्रम के उदेश्य – इसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।
4. बाजार विश्लेषण – बाजार का परिदृश्य, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, बाजार की विकास दर।
5. उत्पाद की बाजार मांग एवं कच्चे माल की आपूर्ति की स्थिति
6. उपक्रम की उत्पादन योजना –
   - **(i)** उत्पाद प्रक्रिया की लागत
   - **(ii)** आवश्यक संयंत्र, मशीन एवं उपकरण इनकी आपूर्ति की स्थिति, आपूर्तिकर्ताओं के नाम पते।
   - **(iii)** उपक्रम में उत्पाद क्वालिटी कन्ट्रोल
7. विपणन योजना –
   - **(i)** बाजार का आकार, ग्राहकों की स्थिति एवं वर्ग

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) संवर्द्धनात्मक उपायों का विवरण

(iii) मध्यस्थों की उपलब्धता, नीति एवं व्यूह रचना

(iv) मूल्य निर्धारण नीति

8. उपक्रम में निहित जोखिम एवं जोखिमों के नियन्त्रण हेतु अपनाये गये साधन एवं उपाय।

9. उपक्रम की वित्तीय योजना – आय विवरण, नगद प्रवाह **(Cash Flow)** आय के श्रोत, ब्रेकइवन पॉइन्ट।

10. बाजार अनुसंधान एवं उत्पाद अनुसंधान रिपोर्ट –

व्यावसायिक योजना के आधार पर ही उद्यम पूंजी कोष किसी उपक्रम में निवेश करने या न करने का निर्णय लेते हैं। उद्यम पूंजी कोष द्वारा जब उपक्रम में निवेश का निर्णय ले लिया जाता है तो दोनों पक्षकारों को एक निवेश अनुबन्ध करना पड़ता है। यह अनुबन्ध स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है तथा इस पर गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। दोनों पक्षकारों की सहमती से इसका पंजीयन कराया जाता है। अनुबन्ध की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती है :

1. उद्यमी एवं उद्यम पूंजी कोष दोनों के नाम व पते आदि।
2. निवेश की जाने वाली राशि की मात्रा एवं उसके बदले में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों का विवरण।
3. निवेश कार्यक्रम – उपक्रम की अवस्थाओं के अनुसार।
4. संयंत्र, सामग्री के आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ किये गये अनुबन्धों का विवरण।
5. प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के साथ किये गये अनुबन्धों का विवरण।
6. सम्पत्तियों पर बन्धक/लीज का अनुबन्ध।
7. निवेशक द्वारा निवेश के वैद्य निर्णय का आश्वासन।
8. मूल धन पर ब्याज/लाभाशं/रॉयल्टी के यथा समय भुगतान का आश्वासन।
9. आवश्यकतानुसार बीमा कराने का आश्वासन।
10. उद्यमी द्वारा सभी प्रकार के करों का यथा समय भुगतान करने का आश्वासन।
11. कम्पनी के स्वरूप एवं अन्तर्नियमों में परिवर्तन नहीं करने की शर्तें।
12. उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनमें अनुबन्ध का भंग हुआ माना जायेगा।
13. अनुबन्ध भंग करने पर दूसरे पक्ष को प्राप्त उपचारों का उल्लेख।
14. अन्य शर्तें भी आवश्यकतानुसार जोड़ी जा सकती है लेकिन इनसे अनुबन्ध के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
15. अनुबन्ध पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

<u>अभ्यास के लिए प्रश्न :</u>

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. उद्यम पूँजी क्या है।
2. उद्यम पूँजी एवं परम्परागत पूँजी में क्या अन्तर है।
3. उद्यम पूँजी के प्रारूपों के नाम लिखिये।
4. उद्यम पूँजी कोष का क्या अर्थ है।
5. उद्यम पूँजी कोषों के प्रकार लिखिये।
6. उद्यम पूँजी निवेश अनुबन्ध क्या है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. व्यावसायिक योजना क्या है।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. उद्यम पूँजी क्या है ? उद्यम पूँजी का परम्परागत पूँजी से अन्तर स्पष्ट कीजिये।
2. उद्यम पूँजी कोषों के लाभ दोषों का वर्णन कीजिये।
3. उद्यम पूँजी कोष की परिभाषा दीजिये तथा उद्यम पूँजी कोषों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।

वातावरण विश्लेषण
(Environment Analysis)

परिचय Introduction

प्रत्येक संस्था अपने एक वातावरण में कार्य करती है यह वातावरण संस्था के कार्यकलापों का एक मंच होता है जिसे वातावरण के घटक प्रभावित करते है। वातावरण के घटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि हो सकते हैं। प्रत्येक संस्था को अपने आपको वातावरण की सीमाओं एवं चुनौतियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। ऐसा न करने पर उस संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

अब हम सम्पूर्ण व्यवसायिक वातावरण के पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

उद्यमीय/व्यावसायिक वातावरण : अर्थ एवं परिभाषा

(Entrepreneurial/Business Environment : Meaning and Definition)

वातावरण की परिभाषाएँ अनेक विद्वानों द्वारा दी गई है इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार है :

रार्बट अलबानीज – "किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहर की ज्ञात दशाओं, प्रभावों अथवा शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्यों एवं कार्यों से सम्बन्ध रखती है।"

राबिन्स – "वातावरण उन संस्थाओं एवं शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है। किन्तु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियन्त्रण होता है।"

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वातावरण से आशय किसी संगठन के आस पास विद्यमान उन घटकों, शक्तियों से है जो संगठन को प्रभावित करते है लेकिन संगठन का उन पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता है। संगठन के वातावरण के अन्तर्गत आती है।

व्यवसायिक वातावरण की प्रकृति
Nature of Business Environment

व्यवसाय के वातावरण की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है :

1. **दो प्रकार –** व्यवसाय का वातावरण दो प्रकार का होता है, आन्तरिक वातावरण एवं बाहरी वातावरण। आन्तरिक वातावरण में संगठन के अन्दर विद्यमान वे तत्व होते है, जिन पर संगठन नियन्त्रण कर लेता है जबकि बाहरी वातावरण के तत्वों पर संस्था का कोई नियन्त्रण नहीं होता है।
2. **गतिशील एवं परिवर्तनशील घटक –** व्यवसाय का वातावरण गतिशील घटकों से बना है जो निरन्तर परिवर्तनशील होते हैं। ये घटक आर्थिक, राजनैतिक, भोगोलिक, धार्मिक एवं तकनीकी प्रकृति के हो सकते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. **घटकों की परस्पर निर्भरता** – उपरोक्त सभी घटक एक दुसरे को प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि धार्मिक सिरियल जो टी.वी. पर आते है, कभी–कभी टी.वी. की बिक्री को बढ़ा देते है।

4. **सूचनाओं का उपयोग** – व्यवसायिक संगठन बाहरी वातावरण से सूचनाएँ प्राप्त करता है तथा उन सूचनाओं को आधार बना कर बाहरी वातावरण की अनिश्चितताओं का सामान करता है।

5. **द्विमार्गीय संचार** – व्यवसायिक संगठन को आपने बाहरी वातावरण के निरन्तर सम्पर्क में रहना पड़ता है तथा द्विमार्गीय संचार व्यवस्था कायम करनी पड़ती है। इसी संचार व्यवस्था से सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है।

6. **वातावरण के घटकों के अनुरूप परिवर्तन** – व्यवसायिक संगठन को वातावरण के घटकों में हो रहे परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए तथा इन्ही परिवर्तनो के अनुरूप अपनी नीतियों एवं व्यूहरचनाओं में परिवर्तन करना चाहिए।

7. **संसाधनों की प्राप्ति** – व्यवसायिक संगठन अपने संसाधन जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल, मशीन आदि बाहरी वातावरण से प्राप्त करता है। इन संसाधनों की प्राप्ति के मार्ग मे विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आती है तथा इनकी निरन्तर आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समझौते करने आवश्यक होते हैं।

8. **सामाजिक उत्तरदायित्व** – व्यवसायिक संगठन अपने बाहरी वातावरण के घटकों के प्रति उत्तरदायी है इन घटकों में नागरीक, कर्मचारी, उपभोक्ता, प्रतिर्स्पद्धी संस्थाए, अंशधारी, सरकार आदि हो सकते हैं जिनके प्रति व्यवसायिक संगठन को अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करनी होती है।

9. **कार्यक्षेत्र की सीमा** – व्यवसायिक संगठन के कार्यक्षेत्र की एक भौगोलिक सीमा होती है. जो व्यवसायिक संगठन के कार्यों के अनुरूप विस्तृत एवं संकुचित हो सकती है।

10. **व्यवसायिक संगठन का वातावरण पर प्रभाव** – व्यवसायिक संगठन स्वयं वातावरण से प्रभावित तो होता है लेकिन कभी–कभी अपनी विशेष स्थिति के कारण कुछ सीमा तक वातावरण को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जब बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों के कुछ उत्पाद एकाधिकार की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ता के पास उन उत्पादों को क्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। इस प्रकार कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनीयाँ वातावरण को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाती है तथा कुछ सीमा तक वातावरण को प्रभावित करती है।

व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता अथवा महत्व
Need or Importance of Study of Business Environment

एक संगठन के लिए व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले जाते है और उन्ही निष्कर्षों के अनुरूप व्यवसायिक नीतियाँ एवं व्यूहरचनाएँ निर्धारित की जाती है। संक्षेप में, व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व निम्नानुसार है :

1. **कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु** – जब एक संस्था के व्यवसायिक वातावरण का ज्ञान कर लिया जाता है तो उसके अनुरूप कार्य योजनाओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। अतः एक संस्था के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है।

2. **व्यावसायिक वातावरण के घटकों की जानकारी** – संस्था के व्यावसायिक वातावरण में अनेक घटक विद्यमान होते है। अनेक घटकों के कारण व्यवसायिक वातावरण बहुत अधिक जटिल हो गया है। इन जटिलओं की जानकारी के लिए व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन अति आवश्यक हो गया है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. **परिवर्तन की जानकारी** – व्यवसायिक वातावरण अनेक घटको के संयोजन से बना है तथा इन घटको में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इन परिवर्तनों के अनुरूप व्यूह रचनाओं के निर्माण के लिए व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करना अति आवश्यक हो गया है।

4. **व्यवासायिक योजनाओं का मूल्यांकन** – जिन व्यावसायिक योजनाओं का निर्माण किया गया है उन योजनओं पर व्यावसायिक वातावरण के घटकों का प्रभाव पड़ता है। अतः व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर उन व्यावसायिक योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इन योजनाओं से व्यावसायिक उदेश्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं।

5. **जोखिम** – व्यावसायिक प्रबंधकों को अनेक अनिश्चिताओं या जोखिमों का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर इन अनिश्चिताओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जोखिमों का सही मापन कर संस्था पर पड़ने वाले इनके प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।

6. **घटकों के आपसी प्रभाव का अध्ययन** – व्यावसायिक वातावरण के अनेक घटक है इन घटकों का आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। एक घटक का दूसरे घटक पर क्या एवं कितना प्रभाव पड़ रहा है इसकी जानकारी के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अतिआवश्यक है।

7. **निर्णयन हेतु** – संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यावसायिक प्रबन्धकों को अनेक प्रकार के निर्णय लेने पड़ते है। व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन किये बिना प्रभावकारी निर्णयन संभव नही है। अतः व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन परमावश्यक है।

8. **व्यावसायिक अवसरों की खोज** – संस्था के विकास एवं विस्तार के लिए व्यावसायिक वातावरण में अनेक अवसर विद्यमान होते है इन अवसरों की जानकारी व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन किये बिना संभव नही है। पीटर एफ. ड्रकर के अनुसार– ''अधिकाधिक अवसरों की खोज वातावरण के प्रति जागरूकता से ही संभव है।"

9. **नवाचार या नवप्रवर्तन** – संस्था की सफलता के लिए नवीन उत्पादों की खोज एवं नये अविष्कारों की जानकारी अतिआवश्यक है। नवाचार या नवप्रर्वतन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यें व्यावसायिक वातावरण के कितने अनुकूल है। अतः व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अतिआवश्यक है।

10. **प्रतियोगिता में सफलता के लिए** – व्यावसायिक वातावरण में विद्यमान प्रतियोगिता की स्थिति का सामना करने के लिए प्रतियोगी संस्था के उत्पादों, लागतों, वितरण माध्यमों, विज्ञापन एवं प्रचार के साधनों की सही जानकारी व्यावसायिक प्रबंधकों को होनी अतिआवश्यक है। इसके बिना प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना असंभव है। अतः प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन अतिआवश्यक है।

वातावरण वर्गीकरण
Classification of Environment

किसी भी संस्था के वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है :–

1. आन्तरिक वातावरण
2. बाह्य वातावरण

1- आन्तरिक वातावरण Internal Environment

किसी संस्था के भीतर विद्यमान वातावरण को आन्तरिक वातावरण कहते हैं यह संस्था की चारदिवारी/परिसर के भीतर विद्यमान होता है। आन्तरिक वातावरण में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होते हैं–

(i) संस्था के लक्ष्य एवं उदेश्य

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) संस्था की विचारधारा / सोच / दर्शन

(iii) संस्था के संसाधन

(iv) संस्था के नियम एवं नीतियाँ

(v) संस्था की सन्देश वाहन प्रणाली

(vi) संस्था के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों की सम्बन्ध संरचना

(vii) संस्था की संगठन संरचना

2- बाह्य वातावरण External Environment

किसी संस्था के बाहर विद्यमान घटक जो संस्था की कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं बाह्य वातावरण के अन्तर्गत आते हैं। बाह्य वातावरण ही संस्था का वास्तविक वातावरण होता है जो संस्था को सर्वाधिक प्रभावित करता है। बाह्य वातावरण में अनेक घटक सम्मिलित है जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नानुसार है:–

(i) जन सांख्यिकी वातावरण एवं उसके घटक –व्यवसाय प्रबन्धक के लिए जन सांख्यिकी वातावरण एवं उनके घटको का अध्ययन अतिमहत्वपूर्ण है। यह भावी उपभोक्ताओं एवं बाजार संभवनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में प्रबन्धकों के लिए मददगार है। इस जानकारी के आधार पर बाजार विभक्तीकरण करने एवं विपणन मिश्रण की व्यूह रचनाओं का निर्माण करने में व्यवसाय प्रबन्धन को आसानी होगी। जन सांख्यिकी वातावरण में जनसंख्या का आकार, घनत्व, जनसंख्या का आयु आधार पर वर्गीकरण, आय, शैक्षिक स्तर, जाति एवं धर्म, रोजगार तथा घरेलु इकाई का आकार आदि बातों को सम्मिलित किया जा सकता है।

(ii) आर्थिक वातावरण –आर्थिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी घटको से हैं जो संस्था की कार्यकुशलता को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण में मुख्य रूप से देश की अर्थ व्यवस्था के विकास की दिशा अर्थात अर्थ व्यवस्था विकसित, अविकसित या विकासशील में से किस दिशा में है। देश में तेजी–मन्दी की स्थिति, राष्ट्रीय आय का स्वरूप एवं श्रोत, आय का वितरण, पूंजी निर्माण की दर, देश का कर ढ़ाँचा, विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय प्रबन्धक को इन घटको की स्थिति एवं इनमें होने वाले परिवर्तन का निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिए। अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग व्यावसायिक निर्णयों में करके संस्था को सफलता के मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है।

(iii) सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण –सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में समाज की जीवन शैली, जीवन–स्तर, परिवर्तनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक रीति–रिवाज एवं परम्पराएँ आदि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इन घटको में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी परिवर्तनों को समझकर उपभोक्ताओं की रूचि, पसन्द एवं फैशन आदि का पता लगाया जा सकता है तथा उसी के अनुरूप व्यावसायिक निर्णय लिये जा सकते हैं।

(iv) प्राकृतिक वातावरण एवं उसके घटक –प्राकृतिक वातावरण एवं उसके घटको में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, देश की जलवायु, प्राकृतिक वातावरण के प्रति जन समुदाय की जागरूकता तथा प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु बनाये गये सरकारी नियम एवं नीतियाँ आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण आज सरकार एवं प्रबन्धकों के सामने चुनौति पूर्ण कार्य है तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा प्रबन्धकों का दायित्व है। किसी भी संस्था के कार्यक्रम एवं निर्णयों को प्राकृतिक वातावरण एवं उसके घटक सदैव प्रभावित करते रहते हैं। अतः व्यवसाय प्रबन्धकों को प्राकृतिक वातावरण एवं उनके घटकों की ओर सदैव ध्यान देते रहना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(v) राजनीतिक वातावरण एवं उसके घटक –किसी भी देश का राजनीतिक वातावरण व्यावसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करता है। राजनीतिक वातावरण में देश में राजनीतिक स्थिरता, सरकारी विचारधारा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा नीति, विदेशनीति, भष्ट्राचार की स्थिति, देश की अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आदि घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है देश की आर्थिक नीतीयाँ देश के राजनीतिक वातावरण के अनुरूप ही बनती है। अतः व्यवसाय प्रबन्धकों को सदैव राजनीतिक वातावरण एवं उसके घटको का अध्ययन करते रहना चाहिए।

(VI) तकनीकी वातावरण एवं उसके घटक –तकनीकी वातावरण से आशय वातावरण के उन घटकों से है जो किसी व्यावसायिक संस्था के तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते है। तकनीक वातावरण में देश में उपलब्ध तकनीक की स्थिति एवं उसकी लागत, तकनीकों के सम्बंध में सरकारी नीति, तकनीकों के परिवर्तन की गति, तकनीकों के आयात–निर्यात की नीति आदि घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। आज तकनीक में तीव्र परिवर्तन हो रहे है अतः व्यवसाय प्रबंधकों को तकनीकी परिवर्तनों की जानकारी रखनी होगी ताकि परिवर्तनों के अनुरूप शीघ्र व्यावसायिक निर्णय लिये जा सके।

(VIII) उपभोक्ता – उपभोक्ता अनेक प्रकार के हो सकते है जैसे घरेलू उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता, विदेशी ग्राहक, आदि। व्यवसाय प्रबंधकों को अपने ग्राहक/ उपभोक्ता के सम्बंध में सभी सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। ग्राहकों की रूचि, आवश्यकता, फैशन, आयु, आय वर्ग आदि की जानकारी करनी चाहिए।

(IX) प्रतियोगी –प्रतियोगी संस्थाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी रखना व्यवसाय प्रबंधकों के लिए अतिआवश्यक है। प्रतियोगी संस्था के उत्पाद, मूल्यनीति, वितरण एवं मध्यस्थों से सम्बंधित नीति आदि बातों पर ध्यान देकर अपनी संस्था की व्यूह रचना बनानी चाहिए।

(X) जनसमूह –जनसमूह से तात्पर्य जनता के ऐसे समूहों से है जो किसी संस्था को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करने की स्थिति में होते है। जन समूह निम्न प्रकार के हो सकते है

A. किसी संस्था में अंशधारी, ऋणदाता, ऋणपत्रधारी, बैंक एवं निवेशक आदि के समूह।

B. सरकारी संस्थाएं एवं सरकारी अधिकारी

C. उपभोक्ता संरक्षण मंच, पर्यावरण संरक्षण मंच

D. किसी संस्था के कर्मचारी, प्रबंधक एवं संचालकों के समूह

E. संचार माध्यमों में टी.वी, समाचार पत्र, रेडियो आदि

ये जनसमूह किसी संस्था की ख्याति बनाने एवं बिगाड़ने की क्षमता रखते है अतः इनसे सम्पर्क बनाये रखना किसी संस्था के लिए लाभप्रद होता है।

वातावरण विश्लेषण Environment Analysis

वातावरण विश्लेषण के अन्तर्गत वातावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। वातावरण के अध्ययन द्वारा यह जानने की कोशिश की जाती है कि वातावरण के कौन–कौन से घटक किस प्रकार से संस्था को प्रभावित कर रहे हैं। वातावरण के घटकों में किस प्रकार एवं किस गति से परिवर्तन हो रहा है तथा इस परिवर्तन का संस्था पर क्या एवं किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार वातावरण विश्लेषण के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का विश्लेषण किया जाता है : –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. वातावरण के विभिन्न घटकों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है।
2. वातावरण के विभिन्न घटकों में किन कारणों से परिवर्तन हो रहा है।
3. वातावरण के विभिन्न घटकों में होने वाले परिवर्तनों का संस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
4. वातावरण में परिवर्तन किस गति से हो रहा हैं।
5. वातावरण में हो रहे परिवर्तनों का संस्था पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। वातावरण में हो रहे परिवर्तन संस्था के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर, चुनौतियाँ तथा संकट ला सकते हैं।

वातावरण विश्लेषण का उदेश्य इस बात की जानकारी करना है कि एक संस्था वातावरण द्वारा प्रदत्त संकटों एवं चुनौतियों से किस प्रकार लड़ सकती है। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों द्वारा प्रदत्त अवसरों का किस प्रकार अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है। वातावरण द्वारा प्रदत्त संकटों का सामना करने के लिए संस्था के पास कौन–कौन से साधन उपलब्ध हैं तथा भविष्य में किन साधनों की व्यवस्था करनी है।

वातावरण विश्लेषण : अर्थ एवं परिभाषा
Environment Analysis : Meaning and Definition

वातावरण विश्लेषण से आशय वातावरण के विभिन्न घटकों का किसी उपक्रम या संस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है।

वातावरण विश्लेषण द्वारा एक संस्था वातावरण में उपलब्ध अवसरों का लाभदायक उपयोग कर सकती है, अपनी क्षमताओं एवं कमियों को ज्ञातकर चुनौतियों का सामना कर सकती है।

ग्लुएक (Gluck) के अनुसार –''वातावरण विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यूहरचनात्मक नियोजक अपने उपक्रम के लिए अवसरों एवं चुनौतियों का निर्धारण करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रोद्योगिकीय, आपूर्तिकर्ता तथा बाजार परिस्थितियों पर निगरानी रखता है।"

संक्षेप में वातावरण विश्लेषण का अर्थ इस बात की जानकारी करने से लिया जा सकता है कि वातावरण के घटक किस प्रकार एवं किस गति से परिवर्तित हो रहे हैं तथा ये किस प्रकार से संस्था को प्रभावित कर रहे हैं।

वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटक
Factors Affecting Environment Analysis

वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटकों में प्रमुख घटक निम्नानुसार है :–

1. **संस्था का कार्यक्षेत्र :** यदि संस्था का कार्यक्षेत्र बड़ा है तो वातावरण के अध्ययन एवं विश्लेषण का क्षेत्र भी विस्तृत होगा। इसके विपरीत एक संस्था जिसका कार्य क्षेत्र सीमित है, तो उसके सामने वातावरण की चुनौतियाँ भी सीमित होती है तथा वातावरण का अधिक विश्लेषण करने की आवयश्कता नहीं होती है।
2. **व्यवसाय की प्रकृति :** यदि संस्था का व्यवसाय जटिल प्रकृति का है तो वातावरण विश्लेषण में बहुत कठिनाई आती है। इसके विपरीत यदि संस्था का व्यवसाय साधारण प्रकृति का है तो वातावरण के विश्लेषण में उनको किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
3. **नव स्थापित व्यवसाय :** यदि संस्था का व्यवसाय नवीन है तो संस्था को अपने आस–पास के वातावरण से परिचित होने में समय लगता है तथा वातावरण विश्लेषण में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसके विपरीत पुरानी एवं व्यवस्थित संस्था के लिए आस–पास के वातावरण को समझना एवं कार्यवाही करना आसान होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **वातावरण की परिवर्तनशीलता :** यदि किसी संस्था के आस–पास विद्यमान वातावरण बहुत अधिक परिवर्तनशील प्रकृति का है तो वातावरण विश्लेषण का कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। इसके विपरीत वातावरण में परिवर्तन कम होने पर वातावरण विश्लेषण का कार्य सहज एवं सामान्य तरीके से हो सकता है।

5. **पेशेवर प्रबन्ध :** पेशेवर प्रबन्धक वातावरण के विश्लेषण में दक्ष होते हैं तथा वातावरण विश्लेषण में उन्हें किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके विपरीत स्थिति होने पर वातावरण विश्लेषण कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6. **प्रबन्धकों की विचारधारा :** प्रबन्धकों की विचारधारा भी वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करती है। जो प्रबन्धक पुरातन या प्राचीन विचारधारा के होते हैं वे वातावरण को जानने एवं समझने का अधिक प्रयास नहीं करते हैं। नवीन विचारधारा के प्रबन्धक वातावरण के विश्लेषण एवं अध्ययन में गहरी रूचि लेते हैं।

7. **संस्था का आकार :** बड़ी संस्थाएँ जाखिम पूर्ण व्यवसाय का संचालन करती है तथा उनके कार्य क्षैत्र में बहुत अधिक जटिलताएँ होती है। इन संस्थाओं को अपने वातावरण का विश्लेषण बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है किन्तु छोटी संस्थाओं के लिए वातावरण विश्लेषण की कोई विशेष समस्या नहीं रहती है।

वातावरण विश्लेषण की प्रक्रिया
Process of Environment Analysis

रण के विश्लेषण का कार्य एक संके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अतः इसे सावधानी पूर्वक सम्पादित किया जाना चाहिए। वातावरण विश्लेषण की प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

1. वातावरण का अवलोकन करना
2. वातावरण पर निगाह रखना/निगरानी करना
3. पूर्वानुमान लगाना
4. मूल्यांकन करना

उपरोक्त बिन्दुओं का संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार किया गया है :–

1. वातावरण का अवलोकन करना :

वातावरण के अवलोकन के लिए संस्था के पास प्रयाप्त सूचना श्रोत होने चाहिए। एक संस्था निम्नलिखित श्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त कर सकती है :–

(i) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ
(ii) रेडियो एवं टी.वी.
(iii) आर्थिक सर्वेक्षण की बुलेटिन
(iv) केन्द्रीय बैंक की बुलेटिन
(v) विभिन्न सरकारी विभागों की प्रेस विज्ञप्तियाँ
(vi) इन्टरनेट
(vii) जन सर्वेक्षण

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(viii) औद्योगिक एवं तकनीकी सलाहकार

2. वातावरण पर निगरानी रखना :

वातावरण पर निगरानी रखने से आशय वातावरण के उन घटकों पर निगरानी रखने से हैं जिनका उपक्रम के अस्तित्व एवं विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। वातावरण पर निगरानी के लिए कुछ विशेष पत्र–पत्रिकाएँ, बुलेटिन, प्रेस विज्ञप्तियों आदि का सहारा लिया जा सकता है।

3. पुर्वानुमान लगाना :–

वातावरण के घटकों पर निगरानी के बाद पुर्वानुमान करना या पुर्वानुमान लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। पुर्वानुमान सामान्यतया ग्राहकों की आवश्यकताओं, पसन्द एवं फैशन में परिवर्तन, मूल्य वृद्धि, रोजगार के अवसरों में कमी या वृद्धि, उत्पादों के नवीन उपयोग, उत्पादों के अप्रचलन आदि के बारे में लगाये जाते हैं जिनका संस्था के अस्तित्व एवं विकास पर प्रभाव पड़ता है।

4. मूल्यांकन करना :–

वातावरण का मूल्यांकन वास्तव में एक कठिन कार्य है। वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए सभी प्रबन्धकों द्वारा अपनी संस्था के वातावरण का स्वॉट एनालायसिस (SWOT Analysis) किया जाता है।

SWOT शब्द का अर्थ निम्नानुसार है :–

S = Strength अर्थात शक्तियाँ

W = Weakness अर्थात कमजोरियाँ

O = Opportunities अर्थात अवसर

T = Threats अर्थात संकट या खतरें

वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए "वातावरण संकट तथा अवसर विवरण (Environment Threat and Opportunitys Profile) भी उद्यमियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्था के वातावरण में कौन–कौन से अवसर विद्यमान है तथा कौन–कौन से खतरे या संकट खड़े है। यह विवरण प्रायः एक तालिका के रूप में तैयार किया जाता है।

इस प्रकार वातावरण विश्लेषण की उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके उद्यमी अवसरों का लाभ उठा सकता है तथा उपक्रम पर आने वाले संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर सकता है।

प्रतिस्पर्धा घटक विश्लेषण
Competitive Factors Analysis

एक संस्था/उपक्रम प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य करती है। प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। किसी भी उपक्रम/संस्था के लिए अपने बाजार में वृद्धि करने के लिए प्रतिस्पर्धी घटकों का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिस्पर्धी घटकों का विश्लेषण सामान्यतया निम्नलिखित उदेश्यों के लिए किया जाता है :–

1. वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिस्पर्धी संस्था की प्रतिक्रिया को ज्ञात करना।
2. वातावरण एक उसके घटकों में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए प्रतिस्पर्धी संस्था/उपक्रम द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं इसकी जानकारी करना।
3. प्रतिस्पर्धीयों द्वारा अपनाई गई रणनीति का प्रत्युतर देने के लिए जबाबी कार्यवाही की व्यवस्था करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

प्रतिस्पर्धी वातावरण का मूल्यांकन करने के लिए एक संस्था को निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी चाहिएः–

1. संस्था द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद का बाजार कितना बड़ा है एवं उस बाजार में संस्था के उत्पाद का क्या हिस्सा या भाग (Market Share) है।
2. समान प्रकार के उत्पाद का निर्माण करने वाली संस्था के अतिरिक्त और कितनी इकाइयाँ है।
3. अन्य संस्थाओं एवं इकाईयों का बाजार भाग या हिस्सा कितना है।
4. उत्पाद के विक्रय एवं वितरण के लिए प्रतिस्पर्धी संस्था द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है।
5. प्रतिस्पार्धी संस्था द्वारा अपनायी जाने वाली रणनीति का जबाब देने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाना उपयुक्त रहेगा।
6. संस्था द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद की क्या खूबीयाँ है।
7. संस्था द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद की क्या कमियाँ है।
8. उपभोक्ता द्वारा किस ब्राण्ड का अधिकतम उपयोग किया जाता है।
9. प्रतियोगी द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद में क्या कमीयाँ है।
10. प्रतियोगी द्वारा बनाये जाने वाले उत्पाद के गुण या विशेषताएँ क्या है।

1. प्रतिस्पर्धी वातावरण के मूल्यांकन एवं विश्लेषण के लाभ :

प्रतिस्पर्धी वातावरण के मूल्यांकन एवं विश्लेषण के निम्नलिखित लाभ है :–

1. प्रतिस्पर्धी वातावरण के विश्लेषण द्वारा इस बात की जानकारी की जा सकती है कि प्रतिस्पर्धी संस्था पर विजय प्राप्त की जा सकती है या नहीं।
2. प्रतिस्पर्धी वातावरण के विश्लेषण द्वारा उन क्षैत्रों का पता लगाया जा सकता है जिनमें प्रतियोगी के विरूद्ध कार्य किया जा सकता है।
3. बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं चुनौतियों की जानकारी की जा सकती है।
4. प्रतियोगी वातावरण का विश्लेषण बाजार अनुसंधान कार्य में सहयोग प्रदान करने वाला है।
5. प्रतियोगी वातावरण का अध्ययन संस्था को अपनी विपणन व्यूह रचनाओं के निर्माण में सहयोग प्रदान करता है।
6. प्रतियोगी वातावरण का विश्लेषण संस्था को बाजार मांग में विस्तार हेतु सहयोग प्रदान करता है।

एक उपक्रम के सामने प्रतिस्पर्धी द्वारा अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत की जा सकती है जिसका सामना करने के लिए उपक्रम को हमेशा तैयार रहना चाहिए तथा प्रतियोगीयों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ का समना करने के लिए रणनीति का निर्माण किया जाना चाहिए। निम्नलिखित कारणों से एक संस्था के लाभ कम हो सकतें है :–

1. किसी भी संस्था द्वारा कमाये जाने वाले लाभ जब तक आकर्षक होंगें संस्था के बाजार में प्रतिस्पर्धीयों का प्रवेश अवश्य होगा। अतः प्रतिस्पर्धीयों का प्रवेश संस्था के लाभों में कमी कर सकता है। प्रतिस्पर्धीयों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए संस्था को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए :–

(i) बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं वितरण कार्य करना ताकि उत्पादन लागत को न्यूनतम रखा जा सके।

(ii) उत्पादों के विक्रय के लिए विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन के साधनों का भरपूर उपयोग करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) कच्चे माल एवं सामग्री को कम मूल्य पर खरीदने के प्रयास करना।

(iv) श्रम लागतों को न्यूनतम करना।

2.. किसी उत्पाद का स्थानापन्न उत्पाद भी एक संस्था के उत्पाद के विक्रय में बाधा पहुंचा सकता है जिससे संस्था के लाभ कम हो सकते है। स्थानापन्न उत्पाद वह उत्पाद है जो किसी उत्पाद विशेष के स्थान पर किसी उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लिया जा सकता है। सामान्यतया किसी उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ताओं द्वारा उस उत्पाद के स्थानापन्न उत्पादों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए चाय के मंहगे होने पर काफी का प्रयोग किया जाता है।

स्थानापन्न उत्पादों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना एक संस्था द्वारा अपने उत्पाद को उपभोक्ता के लिए अधिक आकर्षक बना कर किया जा सकता है। इसके लिए संस्था को ब्राण्ड निष्ठा का निर्माण करने हेतु विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन के साधनों का उपयोग करना चाहिए।

3. उपभोक्ताओं का शिक्षित होना एवं जागरूक होना एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जो किसी संस्था द्वारा कमाये जाने वाले लाभों में कमी का कारण बन सकते है।

4. मध्यस्थों द्वारा वितरण लागतों में वृद्धि करना एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। वितरण लागतों में वृद्धि से उत्पादों की लागत में वृद्धि होती है तथा संस्था के लाभों में कमी आती है।

<u>अभ्यास के लिए प्रश्न :</u>

लघुत्तरात्मक प्रश्न :

1. उद्यमीय वातावरण क्या है।
2. उद्यमीय वातावरण की प्रकृति को समझाईये।
3. व्यवासाय के आर्थिक वातावरण के घटकों के नाम लिखिये।
4. स्वॉट अनालिसिस क्या है ?
5. वातावरण विश्लेषण का क्या अभिप्राय है।

निबन्धात्मक प्रश्न :

1. उद्यमीय वातावरण से आप क्या समझते है उद्यमीय वातावरण क्या अध्ययन क्यों आवश्यक है ?
2. व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिये ?
3. वातावरण विश्लेषण का क्या अभिप्राय है। वातावरण विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये ?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

SECTION C

FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP

अध्याय – प्रथम

उद्यमीय व्यवहार

[Entrepreneurial Behaviour]

उद्यमी का व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार से कुछ भिन्न होता है। उद्यमी एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, उसके विचार, कार्य करने का तरीका, सोच की सीमा, अन्तर्ज्ञान आदि में अन्य व्यक्तियों की तुलना में अन्तर होता है। वह उपलब्धि की उच्च आकांक्षा लिए नवाचारी सृजनशील व्यक्ति है। वह जोखिम उठाना अपना कार्य समझ कर व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। उद्यमी के व्यवहार में विकास की प्रक्रिया एवं बदलते आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक परिदृश्य के साथ समय–समय पर परिवर्तन होता रहता है।

उद्यमीय व्यवहार का अर्थ (Meaning)

उद्यमीय व्यवहार का आशय नव–प्रवर्तन, सृजनात्मकता, सृजनात्मक संगठन एवं सामाजिक उत्तरदायित्त्वों के सम्बन्ध से होता है जो उसके मूल्यों एवं प्रवृतियों द्वारा निर्देशित होता है, जिसे वह समग्र वातावरण से प्राप्त करता है।

उद्यमीय व्यवहार की वि□ोशताएँ (Characteristics)

उद्यमीय व्यवहार के अन्तर्गत नव–प्रवर्तन, सृजनात्मकता, मूल्य, एक सफल उद्यमी के गुण तथा उसके द्वारा निर्वाह किये जाने वाले सामाजिक उत्तरदायित्व आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें नव–प्रवर्तन, उद्यमीय व्यवहार का प्रमुख लक्षण है क्योंकि वह परिवर्तनों का उत्प्रेरक होता है, नये संयोजनों को चलाने की योग्यता रखता है और नये अवसरों को खोजने में उपकरण की तरह कार्य करता है। इसलिए **भुम्पीटर** ने उद्यमी को एक विचारमान व्यक्ति (Man with Ideas) तथा कार्यशील व्यक्ति (Working Man) कहा है।

समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने उद्यमीय व्यवहार के सम्बन्ध में शोध करके उनके व्यवहार को समझने एवं परिभाषित करने का प्रयास किया है। शोध निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उद्यमीय व्यवहार में निम्नांकित प्रमुख विशेषताएँ पाये जाते है।

1. **आव□यकताओं से प्रेरित** (Motivated by needs) उद्यमियों का व्यवहार कुछ विशेष प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। ये आवश्यकताएँ सामाजिक, मानसिक तथा आत्म–विकास की हो सकती है। **मेकक्लीलैण्ड** ने एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि उद्यमी तीन प्रकार की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर कार्य या व्यवहार करता है।

   (i) उपलब्धि की आवश्यकता (Need for achievement),

   (ii) सत्ता की आवश्यकता (Need for Power),

   (iii) अपनत्व या सम्बन्धन की आवश्यकता (Need for affiliation),

2. **धन की तुलना में उपलब्धि का महत्त्व** ;टंसनम विं बीपमअमउमदज वअमत उवदमलद्ध उद्यमी के व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्यतः एक मिथ्या धारणा पायी जाती है कि वे धन कमाने की लालसा से ही कार्य करते है। किन्तु, शोध परिणामों से स्पष्ट हो चुका है कि **अच्छे उद्यमियों की मूल प्रेरणा धन नही है।** धन कमाना उनके लिए कई कारणों से आवश्यक है किन्तु वे केवल धन कमाने के लिए ही उद्यमिता के लिए प्रेरित नहीं होते है। मेकक्लीलैण्ड के शोध के परिणाम भी यही बताते है

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

कि **''उद्यमी उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से प्रेरित होकर कार्य करता है किन्तु इस आकांक्षा में धन कमाने की आकांक्षा सम्मिलित नहीं है।''**

3. **स्थिति पर नियंत्रण या कर्मवादी** (Laws of Control or believer in action) **अल्बर्ट भोपरो** (Albert Shapero) ने स्थिति पर नियंत्रण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उनके इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति दो प्रकार के होते है। **प्रथम बाहरी व्यक्ति,** जो यह मानते है कि जीवन में सफलता बाहरी शक्तियों के कारण अर्थात् भाग्य, दैवयोग, परिस्थितियों आदि के कारण प्राप्त होती है। **द्वितीय, आन्तरिक व्यक्ति**, जो यह मानते है कि सफलता प्राप्त करने के लिए वे अपने ब्राह्य वातावरण को अपने हित में प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यह मानते है कि वे बाह्य परिस्थितियों को अपने प्रयासों एवं कार्यों से अपने अनुकूल बना सकते है।

उद्यमी का व्यवहार आन्तरिक व्यक्तियों जैसा अधिक होता है। वह अपने वातावरण की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने हेतु कार्य एवं व्यवहार करता है। वह अपना भाग्य स्वयं लिखने एवं बनाने में विश्वास करता है एवं उसी दिशा में कार्य एवं व्यवहार करता है।

4. **सृजनात्मक एवं नवाचारी** (Creative and innovative) सृजनात्मकता एवं नवाचारिता सफल उद्यमियों के व्यवहार के आधार है। जिन उद्यमियों का व्यवहार सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रवृत्तियों के प्रति सकारात्मक नहीं है, वे कभी भी सफल नही होते है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि **''सफल उद्यमियों की जीवन रेखा सृजनात्मक एवं नवाचारी व्यवहार के साथ–साथ चलती है।''** जो उद्यमी सृजनात्मक नवाचारी कार्यों को अपने दैनिक व्यवहार का अंग नही समझते है, वे असफल हो जाते है।

5. **संतुलित या मध्यम श्रेणी की जोखिम में रूचि** (Like moderate risk)– यह सामान्यतः देखा एवं पाया गया है कि सफल उद्यमी संतुलित या मध्यम श्रेणी की जोखिम लेने में रूचि लेते हैं। अच्छे उद्यमी न तो बहुत बड़ी और न बहुत छोटी जोखिम की ओर ही आकर्षित होते है। **मेक्क्लीलैण्ड** ने स्पष्ट किया है कि यह बात सामान्य तर्क के विरूद्ध अवश्य है किन्तु, अच्छे एवं उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वाले उद्यमी सदैव मध्यम आकार की या संतुलित जोखिम के प्रति आकर्षित होते है। ऐसा इसलिए कि अच्छे एवं सफल उद्यमी सदैव जोखिम लेने से पूर्व जोखिम का समुचित आकलन करते है। तत्पश्चात् सफलता की सम्भावना दिखने पर ही उस जोखिम को उठाने का निर्णय करते है। इस प्रकार सफल उद्यमी जोखिम उठाने में पूर्णतः विवेकपूर्ण व्यवहार करते है।

6. **अवसरों पर कड़ी निगाह** (Hard Look on opportunities)– उद्यमियों के व्यवहार में एक विशेष बात यह पायी जाती है कि वे सदैव अवसरों पर कड़ी निगाह रखते है। वे प्रत्येक अच्छे अवसर की खोज में रहते है तथा अच्छा अवसर मिलते ही उसका लाभ उठाना प्रारम्भ कर देते है।

उद्यमी नयी घटनाओं, नये आविष्कारों, नये समाचारों, नयी–नयी समस्याओं आदि सभी में अपने लिए अवसर खोजते ही रहते हैं। वे अवसरों को खोजते है और उन अवसरों से ही अपनी मंजिल तय करते है।

7. **चुनौतीपूर्ण लक्ष्य** (Challenging goals)- उद्यमियों के व्यवहार में एक बात यह भी देखने को मिलती है कि वे सदैव चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते है। साथ ही उनके लक्ष्य व्यावहारिक या प्राप्त करने योग्य अवश्य होते है। दूसरे शब्दों में, उद्यमी लीक से हटकर चलते है। वे सदैव ऐसे मार्ग पर चलने का साहस करते है जिन पर सामान्य व्यक्ति सामान्यतः नहीं चलते है। वे उसी मार्ग पर चलकर भारी सफलता अर्जित करते है।

8. **अस्पश्टता के प्रति सहन□ीलता** (Tolerance for ambiguity)– उद्यमियों को कई अस्पष्ट या संदिग्ध परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता हैं। परिवर्तनशील वातावरण में ऐसी अस्पष्टताएँ या

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

संदिग्धताएँ और भी गम्भीर रूप धारण कर लेती है। उद्यमियों को ऐसी ही परिस्थितियेां में कार्य एवं व्यवहार करना पड़ता है। अतः उद्यमियों का व्यवहार धीरे–धीरे अस्पष्टताओं के प्रति सहनशील हो जाता है। इतना ही नही, वे अस्पष्टताओं या संदिग्ध परिस्थितियों में कार्य करने के आदी हो जाते है। उद्यमिता क्षेत्र के एक विद्वान अमर भिन्डे ने तो इसीलिए लिखा भी है कि **''उद्यमियों में उन कार्यों में कूदने की इच्छा तब भी होती है जबकि यह कल्पना करना भी कठिन होता है कि उनके सम्भावित परिणाम क्या हो सकते है।''**

9. **असफलताओं/गलतियों से सीख** (Learns by mistakes/failures)– दुनिया में सभी लोग गलतियाँ करते है तथा कभी–कभी गलतियाँ इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको असफलता का मुँह भी देखना पड़ता है। किन्तु, उद्यमियों के व्यवहार में यह विशेषता पायी जाती है कि वे अपनी गलतियों एवं असफलताओं से शिक्षा लेते है। वे उनसे सीख लेकर आगे उसी प्रकार की गलती करने से बचने का प्रयास करते है। एक विद्वान ने इसीलिए लिखा है कि ''अच्छे उद्यमियों की एक पहचान यह है कि वे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से असफल होते हुए यह सीखते है कि वे असफल क्यों हुए ताकि भविष्य में उसी गलती से बच सकें।'' अतः उद्यमीय का व्यवहार सदैव सीखने की भावना से प्रेरित होता है। उनके व्यवहार को यही मूलमंत्र प्रेरित करता है कि, **''प्रयास करो, असफल हो जाओ, सीखो, तथा पुनः प्रयास करो''** ("Try, fail, learn and try again")

10. **मूल्य आधारित** (Value Based)– उद्यमियों का व्यवहार मूल्य आधारित होता है। वे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों, सिद्धान्तों एवं आस्थाओं को परिभाषित करते है तथा उन्हीं के अनुरूप कल्पना, आचरण एवं कार्य करते है। वस्तुतः दिव्य दर्शन दृष्टि रचना भी तभी सम्भव होती है जबकि उद्यमी का व्यवहार मूल्य आधारित होता है। वे दूसरों का मार्गदर्शन भी प्रभावी रूप से तभी कर पाते है जबकि उनका व्यवहार मूल्य आधारित होता है। अतः अच्छे उद्यमियों का व्यवहार सदैव मूल्य आधारित होता है।

11. **स्वतंत्रता की अभिलाशा** (Desire for independence)– उद्यमी के व्यवहार में स्वतत्रंता की अभिलाषा को कारण एवं परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। सामान्यतः उद्यमिता को अपनाने के पीछे एक कारण यह होता है कि उद्यमी स्वतंत्रता चाहता है। जब वह उद्यमिता अपना लेता है तो उसका व्यवहार स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। अतः एक उद्यमी का व्यवहार स्वतंत्र होता है। वह दूसरे के अधीनस्थ के रूप में कार्य करना पसन्द नही करता है। वह अपने आपको स्वयं मालिक होना चाहता है। वह दूसरों के आदेशों–निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा स्वयं की अन्तः प्रेरणा से कार्य करना पसन्द करता है। ऐसे व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि एवं अन्तर्ज्ञान होता है। फलतः वह अपने कार्यों एवं व्यवहार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखता है।

12. **समस्याएँ ही चुनौती** (Problems are Challenges)– सामान्यतः सभी उद्यमी प्रत्येक समय समस्याओं के प्रति एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं करते है। कभी वे समस्याओं की अनदेखी कर के समस्या का हल ढूँढ़ते है अर्थात् समस्या पर ध्यान ही नही देते हैं। कभी वे समस्या उत्पन्न होने पर उसका समाधान कर देते है। किन्तु अच्छे एवं सफल उद्यमी वे होते है जो समस्या उत्पन्न होने से पहले ही समस्या को खोज लेते है तथा समय रहते ही उस समस्या को हल कर देते है। वस्तुतः ऐसे उद्यमी समस्याओं को चुनौती के रूप में देखते है तथा समय रहते उनका हल करने में अपनी सफलता के दर्शन करते है।

13. **स्वायत्तता** (Autonomy)– अच्छे एवं सफल उद्यमियों के व्यवहार की एक विशेषता यह होती है कि अपने कार्यों एवं व्यवहार में स्वायत्तता को पसन्द करते है। वे लक्ष्य एवं नीतियाँ निर्धारित कर देते है। तत्पश्चात् वे अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने ही तरीके से कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करते है। इस प्रकार अच्छे उद्यमी लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित करते

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है न कि संसाधनों पर। यद्यपि, वे संसाधनों की पवित्रता पर ध्यान अवश्य देते है ताकि लोग लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनैतिक तरीको का उपयोग न कर सकें।

14. **मानव–मुखी** (Human-face)– उद्यमियों का व्यवहार मानव–मुखी होता है। उनका व्यवहार सभी व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होता है। उनके मानव–मुखी व्यवहार में निम्नांकित विशेषताओं को देखा जा सकता है :

(i) उनके विचार ग्राहक अभिमुखी (Customer oriented) होते है। वे उनकी समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील होते है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं

(ii) वे सहयोगियों एवं कर्मचारियों के साथ अच्छे सम्बन्धों का निर्माण कर अच्छे एवं **वि□वसनीय कार्य वातावरण** का निर्माण करते है।

(iii) उनके साथ **द्विमार्गी संचार व्यवस्था** स्थापित कर उनकी बातों को ध्यान से सुनते है तथा अपनी बातों को उन्हें बताते है। वे **सन्दे□ो के स्वतंत्र आदान–प्रदान** को प्रोत्साहित करते है।

(iv) वे उनके कार्यों तथा उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते है तथा उनकी खुशी में शामिल होते है।

(v) वे उनके बॉस के रूप में नही बल्कि एक सहयोगी एवं **सहभागी के रूप में उन्हें सलाह** देते है।

(vi) वे उनके बीच **लाभ एवं सफलता में सहभागिता** करते है।

15. **प्रतिबद्धता** (Commitment) उद्यमियों का व्यवहार प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होता है। वे अपने निर्धारित लक्ष्यों एवं कार्यों के प्रति समर्पित होते है तथा पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते है। वे जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नही कर लेते हैं तब तक अथक एवं निरन्तर प्रयास करते रहते है। वे बाधाओं एवं अवरोधों के उपरान्त भी अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा से पूरा करते रहते है।

16. **प्रतिक्रिया प्रेमी** (Feedback lovers) उद्यमी अपने कार्यों एवं व्यवहार के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया तत्काल जानने के इच्छुक रहते है। ऐसी इच्छा के कारण ही वे अपनी कमियों एवं गलतियों को तत्काल जान लेते हैं। फलतः वे अपने भावी कार्यों एवं व्यवहार को अधिक अच्छा एवं अनुकूल बनाने में सफल हो जाते है।

17. **भविश्योन्मुख** (Future oriented) उद्यमियों के व्यवहार की एक विशेषता यह भी होती है कि वे भविष्योन्मुख होते हैं। उन्होनें कल क्या किया था या वे कल क्या थे, इसको अधिक महत्त्व नहीं देते है? वे कल क्या कर सकते है या कल क्या बन सकते है, इस पर ध्यान केन्द्रित करके अपना कार्य एवं व्यवहार करते है। किन्तु इतना अवश्य है कि वे कल की गलतियों से सीखते है तथा आने वाले कल को सुन्दर बनाने का प्रयास करते है।

18. **परिवर्तन में वि□वास** (Believe in Change) उद्यमी कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन में विश्वास रखते है। इस हेतु वे सदैव अपने वातावरण पर कड़ी नजर रखते है तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करते रहते है। वे समय से पूर्व ही परिवर्तनों को भाँप लेते है तथा अपने कार्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं, व्यवहार में परिवर्तन कर लेते है। किन्तु, ऐसा करते समय वे कभी–कभी आधारभूत सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते है।

19. **उत्तरदायी एवं जवाबदेय** (Responsible and accountable) उद्यमी का व्यवहार सदैव उत्तरदायित्वपूर्ण एवं जवाबदेय होता है। वह सदैव अपने कार्यों एवं व्यवहार में उत्तरदायित्व की

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

भावना का परिचय देता है। वह जो भी उपक्रम स्थापित एवं संचालित करता है, उसके लिए वह स्वयं अपने आपको उत्तरदायी एवं जवाबदेय समझता है।

20. **आत्मवि□वासी एवं विनय□ील** (Confident and modest) उद्यमी व्यवहार से आत्मविश्वासी एवं विनयशील होते है। वे अपने आत्मविश्वास से कई नयी चुनौतियों का सामना करते है। वे आत्मविश्वास से कार्य करते है न कि घमण्ड से। वे सदैव आत्मविश्वास से किन्तु विनयपूर्वक व्यवहार करते है। वे अपने आपको ही बड़ा एवं शक्तिशाली बनाने के साथ–साथ अपने कर्मचारियों/सहयोगियों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखते है।

21. **दीर्घकालीन दृश्टिकोण** (Long-term view) उद्यमियों का व्यवहार सामान्यतः दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रभावित होता है तथा कार्य एवं व्यवहार करता है। ये अल्पकालीन लाभों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा दीर्घकालीन सफलता पर ध्यान देते है। ये 5–7 वर्ष की अवधि में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाते है।

22. **समूह की सदस्यता** (Membership of group) उद्यमी अकेले में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है। वे समूह में कार्य एवं व्यवहार करते है। अतः वे सदैव किसी न किसी समूह की सदस्यता स्वीकार करने में रूचि दिखाते है। उद्यमी प्रायः पारिवारिक सदस्यों, मित्रों तथा औपचारिक समूहों में रहकर कार्य एवं व्यवहार करना अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। ऐसे समूह ही उन्हें असफलता एवं कष्ट के दिनों में हिम्मत बँधाते है और उन्हें असफल होने से बचाते हैं। अतः वे सदैव समूह की सदस्यता चाहते है तथा उन्हीं के बीच व्यवहार करना पसन्द करते हैं।

23. **लोच□ीलता** (Flexibility) उद्यमियों का व्यवहार लोचशील होता है। अतः वे अपने विचारों एवं व्यवहार को समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलने को तैयार रहते हैं। वे अपने व्यवहार को अपने व्यवसाय एवं ग्राहको के अनुरूप बनाने का तत्पर रहते है।

24. **उदाहरणीय** (Exemplary) उद्यमियों का व्यवहार मूल्य आधारित होता है। फलतः उनका व्यवहार दूसरों के लिए अनुकरणीय होता है। जिस उद्यमी का कथन उसके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होता है, वह अपने जीवन में सफल नहीं होता है। अतः अच्छे उद्यमी सदैव अपने कथनों की अपेक्षा अपने कार्यो एवं व्यवहार से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे उद्यमियों की उद्योग जगत में विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है।

25. **विनोद वृत्ति** (Sense of humour) सफल उद्यमी का व्यवहार विनोदी होता हैं। ऐसे व्यवहार से वह लोगों में रोमांच एवं उत्साह भर देता है।

नव–प्रवर्तन एवं उद्यमी

(Innovation and Entrepreneur)

उद्यमी व्यवहार नव–प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता से सम्बन्धित होता है। इस सम्बन्ध में नव–प्रवर्तन के प्रवर्तक **भ्युम्पीटर** ने कहा कि, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में नई बात को प्रस्तुत करता है।'' उन्होंने आगे यह भी कहा कि, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्ण कल्पना करता है तथा किसी वस्तु, नई उत्पादन विधि, नये कच्चे–माल, नये बाजार, अथवा उत्पादन के साधनों के नये संयोजन को अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है।'' इसी विचारधारा के समर्थक प्रबन्धशास्त्री **पीटर एफ. ड्रकर** का मानना है कि ''नव–प्रवर्तन उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है।''

नव–प्रवर्तन का अर्थ (Meaning of Innovation)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

नव–प्रवर्तन अथवा नवाचार का अर्थ किसी तकनीकी आविष्कार या नवीन अथवा श्रेष्ठतर उत्पादन तक ही सीमित नहीं है अपितु संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान कर सकने वाली किसी भी प्रक्रिया से है, जो संस्था में नवीनता का आभास दिलाती है। उदाहरण : विपणन के क्षेत्र में सुपर बाजार, बहु–मंजिले मकान एवं बाजार अथवा काम्पलेक्स, स्वयं सेवा प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र में प्रभाग, विक्रय–प्रणाली, मानव संसाधन विकास, प्रशासन क्षेत्र में कार्य एवं स्वामियों के सम्बन्ध में अनार्थिक पक्षों को महत्त्व देना भी नवाचार है।

इस प्रकार उद्यमिता एक नव–प्रवर्तनकारी है क्योंकि नव–प्रवर्तक द्वारा सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है, जैसे–

1. वह व्यवसाय में सदैव नई तकनीक, नये यन्त्रों एवं प्रबन्ध व्यवस्था को स्थान देता है।
2. वह नई वस्तुओं, नये बाजारों तथा नयी सेवाओं से उपभोक्ताओं की संतुष्टि और फर्म के लाभो में वृद्धि करता है।
3. वह अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति में सुधार करने एवं समाज को अधिकतम संतुष्टि तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए नव–प्रवर्तनों का विकास करता है, एवं उन्हें अपनाता है।
4. वह समाज में नये परिवर्तन को जन्म देता है, शोध, अनुसन्धान एवं सृजनात्मक चिन्तन द्वारा अपनी वस्तु एवं उत्पादन प्रणाली आदि में सुधार करता है।
5. वह कच्चे–माल एवं अर्द्ध–निर्मित्त माल के नये स्त्रोत का पता लगाता है।
6. वह किसी प्रयोग में नये संगठन का संचालन करता है।
7. वह नये–नये उत्पादों को विकसित कर, उत्पाद विभेदीकरण करता है।
8. वह उद्यमिता को विभिन्न नव–प्रवर्तन करने तथा अपनाने के रूप में मानता है, जैसे नये किस्म के कच्चे माल का प्रयोग, नई पैकेजिंग तथा नवीन मिश्रण का प्रयोग एवं नयी विपणन विधियाँ आदि।

इस प्रकार नव प्रवर्तन उद्यमी वह होता है जो नये व्यवसाय में सदैव परिवर्तनों एवं नये सुधारों को ही स्थान नहीं देते है, अपितु नई वस्तु, नये यन्त्र, नये कच्चे माल एवं नये बाजारों की खोज करते है।

उद्यमीय व्यवहार एवं मनौवैज्ञानिक विचारधाराएँ

(Entrepreneurial behaviour and phycho Theories)

उद्यमीय व्यवहार नव–प्रवर्तन एवं सृजनात्मकता से सम्बन्धित होता है। इसलिए उद्यमी का यह व्यवहार उसके मूल्यों एवं प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होता है जो समग्र वातावरण से प्राप्त करता है। इस प्रकार उद्यमी आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक मूल्यों, विश्वासों, भावनाओं एवं प्रवृत्तियों से व्यापक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने उद्यमिता को ''मनोवैज्ञानिक क्रिया'' कहा है।

उद्यमीय व्यवहार से सम्बन्धित कई मनोवैज्ञानिक विचाराधाएँ है उनमें प्रमुख विचारधाराएँ निम्नलिखित है:–

I- शुम्पीटर की नव–प्रवर्तन विचारधारा

II- मेकक्लीलैण्ड की उपलब्धि विचाराधारा

III- एवरेट हेगेन की उपेक्षित विचारधारा

IV- कुन्केल की व्यवहारवादी विचारधारा

उपरोक्त विचारधाराओं का विवेचन इस प्रकार है :–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

I- भ्युम्पीटर की नव–प्रवर्तन विचारधारा (The Schumpeter's Innovation Theory)

उद्यमीय व्यवहार की मनोवैज्ञानिक विचारधारा में नव–प्रवर्तन विचारधारा का विकास शुम्पीटर ने 1949 में किया। उनका मत है कि उद्यमी मूलतः नव–प्रवर्तक ;प्ददवअंजवतद्ध होता है अर्थात नव–प्रवर्तक वह होता है जो नये संयोजनों ;छमू ब्वउइपदंजपवदेद्ध को प्रस्तुत करता है। शुम्पीटर के शब्दों में, ''उद्यमी वह है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नवीनता प्रदान करता है, जैसे–उत्पादन की एक विधि जिसका सम्बन्धित निर्माणी शाखा में अभी तक अनुभव द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है, एक उत्पाद जिससे उपभोक्ता अभी तक परिचित नहीं है, कच्चे माल का नया स्त्रोत, नये बाजार आदि।'' इस प्रकार शुम्पीटर के अनुसार, अर्थव्यवस्था में कुछ नई बात, उदाहरण के लिए, उत्पादन की नई विधि, नया उत्पाद, नयी संगठन–संरचना, कच्चे माल का नया स्त्रोत और नया बाजार आदि प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहा जाता है।

शुम्पीटर की नव–प्रवर्तन विचारधारा में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है :

1. **एक नये उत्पाद का प्रस्तुतीकरण करना** जिससे उपभोक्ता अभी परिचित नहीं है, जानता नही है, उसे उत्पाद की एक नई किस्म से परिचित करवाया जाता है।
2. **वस्तुओं के उत्पादन की नयी पद्धति का प्रस्तुतीकरण करना** जिसका निर्माण से सम्बन्धित किसी भी शाखा ने न तो किसी नये वैज्ञानिक ढंग से खोजने की आवश्यकता महसूस की और न ही उसने अभी तक कोई परीक्षण किया; उस नई पद्धति का ज्ञान करवाया जाता है।
3. **एक नये बाजार को खोलना** जिसमें अभी तक किसी उद्यमी ने प्रवेश नहीं किया है अथवा यह बाजार पहले विद्यमान नहीं था।
4. **कच्चे माल की पूर्ति के नये स्त्रोतों की खोज** करना, चाहे यह स्त्रोत पहले से ही विद्यमान था, अथवा उसे प्रथम बार सृजित किया गया है।
5. **किसी उद्योग में नये संगठन को आगे ले जाना या चलाना** इसमें एकाधिकारी स्थिति को तोड़ना अथवा एकाधिकारी स्थिति का सृजन करना सम्मिलित है।

इस प्रकार शुम्पीटर का मत है कि उद्यमी का जन्म निजी औद्योगिक साम्राज्य को स्थापित करने की इच्छा और सृजन का आनन्द उठाने या कार्य–कौशल का अनुभव करने के लक्ष्य से होता है। उद्यमी कोई तकनीकी व्यक्ति या पूँजीपति नहीं होता है, वरन् वह नव–प्रवर्तक होता है, जो नवीन परिवर्तनों, जैसे–प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति में सुधार करना, अपने व्यवसाय में सदैव नई तकनीक, नये यन्त्रों एवं नयी प्रबन्ध व्यवस्था को स्थान देना; शोध, अनुसन्धान एवं सृजनात्मक चिन्तन द्वारा अपनी वस्तु की उत्पादन प्रणाली में सुधार करना आदि के द्वारा लाभ प्राप्ति की इच्छा भी रखता है। इसके अतिरिक्त उन्होनें यह मत भी दिया कि नव–प्रवर्तक एवं खोजी या खोज करने वाले में अन्तर होता है। खोजी वह होता है जो नयी सामग्रियों एवं पद्धतियों की खोज करता है तथा नव–प्रवर्तक वह होता है जो इन खोजों का प्रयोग नये सृजन के निर्माण के लिए करता है। परिणामस्वरूप नयी उच्च किस्म की वस्तुएँ बने, समाज सन्तुष्ट हो एवं वह लाभ अर्जित करें।

शुम्पीटर की नव–प्रवर्तन विचारधारा की सीमाएँ निम्नलिखित है –

1. यह विचारधारा नव–प्रवर्तन कार्य पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, जो ठीक नहीं है।
2. यह एक अव्यावहारिक विचारधारा है क्योंकि यह मानकर चलती है कि उद्यमी एक बड़े पैमाने का व्यवसायी होता है। इसके अतिरिक्त वह एक व्यक्ति भी होता है जो कुछ नया सृजित करता है।
3. इस विचारधारा में जोखिम वहन करने तथा उपक्रम को संगठित करने के कार्य की उपेक्षा की गयी है, जो ठीक नहीं है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. यह एक संकुचित विचारधारा भी है। इसका मुख्य कार्य यह है कि इसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो बिना किसी नव–प्रवर्तन के निष्पादन के किसी विद्यमान व्यवसाय का संचालन कर रहे हो।

5. इस विचारधारा की यह मान्यता है कि नव–प्रवर्तक उद्यमी तेजस्वी होता है अथवा प्रभावी प्रकार के उद्यम अथवा उपक्रम कर प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु यदि विकासशील देशो की बात करें तो ऐसे उद्यमी कठिनाई से ही मिलेगें।

6. यह विचारधारा यह बताने में भी अक्षम है कि कुछ देशों में अन्य देशों की अपेक्षा उद्यमशील चातुर्य ज्यादा होने का क्या कारण है ?

शुम्पीटर की नव–प्रवर्तन विचारधारा की उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद आज भी यह विचारधारा अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उद्यम अथवा उपक्रम का विस्तार होता है और समाज को उपभोग के लिए नई वस्तुएँ मिलती हैं।

II- **मेकक्लीलैण्ड की उपलब्धि विचारधारा (Achievement Theory of the Mc-Cllelland) :** हावर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डेविड सी. मेकक्लीलैण्ड ने अपने कुछ साथियो के साथ शोध एवं अध्ययन कर उद्यमीय व्यवहार की उपलब्धि विचारधारा का विकास किया। इनका यह मत है कि उद्यमीय व्यवहार उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की क्षमता रूपी विचारधारा है। जिसके लिये नवाचार करने एवं जोखिमों में निर्णय लेने की क्षमता होना आवश्यक है।

यह विचाराधारा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इस विचारधारा के प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है–

1. **कुछ प्रेरणाओं या आव□यकताओं की मान्यता पर आधारित (Based on the assumption of certain deives/motives or needs)** – मेक्क्लीलैण्ड की यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में तीन प्रकार की आवश्यकताओं या प्रेरणाओं की अनुभूति होती है। अतः वह इन तीनों प्रेरणाओं/आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए कार्य करता है तथा कार्य करने हेतु तत्पर रहता है। ये तीनों आवश्यकताएँ निम्नानुसार है :–

   (i) **उपलब्धि की आव□यकता** (Need for achivement) – सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग उच्च उपलब्धि की आकांक्षा से प्रेरित होकर अधिक अच्छा कार्य करते है जबकि कुछ अन्य सामान्य या अल्प उपलब्धि की आकांक्षा से प्रेरित होते है तथा सामान्य कार्य करते है।

   (ii) **सत्ता की आव□यकता** (Need for power) – प्रत्येक व्यक्ति में एक आवश्यकता सत्ता की आवश्यकता भी होती है। सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा भी प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में होती हैं जो लोग दूसरे व्यक्तियों पर अपना प्रभाव एवं अपनी सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा से अधिक प्रेरित होते है वे सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करके ही संतुष्ट होते हैं। अतः वे ऐसे कार्य करते या ऐसे कार्यों में रूचि लेते हैं जिनसे उन्हें सत्ता प्राप्त हो सके।

   (iii) **अपनत्व या सम्बन्धन की आव□यकता** (Need for affiliation) – प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। अतः वह दूसरों को मित्र बनाना एवं बनना चाहता है। वह दूसरों से अपनत्व पाना एवं देना चाहता है। वह दूसरों से सम्बन्ध बनाना चाहता है। किन्तु जिस व्यक्ति को दूसरों से मित्रता एवं अपनत्व का भाव बनाने में ही अधिक संतुष्टि मिलती है, वह अधिक कार्य करने हेतु तभी प्रेरित होगा जबकि उसे मित्रता एवं अपनत्व का भाव अनुभव होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **भोध निश्कर्श (Research conclusions)**–मेक्क्लीलैण्ड ने मानव की इन्हीं तीनों आवश्यकताओं का अध्ययन करके निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त किये :–

(i) **उद्यमियों के विकास में तीनों आव□यकताओं का प्रभाव** – मेक्क्लीलैण्ड ने पाया कि उद्यमियों के विकास में इन तीनों आवश्यकताओं का प्रभाव होता है। उन्होनें यह पाया कि उपलब्धि की आवश्यकता तथा सत्ता की आवश्यकता वाले व्यक्ति प्रायः अधिक सफल उद्यमी होते हैं। इन दोनों आवश्यकताओं का उद्यमी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किन्तु, सफल उद्यमियों में अपनत्व या सम्बन्धन की आवश्यकता बहुत ही निम्नतर स्तर की होती है।

(ii) **उपलब्धि की उच्च आकांक्षा सफल उद्यमी के लिए अनिवार्य** – मेक्क्लीलैण्ड ने अपने शोध से सबसे महत्वपूर्ण यह निष्कर्ष निकाला कि सफलतम उद्यमी वे होते है जिनमें उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है। उपलब्धि से तात्पर्य मौद्रिक उपलब्धि से नहीं है। ऐसे उद्यमी उपलब्धि में निम्नांकित उपलब्धियों को सम्मिलित करते है :–

(a) समाज में उच्च स्थिति या सम्मान प्राप्त करना।

(b) सफल उपलब्धियों का रिकार्ड बनाना।

(c) राष्ट्र सेवा करना।

(iii) **उच्च उपलब्धि की आकांक्षा वालों के वि□िश्ट लक्षण या गुण** – मेक्क्लीलैण्ड को अपनी शोध से यह भी ज्ञात हुआ कि उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या आवश्यकता रखने वाले उद्यमियों में निम्नांकित विशिष्ट गुण या लक्षण होते हैं।

(a) ऐसे व्यक्ति प्रायः संतुलित या मध्यम श्रेणी की जोखिम उठाते है।

(b) ऐसे व्यक्ति अपने लिये वास्तविक व्यावहारिक अर्थात् प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य ही निर्धारित करते है।

(c) ऐसे व्यक्ति अपने कार्य परिणामों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया चाहते हैं।

(d) ऐसे व्यक्ति अपनी उच्च उपलब्धि के लिए किसी मौद्रिक पुरस्कार की आशा नहीं रखते हैं।

(e) ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। वे तब तक उसी पर ध्यान केन्द्रित करते रहते हैं जब तक वह निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है।

(f) ऐसे व्यक्ति चुनौतीपूर्ण कार्यों में रूचि लेते हैं तथा उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करना पसन्द करते हैं।

(g) ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को करने के बेहतर तरीके खोजते रहते है।

(h) ऐसे व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना अपना व्यक्तिगत दायित्व समझते है।

(i) ऐसे व्यक्ति सामाजिक दबावों या भावनाओं के आगे नहीं झुकते हैं।

(j) ऐसे व्यक्तियों में नया सीखने की गति एवं क्षमता सामान्यतः अधिक होती है।

(k) ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी प्रायः अच्छा कार्य करते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. **प्रमुख सिद्धान्त** (Main tenets) – मेक्क्लीलैण्ड की विचारधारा ने निम्नांकित प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है :

(i) किसी भी देश का आर्थिक विकास उद्यमियों की उत्साही क्रियाओं पर ही निर्भर करता है।

(ii) अन्य प्रेरणाओं की तुलना में उद्यमियों का व्यवहार प्रायः उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से ही अधिक प्रेरित होता है।

(iii) उच्च उपलब्धि की आकांक्षा से प्रेरित होकर कार्य करने वालों की आपूर्ति धनी देशों (विकसित देशों) की तुलना में निर्धन देशों (विकासशील देशों) में कम होती है।

(iv) निर्धन राष्ट्रों में पर्याप्त आर्थिक विकास करना है तो उद्यमिता से प्रेरित विशेषकर उपलब्धि की उच्च आकांक्षा से प्रेरित व्यक्तियों की संख्या में अच्छी वृद्धि करनी होगी।

इस प्रकार इस विचाराधारा से यह स्पष्ट होता है कि जिन लोगों में उच्च उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या इच्छा होती है वे अधिक सफल उद्यमी बन जाते हैं। अतः लोगों में उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा का विकास करना चाहिये। इससे समाज में उद्यमियों की संख्या का विकास होगा और देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

III- एवरेट हेगेन की उपेक्षित समूह विचारधारा (Disadvantaged Minority Group Theory of Everett Hagan) उद्यमीय व्यवहार की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अन्तर्गत उपेक्षित समूह विचारधारा का विकास एवरेट हेगेन ने किया। उनका मत है कि किसी सामाजिक समूह के पद का प्रत्याहार अथवा ह्रास उसके व्यक्तित्व निर्माण एवं उद्यमशीलता के विकास के कारण होता है। इसलिए जब किसी समूह सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से यह महसूस किया जाता है कि उनके मूल्य एवं पद को समाज द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो वे समाज में सम्मान पाने एवं बढ़ाने के लिए नव–प्रवर्तन की ओर अग्रसर होते है।

हेगेन के अनुसार मूल्य पद अथवा सम्मान के ह्रास के निम्नलिखित चार कारण हो सकते है :

1. जब कोई समूह किसी नये समाज में चला जाता है।
2. जब किसी समूह को आर्थिक शक्ति के बदलते वितरण के साथ समाज में उपयुक्त स्थान नही मिलता है।
3. जब कोई श्रेष्ठ समूह अपने अधीनस्थ समूह के बारे में अपनी विचारधारा को बदल लेता है।
4. जब किसी प्रतिष्ठित समूह को कोई दूसरा प्रभावी समूह अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जबरदस्ती विन्मुक्त या विस्थापित कर देता है।

मान्यताएँ (Assumption) हेगेन का विश्वास है कि किसी समुदाय में सृजनात्मक व्यक्तित्वों का विकास तब होता है जब कुछ सशक्त लोगों द्वारा किसी परम्परागत रूप से सशक्त एवं समृद्ध समुदाय को विस्थापित या विघटित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि उस विघटन को विघटित समाज के सदस्य अपना अपमान समझते है तथा अनुभव करते हैं कि उनकी आदरपूर्ण स्थिति को छीन लिया गया है। जब ऐसा अनुभव होता है तो उस समाज में निम्नांकित में से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाओं तथा व्यक्तित्वों का जन्म होता है।

(i) **मौनव्रती या निवृत** (Retreatists) – ऐसे व्यक्ति समाज में कार्य तो करते है किन्तु शान्त या मौन प्रवृति के हो जाते है। वे अपने कार्य एवं अपनी स्थिति के प्रति उदासीन रहने लगते है।

(ii) **विधिवादी या कर्मकाण्डी** (Ritualist) – ऐसे व्यक्ति बचाव की मुद्रा में आ जाते है तथा जो समाज को मंजूर होता है वैसा ही व्यवहार करने लगते है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में सुधार की आशा नहीं दिखती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) **सुधारवादी** (Reformist) – ऐसे व्यक्ति समाज में विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते है तथा समाज के नवनिर्माण का प्रयास करते है।

(iv) **नवाचारी** (Innovator) – ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक नवाचार करते है। फलतः समाज में उद्यमियों का जन्म होता है।

कुन्केल की व्यवहारवादी विचारधारा (Behavioural Theory of Kunkel)

उद्यमीय व्यवहार की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं में कुन्केल द्वारा विकसित की गई व्यवहारवादी विचारधारा भी एक है। उनका यह मत है कि उद्यमिता का विकास किसी भी समाज के विगत एवं विद्यमान सामाजिक संरचनाओं पर निर्भर करता है और यह विभिन्न आर्थिक, सामाजिक प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने उद्यमिता पूर्ति के सम्बन्ध में एक व्यवहारवादी मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल व्यक्तियों की बाह्य अभिव्यक्त क्रियाओं तथा भूत एवं वर्तमान सम्बन्धों पर आधारित है। यह सम्बन्ध आस–पास की सामाजिक संस्थाओं तथा भौतिक दशाओं से प्रभावित होता है।

कुन्केल की व्यवहारवादी विचारधारा की निम्नलिखित विशेषताएँ है :

1. यह विचारधारा उद्यमिता पूर्ति के निर्धारक तत्त्वों के मनोवैज्ञानिक प्रयोग पर बल देती है।
2. यह विचारधारा समाजशास्त्रीय घटकों की पहचान करती है।
3. उद्यमिता परिस्थितियों के विशेष संयोजन पर निर्भर करती है जिसका सृजना करना कठिन है, परन्तु उनका विनाश करना सरल है।

कुन्केल के अनुसार उद्यमिता का विकास समाज में विद्यमान निम्नांकित चार संरचनाओं पर निर्भर करता है :–

1. **परिसीमन संरचना** (Limitation Structure) – प्रत्येक समाज कुछ कार्यों अथवा व्यवहार की सीमा निर्धारित करता है। यह परिसीमा सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है तथा सभी को इसी सीमा के भीतर रहकर कार्य एवं व्यवहार करना पड़ता है। यह सीमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से सम्बन्धित होती है। ऐसी संरचना में उद्यमी को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो उस परिसीमा से विचलित होता है अथवा उस परिसीमित, संरचना का उल्लघंन करता है। किन्तु समाज की परिसीमा संरचना उसके व्यवहार को नियन्त्रित या प्रतिबन्धित अवश्य करती है।
2. **माँग संरचना** (Demand Structure) – प्रत्येक समाज की माँग या अपेक्षा संरचना होती है। यह संरचना आर्थिक विकास एवं सरकारी नीतियों के साथ–साथ परिवर्तित होती रहती है। माँग संरचना में भौतिक पुरस्कारों से परिवर्तन एवं सुधार किया जा सकता है। जब माँग या अपेक्षा की संरचना के कुछ घटकों (जैसे पुरस्कार) में परिवर्तन किया जाता है, तो समाज में उद्यमिता सम्बन्धी व्यवहार को विकसित किया जा सकता है।
3. **अवसर संरचना** (Opportunity Structure) – प्रत्येक समाज में उद्यमिता सम्बन्धी व्यवहार को बढ़ावा देने वाली संरचना भी होती है। इस संरचना के प्रमुख घटकों में पूँजी, प्रबन्धक, तकनीक, तकनीकी चातुर्य, उत्पाद की विधि, श्रम तथा बाजार सम्बन्धी सूचनाएँ आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन घटकों में उपक्रम के नियोजन, संगठन तथा संचालन की क्रियाओं को सीखने आदि के अवसरों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जिस समाज में ऐसी अवसर संरचना के सभी घटक उपलब्ध होते है, उस समाज में उद्यमिता के विकास की अधिक सम्भावना होती है।
4. **श्रम संरचना** (Labour Structure) – समाज की श्रम संरचना भी उद्यमिता के विकास में योगदान देती है। जिस समाज में सक्षम एवं श्रम में रूचि रखने वाले श्रमिक होते है उसकी श्रम संरचना को सुदृढ कहा जा सकता है। ऐसी सुदृढ संरचना उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

सकती है। किन्तु श्रम संरचना कई घटकों से प्रभावित होती है, जैसे जीवन यापन के वैकल्पिक साधन, रूढ़िवादिता, जीवन में आशाएँ एवं अपेक्षाएँ आदि।

कुन्केल का मानना है कि किसी भी देश में उद्यमिता का विकास उस देश की इन चारों संरचनाओं के स्तर पर निर्भर करता है। इन संरचनाओं का अच्छा एवं प्रभावी संयोजन होने पर ही उद्यमिता का तीव्र गति से विकास होता है।

प्र□न बोध –

लघुतरात्मक प्र□न–

1. उद्यमीय व्यवहार से आप क्या समझते है ?
2. नव प्रवर्तन से आप क्या समझते है ?
3. शुम्पीटर की मनोवैज्ञानिक विचारधारा किस आयाम पर केन्द्रित है।

निम्बन्धात्मक प्र□न –

उद्यमीय व्यवहार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उद्यमीय व्यवहार से सम्बन्धित शुम्पीटर की विचारधारा की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

उद्यमीय व्यवहार से सम्बन्धित मेकक्लीलैण्ड की विचारधारा की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

उद्यमीय व्यवहार से सम्बन्धित कुन्केल की विचारधारा का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – द्वितीय
सामाजिक उत्तरदायित्व
[Social Responsibility]

सामाजिक दायित्व एक विस्तृत विचारधारा है। यह विचारधारा यह कहती है कि व्यवसायी को सामाजिक हितों एवं मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने निर्णय लेने चाहिये तथा ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे सामाजिक कल्याण हो तथा लोगों के जीवन की किस्म को उन्नत किया जा सके। उन्हें कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिये जिससे समाज की मान्यताओं, स्थिरता, एकता आदि पर विपरीत प्रभाव पड़े।

उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय उद्यमी एवं समाज के पारस्परिक हितों को समझने एवं पूरा करने की क्रिया से लगाया जाता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो व्यवसाय से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित विभिन्न वर्गो में व्यवसाय के दायित्वों की व्याख्या करती है तथा उद्यमियों को ऐसे निर्णय लेने, ऐसी नीतियाँ बनाने तथा ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देती है जिससे लोगों के जीवन की किस्म तथा समाज कल्याण में अभिवृद्धि हो सके।

परिभाशाएँ

1. **अन्तर्राश्ट्रीय विचारगोश्ठी, दिल्ली 1965** के अनुसार, ''उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय ग्राहकों, कर्मचारियों एवं समुदाय के प्रति उत्तरदायित्वों से है।''
2. **एच.आर. बोवेन** के शब्दों में, ''सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो कि समाज के उद्देश्यो एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है।''
3. **जॉर्ज स्टेनियर के अनुसार, ''**सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करने से तात्पर्य समाज की आशाओं या अपेक्षाओं को समझना एवं मान्यता देना तथा उनकी प्राप्ति में योगदान देने का निश्चय करना है।''

उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की वि□ाशताएँ

(Characteristics of Social Responsibilities Entrepreneur)

1. **व्यावसायिक क्रियाओं से सम्बन्धित** (Related with Business Activities) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, व्यवसायिक क्रियाओं, यथा व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं प्रत्यक्ष सेवाओं आदि से सम्बन्धित है, चाहे वह किसी भी प्रारूप में हो। इसमें गैर–व्यावसायिक क्रियाएँ नहीं आती हैं क्योंकि उद्यमी भी जोखिम लाभ के साथ ही उठाता है।
2. **सतत् प्रक्रिया** (Continuous Process) – यह एक सतत् प्रक्रिया है क्योंकि जब तक व्यावसायिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती रहेगी, तब तक उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह होता रहेगा। यही नही, जिस प्रकार सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार एक उद्यमी की नीतियों और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में भी परिवर्तन होता रहेगा।
3. **वैयक्तिक एवं सामाजिक हितों में सांमजस्य** (Co-ordination between Individual and Social interests) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा उसके वैयक्तिक (लाभ) एवं सामाजिक हितों (सेवा) में सामंजस्य स्थापित करने पर बल देती है। इसका कारण यह है कि उद्यमी समाज के लोगों को अच्छी किस्म की वस्तुएँ देकर लाभ कमाते है और कर्मचारियों को अच्छा पारिश्रमिक देते है। परिणास्वरूप सामंजस्य बना रहता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. **द्वि–मार्गीय क्रिया** (Two-way Traffic) – यह द्वि–मार्गीय क्रिया है क्योंकि जिस प्रकार एक उद्यमी समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है, ठीक उसी प्रकार समाज के विभिन्न वर्गो को भी उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व निभाने होते है। यदि एक वर्ग ही अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत एवं सजग हो तथा दूसरा उदासीन हो तो व्यावसायिक क्रियाएँ सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकती है।

5. **सार्वभौमिक अवधारणा** (Universal Concept) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा एक सार्वभौमिक अवधारणा है क्योंकि इसको देश–विदेश, व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक उपक्रम अथवा उद्यम इत्यादि सभी में मान्यता दी गई है एवं इसका उपयोग भी किया जाता है।

6. **प्रन्यासितों के सिद्धान्त को मान्यता** (Recognition of Doctrine of Trusteesting) – यह अवधारणा स्वर्गीय महात्मा गांधी के प्रन्यास सिद्धान्त की पुष्टि करती है क्योंकि यह इस बात पर बल देती है कि उद्यमियों को समाज के विभिन्न संसाधनों का उपयोग अपने हित में न करके समाज के हितार्थ करना चाहिए एवं अपने को उन संसाधनों का स्वामी न मानकर प्रन्यासी मानना चाहिए।

7. **उत्तरदायित्वों का विस्तृत क्षेत्र** (Wide scope of Responsibilities) – इस विचारधारा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। इसलिए एक उद्यमी न केवल स्वयं के प्रति ही उत्तरदायी होता है, अपितु समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति भी उत्तरदायी होता है।

8. **सामाजिक भाक्ति प्राप्त करने का साधन** (Means of gaining Social Power) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा सामाजिक शक्ति प्राप्त करने का साधन है। वह उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की सामाजिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में **कीथ डेविस** ने कहा कि, ''यदि उद्यमी सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है, तो उसकी सामाजिक शक्ति कम हो जायेगी।

9. **यह एक नैसर्गिक भावना है** (It is an Natural Espirit) – यह अवधारणा उद्यमी में प्राकृतिक एवं स्वयं की महसूस क्षमता के रूप में उत्पन्न होती है। किसी के कहने अथवा जबरदस्ती करने से इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होती है।

10. **नैतिक मानकों एवं सद्वि□वास पर आधारित** (Based on Ethical Standards and Goodfaith) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व का सम्बन्ध नैतिक मानकों एवं सद्विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए उसकी स्वयं की नैतिकता एवं विभिन्न वर्गो के प्रति सद्विश्वास ही इसे पूरा करता है।

11. **सफलता का आधार** (Basis of Success) – सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह उद्यमी की सफलता का एक आवश्यक अंग है क्योंकि इसके निर्वाह से ही उद्यमी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यही कारण है कि समाजवादी देशों के साथ–साथ पूँजीवादी देशों में भी उद्यमियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है।

12. **सामूहिक एवं सामाजिक संस्था** (Collective and Social Institute) – उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व सामूहिक एवं सामाजिक संस्था है क्योंकि इनका संगठन एवं संचालन समाज के लाभ के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए।

13. **लोचपूर्ण एवं गत्यात्मक अवधारणा** (Dynamic and Elastic Concept) – उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व अपने अर्थ, क्षेत्र एवं परिभाषा में लोचपूर्ण एवं गतिशील है क्योंकि समाज की संस्कृति के बदलने के साथ–साथ नैतिक मूल्य भी बदल जाते है और व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व भी बदल जाते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

14. **विधिकरण के दायरे से परे** (Beyond the Limit of Legistation) – उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व विधिकरण के दायरे से परे है क्योंकि उन्हें कानूनों के दायरों में न तो लाया जा सकता है और न लाया जाना ही पर्याप्त होगा। वस्तुतः इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह स्वैच्छिक स्वीकरण और स्व–चेतना पर निर्भर करता है।

15. **विभिन्न वर्गो सर्वांगीण विकास** (Over all Development of Various Parties)– उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा समाज के प्रत्येक वर्ग का सर्वागीण विकास करती है, चाहे उद्यमी स्वयं ही क्यों न हो ? इसलिए उद्यमी जितना सम्भव हो सके, दायित्वों को पूरी तरह निर्वाह करने का प्रयास करता है।

उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व (Social Responsibilitity of Entrepeneur)

उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा व्यापक है। उद्यमी ने समाज से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त किया है। समाज ने उसे अनेक साधन एवं सुविधाएँ प्रदान की है। समाज उद्यमी के कारण अनेक कष्टों एवं असुविधाओं को भी भोगता है। अतः उद्यमी का समाज के प्रति दायित्व है।

नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार के घोषणा–पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ''देश के जटिल, आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में प्रत्येक उपक्रम के दायित्वों में विविधता होती है जैसे– स्वयं के प्रति, कर्मचारियों एवं श्रमिको के प्रति, ग्राहको के प्रति, अंशधारियो के प्रति एवं समाज के प्रति आदि।

एक उद्यमी का समाज के निम्नलिखित वर्गो के प्रति उत्तरदायित्व होता है –

II. स्वयं के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards ifself)

प्रो. रोबर्ट डी. हे ने लिखा है कि, ''उद्यमी का प्रथम दायित्व स्वयं के प्रति है।'' यदि उद्यमी एवं उसके व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं है तो सामाजिक दायित्व भी कैसा। अतः उद्यमी का प्रथम दायित्व स्वयं के प्रति है। **पीटर ड्रकर** ने इसीलिए सलाह दी है कि, ''व्यवसायी को इतना लाभ अवश्य कमाना चाहिए जिससे कि उसका जीवन चलता रहे तथा उसके साधनों की धनोत्पादक क्षमता बनी रहे सके। '' एक उद्यमी को अपना अस्तित्व बनाये रखने तथा निरन्तर विकास करते रहने के लिए निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करना चाहिए।

1. व्यवसाय का कुशलतापूर्वक प्रबन्ध एवं संचालन करना चाहिये।
2. विद्यमान उत्पादों की माँग बनाए रखना तथा उनका निरन्तर उत्पादन करना चाहिये।
3. बाजार में माल की माँग के अनुरूप आपूर्ति निश्चित करनी चाहिये।
4. नवीन उत्पादों के उत्पादन के अवसरों की खोज करना तथा उनका उत्पादन करना चाहिये।
5. नये–नये बाजार क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहिये।
6. उत्पादन क्षमता तथा व्यापार क्षेत्र का अनुकूलतम सीमा तक विस्तार करना चाहिये।
7. बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा पर बल देना तथा उसमें विजयी होना चाहिये।
8. 'सेवा द्वारा उचित लाभ'' कमाना चाहिये।
9. भावी अनिश्चिताओं के विरूद्ध लाभों का संचय करना चाहिये।
10. यथासमय आधुनिक यंत्रों एवं उपकरणों की प्रतिस्थापना करनी चाहिये।
11. शोध, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।
12. नवकरणों को व्यावसायिक अवसरों के रूप में अपनाना चाहिये।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

13. बाजार में संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा करना तथा उसमें यथेष्ट अभिवृद्धि करने का प्रयास करना चाहिये।
14. व्यवसाय के विकास, विस्तार तथा मितव्ययिता के उद्देश्यों से व्यावसायिक संयोजन करना चाहिये।
15. व्यापारिक संघो तथा वाणिज्यिक चेम्बरों की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिये।
16. अपने विरूद्ध चलाये गये विवादों में बचाव करना चाहिये।
17. अपने अधिकारों की रक्षा तथा आरोपों के निराकरण के लिये उपयुक्त कदम उठाने चाहिये।

II. स्वामियों के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Owners)

एकाकी व्यापार तथा साझेदारी में स्वामी एवं प्रबन्धकों का पृथक–पृथक अस्तित्व नहीं होता है। किन्तु वर्तमान निगमीय–संसार (ब्यतचवतंजम ॅवतसकद्ध में कम्पनियों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध पृथक–पृथक व्यक्तियों के हाथों में आ गया है। ऐसे में, कम्पनी के अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते है अतः व्यवसाय का संचालन करने वाले व्यक्तियों का इन स्वामियों के प्रति दायित्व उत्पन्न होता है। व्यवसाय के इन स्वामियों के प्रति उद्यमियों के निम्नलिखित दायित्व होते है।

1. प्राप्त पूँजी को **सुरक्षा प्रदान** करनी चाहिये।
2. पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए **पूँजी का उपयोग** करना चाहिये।
3. अंशधारियों को उचित **लाभां□ा का भुगतान** करना चाहिये।
4. **अं□ापूँजी में अभिवृद्धि के अवसर** उपलब्ध करने चाहिए। यह अधिकार अंश तथा बोनस अंशो के कारण सम्भव हो सकता है।
5. लाभाशों का **यथासमय भुगतान** करना चाहिये।
6. विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ व्यवहार करते समय **समता एवं न्याय के सिद्धान्तों** का पालन करना चाहिये।
7. अल्पसंख्यक अंशधारियों के हितों के विरूद्ध कार्य नही करना चाहिए।
8. कम्पनी की प्रगति की **यथार्थ सूचना** देनी चाहिये।
9. कम्पनी के **अं□ाो में सट्टा** नही करना चाहिये।
10. कम्पनी की सभाओं की यथासमय **सूचना** देनी चाहिये।
11. कम्पनी की सभाओं में **उपस्थित होने** या प्रतिपुरूष नियुक्त करने का अवसर देना चाहिये।
12. कम्पनी की सभाओं में पुछे गये प्रश्नों तथा प्रकट किये गये **सन्देहों का समाधान** करना चाहिये।
13. कम्पनियों के **एकीकरण** की योजना में सभी अंशधारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिये।
14. **अं□ाो के हस्तान्तरण** में अनावश्यक विलम्ब तथा बाधा उपस्थिति नहीं करनी चाहिये।

III. ऋणदाताओं के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Creditors)

व्यवसाय की सम्पूर्ण परियोजना की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति केवल अंशधारियों के द्वारा ही नही की जा सकती हे। अतः उद्यमी को ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। उद्यमी वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋणपत्र भी जारी किये जा सकते है। सार्वजनिक जमाओं के रूप में जनता से ऋण भी लिए जा सकते हैं। व्यापारिक बैंकों से भी ऋण लिया जा सकता है। ऐसे सभी ऋणदाताओं के प्रति भी उद्यमी के कुछ दायित्व होते हैं जो निम्नानुसार है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. प्रत्येक उद्यमी को ऋण प्राप्त करने की **उचित भार्ते** रखनी चाहिए।
2. सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं में **ब्याज की उचित दरें** निर्धारित करनी चाहिए।
3. देय होने पर **यथासमय ब्याज का भुगतान** कर देना चाहिए। वैसे आजकल ब्याज के भुगतान के लिये भावी तिथि के चैक पहले से ही भेजने की प्रथा होती है।
4. परिपक्वता पर **मूलधन का भुगतान** भी यथासमय कर देना चाहिये। भुगतान के लिए सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए।
5. यदि ऋण का **किस्तों में भुगतान** किया जाता है तो किस्तों का भुगतान भी यथासमय किया जाना आवश्यक है।
6. सुरक्षित ऋणों या ऋणपत्रों के विरूद्ध बन्धक रखी गई **सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा** की व्यवस्था करनी चाहिए।
7. ऋणदाताओं के धन की अभिवृद्धि के लिए उनको भी कम्पनी की पूँजी **अभिवृद्धि योजना में भागिल** करना चाहिए। इस हेतु उन्हें कम्पनी के जारी किये जाने वालें अंशो में प्राथमिक आधार पर आवण्टन किया जा सकता है।
8. कम्पनियों का असीमित राशि का ऋण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। उनकों कम्पनी अधिनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **निर्धारित सीमा में ही ऋण लेने** चाहिए।
9. संचालकों को अपनी **अधिकार सीमा में ही ऋण** प्राप्त करने चाहिए।
10. प्राप्त ऋण राशि का उपयोग **पूर्व निर्धारित उद्दे□यों के लिए** ही करना चाहिए।

कर्मचारियों के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Employees)

कर्मचारी संस्था के महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कार्यकुशलता पर संस्था की सफलता निर्भर करती है किन्तु, कर्मचारियों की कार्यकुशलता किसी स्वचालित बटन से घटायी–बढ़ायी नहीं जा सकती है। वे यंत्र या यांत्रिक मानव नहीं हैं। वे नैसर्गिग मानव हैं। उनका शरीर है, तो उनकी भावनाएँ भी है। अतः उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के साथ–साथ मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का भी प्रत्येक व्यवसायी का दायित्व है। इस संदर्भ में चार्ल्स मायर्स ने सुन्दर लिखा है कि ''**जो उद्योग अपने मानवी तत्वों की आव□यकताओं एवं भावनाओं की उपेक्षा करते हैं वे यंत्र समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्हें औद्योगिक संगठन कदापि नहीं कहा जा सकता।**''

व्यावसायिक संगठन में मानव एक प्रमुख तत्व है और उसकी सन्तुष्टि को महत्त्व दिया जाना चाहिये। ऐसे में एक उद्यमी को उसके प्रति निम्नलिखित दायित्व पूरे करने चाहिए :–

1. पर्याप्त वेतन का भुगतान करना चाहिए। किन्तु, किसी भी दशा में सरकार द्वारा निर्धारित 'न्यूनतम वेतन' से कम का भुगतान नहीं करना चाहिए।
2. जहाँ तक सम्भव हो, कुछ प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाओं को लागू करना चाहिए।
3. कर्मचारियों को कार्य की सुरक्षा दी जानी चाहिए।
4. कार्य करने के लिए स्वच्छ हवा–पानी से युक्त तथा धुल–धुएँ से मुक्त स्वस्थ्य कार्यदशाएँ उपलब्ध करनी चाहिए।
5. कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण कार्य किये जाने चाहिए। केन्टीन् यातायात, आवास, खेलकूद, वाचनालय आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. कर्मचारियो के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस हेतु पेन्शन, ग्रेच्यूटी, भविष्यनिधि, दुर्घटना बीमा आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।
7. प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता एवं रूचि के अनुरूप कार्य उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए।
8. प्रत्येक कर्मचारी को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
9. प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति में समान अवसर देना चाहिए तथा पक्षपात नहीं करना चाहिए।
10. कर्मचारियों की परिवेदनाओं के यथासमय निवारण की व्यवस्था करनी चाहिए।
11. कुशल संचार व्यवस्था करके आपसी भ्रान्तियों एवं मतभेदों को दूर करना चाहिए।
12. कर्मचारियों के कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव आमंत्रित करना चाहिए तथा उनका क्रियान्वयन भी करना चाहिए।
13. कर्मचारियों को संस्था के प्रबन्ध में भागीदारी दी जानी चाहिए।
14. केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित 'कर्मचारी पूँजी विकल्प योजना' में कर्मचारियों को समानता के आधार पर अंश आवण्टित करना चाहिए।
15. कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली संस्था की नीतियों, कार्यक्रमों की जानकारी दी जानी चाहिए।
16. कर्मचारियों को श्रम सन्नियमों के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी भी देनी चाहिए।
17. राष्ट्रीय हित के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को सवेतन अवकाश उपलब्ध कराना चाहिए।
18. कर्मचारियों के बच्चों के अध्ययन के लिए स्कूलों एवं छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।
19. कर्मचारियों के 'श्रम की प्रतिष्ठा' की जानी चाहिए।
20. कर्मचारियों की क्षमताओं के विकास के लिए नये–नये अवसर उपलब्ध करने चाहिए।

V. ग्राहकों के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Customers)

वर्तमान युग विपणन का युग है जिसमें ग्राहक को बाजार का राजा मान लिया गया है। क्रेता की सन्तुष्टि ही व्यवसाय की सफलता की कसौटी बन गयी है। उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना ही उद्यमी की सफलता का मूलमंत्र बन गया है। इतना ही नही, अब सरकार ने भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अनेक अधिनियम भी बना दिए है। इनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जमाखोरी तथा कालाबाजारी निरोधक अधिनियम, मापतौल अधिनियम आदि प्रमुख है। अतः प्रत्येक उद्यमी को उसकी 'प्रभुसत्ता' को स्वीकार करना होता है। ऐसी स्थिति में उद्यमी के ग्राहकों के प्रति कुछ विशेष दायित्व भी उत्पन्न हो गये है। वे निम्नानुसार है :–

1. ग्राहाकों की आवश्यकता का अध्ययन करना तथा आवश्यकता की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए।
2. उचित मात्रा में यथा समय आवश्यक उत्पाद तथा सेवाएँ उपलब्ध करनी चाहिये।
3. उचित मूल्य पर उत्पाद तथा सेवाएँ उपलब्ध करनी चाहिए।
4. प्रमापित किस्म के उत्पाद उपलब्ध करने चाहिए।
5. उत्पाद शुद्ध स्वरूप में उपलब्ध करने चाहिए तथा मिलावट नहीं करनी चाहिए।
6. नकली या मिलते–जुलते ट्रेडमार्क या रूपरंग के उत्पाद बनाकर भ्रम उत्पन्न नही करना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. उत्पादों की जमाखोरी से अनुचित लाभ नही कमाना चाहिए।
8. कम माप–तौल या हिसाब किताब की गड़बड़ी से लाभ कमाने की प्रवृति से दूर रहना चाहिए।
9. सदैव यथार्थ विज्ञापन ही देने चाहिए। भ्रमपूर्ण एवं अनैतिक विज्ञापनों का सहारा नहीं लेना चाहिए।
10. ग्राहकों को दक्ष एवं प्रशिक्षित विक्रयकर्त्ताओं का सहयोग उपलब्ध करना चाहिए।
11. उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरन्त समाधान करना चाहिए।
12. उपभोक्ता संघो की माँगों के प्रति उचित रूचि दिखानी चाहिए।
13. मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठनों तथा व्यापार संघो द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए।
14. माल के विक्रय के समय किये गये वायदों तथा दिये गये आश्वासनों को पूरा करना चाहिए।
15. विक्रय–उपरान्त सेवा उपलब्ध करनी चाहिए।
16. ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, बाजार परिस्थितियों, वस्तुओं की उपयोगिता आदि पर निरन्तर शोध करना चाहिए।
17. ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से सेवा उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए।
18. माल के विभिन्न उपयोगों तथा उपयोग विधि के सम्बन्ध में ग्राहकों को जानकारी देनी चाहिए।
19. माल की सुरक्षा हेतु उचित पैकेजिंग तथा लाने–ले जाने के लिए अच्छे पैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए।
20. सदैव ऐसी वस्तुएँ ही उपलब्ध करनी चाहिए जिनमें ग्राहकों के जीवन–स्तर तथा जीवन–किस्म में सुधार हो। हानिप्रद वस्तुओं में व्यापार को नही अपनाना चाहिए।

VI. आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Suppliers)

आपूर्तिकत्ताओं से तात्पर्य उन सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से है जो किसी व्यवसाय में आवश्यक विभिन्न साधनों की आपूर्ति करते है। इन साधनों में कच्चा माल, शक्ति के साधन, यंत्र एवं उपकरण, परिवहन व संचार सेवाएँ आदि सम्मिलित है जो आपूर्तिकत्ताओं द्वारा उपलब्ध किए जाते है। इन साधनों की यथासमय आपूर्ति से व्यवसाय का निर्बाध रूप से संचालन किया जा सकता है। किसी भी व्यवसाय की सफलता में इसकी विशेष भूमिका होती है। अतः उस उद्यमी के इनके प्रति भी कुछ दायित्व अवश्य होते है। संक्षेप में, इनके प्रति कुछेक प्रमुख दायित्व निम्नलिखित है :–

1. आपूर्तिकर्ताओं को उनकी वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदान करना चाहिए।
2. कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का भुगतान तो अवश्य करना ही चाहिए। प्रायः किसान गन्ने, चावल, गेहूँ, दूध आदि का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पाते। फलतः सरकार ने इनका न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया।
3. यथा–समय मूल्य का भुगतान कर देना चाहिए। प्रायः किसानों को उनके माल के मूल्य का भुगतान यथा समय नहीं होता है। कई दशाओं में सरकार ने भुगतान की समय–सीमा भी निर्धारित कर दी है। अतः उस समय–सीमा में भुगतान अवश्य कर देना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं के सन्दर्भ में कुछेक विशेष दायित्व उत्पन्न होते हैं।
4. माल के क्रय की उचित शर्ते रखनी चाहिए तथा अनावश्यक कटौतियों तथा लम्बी अवधि की साख की शर्ते नही लगानी चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. नवीन प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए।
6. मध्यस्थ व्यापारियों को भी अपने आपूर्तिकर्ताओं की नई वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें उन नयी वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए।
7. मध्यस्थ व्यापारियों को नये उत्पादकों के माल विक्रय का भी प्रयास करना चाहिए।
8. सभी व्यवसायियों को अपने आपूर्तिकर्ताओं को बाजार सम्बन्धी या माल के माँग सम्बन्धी सूचनाएँ यथासमय उपलब्ध करनी चाहिए।
9. अपने व्यवसाय के विस्तार तथा विकास की योजना की सूचना अपने आपूर्तिकर्ताओं को यथासमय दे देनी चाहिए। इससे वे भी आपूर्ति को आवश्यकतानुसार व्यवस्थित कर सके।
10. जहाँ तक सम्भव हो स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से ही माल क्रय करना चाहिए।

VII. अन्य व्यवसायियों के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards other Businessmen)

एक अच्छा उद्यमी अपने व्यवसायी साथियों के साथ भी अपने दायित्वों को नही भूलता है। अतः उसे अपने निम्नलिखित दायित्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए :

1. किसी भी समय भूल से भी किसी दूसरे उद्यमी की निन्दा या आलोचना नही करनी चाहिए।
2. अन्य संस्थाओं के ग्राहकों को तोड़ने, भड़काने या बहकाने के प्रयास नही करने चाहिए।
3. प्रतिस्पर्द्धी संस्थाओं की गोपनीय बातों की जानकारी करने में भ्रष्ट तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
4. अन्य उद्यमी के माल को घटिया सि़द्ध करने का प्रयास न कर अपने माल की अच्छाइयों को ही प्रकट करना चाहिए।
5. स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा में विश्वास करना चाहिए।
6. सामाजिक हितों की अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक कुशलता के लिए अन्य संस्थाओं के साथ संयोजन को प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. माल की आपूर्ति पर एकाधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए।
8. आपूर्तिकर्ताओं को अन्य व्यवसायियों के हितों के विरूद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित नही करना चाहिए।
9. माल के सट्टे के सौदे नही करने चाहिए और न कृत्रिम सौदों से मूल्यों में अन्तर का लाभ उठाना चाहिए।
10. अन्य उद्यमियों के ब्राण्ड, ट्रेडमार्क या अन्य उत्पाद विशेषताओं की नकल नही करनी चाहिए।

VIII. व्यापारिक तथा पे□ावर संस्थाओं के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Trade and Professional Bodies)

व्यावसायिक जगत में अब कई ऐसी व्यापारिक एवं पेशेवर संस्थाएँ है जो उद्यमी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, व्यापार संघ, विपणन संघ, श्रम संघ, प्रबन्ध संघ, सनदी लेखाकारों तथा कम्पनी सचिवों की संस्थाएँ आदि प्रमुख है। ये उद्यमी को अनेक प्रकार से सहयोग करती है। इन सबके प्रति भी उद्यमी के दायित्व होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :–

1. प्रत्येक उद्यमी को अपने चेम्बर तथा व्यापार संघ की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. प्रत्येक पेशेवर तथा तकनीकी व्यक्ति को अपने संघ या संस्था की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

3. इन संस्थाओं की सभाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना तथा दूसरों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

4. इन संस्थाओं का यथासमय शुल्क तथा चन्दे का भुगतान कर देना चाहिए।

5. इन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, रिपोर्टो आदि में लेख तथा मौद्रिक सहयोग देना चाहिए।

6. इनमें प्रकाशित लेखों तथा अन्य सूचनाओं का अध्ययन करना चाहिए तथा अपने सुझाव भेजने चाहिए।

7. जहाँ तक हो सके, पेशेवर व तकनीकी संस्थाओं के सदस्यों को ही सेवा में नियुक्त करना चाहिए।

8. इन संस्थाओं के शोध कार्यक्रमों तथा जनगणना कार्यक्रमों के लिए सही सूचनाएँ देनी चाहिए।

9. इन संघों तथा संस्थाओं द्वारा निर्धारित आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए।

10. इन संस्थाओं द्वारा निर्धारित मानकों, प्रमाणों, सिद्धान्तों तथा तकनीकों को अपनाना चाहिए।

11. आवश्यकता पड़ने तथा माँग करने पर उचित आर्थिक अनुदान भी देना चाहिए।

IX. स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards Local Community)

उद्यमी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाला समाज का एक वर्ग स्थानीय जन–समुदाय है। उद्योग तथा व्यापार के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग सर्वाधिक रूप से प्रभावित होते हैं। कारखाने तथा कारखाने के उपयोग में आने वाले वाहनों, यंत्रो, उपकरणों आदि का शोरगुल, धुल, धुआं, अवशिष्ट पदार्थ, भीड़–भाड़, स्थानीय जन समुदाय के जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। एक ओर ये भौतिक वातावरण को दूषित करते है तो दूसरी ओर लोगों के जीवन को अधिक कठिन, मंहगा तथा अभाव एवं समस्याग्रस्त भी बनाते है।

स्थानीय जन–समुदाय के प्रति उद्यमी के दायित्व बहुत अधिक है। देश के सुविख्यात उद्योगपति जे.आर. डी. टाटा ने सलाह दी है कि ''प्रत्येक उपक्रम को अपने साधनों तथा क्षमता के अनुसार अपने आसपास की जनता की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए तथा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है उनकी सहायता करनी चाहिए।'' अतः एक उद्यमी को अपने स्थानीय जन–समुदाय के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए तथा पूरा करना चाहिए। साधारणतया एक उद्यमी को अपने स्थानीय जन–समुदाय के प्रति निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करना चाहिए :–

1. स्थानीय जन–समुदाय को **रोजगार के अवसर** उपलब्ध करने चाहिए।

2. **भौतिक वातावरण** को स्वस्थ एवं स्वच्छ रखने में अपना योगदान करना चाहिए।

3. कारखाने के **अवशिष्ट पदार्थों के भामन** की कारगर व्यवस्था करनी चाहिए।

4. भौतिक वातावरण के अन्य अंगो, यथा–जंगल, पहाड़, नदियों, पशु–पक्षियों आदि को **नश्ट नही होने देना** चाहिए।

5. कर्मचारियों के लिए ही नहीं **समाज के हितों के लिए** भी दवाखाने, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, धर्मशालाएँ, स्कूल, कॉलेज, उद्यान आदि बनवाने तथा चलाने चाहिए।

6. **राश्ट्रीय कार्यक्रमों,** यथा–परिवार नियोजन, अल्प–बचत, वृक्षारोपण आदि में सहयोग करना चाहिए।

7. स्थानीय समुदाय के हितों के कार्यों में योगदान देने के इच्छुक **कर्मचारियों को सवेतन अवकाश** देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। विदेशों में कई कम्पनियों में सवेतन अवकाश दिया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8. **महिलाओं** को शिक्षित, प्रशिक्षित करने तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

9. समाज के शारीरिक रूप से **कमजोर या विकलांग** लोगों के लिए कार्यक्रमों में योगदान देना चाहिए।

10. **आर्थिक रूप से कमजोर** एवं जरूरतमन्द लोगो की सहायता करनी चाहिए।

11. **प्राकृतिक आपदाओं,** यथा–बाढ़, अकाल, महामारी, भूकम्प आदि की दशा में विशेष सहायता उपलब्ध करनी चाहिए।

12. **अभावग्रस्त बच्चों** की शिक्षा तथा विकास के लिए प्रयास करने चाहिए।

13. प्रत्येक व्यवसायी को नगर परिषद् या **नगर निगम के नियमों** का पालना करना चाहिए।

14. विज्ञापन या विक्रय संवर्द्धन से **भाहरी सौन्दर्य** को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।

15. प्रत्येक व्यवसाय को एक **नागरिक की भांति** स्थानीय समुदाय के नियमों एवं परम्पराओं का पालन करना चाहिए।

X. सरकार के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards the Government)

प्रत्येक उद्यमी भी एक नागरिक है। अतः प्रत्येक नागरिक की भांति उद्यमी के भी सरकार के प्रति प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :–

1. देश के समझदार नागरिक की भांति सभी सरकारी **कानूनों तथा नियमों का पालन** करना चाहिए।

2. देश की प्रमुख नीतियों–औद्योगिक नीति, लाईसेंसिंग नीति, आयात–निर्यात नीति आदि के अनुसार ही अपने व्यवसाय का संचालन करना चाहिए।

3. देश की **आर्थिक नीतियों** के क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए।

4. देश की योजनाओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर **अपनी उत्पादन योजनाएँ** बनानी चाहिए।

5. अपनी **स्थापित उत्पादन क्षमता** तथा लाईसेन्स क्षमता का पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

6. देश की सरकार की नीतियों के अनुरूप ही अपने **उद्योगों का विकास** एवं विस्तार करना चाहिए।

7. देश के आर्थिक **साधनों का विदोहन** व्यापक राष्ट्रीय हितों में करना चाहिए।

8. सरकार के आर्थिक उत्थान तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए।

9. सरकार द्वारा निर्धारित **रोजगार योजना के लक्ष्यों** को पूरा करने में योगदान देना चाहिए।

10. सरकार की नीति के अनुरूप **अल्पसंख्यक समुदायों,** आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए रोजगार उपलब्ध करने चाहिए तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए।

11. सरकार की **सामाजिक समस्याओं** यथा–बीमारी, अशिक्षा, अज्ञानता, छुआछूत आदि के निवारण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

12. सरकारी तंत्र एवं प्रक्रिया को सहयोग करना चाहिए तथा उसे **भ्रश्ट करने का प्रयास नही** करना चाहिए।

13. सरकारी **नियमों तथा कानूनों** का पालन अक्षरशः तथा भावनाओं दोनों से करना चाहिए।

14. राष्ट्र तथा **जनहित विरोधी कार्यों** (यथा–शत्रु राष्ट्र से व्यापार करना, तस्करी करना आदि) से दूर रहना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

15. **आपातजनक** परिस्थितियों यथा युद्ध अकाल, उपद्रव आदि में सरकार का सहयोग करना चाहिए।

16. अनावश्यक रूप से **राजनीति को प्रभावित** नहीं करना चाहिए।

17. **विदे□ी मुद्रा** को अधिकाधिक अर्जित करने तथा कम से कम खर्च करने के लिए निरन्तर प्रयास करने चाहिए।

ग्ग विे□व के प्रति दायित्व (Responsibilities Towards the World)

आज परिवहन एवं संचार माध्यमों ने सम्पूर्ण विश्व को ही नही बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ही मानो छोटा कर दिया है। अतः सम्पूर्ण विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। अतः उद्यमी का दायित्व सम्पूर्ण विश्व के प्रति भी हो गया है। विश्व के प्रति उद्यमी के निम्नलिखित दायित्व प्रमुख है :

1. **अन्तर्राश्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ावा** देने वाले प्रयासो में सहयोग करना चाहिए।
2. अन्य देशों के **उद्यमियों को सहयोग** देना चाहिए।
3. अल्पविकसित या विकासशील देशों में **उद्योगों के विकास** में सहयोग करना चाहिए।
4. अन्य देशों की **आन्तरिक राजनीति एवं घरेलू मामलों** में हस्तक्षेप नही करना चाहिए।
5. अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन तकनीकों को **अपनाना एवं विकसित** करना चाहिए।
6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए।
7. अन्य देशों के **सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों** का आदर करना चाहिए।
8. अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक एवं **सामाजिक सम्बन्ध** भी बनाने चाहिए।
9. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में **अन्तर्राश्ट्रीय मानकों तथा प्रमापों** का पालन करना चाहिए।
10. अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक **नैतिकता तथा आचार–संहिता** का पालन करना चाहिए।
11. अन्य देशों के कानूनों, नियमों तथा **नीतियां का पालन** करना चाहिए।
12. अन्य देशों के प्रशासन–तंत्र तथा प्रक्रिया को **भ्रश्ट तरीकों** से प्रभावित नही करना चाहिए।
13. विदेशी **गोपनीयता को भंग** नहीं करना चाहिए।
14. विदेशी राष्ट्र की **प्रभुसत्ता का सम्मान** करना चाहिए।

उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व एक द्वि–मार्गीय क्रिया है

(Social Responsibility of Entrepreeneure is as Two-way Traffic)

उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा एक ''द्वि–मार्गीय क्रिया'' है, जिसका तात्पर्य इस क्रिया का उद्यमी एवं समाज दोनों पर समान रूप से लागू होने से है। जहाँ तक एक मार्ग उद्यमी का समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की बात है तो दूसरी और समाज के विभिन्न पक्षकारों का उद्यमी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की बात है।

समाज के विभिन्न वर्गों का उद्यमी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व

(Responsibility of Different Sections of Societies towards Entrepreneur)

उद्यमी के समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना की जा चुकी है। अतः समाज के विभिन्न वर्गों का उद्यमी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना इस प्रकार है :–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. **स्वामियों का उद्यमियों के प्रति उत्तरदायित्व** (Responsibilities of Owners towards Entrepreneur) - वर्तमान समय में संयुक्त स्कन्ध वाली कम्पनियों का बोलबाला है, जिसके स्वामी अंशधारी होते हैं। इसलिए इनका उद्यमी के प्रति निम्नलिखित सामाजिक उत्तरदायित्व होते है :

   (i) कम्पनी को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराते रहना चाहिये।

   (ii) प्रबन्धकों के सम्मुख आने वाली कठिनाईयों का निवारण करने में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए।

   (iii) कम्पनी के संचालन एवं प्रबन्ध में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

   (iv) प्रबन्धकों एवं कम्पनी को अधिक तथा तुरन्त लाभों का भुगतान करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए।

   (v) कम्पनी की सभाओं में उपस्थित होकर अपना मूल्यवान सुझाव एवं सहयोग देना चाहिए।

   (vi) कम्पनी द्वारा की गयी याचना राशि का समय पर भुगतान करना चाहिए।

   (vii) अंशो का हस्तान्तरण एवं विक्रय कम्पनी के हित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

   (viii) अंशो में सट्टे की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

   (ix) कम्पनी द्वारा किये गये आहरण पर प्रभावी नियन्त्रण करना चाहिए।

   (x) अति–आवश्यक होने पर ही कम्पनी में लगी पूँजी सीमित मात्रा में ही निकालें।

2. **कर्मचारियो एवं श्रमिकों का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Employee and Labours)** : चूँकि कर्मचारी एवं श्रमिक अपनी आजीविका व्यावसायिक संस्था से ही कमाते हैं एवं उनकी स्वयं की समृद्धि व्यवसाय की समृद्धि पर निर्भर करती है, अतएव उद्यमी के प्रति उनके भी उत्तरदायित्व होते है, जो अग्रलिखित है :

   (i) व्यवसाय को अपना समझकर रूचि एवं लगन से कार्य करना चाहिए।

   (ii) उद्यमी द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।

   (iii) संस्था के लाभ एवं प्रबन्ध में सहभागी बनकर उसके संचालन में पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

   (iv) उत्पादन के समस्त संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए।

   (v) विध्वंसात्मक एवं अवांछनीय गतिविधियों का सहारा नही लेना चाहिए।

   (vi) व्यावसायिक संस्थान की आचार–संहिताओं, सरकार की कानूनी व्यवस्थाओं एवं अन्य नियमों–उपनियमों का पालन करना चाहिए।

   (vii) प्रबन्ध में योग्य, शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर भेजना चाहिए।

   (viii) व्यवसाय की गोपनीयता को बनाये रखना चाहिए।

   (ix) उन्हें अनुचित माँगे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और अपने सभी विवादों एवं कठिनाईयों को पारस्परिक विचार विमर्श तथा सद्भावना से हल करना चाहिए।

   (x) हड़ताल एवं घेराव आदि का अपवादस्वरूप तथा अन्तिम हथियार के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. **ऋणदाताओं का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Debtors towards Entrepreneur)** : उद्यमी ऋणदाताओं से वित्त की समस्या का समाधान करता है। इसके प्रतिफलस्वरूप उन्हें ब्याज का भुगतान करता है। अतः पूँजी को ऋण के रूप में देने वालें ऋणदाताओं का भी उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जो निम्नलिखित है :

(i) उद्यमी को उचित शर्तों एवं ब्याज दरों पर ऋण देना चाहिए।

(ii) कोई ऐसा कार्य नही करे जिससे व्यवसाय की ख्याति को नुकसान पहुँचे।

(iii) व्यवसाय की संकटकालीन घड़ी में उद्यमी के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए एवं यथासम्भव उसकी सहायता करनी चाहिए।

(iv) व्यावसायिक क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(v) व्यवसाय में आर्थिक मन्दी के समय, विकास की स्थिति में अथवा आकस्मिक दुर्घटना के समय ऋण की पूर्ति की जानी चाहिए।

4. **उपभोक्ता एवं ग्राहकों का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Consumers and Customers towards Entrepreneur)** : उपभोक्ता सम्पूर्ण व्यावसायिक क्रियाओं का सम्राट कहलाता है। किन्तु जहाँ वह एक ओर उद्यमी से अनेक आशाएँ रखता है, वहाँ दूसरी ओर उसे भी उद्यमी के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभाना चाहिए। अतः उपभोक्ता का उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं :

(i) उद्यमी को बाजार शोध के समय अपनी रूचि, पसन्द, आदतों, आवश्यकताओं एवं फैशन के बारे में अवगत कराना चाहिए।

(ii) अनावश्यक माल खरीदकर संचय की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए।

(iii) वस्तुओं का उचित मूल्य चुकाया जाना चाहिए और उधार देने के लिए जोर नहीं डालना चाहिए।

(iv) कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करने वालों से वस्तुएँ नहीं खरीदनी चाहिए। नकली वस्तुओं की जानकारी होने पर व्यवसायी को तुरन्त सूचित करना चाहिए।

(v) विदेशी वस्तुओं के क्रय को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

(vi) उद्यमी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए।

(vii) उद्यमी द्वारा विक्रय–पश्चात् दी जा रही सुविधाओं का दुरूपयोग नही करना चाहिए।

(viii) उपभोक्ता संघो की स्थापना करनी चाहिए।

(ix) सदैव प्रमापित वस्तुओं के क्रय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(x) खरीदे गये माल का समय पर भुगतान करना चाहिए।

5. **पूर्तिकर्त्ताओं का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Suppliers towards Entrepreneur)** : उद्यमी का स्थायी अस्तित्व, विकास, विस्तार एवं लाभ कुछ सीमा तक पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उनके उत्तरदायित्व के ठीक प्रकार से निभाये जाने पर निर्भर करता है। पूर्तिकर्त्ता, उद्यमी को यन्त्र, मशीनरी, कच्चा–माल एवं अन्य सामग्री इत्यादि देते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उद्यमी की व्यावसायिक

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

क्रियाओं का संचालन नियमित एवं सुचारू रूप से बना रहे है। अतः पूर्तिकर्त्ताओं का उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है :

(i) समय पर उत्पादन के साधनों की पूर्ति करनी चाहिए।

(ii) माल की कमी होने पर उद्यमी का शोषण नहीं करना चाहिए।

(iii) उपयुक्त माल न होने की दशा में बदलने एवं वापसी की सुविधा देनी चाहिए।

(iv) उचित मूल्य पर अच्छी किस्म का माल–मशीन एवं यन्त्र देना चाहिए।

(v) नये–नये कच्चे माल, मशीनों एवं यन्त्रों की खोज करते रहना चाहिए।

(vi) उद्यमी से मधुर सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए।

6. **विनियोक्ताओं का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Investors towards Entrepreneur)** : कम्पनी के विनियोक्ता–अंशधारी एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थाएँ होती हैं। इसलिए जिन्होनें कम्पनी में अपने धन का विनियोजन किया है, उसके भी उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते है :

(i) कम्पनी की सभाओं में उपस्थित होना और श्रेष्ठ संचालकों अथवा प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए।

(ii) पेशेवर प्रबन्धकों के हाथों में कम्पनी का प्रबन्ध सौंपना चाहिए।

(iii) संस्था के लिए उचित नीतियाँ बनानी चाहिए।

(iv) छोटे लाभों के खातिर विनियोजित धन वापिस नहीं लेना चाहिए।

(v) ऋण पूँजी की शर्तों को उदार रखना चाहिए।

(vi) रूग्ण संस्थाओं को आवश्यक सहायता देते रहना चाहिए।

7. **पे□ावर संस्थाओं का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Professional Insutitutions towards Entrepreneur)** : पेशेवर संस्थाओं का उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है :–

(i) संस्थाओं एवं प्रबन्धकों को पेशे सम्बन्धी गतिशीलताओं के बारे में सूचित करते रहना चाहिए।

(ii) प्रबन्धकों द्वारा भेजे गये लेख प्रकाशित करते रहना चाहिए।

(iii) प्रबन्धकों के लाभार्थ सेमिनार आयोजित की जानी चाहिए।

(iv) व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन एवं प्रबन्ध हेतु योग्य विशेषज्ञों की पूर्ति करते रहना चाहिए।

8. **अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of other Business Insutitutions towards Entrepreneur)** : व्यवसाय की प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि उसे अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का स्वैच्छिक समर्थन प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए अन्य व्यावसायिक संस्थाओं का उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होता है :

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना चाहिए।

(ii) सामूहिक विज्ञापन करना चाहिए।

(iii) व्यावसायिक सूचनाओं का आदान–प्रदान करना चाहिए।

(iv) व्यावसायिक संघ की स्थापना कर उद्यमी के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

(v) मिथ्या बातों का प्रचार नही करना चाहिए।

(vi) औद्योगिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना चाहिए।

9. **स्थानीय समुदाय का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Local Community towards Entrepreneur)** : स्थानीय समुदाय के सहयोग बिना कोई उद्यमी न तो सफल हो सकता है और न अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकता है। अतः उनका उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व होता है :

(i) उद्योग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए।

(ii) व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन में 'बन्द' आदि का आयोजन करके बाधायें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

(iii) स्थानीय लोगो के स्थानीय क्षेत्र के उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(iv) स्थानीय समुदाय से सम्बन्धित राजनीतिज्ञों को श्रमिक संघों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(v) नागरिक अशान्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए तथा अशान्ति उत्पन्न होने पर व्यावसायिक संस्था की सम्पत्ति को क्षति नही पहुँचानी चाहिए।

10. **सरकार का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of Government towards Entrepreneur)** : किसी भी उद्यमी की सफलता एवं विकास में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक प्रगतिशील सरकार अपने नियन्त्रण के क्षेत्र में उद्यमी को पनपने के लिए अनके सुविधाएँ, वस्तुएँ देती है और उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती है। संक्षेप में, सरकार का उद्यमी के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व है :

(i) उद्यमी को पर्याप्त संरक्षण एवं सहयोग देना चाहिए।

(ii) व्यावसायिक संघों संगठनों एवं पार्षदों को मान्यता देनी चाहिए।

(iii) विदेशी प्रतिस्पर्द्धाओं से उद्यमियों को संरक्षण देना चाहिए।

(iv) सरल, व्यावहारिक, उपयुक्त कानून एवं अधिनियम बनाने चाहिए।

(v) आवश्यकतानुसार रियायती दरों पर भूमि, बिजली एवं पानी उपलब्ध कराना चाहिए एवं विदेशी तकनीक, कच्चा–माल एवं मशीनें भी उपलब्ध करानी चाहिए।

(vi) उपर्युक्त आयात–निर्यात नीति का निर्माण करना चाहिए।

(vii) सुदृढ औद्योगिक नीति एवं प्रेरणात्मक कराधान नीति बनानी चाहिए एवं समय समय पर उनमें संशोधन किये जाने चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(viii) उपेक्षित क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना हेतु विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

(ix) उचित मूल्य स्तर बनाये रखने में सहायता देनी चाहिए।

(x) मुनाफाखोरी एवं मिलावट आदि पर प्रभावी नियन्त्रण करना चाहिए।

11. **वि□व समाज का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्व (Responsibilities of World Society towards Entrepreneur)** : जब उद्यमी विभिन्न राष्ट्रों के प्रति अनेक दायित्वों को निभाता है तो विभिन्न राष्ट्रों, व्यवसायियों, सरकार एवं उपभोक्ताओं के भी उद्यमी के प्रति अनेक दायित्व होते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है :

(i) अल्पविकसित देशों के माल के आयात को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(ii) अन्तराष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने में सहायता देनी चाहिए।

(iii) अन्य देशों के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय आचार–संहिता का पालन करना चाहिए।

(v) तकनीकी ज्ञान का आदान–प्रदान करना चाहिए।

प्र□न बोध –

लघुतरात्मक प्र□न–

1. उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व से आपका क्या आशय है ?
2. उद्यमी के सामाजिक उत्तरदायित्व की पांच विशेषताएँ।
3. उद्यमी का सामाजिक उत्तरदायित्व द्वि–मार्गीय क्रिया है ? समझाईये।

निम्बन्धात्मक प्र□न –

1. एक उद्यमी का समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति उत्तरदायित्वों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
2. समाज के विभिन्न वर्गो का उद्यमी के प्रति उत्तरदायित्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – तृतीय
उद्यमिता विकास कार्यक्रम
[Entrepreneurship Development Programmes]

उद्यमिता विकास एक व्यापक अवधारणा है। उद्यमिता विकास के बिना अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक देश में उद्यमिता के विकास हेतु व्यवस्थित कार्यक्रम संचालित किये जाते है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के द्वारा उद्यमियों के विकास हेतु योजनाबद्ध प्रयास किये जाते है। इन कार्यक्रमों के द्वारा उद्यमिता का समुचित विकास किया जा सकता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम ;म्क्च्द्ध से तात्पर्य किसी ऐसे कार्यक्रम से है। जिसका उद्देश्य जनसमूह में से सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना, उनमें उद्यमीय गुणों एवं कौशल का विकास करना तथा उन्हें सफलतापूर्वक अपना उपक्रम स्थापित एवं संचालित करने में सहयोग देना है।

प्रो. एन.पी. सिंह के अनुसार ''उद्यमिता विकास कार्यक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें निम्नांकित क्रियाएँ सम्पन्न की जाती है :

(i) सम्भावित उद्यमियों में उद्यमिता की प्रेरणा जागृत करना, उद्यमीय गुणों एवं कौशल का विकास करना।

(ii) दैनिक क्रियाओं में उद्यमीय व्यवहार उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार करना।

(iii) उद्यमीय कार्यों के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित एवं विकसित करने में उनका सहयोग करना।''

इस प्रकार उ़द्यमिता विकास कार्यक्रम से तात्पर्य किसी ऐसे व्यवस्थित कार्यक्रम से है जिसके अन्तर्गत सम्भावित उद्यमियों की पहचान करने, उनमें उद्यमीय गुणों का विकास करने, उन्हें प्रबन्धकीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने तथा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित एवं संचालित करने में आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु व्यवस्थित प्रयास किये जाते हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की वि□ोशताएँ (Characteristics of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है :

1. **उद्यमिता की इच्छा की उत्पत्ति**– उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसी व्यक्ति में उद्यमिता की चाह उत्पन्न करते हैं। जिससे व्यक्ति में उद्यम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है।
2. **उद्यमियों का निर्माण** – मूल रूप से उद्यमिता कार्यक्रम पहली पीढ़ी के उद्यमियों या व्यावसायियों का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जिन्हें व्यवसाय का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उनमें व्यवसाय करने का साहस उत्पन्न किया जाता है ताकि वे सफल व्यवसायी बन सके तथा वह साहस पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सके।
3. **उद्यमी बनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमी बनने की प्रेरणा ही नहीं देते हैं, अपितु प्रोत्साहित भी करते हैं क्योंकि :

(i) लाभार्थियों को उद्यमी बनने की प्रेरणा देते हैं,

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते हैं ताकि रोजगार की तलाश न करें।

(iii) लघु एवं कुटीर उद्योगों को लगाने एवं चलाने को प्रोत्साहित करते हैं,

(iv) उद्यमी को अभिप्रेरित करते हैं।

(v) व्यक्ति के उद्यमिता व्यवहार को परिवर्तित करते हैं।

4. **नये व्यवसाय के प्रारम्भ का पथ–प्र□ास्त** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसी व्यक्ति में नये व्यवसाय को लगाने का पथ प्रशस्त करते है और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को बताकर उन्हें दूर करने का उपाय बताते हैं। परिणामस्वरूप वे सफल उद्यमी बन सकें।

5. **यह मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण उपकरण एवं पर्याय है**– उद्यमिता विकास कार्यक्रम मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण एवं पर्याय है क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करता है। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से तकनीकी क्षमताएँ विकसित की जाती है ताकि स्वरोजगार की भावना का विकास हो।

6. **यह एक प्रयास है** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों अथवा साहसियों को जन्म देने, उन्हें विकसित करने एवं उन्हें पक्का करने का प्रयास है।

7. **सतत् एवं गत्यात्मक प्रक्रिया**– उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक सतत् एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसका कारण है कि ऐसे कार्यक्रम व्यक्तियों की साहसिक क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने, विकसित करने एवं उनके प्रयोग हेतु निरन्तर अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते है और परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रमों में संशोधन एवं परिवर्तन भी करते है।

8. **उद्यमिता की वृत्ति या प्रवृत्ति का विकास** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा प्रयास है जो उद्यमिता की वृत्ति या प्रवृत्ति का विकास करता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति को उद्यमी एवं नव उद्यमी को सफल उद्यमी में परिवर्तित किये जा सके।

9. **मूल्यांकन एवं परिमार्जन** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम लाभार्थियों की विभिन्न क्षमताओं, जैसे– साहस, दृढ़ निश्चय, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, रणनीति एवं रण–कौशल से भरी हुई दृष्टि और आत्मविश्वास आदि का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें परिमार्जित करते है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका (Role of EDP's)

आर्थिक विकास की गति एवं औद्योगिक प्रगति देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिम्ब होती है। इसलिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास का मूल आधार माना गया है। इस सम्बन्ध में **येल बोजेन ने कहा कि** '' उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है।'' समाज में युवा पीढ़ी को सृजनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करने, देश में अप्रयुक्त प्राकृतिक साधनों का अधिकतम कुशलता के साथ उपयोग करने, देश की रोजगार की समस्या का निदान करने, देश का सन्तुलित विकास करने आदि में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका उत्पन्न महत्वपूर्ण है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका को निम्नालिखित आधारों पर विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है।

आर्थिक आधार पर

सामाजिक आधार पर

अन्य आधारों पर

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आर्थिक आधार पर (On the Basis of Economic Factors) –उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल आधार तो आर्थिक ही है क्योंकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल उद्यमियों का निर्माण होता है, बल्कि बेरोजगारी की समस्या का निदान भी होता है।

आर्थिक आधार पर उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की महत्ती भूमिका निम्नलिखित है –

सफल इकाईयों की स्थापना (Establishment of Viable Units) – उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यावसायिक इकाईयों को शाश्वत् जीवन प्रदान करने वाला तत्त्व है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से उन इकाईयों को स्थापित ही नहीं किया जा सकता है, अपितु उन्हें लाभप्रद एवं कुशल भी बनाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि साहसी व्यक्ति परिश्रमी, व्यवहार कुशल, प्रशिक्षित, महत्त्वाकांक्षी एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होते हैं। इसके अतिरिक्त साहसी रूग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करके राष्ट्रीय साधनों के सदुपयोग को, सम्भव भी बना सकते हैं।

संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग (Optimum Utilisation of Resources) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को संगठित एवं समन्वित किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागत एवं अधिकतम उत्पादन होता है और उद्यमियों के लाभों में वृद्धि हो जाती है। यही नहीं, उद्यमी अपने प्रबन्धकीय कौशल से अप्रयुक्त संसाधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करते है।

नवाचारों एवं उत्पादन विभिन्नीकरण को प्रोत्साहन (Encouragement to Innovation and Product Diversification) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका नवाचारों एवं उत्पाद विभिन्नीकरण को प्रोत्साहन देना है। परिणामस्वरूप :

समाज में नवीनता का जन्म होता है, जैसे– नयी–नयी वस्तु का उत्पादन, उत्पादन की नवीन विधियाँ, नयी–नयी मशीनों, यन्त्रों, तकनीकों के विकास एवं उपयोग आदि।

बाजार अनुसंधान द्वारा नये नये बाजारों की खोज की जाती है।नये उत्पाद विकसित कर उत्पाद विभिन्नीकरण किया जाता है। जिससे उपक्रमों का विस्तार होता है।वस्तुओं का विक्रय एवं ग्राहक सन्तुष्टि के लिए नई विधियों को अपनाया जाता है।उद्यमी शोध एवं अनुसन्धान पर बल देते है।

सन्तुलित आर्थिक विकास (Balanced Economic Growth) : उद्यमिता विकास कार्यक्रम सन्तुलित आर्थिक विकास का मूलाधार है क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से उद्यमी पिछड़े एवं दूर–दराज प्रान्तों में उद्योग स्थापित करने की जोखिम उठाने में सक्षम हो जाते है। इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विकासात्मक अन्तरों तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में भी सहायक होते है।

दे□ा में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन (Encouragement to Industrial Activities in Country) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से लोगो में अनेक भावनाओं, जैसे– उद्यमशील भावना, रचनात्मक भावना, उपलब्धि भावना एवं कुछ कर दिखाने की भावना आदि का विकास होता है। फलस्वरूप उद्यमी नये–नये उद्योग लगाते है, नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नवीन बाजारों का विकास करते है, उच्छी किस्म का उत्पादन करते है, विद्यमान उपक्रमों का विस्तार करते हैं एवं व्यावसायिक अवसरों की खोज के साथ उनका विदोहन करने के लिए नयी–नयी इकाईयों की स्थापना करते है। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

पूँजी निर्माण में सहायक (Helpful in Capital Formation) : देश में तीव्र आर्थिक विकास तथा औद्योगिक विकास पूँजी निर्माण पर निर्भर करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पूँजी निर्माण पर निम्न प्रकार से सहायक होता है :

नवीन उद्योगों की स्थापना, रोजगार, आय एवं बचत में वृद्धि करता है।

देश की बचतों को उत्पादक कार्यों में विनियोजित करते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि करके पूँजी निर्माण की दर को बढ़ाते है।

इन सबके परिणामस्वरूप देश तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ता है।

व्यावसायियों का अस्तित्व सम्भव (Existence of Businessmen) : आज का युग प्रतिस्पर्द्धा का युग है। इसलिए इस युग में वही टिक सकता है जो उत्पादन की नवीन विधियों को अपनाये, नये–नये यन्त्रों, तकनीकों एवं मशीनों का उपयोग करे, वित्त एवं वितरण पद्धतियों में नये–नये प्रयोग एवं सुधार करे और साहसिक योग्यता प्राप्त करे। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन सभी परिवर्तनों एवं नवकरणों में अपनी महत्ती भूमिका का निर्वाह करता है। फलस्वरूप व्यावसायियों का अस्तित्व बना रहता है।

सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन (Execution of Government Policies) : सरकार चाहे राज्य हो केन्द्रीय सरकार हो, अनेक प्रकार की नीतियाँ, जैसे व्यापारिक नीति, राजकोषीय नीति, आयात–निर्यात नीति एवं मौद्रिक नीति आदि बनाती है। इसके अतिरिक्त विकास योजनायें भी बनायी जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के द्वारा इन नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं किया जाता है, अपितु इनमें सन्तुलन भी स्थापित किया जाता है ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

सामाजिक आधार पर (On the Basis of Social Factors) : जहाँ उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आर्थिक रूप में भूमिका होती है, उसी प्रकार उसकी सामाजिक रूप में भी विशेष भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करते हैं। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय या धन्धा अपनाकर अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ कर सकता है।

सामाजिक आधार पर उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की महत्ती भूमिका निम्नलिखित है :

आत्मनिर्भर समाज की स्थापना (Establishment Self Sufficient Society) : उद्यमिता विकास कार्यक्रम आत्मनिर्भर समाज की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्तियों को नौकरी करने के स्थान पर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करते है, कुटीर एवं लघु उद्योगो की स्थापना करने की प्रेरणा देते हैं, सरकारी योजनाओं का किस प्रकार उपयोग किया जाए इसकी जानकारी देते है, स्वरोजगार हेतु वित्त, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, निर्यात संवर्द्धन के उपाय बताये जाते हैं एवं प्रेरित भी किया जाता है।

सामाजिक ढाँचे में रचनात्मक परिवर्तन (Construcitve Changes in Social Structure) : उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से समाज उद्योग–प्रधान बन जाता है, जड़ता समाप्त होती है, अन्धविश्वास में कमी आती है, समाज में स्पंदन आता है, समाज को कई रूढ़ियों एवं पुरातन परम्पराओं से मुक्ति मिलने लगती है, निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता का प्रादुर्भाव होता है, जातिगत रूढियाँ समाप्त होती है और सामाजिक समरसता बढ़ती है। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से सामाजिक ढाँचें में रचनात्मक परिवर्तन आता है। इस सम्बन्ध में लिविंगस्टोन ने कहा कि, ''उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में उद्यमी अलौकिक शक्ति नहीं वरन् जटिल सामाजिक प्रक्रिया का एक अंग है, जो सामाजिक ढाँचे में परिवर्तनों को जन्म देता है।''

रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment Opportunities) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से रोजगार उपक्रमों की स्थापना होती है क्योंकि :

देश में नवीन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना होती हैं।

पुराने उपक्रमों एवं इनकी इकाईयों का विस्तार एवं विकास होता है एवं इनमें व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने लगता है।

व्यवसाय के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों एवं विधियों, जैसे–कम्प्यूटर्स, दूर–संचार, रोबोट्स, जीव–रसायन एवं उच्च तकनीकी तथा जैविक इन्जीनियरिंग आदि का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप सम्बन्धित अनेक उद्योगों एवं वितरण सेवाओं की स्थापना की जा रही है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने के साथ–साथ स्वरोजगार में वे अपने व्यवसाय के स्वयं स्वामी हो जाते हैं और अपने व्यवसाय के माध्यम से अन्य अनेक लोगों को स्वतन्त्र रोजगार प्रदान करते है।

व्यक्तियों में रचनात्मक मनोवृत्तियों का विकास (Development of Construtive Tendencies in People) : ऐसा देखा गया है कि सभी व्यक्तियों में साहस, कुछ करते रहने की आदत, पक्का इरादा, रणनीतिपूर्ण दृष्टि, स्वप्न देखने की आदत, निर्णय लेने की कुशलता, हानि वहन करने की क्षमता तथा मानसिकता आदि क्षमताओं के गुण विद्यमान रहते हैं। किन्तु इनको अवसर कौन दे ? इसके प्रत्युत्तर में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की बात आती है और ये अपनी भूमिका का कुशल निर्वाह भी करते है। परिणामस्वरूप व्यक्ति आलस्य एवं अकर्म को त्याग देते है, सुखी एवं सम्पन्न जीवन जीने लगते हैं, आत्मनिर्भर होने लगते हैं, कुछ करके प्राप्त करने की ओर प्रेरित होते है। इस प्रकार इन कार्यक्रमों से व्यक्तियों में रचनात्मक मनोवृत्तियों का विकास होता है।

सामाजिक उत्तरदायित्वा (Social Responsibilities) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जाता है। परिणामस्वरूप स्वामी अपने व्यवसाय एवं उद्योग की स्थापना, विकास एवं विस्तार करने में सफल हुए हैं, कर्मचारी मौद्रिक एवं अमौद्रिक सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, ऋणदाताओं को समय पर ब्याज एवं मूलधन को प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती हैं, ग्राहकों को सन्तुष्टि प्राप्त होने लगती है और सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व का निर्वाह हो जाता है।

सामाजिक सन्तुश्टि (Social Satisfaction) : आज अनेक देशों में वैश्वीकरण एवं निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। फलस्वरूप बाजारों में अनेक बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद देखे जा सकते है। उदाहरण के तौर पर, भारत में चीन के बिजली के सामान, खिलौने, कपड़े एवं अन्य सामान आदि। इस कारण निजी व्यावसायियों पर अनेक दायित्व उत्पन्न हो गये है, जैसे –उचित मूल्यों पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना, विक्रयोपरान्त सेवायें प्रदान करना, सभी वर्ग के व्यक्तियों की रूचियो का ध्यान रखना, वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा न करना और उपभोक्ताओं के साथ सौजन्यतापूर्ण व्यवहार करना आदि। इस प्रकार के सभी कार्यों, दायित्वों, मूल्यों एवं उपयोगिताओं का सृजन उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा भूमिका का निर्वाह करके ही किये जा सकते है।

सार्वजनिक सेवाएँ (Public Service) : उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा व्यावसायिक जोखिमों का पूर्वानुमान कर समाज के भावी विकास की कल्पना की जा सकती है। उद्यमिता द्वारा समाज में प्रगति के लक्ष्य से ही व्यवसाय में प्रवेश सम्भव है तथा सफल उपक्रम की स्थापना करके सार्वजनिक सेवा की जा सकती है।

स्वरोजगार एवं कार्य स्वतंत्रता को प्रोत्साहन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम समाज में स्वरोजगार एवं कार्य स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उद्यमिता की भावना विकास के कारण ही लोग उद्यमिता को अपनाते है तथा स्वरोजगार एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करते है।

सामाजिक परिवर्तन का माध्यम – डोनाल्ड बी. ट्रौ (Donald B. Trow) का कथन कथन है कि ''उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन एवं उद्यमीय संस्कृति की स्थापना का महत्वपूर्ण माध्यम है।'' उद्यमी के नवाचारी कार्यों से समाज के लोगों के रहन–सहन, खानपान, आवश्यकताओं, आचार–विचार आदि में परिवर्तन आता है। लोगों के ज्ञान एवं उनकी समझ में भी अन्तर आता हैं। समाज में नयी परम्पराएँ एवं प्रथाएँ स्थापित होती हैं। संक्षेप में, उद्यमिता से समाज में परिवर्तनों की प्रक्रिया को गति मिलती है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा इस गति को और भी तीव्र किया जा सकता है।

अन्य आधारों पर

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका निम्नलिखित अन्य आधारों पर भी देखी जा सकती है –

उद्यमीय गुणों का विकास – उद्यमिता विकास कार्यक्रम लोगों में आधारभूत उद्यमीय गुणों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहले उद्यमीय प्रेरणा वाले लोगों की पहचान की जाती

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है। तत्पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को उन गुणों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है जिनकी सफल उद्यमी के जीवन में आवश्यकता पड़ती है।

उद्यमीय अभिप्रेरणा का विकास – उद्यमिता के विकास के लिए लोगों में उद्यमीय अभिप्रेरणा का विकास परमावश्यक है। अनेक शोध परिणाम इस बात को स्पष्ट एवं पुष्ट करते है कि उद्यमिता में वही व्यक्ति सफल होते है। जिनमें उद्यमीय प्रेरणा होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों से लोगों में ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न की जा सकती है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमीय अभिप्रेरणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

प्रबन्धकीय कौ□ाल का विकास – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्यमियों में प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय कौशल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन कार्यक्रमों द्वारा उद्यमी को नियोजन, निर्णयन, संगठन संरचना, निर्माण, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, संचार कौशल आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है। फलतः सामान्य उद्यमियों को अधिक प्रभावी एवं कुशल उद्यमीय बनाया जा सकता है।

व्यावसायिक क्रियाओं की निश्पादन क्षमता का विकास – उद्यमियों की सफलता के लिए उनमें व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन की क्षमता भी होनी चाहिये। उत्पादन, विपणन, वित्त, लेखा कर्मचारी प्रबन्ध, मूल्य निर्धारण, क्रय–विक्रय आदि व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन सम्बन्ध में उद्यमी को पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों की इन क्षमताओं का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

वातावरण वि□लेशण क्षमता का विकास – उद्यमी में वातावरण विश्लेषण क्षमता का होना परमावश्यक है। इस हेतु उसमें दिव्य अन्तर्दृष्टि तथा अन्तर्ज्ञान होना परमावश्यक है। वातावरण के अवसरों एवं खतरों/संकटो की शीघ्र पहचान करने तथा अपनी क्षमताओं या शक्तियों एवं कमियों या दुबलताओं का आकलन करने में दिव्य अन्तर्दृष्टि एवं अन्तर्ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उसके इन गुणों एवं क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

सहायता स्त्रोतों एवं प्रक्रिया की जानकारी – आधुनिक युग में विकासशील देश में ही नहीं, अतिपु विकसित राष्ट्रों में भी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाएँ अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करती है। ये संस्थाएँ वित्त, आधारभूत संसाधन, कच्चा माल, शक्ति के साधन, यंत्र, उपकरण, बाजार आदि की सेवाएँ ही उपलब्ध नहीं करती है बल्कि इनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आँकड़े एवं सूचनाएँ भी उपलब्ध करती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन सभी संस्थाओं तक पहुँचने, उनसे सहायता उपलब्ध कराने तथा उनकी प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आधारभूत कानूनी प्रावधानों की जानकारी – उद्यमी से कानून का विशेषज्ञ होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है किन्तु उसे कुछ आधारभूत कानूनी प्रावधानों की जानकारी अवश्य होनी चाहिये। उसे कम से कम उपक्रम की स्थापना एवं संचालन से सम्बन्धित आधारभूत कानूनी प्रावधानों की जानकारी तो होनी ही चाहिये। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमी को ऐसी जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

भांकाओं एवं समस्याओं के समाधान में योगदान – उद्यमियों को अपने कार्यों की योजनाएँ बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वे कई शंकाओं एवं दुविधाओं से घिर जाते है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उन्हें ऐसी शंकाओं एवं दुविधाओं से निकलने तथा समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

दे□ा का तीव्र आर्थिक विकास – पिछले कई वर्षो से हमारे राष्ट्रीय नेता देश में 8 से 10 प्रतिशत की दर से आर्थिक विकास की योजना बनाते रहे है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी 8 प्रतिशत की दर से सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब 2020 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना संजोये हुए हैं। ऐसा तभी सम्भव है जबकि देश में उद्यमिता का विकास भी तीव्र गति से हो। **प्रो. डुप्रीज** ने भी कहा है कि "**उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास की सबसे**

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

बड़ी बाधा है।'' उद्यमिता विकास कार्यक्रम देश में सक्षम उद्यमियों की फौज खड़ी कर देश में उद्यमियों की कमी को दूर कर सकते है तथा देश के तीव्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

विकास□ील दे□ों की समस्या का निवारण – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विकासशील देशों की निम्नलिखित अनेक समस्याओं का निवारण किया जाता है।आर्थिक असन्तुलन को दूर किया जा सकता है। शैक्षिक, अकादमीय, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते है। आर्थिक समृद्धि के एक नये युग का सूत्रपात होता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता (Relevance of EDP's)

विश्व में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसके मूलतः निम्नांकित कारण है :

1. **'उद्यमी विकसित किये जा सकते है' विचारधारा में वि□वास** – अब वे दिन लद चुके है जबकि यह माना जाता था कि उद्यमी पैदा होते है, विकसित नहीं किये जा सकते है। आज दुनिया के सभी देशों में इस विचारधारा पर विश्वास किया जाता है कि उद्यमी विकसित किये जा सकते है।

   हारवर्ड वि□वविद्यालय के प्रो. मेक्क्लीलैण्ड ने भारत के आन्ध्रप्रदेश राज्य के काकीनाड़ा जिले में पाँच वर्षो तक एक शोध किया जिसे **'काकीनाड़ा प्रयोग'** के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने शोध प्रयोगों से निम्नांकित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किये थे :

   (i) जिन लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है, वे अपेक्षाकृत अधिक सफल उद्यमी होते है।

   (ii) लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा जन्मजात होनी आवश्यक नहीं है। लोगों में उपलब्धि की उच्च आंकाक्षा को विकसित किया जा सकता है।

   (iii) लोगों को उचित प्रशिक्षण देकर उनमें उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को विकसित किया जा सकता है।

इस प्रकार उन्होनें यह स्पष्ट कर दिया कि उचित प्रशिक्षण द्वारा उद्यमी विकसित किये जा सकते है। प्रशिक्षण के द्वारा लोगों में उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को जन्म देने हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऐसे प्रशिक्षण से अधिक सफल उद्यमियों का विकास सम्भव है।

मेक्क्लीलैण्ड के इन निष्कर्षो से प्रभावित होकर भारत सरकार ने सन् 1971 में ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने प्रारम्भ कर दिये थे। उसके बाद भारत में ऐसे कार्यक्रम निरन्तर रूप से संचालित किये जा रहे हैं। आज भारत में लगभग 700 उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, कई सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा हजारों नवयुवकों एवं युवतियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और भविष्य में किया जा रहेगा। ऐसे में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को कौन नकार सकता है।

2. **रोजगार–अवसरो की आव□यकता** – आज देश में कई लोग बेरोजगार है। अनेक पढ़े–लिखे लोगो को उचित रोजगार के अवसरों की तलाश है। ऐसे में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही प्रासंगिक है। ये देश में रोजगार के अवसरों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

3. **उद्यमिता के प्रति आकर्शण** – आज देश में युवा पीढ़ी के युवक–युवतियाँ उद्यमिता के प्रति आकर्षिक होने लगे हैं। नयी पीढ़ी का एक वर्ग नौकरी नही करना चाहता है। वे अपने स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। उनमें ऐसा आकर्षण अग्र कारणें से बढ़ता जा रहा है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) उनमें कुछ सृजनात्मक एवं नया करने की तमन्ना है।

(ii) वे अपने जीवन में कुछ बनना चाहते है, कुछ कर दिखाना चाहते है।

(iii) वे अपने जीवन का खुद नियन्ता बनना चाहते है।

(iv) वे स्वतंत्रता चाहते है, स्वयं के मालिक बनना चाहते है।

(v) वे धन कमाना चाहते है।

(vi) कई लोग अपनी नौकरी से प्रसन्न नही है। अतः वे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर अपनी क्षमताओं का उपयोग करना एवं अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ (Achievements of EDP's)

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों को अनेक आधारों पर समझा जा सकता है। निम्नांकित तथ्य भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों की ओर संकेत करते है :

1. **लघु उद्योग इकाइयों की संख्या** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप भारत में लघु उद्योग इकाइयों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई है। भारत में वर्ष 1990–91 में देश में 68 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ थी। किन्तु वर्ष 2003–04 में उनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 119 लाख हो गई है।

2. **पंजीकृत इकाइयों में निवे□ा** – भारत में वर्ष 1990–91 में लघु उद्योग इकाइयों में जहाँ 93,555 करोड़ रू. का स्थायी निवेश था, वह वर्ष 2004–05 में बढ़कर 1,80,000 करोड़ रू. के लगभग पहुँच गया है।

3. **उत्पादन** – भारत में लघु उद्योग इकाइयों का कुल उत्पादन वर्ष 1990–91 में 63,518 करोड़ रू का था जो वर्ष 2004–05 में बढ़कर 3,99,020 करोड़ रू का हो गया। स्थिर मूल्यों पर यह उत्पादन क्रमशः 68,295 करोड़ तथा 2,45,747 करोड़ रू का था।

4. **रोजगार** – भारत में वर्ष 1990–91 में लघु उद्योग इकाइयों से लगभग 158 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त था। वह 2004–05 में बढ़कर 283 लाख लोगो तक पहुँच गया है।

5. **निर्यात** – वर्ष 1990–91 में लघु उद्योग इकाइयों द्वारा कुल 9664 करोड़ रू. के माल का निर्यात किया गया था। किन्तु 2004–05 में इनके निर्यातों की राशि 1,00,000 करोड़ रू. से भी अधिक होने का अनुमान है।

6. **कारखानों की संख्या** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का प्रभाव कारखानों की संख्या पर भी पड़ा है। वर्ष 2000–01 में देश में कुल कारखानों की संख्या 1,31,269 था। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 16,695 तथा निजी क्षेत्र में 1,12,001 कारखाने थे। शेष संयुक्त एवं सहकारी क्षेत्र में थे।

7. **कारखानों में निवे□ा** – देश के सभी कारखानों में वर्ष 2000–01 में 3,99,905 करोड़ रू. का स्थायी पूँजी निवेश था।

8. **कारखानों में उत्पादन** – देश के सभी कारखानों में वर्ष 2000–01 में कुल 9,26,902 करोड़ रू. मूल्य का उत्पादन हुआ था।

9. **कारखानों में रोजगार** – देश के सभी कारखानों में वर्ष 2000–01 में कुल 79,88,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध था।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. **औद्योगिक लाइसेन्स** – देश में प्रतिवर्ष कई औद्योगिक लाईसेन्स जारी किये जाते है। फलतः वर्ष 1990–91 से 2004–05 की अवधि में 3966 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये जा चुके है। इन लाईसेन्सों के अधीन स्थापित उद्योगों में 1,11,841 करोड़ रू. के निवेश का अनुमान है। इन उद्योगों में लगभग 86000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलताएँ भी इस कार्यक्रम की उपलब्धियाँ है। जिसका उल्लेख पंचम अध्याय आलोचनात्मक मूल्यांकन में किया गया है।

प्र□न बोध –

लघुतरात्मक प्र□न–

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है ?
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम के सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के चार आधार बताईंये।

निम्बन्धात्मक प्र□न –

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की भूमिका की विवेचना कीजिए।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – चतुर्थ
उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकार की भूमिका
[Role of Government in Organizing EDP]

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के निर्माण में सरकार की भूमिका सराहनीय रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही इस दिशा में प्रयास किये जा रहे है। इसके लिए सरकार ने अनेक संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की है। ये संगठन एवं संस्थान उद्यमियों द्वारा लगाये जाने वाले उद्योगों से लेकर उनके विकास–विस्तार हेतु अनेक सुविधा एवं सहायताएँ प्रदान करते है, इनमें उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक परामर्श देना, अनुसंधान एवं शोध कार्य में मदद करना, समय–समय पर संगोष्ठियों का आयोजन करना और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन करना आदि शामिल है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए सरकार द्वारा स्थापित संगठनों एवं संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी संस्थानों को निम्नांकित तीन वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है :

I. राष्ट्रीय स्तर के संगठन

II. राज्य स्तर के संगठन

III. अनुसंधान, परीक्षण एवं मानक संगठन

I. राश्ट्रीय स्तर के संगठन

केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों एवं उद्यमियों का विकास करने के लिए अनेक उपाय किये है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित एवं संचालित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

1. लघु उद्योग बोर्ड
2. लघु उद्योग विकास संगठन।
3. राष्ट्रीय उद्यु उद्योग निगम।
4. अखिल भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएँ।
5. लघु उद्योग विकास बैंक।
6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड
7. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।
8. निर्यात संवर्द्धन परिषदें।
9. मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात।
10. भारतीय राज्य व्यापार निगम।
11. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम।
12. राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम।
13. आविष्कार संवर्द्धन बोर्ड।
14. भारतीय लघु उद्योगों के संगठनों का परिसंघ।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

15. अन्य संस्थाएँ

1. लघु उद्योग बोर्ड (Small Scale Industries Board)

लघु उद्योग बोर्ड ;ै ठवंतकद्ध का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा सन् 1954 में किया गया था। इस बोर्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य देश के लघु उद्योगों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना है।

इस बोर्ड का गठन केन्द्रीय लघु उद्योग मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में होता है। शेष 101 सदस्य निम्नानुसार है :

(i) सभी राज्य सरकारों के उद्योग मंत्री।

(ii) संसद के चुनिन्दा सदस्य।

(iii) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिव।

(iv) वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों के प्रधान।

(v) उद्योग–व्यापार संघो के प्रतिनिधि।

(vi) मनोनीत विशेषज्ञ।

2. लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organisation or SIDO)

लघु उद्योग विकास संगठन केन्द्रीय लघु उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत एक उच्चतम संस्था है। यह संस्था लघु उद्योगों एवं उद्यमियों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करती है। इसकी स्थापना सन् 1954 में की गई थी।

कार्य – लघु उद्योग विकास संगठन के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :

1. लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु नीतियों के निर्माण में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना।
2. लघु उद्योगो को तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करना।
3. उद्योगों को कॉमन फैसिलिटी तथा एक्सटेन्शन सेवाएँ प्रदान करना।
4. प्रौद्योगिकी के विकास, उद्योगों के आधुनिकीकरण, गुणवता में सुधार तथा आधारभूत संरचना के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करता है।
5. प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के द्वारा मानव संसाधन का विकास करना।
6. आर्थिक सूचना सेवाएँ प्रदान करना।
7. केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित सभी संगठनों के साथ निकट सम्बन्ध बनाये रखना।
8. लघु उद्योगों का वृहद् उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में विकास करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण एवं समन्वय करना।
9. उद्योगों को टेस्टिंग सेवाएँ उपलब्ध करना।
10. क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम तथा क्रेडिट केपिटल सब्सिडी स्कीम को क्रियान्वित करना एवं उसकी निगरानी करना।

3ण् राश्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation/NSIC Ltd.)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना सन् 1955 की गई थी। यह निगम ISO 9001:2000 प्रमाणपत्रधारी संस्था है। इसकी स्थापना देश में लघु उद्योगों को व्यावसायिक दृष्टि से विकसित करने में सहयोग के उद्देश्य से की गई थी।

कार्य – यह निगम अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नांकित कार्य करता है :

(i) किराया क्रय पद्धति से देशी एवं आयातित मशीनों की आपूर्ति करना।

(ii) देशी एवं आयायित कच्ची सामग्री प्राप्त करना तथा उसकी आपूर्ति करना।

(iii) लघु उद्योगों को उत्पादों के विपणन में सहायता करना।

(iv) लघु उद्योग इकाईयों में निर्यात योग्यता उत्पन्न करना तथा उनके उत्पादों के निर्यात में सहयोग करना।

(v) सक्षम इकाईयों की पहचान करना तथा उन्हें सरकारी खरीद कार्यक्रम के लिए सूचीबद्ध कराना।

(vi) विभिन्न तकनीकी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vii) प्रौद्योगिकी पार्को तथा प्रोद्यौगिकी अन्तरण केन्द्रों के माध्यम से लघु इकाईयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु संवेदना उत्पन्न करना।

(viii) लघु उद्योग इकाइयों पर निगरानी रखना तथा परामर्श सेवा उपलब्ध करना।

(ix) तकनीकी व्यावसायिक पोषण केन्द्र विकसित करना।

(x) 'टर्न की' आधार अर्थात (ठेके पर) विदेशों में लघु उद्योग स्थापित करना एवं सौंपना।

(xi) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अन्य कार्य करना।

4. अखिल भारतीय वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएँ (All India Financial and Banking Instutions)

भारत में कई अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएँ है जिनमें प्रमुख निम्नानुसार है :

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

भारतीय औ़द्योगिक निवेश बैंक (IIBI)

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (UTI)

जीवन बीमा निगम (LIC)

साधारण बीमा निगम (GIC)

संरचना विकास वित्त निगम (IDFC)

एक्जिम बैंक (EXIM BANK)

नाबार्ड (NABARD)

टूरिज्म फाइनेन्स कारपोरेशन (TFCI)

साधारण बीमा कम्पनियाँ आदि।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इनके अतिरिक्त देश में कई अनुसूचित एवं गैर–अनुसूचित बैंक है। वर्तमान में कई प्रभावी निजी क्षेत्र के देशी एवं विदेशी बैंक भी हैं। कुछ पुरानी वित्तीय संस्थाएँ भी बैंक में परिवर्तित हो गई हैं। ये सभी वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाएँ उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर रही हैं। भूमि, भवन, संयंत्र उपकरणों आदि के क्रय से लेकर दैनिक आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूँजी भी इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जा रही है।

5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India)

लघु उद्योगो/उद्यमियों को वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन् 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की। उद्देश्य – इस बैंक के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :

(i) विद्यमान इकाईयों के तकनीकी विकास व आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(ii) घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लघु उद्योगों के उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना।

(iii) अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि श्रमिकों को काम के लिए बड़े शहरों की ओर न भागना पड़े।

वित्तीय सहायता (Financial assistance) यह बैंक राज्य वित्त निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। यह बैंक निम्नांकित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है –

- पुनर्वित सहायता योजना
- बट्टा तथा पुनः बट्टा योजना
- प्रत्यक्ष सहायता योजना
- बट्टे पर वित्त उपलब्ध करना
- निर्यात हेतु प्रत्यक्ष सहायता
- वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराना।

6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (All India Handicrafts Board)

हस्तशिल्प उद्योगों के विकास करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का गठन किया। इसकी स्थापना सन् 1958 में की गई थी। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहयोग करना, देश–विदेश में विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेना तथा आयोजन करना है।

इस बोर्ड ने देश में हस्तशिल्प सेवा एवं विपणन विस्तार केन्द्र स्थापित किये है। इनकी संख्या लगभग 50 है। ये केन्द्र कच्चा माल, डिजाइनें उपलब्ध करते है तथा हस्तशिल्पियों के माल के विपणन में सहयोग करते है। समय–समय पर बाजार मिलन कार्यक्रम आयोजित करते है। जिनसे विपणन में विशेष सहायता मिलती है। ये केन्द्र स्थानीय दस्तकारों तथा विपणन संस्थाओं को विदेशों में होने वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में जानकारी भी उपलब्ध करते है।

7. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission)

खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सन् 1956 में स्थापना की थी। इसका मुख्यालय मुम्बई में है तथा प्रत्येक राज्य में एक कार्यालय है। प्रत्येक राज्य में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

एक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भी गठित किया गया है। यह आयोग इन्हीं बोर्डों के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। आयोग इन बोर्डों को अनुदान देता है।

यह आयोग वर्तमान में निम्नांकित कार्यों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है :

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद से नई एवं आकर्षक डिजाइनें तैयार करवा रहा है।

बड़े शहरों में अपने भवन स्थापित कर रहा है।

खादी वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु फैशन शो आयोजित कर रहा है।

खादी के विक्रय बढ़ाने हेतु 'मोबाइल सेल्स वैन' से मोबाइल काउन्टर चालू किये है।

अपने उत्पादों के लिए 'कुटीर बाण्ड' को अपनाया है।

8. निर्यात संवर्द्धन परिशदें (Export Promotion Councils)

देश में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई उद्योगों के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषदें स्थापित की गई है। ये परिषदें कम्पनी अधिनियम अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं। ये गैर–लाभ उद्देश्य वाली संस्थाएँ हैं। ये संस्थाएँ परामर्श देती हैं तथा कुछ कार्यकारी कार्य भी करती है। वर्तमान में इस संस्था को आयात–निर्यात हेतु पंजीकरण संस्था के रूप में मान्यता दे रखी है। इन परिषदों के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :

विदेशी बाजारों में उत्पादों की माँग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराना।

विशिष्ट उत्पादों की निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विदेशों में अध्ययन दल भेजना।

निर्यातों पर विचार–विमर्श हेतु विदेशों में अपने प्रतिनिधि तथा शिष्टमण्डल भेजना तथा आमंत्रित करना।

विदेशी बाजारों से सम्बन्धित जानकारी उद्योगों को उपलब्ध करना।

विदेशी क्रेताओं के विषय में माल की माँग, किस्म व मात्रा आदि की सूचना सभी पंजीकृत सदस्यों को भेजना।

सरकार द्वारा समय–समय पर निर्यात नीति में किये गये परिवर्तनों की जानकारी उद्यमियों को देना।

विदेशी बाजार में मूल्य दरों, क्रय की शर्तों, गत वर्षो में आँकड़े आदि के सम्बन्ध में उद्यमियों को जानकारी देना।

निर्यातकर्त्ताओं को उनके उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने तथा विपणन में सहायता देना।

9. मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात (Chief Controller, Imports and Exports)

भारत सरकार देश में आयात–निर्यात का नियमन करने एवं व्यापार नीति को लागू करने हेतु भारत के मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात की नियुक्ति की है। इस कार्यालय के शाखा कार्यालय निम्न स्थानों पर है :

(i) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात व निर्यात– नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता।

(ii) उप मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, कानपुर, पंजीम, हैदराबाद।

(iii) नियंत्रक, आर्यात–निर्यात–अमृतसर, राजकोट, पांडिचेरी, विशाखापट्टनम, बैगलोर, श्रीनगर, न्यू कांडला, शिलॉग।

अब लोहे तथा इस्पात के लाईसेंस देने वाले अधिकारी भी मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात नई दिल्ली के अधीन कर दिये गये है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (State Trading Corporation of India Ltd.)

राज्य व्यापार निगम लि. की स्थापना सन् 1956 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन करना तथा सरकार द्वारा निर्देशित वस्तुओं का आयात करना है। यह निगम उद्योगों के निर्यात में सहायता भी करता है। लघु उद्योगों के निर्यात में सहायता देने के लिए निगम ने लघु उद्योगों को निर्यात के लिए सहायता नाम की योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लघु उद्योगों को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित लघु उद्योग संस्थान के माध्यम से इस निगम के पास अपना पंजीयन करवाना होता है। इस निगम के प्रमुख निर्यात कार्य निम्नलिखित है :

ऐसी वस्तुओं का निर्यात करना जिनके लिए निगम को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कच्चा लोहा, सीमेन्ट तथा नमक आदि।

ऐसी वस्तुओं का निर्यात करना जिनके लिए निर्यात का अधिकांश भाग निगम के लिए आरक्षित होता है।

निजी उद्यमियों तथा लघु उद्योगों के निर्यात प्रयासों में सहायता पहुँचाना।

यह निगम देश में आयात करने वाली प्रमुख एजेन्सी भी है। कुछ वस्तुएँ तो देश में केवल इस निगम द्वारा ही आयात की जा सकती है। यह निगम भारी मात्रा में माल आयात करता है तथा विभिन्न उद्योगों एवं उपयोगकर्ता संस्थाओं को उनकी आपूर्ति कर देता है।

11. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (Minerals and Metals Trading Corporation)

इस निगम की स्थापना सन् 1956 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य खनिजों एवं धातुओं का आयात–निर्यात करना है। यह उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप धातुओं एवं खनिजों का आयात करता है तथा उन्हें वितरित करता है। वितरण का कार्य राज्य स्तरीय उद्योग विकास निगमों के माध्यम से किया जाता है।

12. राश्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम (National Research and Development Corporation)

इसकी स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने सन् 1953 में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता प्रदान करना है। यह प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण का कार्य भी करता है। यह निगम प्रौद्योगिकी विकास संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करता है तथा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी का भण्डार तैयार करता है। यह निगम अन्य अनुसंधान संस्थानों, विकास निगमों व परिषदों के सहयोग से कार्य करता है। इनमें मुख्यतः विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय औषद अनुसंधान परिषद आदि शामिल है।

13. आविश्कार संवर्द्धन बोर्ड (Invention Promotion Board)

इस बोर्ड की स्थापना सन् 1960 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शिल्पकारों एवं तकनीशियनों को नये आविष्कार करने हेतु प्रेरित करना है। आविष्कार करने हेतु प्रेरित करने के लिए यह बोर्ड पुरस्कार भी देता है जिनकी राशि 500 से 25000 रूपये तक हो सकती है।

14. भारतीय लघु उद्योगों के संगठनों का परिसंघ (Federation of Association of Small Scale Industries of India)

देश में सन् 1969 में लघु उद्योगों के संगठनों का एक परिसंघ भी स्थापित किया गया था। यह परिसंघ उद्योगों एवं उद्यमियों को अनेक प्रकार से सहायता करता है। इस परिसंघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :

(i) पेशेवर, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय परामर्श देना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं परस्पर विनिमय करना।

(iii) उद्योगों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना।

(iv) एक सामान्य मंच से लघु उद्यमियों के विकास में सहयोग देना।

(v) लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न सरकारी तथा गैर, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रयत्न करना।

(vi) लघु उद्योगों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर चर्चा करना।

इस परिसंघ का कार्यालय नई दिल्ली में तथा प्रादेशिक कार्यालय मुम्बई कोलकाता एवं चैन्नई में है।

15. अन्य संस्थाएँ (Other Institutions)

देश में कई अन्य संस्थाएँ भी है जो उद्यमियों एवं उद्योगों को अनेक प्रकार से सहायता करती हैं। उनमें निम्नांकित प्रमुख है :

1. **वस्तु मण्डल (Commodity Boards)** – देश में कुछ प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन, व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अलग–अलग बोर्ड बनाये है। उनमें चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इलायची बोर्ड, रेशम बोर्ड, रबड़ बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड आदि प्रमुख है।

2. **भारतीय काजू निगम (Cashew Corporation of India)** – भारत में काजू का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने हेतु इस निगम का गठन किया गया है।

3. **भारतीय जूट निगम (Jute Corporation of India)** – सन् 1971 में जूट के आयात–निर्यात करने तथा जूट के स्वदेशी बाजार का विकास करने के लिए भारतीय जूट निगम बनाया गया था।

II. राज्य स्तर के संगठन

प्रत्येक राज्य में उद्योगों एवं उद्यमियों के विकास में सहायता हेतु राज्य स्तरीय संगठनों की स्थापना की गई। राज्य स्तर के संगठनों में प्रमुख संगठन निम्नानुसार है –

लघु उद्योग बोर्ड।

उद्योग विकास निगम।

राज्य वित्त निगम।

उद्योग निदेशालय।

जिला उद्योग केन्द्र।

परामर्श संगठन।

अन्य संगठन – स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार

1. **लघु उद्योग बोर्ड (Small Industries Board)** – प्रायः प्रत्येक राज्य की सरकार भी एक लघु उद्योग बोर्ड का गठन करती है। इस बोर्ड का कार्य सरकार को लघु उद्योगों के सम्बन्ध में परामर्श देना होता है। इस बोर्ड का प्रमुख प्रायः उद्योग मंत्री होता है तथा इसके सदस्यों में जनप्रतिनिधि, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम आदि के प्रतिनिधि होते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **उद्योग विकास निगम (Industrial Development Corporation)** – सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक विकास निगम होता है जो राज्य में उद्योगों के विकास हेतु नियोजित प्रयास करता है। इसका नाम प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकता है। राजस्थान में निगम का नाम 'रीको' ;त्रेंजींद ैजंजम प्दकनेजतपंस क्मअमसवचउमदज ंदक प्दअमेजउमदज ब्वतचवतंजपवद स्जकण वत त्प्ब्व्द्ध रखा गया है। इस निगम के सामान्यतः निम्नांकित उद्देश्य होते है : ,

1. सम्पूर्ण राज्य में **औद्योगिक क्षेत्रों एवं बस्तियों का विकास करना** तथा उद्योगों को आंवटित करना।
2. मध्यम एवं वृहद स्तरीय उद्योगों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना।
3. संयुक्त क्षेत्र एवं सहायता प्राप्त **उद्योगों की स्थापना के लिए** औद्योगिक आशय पत्र / लाईसेन्स प्राप्त करना।
4. नवीन उद्यमियों को **तकनीकी परामर्श प्रदान** करना।

3. **राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation)** – आज देश में 18 राज्य वित्त निगम है। अतः देश के अधिकांश राज्यों में राज्य वित्त निगम है जो अपने राज्य के लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करता है। राजस्थान में भी ऐसा एक निगम है जिसका नाम है राजस्थान वित्त निगम है। ऐसे निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित **'स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन एक्ट'** के अधीन होती है। ऐसे निगम के सामान्यतः निम्नांकित उद्देश्य होते है :

1. राज्य में सन्तुलित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार करना।
2. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढाँचे के निर्माण में सहयोग करना।
3. राज्य के वर्तमान एवं भावी छोटे एवं मझोले उद्योगों को सहायता प्रदान कर राज्य की औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना।
4. राज्य का सन्तुलित आर्थिक विकास करना।
5. राज्य में उच्च तकनीक पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
6. नये साहसियों को प्रोत्साहित करना।
7. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराना।

4. **उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)** – प्रत्येक राज्य में सामान्यतः एक उद्योग निदेशालय स्थापित है। यह राज्य प्रशासन का अंग होता है और राज्य के उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य राज्य की औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होता है। सामान्यतः इस निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होते है –

1. उद्योगों का पंजीयन करना।
2. राज्य में औद्योगिक कानूनों को लागू करना।
3. औद्योगिक परियोजनाओं को लागू करना।
4. राज्य में औद्योगिक बस्तियाँ विकसित करना।
5. उद्योगों को सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध करना।
6. किसी भी संस्थान के उद्यमियों के प्रार्थना–पत्रों की अनुशंसा करना तथा उन्हें अग्रेषित करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. उत्पादन कार्यक्रम की अनुमति–प्रदान करना।
8. कच्चे माल व अन्य संसाधनों का उद्योगों में वितरण करना।
9. लघु उद्योगों को विपणन में सहायता देने हेतु राज्य व अखिल भारतीय स्तर पर मेलों व प्रदर्शनियों का अयोजन करना।
10. क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से आयातित कच्चे माल तथा मशीनों के दावों की वास्तविकता को प्रमाणित करना है।
11. सरकारी खरीद कार्यक्रम में सहायता पहुँचाना।
12. निर्यात संवर्द्धन परिषद के माध्यम से उत्पादों के निर्यात में सहायता पहुँचाना।

5. **जिला उद्योग केन्द्र (District Industries Centre)** – केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुरूप ही सन् 1978 से ही देश के लगभग प्रत्येक जिले के लिए एक उद्योग केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र एक ऐसा स्थान या मंच है जहाँ से सम्बन्धित जिले के उद्यमियों को सभी आवश्यक संसाधन, सहायताएँ, सुविधाएँ, मागदर्शन आदि सभी उपलब्ध हो जाते है। जिला उद्योग केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :
    1. जिले के विकास की सम्भावनाओं को ज्ञात करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करना।
    2. मशीनों तथा उपकरणों की आपूर्ति करना।
    3. कच्चे माल की व्यवस्था करना।
    4. साख सुविधाओं की व्यवस्था करना।
    5. विपणन, किस्म नियंत्रण तथा शोध सुविधाएँ उपलब्ध करना।
    6. लघ्ु उद्योगों के विकास के उपाय करना।
    7. साहसियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
    8. लघु एवं कुटीर उ़द्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
    9. लघु एवं कुटीर उद्योगों को शहरों से गाँवों की ओर प्रवृत्त करना।
    10. जिला स्तर पर ही लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक सेवाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध करना।
    11. लघु एवं कुटीर उ़द्योगों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करना।
    12. सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उद्योगों के विकास के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का समन्वय करना।

6. **परामर्श संगठन (Consultancy Organisation)** – भारत में वित्तीय संस्थानों ने प्रत्येक राज्य में तकनीकी परामर्श संगठन स्थापित करने का प्रयास किया था। फलतः आज कई राज्यों में ऐसे संगठन विद्यमान है। राजस्थान राज्य में एक ही संगठन विद्यमान है। जिसे 'राजस्थान कन्सलटेन्सी आर्गेनाईजेशन' अर्थात राजकॉन (Rajcon) के नाम से जाना जाता है। ऐसे संगठनों की प्रमुख अनेक महत्वपूर्ण सेवाएँ निम्नानुसार है –
    1. उद्यमिता प्रोत्साहन एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।
    2. परियोजनाओं का निर्धारण एवं पहचान करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. बाजार सर्वेक्षण करना।
4. विपणन सहायता प्रदान करना।
5. परियोजना रूपरेखा तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।
6. उद्यमियों को ऋण के लिये सिफारिश करना।
7. परियोजना का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करना।
8. परियोजना प्रगति की समीक्षा करना।
9. विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विविधिकरण कार्यक्रम तैयार करना।
10. रूग्ण इकाईयों के लिए पुनर्वास के कार्यक्रम तैयार करना।
11. औद्योगिक सूचनाओं तथा आँकड़ो का संकलन करना।
12. प्रबन्धकीय परामर्श देना।
13. प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करना।

7. **अन्य संगठन (Other Organisation)** – प्रत्येक राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कई अन्य संगठनों की स्थापना भी कर देती है। इनमें प्रायः निम्नांकित प्रकार के संगठन हो सकते है :
    1. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
    2. हाथकर्घा विकास बोर्ड
    3. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड।
    4. चमड़ा विकास बोर्ड।
    5. स्थानीय उद्योग (जैसे– मछली, रेशम, मधुमक्खी पालन, फल, फूल, चावल आदि) से सम्बन्धित विकास निगम या बोर्ड।

ppp अनुसंधान, परीक्षण एवं मानक संगठन (Research, Testing and standards Organisation)

उद्योगों एवं उद्यमियों के विकास हेतु अनुसंधान, मानक एवं परीक्षण संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे प्रमुख संगठन निम्नलिखित है :

1. **राश्ट्रीय अनुसंधान प्रयोग□ालाएँ तथा संस्थान (National Research Laboratories and Institutions)** – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Conucil of Scientific and Industrial Reserach or CSIR) का गठन किया गया था। इस परिषद के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :
    1. देश में औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
    2. उद्योगों की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना।
    3. अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।
    4. अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित एवं प्रसारित करना।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कार्य (Functions) इस परिशद् के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है –

1. नये उत्पादों, नई तकनीकों, नई प्रक्रियाओं व गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनुसंधान करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न नये उपयोग ढूँढना।
3. कच्ची सामग्रियों के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान करना।
4. उत्पादन तकनीकों एवं प्रक्रियाओं में सुधार करना।
5. आयायित उत्पादों का देश में ही उत्पादन करने के बारे में अनुसंधान करना।
6. विकसित औद्योगिक तकनीकों का प्रदर्शन करना।
7. लघु एवं बड़े उद्योगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें सहयोग प्रदान करना।

देश के विभिन्न भागों में 36 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये सभी देश के औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान कार्यों में लगी हैं।

2. **भारतीय मानक संस्थान (Indian Standards Institute**द्ध – यह संस्थान भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्मित एवं अर्द्ध–निर्मित माल या कच्चे माल की गुणवत्ता को मानकों के अनुसार बनाये रखने के लिए स्थापित किया गया है।

इस संस्थान ने विभिन्न निर्मित एवं अर्द्ध–निर्मित्त वस्तुओं की गुणवत्ता एवं क्षमता के परीक्षण हेतु मानक निर्धारित किये है। इसके अतिरिक्त, यह संस्था उत्पादकों की क्षमता एवं गुणवता के परीक्षण में काम आने वाले उपकरणों, परीक्षण विधियों एवं सामग्रियों का भी मानकीकरण करती है। वर्तमान में भारतीय मानक संस्थान ने 10,000 से भी अधिक मानक निर्धारित कर दिये है।

भारतीय मानक संस्थान उत्पादकों/निर्माताओं को मानकीकरण हेतु पंजीकरण करती है तथा निश्चित शर्तों के अधीन उन्हें अपने उत्पादों पर मानक मोहर (ISI मोहरद्ध लगाने की अनुमति देती है।

3. **भारतीय पैंकेजिंग संस्थान (Indian Instutute of packaging)** – भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। यह समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है :

1. पैकेजिंग उद्योगों के कच्चे माल के नमूने लेना।
2. पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
3. अच्छे पैंकेजिंग की आवश्यकता के प्रति उद्यमियों को जागरूक बनाना।

यह संस्था 'पैकेजिंग नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी करती है जिसमें पैंकेजिंग उद्योग में नवाचारों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है।

4. **राश्ट्रीय परीक्षण गृह (National Testing House)** – यह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है। यह संस्था उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल, अर्द्ध–निर्मित माल, निर्मित माल, रासायनिक पदार्थो आदि का परीक्षण करती है। तत्पश्चात्, यह संस्था परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करती है। इस हेतु यह संस्था परीक्षण करवाने वाली संस्था/उद्यमी से परीक्षण शुल्क भी वसूल करती है।

5. **क्षेत्रीय जाँच केन्द्र एवं फील्ड टेस्टिग स्टे□ान (Regional Testing Centres and Field Testing Stations)** – देश में चार क्षेत्रीय जाँच केन्द्र है जो नई दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई तथा कोलकाता में स्थित है। इन केन्द्रों पर कच्चे माल, अर्द्ध–निर्मित माल, निर्मित माल आदि की जाँच की जाती हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्योग समूहों पर जाँच सुविधाएँ उपलब्ध करने के उद्देश्य से देश में फील्ड टेस्टिग स्टेशन भी स्थापित किये गये है। ये स्टेशन जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, पाण्डिचेरी, चेन्गानाचेरी तथा बैंगलौर में स्थापित किये गये है।

6. **केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान (Central Tool Design Insitute)** – भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा यूनाईटेड नेशन्स डवलपमेण्ट प्रोग्राम (ILO and UNDP) के अन्तर्गत सन् 1968 में एक केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य औजारों तथा औजार उपयोग के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

इस टूल रूम को ISO 9001 के अनुरूप बना दिया गया है।

7. **केन्द्रीय हैण्ड टूल्स संस्थान (Central Han Tools Institute)** – इस संस्थान की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर की है। इस संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार है :

   1. यंत्रों की डिजाइन में सुधार हेतु तकनीकी परामर्श देना।
   2. उद्योगों द्वारा निर्मित न किये जाने वाले यंत्रों के लिए नवीन डिजाइन तैयार करना।
   3. परीक्षण एवं किस्म नियंत्रण सुविधा देना।
   4. उपयुक्त निर्माणकारी प्रक्रिया का निर्धारण करना। उचित सामग्री की पहचान करना तथा हैण्ड टूल्स के मानक तैयार करना।
   5. उत्पादन प्रक्रिया, किस्म नियंत्रण, पैकिंग एवं उत्पाद विकास के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

8. **विद्युत उपकरण डिजाइन संस्थान (Institute for Design of Electrical Mearsuring Instruments)** – इस संस्थान की स्थापना यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेण्ट प्रोग्राम **(UNDP)** के सहयोग से भारत सरकार ने सन् 1969 में की थी। यह समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था है। यह संस्था विद्युत मापन उपकरणों के निर्माण जाँच के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

प्र□न बोध –

लघुतरात्मक प्र□न–

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में सरकार की भूमिका के रूप में राज्य स्तर के संगठनों के नाम लिखिए।
2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. जिला उद्योग केन्द्र पर टिप्पणी लिखिए।

निम्बन्धात्मक प्र□न –

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के निर्माण में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की भूमिका बताईयें।
2. उद्योगों के विकास हेतु अनुसंधान, मानक एवं परीक्षण संगठनों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय – प्रथम
उद्यमिता विकास कार्यक्रम
आलोचनात्मक मूल्यांकन
[Critical Evaluation]

यद्यपि हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रम हेतु आधारभूत ढाँचागत सुविधाओं का विकास हो रहा है। उद्यमिता के विकास के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है, अनेक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक उपलब्धियाँ भी अर्जित की है। किन्तु इन कार्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नही मिल पाई है। उनमें और सुधार की आवश्यकता है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलताएँ

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से हमें सर्वप्रथम उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलताओं को समझना होगा। इन कार्यक्रमों की प्रमुख सफलताएँ निम्नानुसार है।

1. **विभिन्न संस्थाओं की स्थापना** – हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है। इनमें कुछ राष्ट्रीय स्तर पर तथा कुछ राज्य स्तरीय संस्थाएँ है। इतना ही नहीं, देश में कई गैर–सरकारी एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएँ भी हैं जो उद्यमिता का प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

2. **उद्यमिता जागरूकता में प्रगति** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह रही है कि इनके कारण उद्यमिता के प्रति जनसामान्य की जागरूकता बढ़ी है। सभी उद्यमिता विकास संस्थाओं ने नये या सम्भावित उद्यमियों की पहचान करने हेतु उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान संचालित किये है। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम भी किये गये हैं। समाचार–पत्रों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार भी किया गया है। फलतः देश के लोगों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है।

3. **उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि** – आज राष्ट्रीय स्तर की ही नही, बल्कि राज्य स्तर पर भी उद्यमिता कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे लोगों को उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकाधिक अवसर मिल रहा है।

4. **बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहयोग** – आज उद्यमिता कार्यक्रमों का संचालन केवल राजकीय संस्थाओं का ही कार्य नही रह गया है। आज अनेक बैंक एवं वित्तीय संस्थाए अपने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों या ऋण अभियानों के माध्यम से सम्भावित उद्यमियों को अनेक प्रकार से उद्यमिता को अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे है। फलतः व्यवस्थित उद्यमिता कार्यक्रमों की सफलता की सम्भावना बढ़ रही है।

5. **व्यावहारिक भोध** – उद्यमिता विकास संस्थाएँ अब उद्यमिता के अनेक पहलुओं पर शोध कर रही हैं। उद्योग विशेष के सम्बन्ध में शोध कर उन उद्योगों में उद्यमिता के अवसरों की पहचान कर रही हैं। अतः उद्यमिता विकास से अधिक सफल उद्यमियों के विकास की आशा की जा सकती है।

6. **केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा उपयोगी पाठ्यक्रम** – अब देश में कई केन्द्रीय संस्थाएँ है जो उद्यमिता कार्यक्रमों के लिए अधिक उपयोगी पाठ्यक्रम तैयार कर रही हैं। इससे छोटी–छोटी उद्यमिता विकास संस्थाओं को अच्छे एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हो रहे हैं। फलतः भविष्य में अधिक प्रभावी कार्यक्रम संचालित हो सकेंगे।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

7. **शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धि** – देश की केन्द्रीय संस्थाओं तथा कुछ विद्वानों ने उद्यमिता से सम्बन्धित शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। इससे प्रशिक्षकों को उपयोगी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है। ऐसी सामग्री उद्यमियों के विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

8. **प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के साथ साथ केन्द्रीय संस्थाए उद्यमिता प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। फलतः देश में अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध होने लगे है।

9. **कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** – देश के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह भी है कि देश की शीर्ष उद्यमिता विकास संस्थाओं ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए भी उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये हैं। फलतः ऐसे शिक्षकों ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी उद्यमिता विकास के पेपर सम्मिलित किये है। इससे देश में उद्यमिता विकास में सुविधा होगी।

10. **तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को अभिप्रेरणा**– देश की शीर्ष उद्यमिता विकास संस्थाओं ने तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षण संस्थाओं के छात्रों के लिए कुछ अल्पावधि उद्यमिता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये हैं। अतः नयी पीढ़ी के भावी उद्यमियों के विकास की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गई है।

11. **सेमीनार, सम्मलेन, कार्यशालाओं का आयोजन** – देश की सभी उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास संस्थाओं ने उद्यमिता से सम्बन्धित अनेक सेमीनारों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजित किया। इनके माध्यम से उद्यमियों, सम्भावित उद्यमियों, प्रशिक्षकों आदि सभी को आपसी विचार–विमर्श का खुला मंच उपलब्ध हुआ है। इनसे उद्यमिता के सम्बन्ध में कई अनकही बातें सामने आती हैं और नये विचारों का विकास होता है। ऐसे में उ़द्यमिता के भावी विकास की प्रबल सम्भावनाएँ देखा जा सकती है।

12. **लघु उपक्रमों की स्थापना में वृद्धि** – देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण नये उपक्रमों की स्थापना में वृद्धि हुई है। भारत में जहाँ 1990–91 में लघु उपक्रमों की संख्या 68 लाख के लगभग थी, वह संख्या 2003–04 में बढ़कर 283 लाख हो गयी है। सन् 2001–02 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 105 लाख उपक्रम थी।

13. **लघु उपक्रमों की प्रकृति में परिवर्तन** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण ही उपक्रमों की प्रकृति में भी परिवर्तन देखने का मिलता है। लघु इकाईयों की तृतीय जनगणना के आँकड़ो के अनुसार देश की कुल 105 लाख लघु इकाईयों में लघु इकाईयों (SSIs.) तथा लघुस्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों (SSSBEs) की संख्या क्रमशः 44 लाख तथा 61 लाख थी। इस प्रकार कुछ इकाईयों में लघु इकाईयों का प्रतिशत 42 तथा लघुस्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों का प्रतिशत 58 हो गया। स्पष्ट है सामान्य इकाईयों की संख्या की अपेक्षा सेवा एवं व्यावसायिक इकाईयों की संख्या अधिक हो गई है।

14. **उपक्रमों के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह है कि इन कार्यक्रमों के कारण उपक्रमों के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अब उपक्रम या इकाइयाँ केवल कुटीर एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ ही स्थापित नहीं की जाती है बल्कि अन्य प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को करने वाली इकाईयों की भी स्थापना की जाती है।

15. **महिला संचालित उपक्रमों की संख्या में वृद्धि** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण महिला संचालित उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1990–91 में महिला संचालित उपक्रमों की संख्या नगण्य

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

ही थी जबकि 2001–02 में इनके द्वारा संचालित उपक्रमों की संख्या लगभग 10.64 लाख थी। यह संख्या कुल उपक्रमों की संख्या का 10 प्रतिशत से अधिक है।

16. **उद्यमियों की पारिवारिक पृश्ठभूमि में परिवर्तन**– उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की एक उपलब्धि यह भी है कि अब उद्यमियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में अन्तर आता जा रहा है। पहले यह धारणी थी कि व्यवसाय के परिवार में जन्म लेने वाले व्यवसायी अधिक बनते है। इसी प्रकार यह भी देखने को मिलता था कि जैन, माहेश्वरी, खण्डेलवाल, ब्राह्मण ही उद्यमिता को अधिक अपनाते है। किन्तु, इस प्रवृत्ति में अन्तर आने लगा है।

17. **प्रबन्धकीय कु□ालता में वृद्धि** – उद्यमिता कार्यक्रमों के कारण देश के उद्यमियों में प्रबन्धकीय कुशलता में अभिवृद्धि हुई है। लघु इकाईयों की तृतीय जनगणना के आंकड़ो से यह बात सिद्ध हो जाती है। इन जनगणना में कुल 8.23 लाख इकाईयों को रूग्ण पाया गया था।

18. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के कारण देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1990–91 में लघु इकाईयों में 158 लाख (1.58 करोड़) लोगों को रोजगार प्राप्त था। किन्तु वर्ष 2001–02 में इनसे रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़कर 249 लाख (2.49 करोड़) सें भी अधिक हो गई है। वर्ष 2003–04 में इनसे रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या 282 लाख (2.82 करोड़) हो गई हैं।

19. **उत्पादन** – उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने लोगो को अधिक उत्पादक भी बनाया है। वर्ष 1990–91 में जहाँ लघु इकाईयों का उत्पादन (स्थिर मूल्यों पर 68,295 करोड़ रूपये का था वह 2004–05 में बढ़कर 2,45,747 करोड़ रू का हो गया है। चालू मूल्यों पर यह उत्पादन सन् 1990–91 में 63,518 करोड़ रू. का था जो वर्ष 2004–05 में ,99,020 करोड़ का हो गया है।

20. **निर्यात** – भारत में लघु इकाईयों के निर्यात में हुई वृद्धि का कुछ श्रेय उद्यमिता विपणन कार्यक्रम को भी जाता है। वर्ष 1990–91 में जहाँ लघु इकाईयों का निर्यात 9664 करोड़ रू का था वह वर्ष 2001–02 में 71244 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2002–03 में 86013 करोड़ रूपये का हो गया था।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में बाधाएँ/समस्याएँ

(Hindrances in the sucess/problems of EDP's)

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन मे अनेक बाधाओं के कारण इन्हें वांछित सफलता नही मिल पाती है। अनेक बार कई कार्यक्रम असफल भी हो जाते है। इनकी सफलता में आने वाली बाधाओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है।

I. कार्यक्रम सम्बन्धी बाधाएँ

उद्यमिता विकास कार्यक्रम अपनी स्वयं की सीमाओं एवं कमियों के कारण असफल हो जाते हैं। इनकी कार्यक्रम सम्बन्धी बाधाएँ निम्नानुसार हैः–

1. **संस्थाओं की सीमित संख्या** – भारत में कुछ राष्ट्रीय स्तर के तथा कुछ राज्य स्तरीय उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनकी संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए ये संस्थाएँ अपर्याप्त ही नही, 'ऊँट के मुँह में जीरे' के समान है। अतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम बहुत कम स्थानों पर संचालित हो पाते है।

2. **लोचहीन पाठ्यक्रम** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पाठ्यक्रमों में लोचहीनता है। सामान्यतः सभी उद्योगों/कार्यों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का पाठ्यक्रम एकसमान ही होता है। अतः उनसे प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के अनुरूप सामग्री नहीं मिल पाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

3. **पाठ्यक्रम की विशयवस्तु में कमियाँ** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु प्रायः नवीनतम नहीं हाती है। उनमें समय–समय पर शीघ्र आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते है। अतः प्रशिक्षणार्थियों को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है।

4. **प्र□क्षकों का अभाव** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। किन्तु, हमारे देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का आज भी अभाव है। देश की शीर्ष उद्यमिता संस्थाएँ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। किन्तु, इनकी आज भी बहुत कमी है।

5. **अतिथि प्र□क्षणों पर निर्भरता** – हमारे देश में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रायः अतिथि प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया जाता है। ये अतिथि प्रशिक्षक अपने क्षेत्र के विद्वान होते है किन्तु उन्हें प्रायः उद्योगों एवं उद्यमिता की चुनौतियों का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही कम होता है। इनके द्वारा सामान्यतः सैद्धान्तिक पहलुओं पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अतिथि प्रशिक्षण आवश्यकता के समय सदैव उपलब्ध भी नही होते हैं। फलतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध हो जाती है।

6. **सीमित व्यावहारिक या फील्ड प्र□क्षण** – उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यावहारिक या फील्ड प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कुल प्रशिक्षण समय में से केवल 10–15 प्रतिशत समय ही उपलब्ध किया जाता है। अतः प्रशिक्षणर्थियों को वास्तविक कार्यदशाओं एवं वास्तविक उद्यमियों से परिचित होने का पूरा अवसर नहीं मिल पाता है।

7. **आधारभूत संरचना साधनों का अभाव** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए आधारभूत संरचना साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें प्रमुख है– भवन, प्रयोगशाला, उपकरण, प्रशिक्षण या व्याख्यान में सहायक उपकरण (प्रोजेक्टर, एलसीडी) आदि है। कई छोटी एवं स्थानीय संस्थाओं के पास इन संसाधनों का भी अभाव है। अतः ये संस्थाएँ उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित नहीं कर पाती है।

8. **कुछ ही क्षेत्रों एवं उद्योगों तक सीमित** – भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ विशेष क्षेत्रों एवं उद्योगों तक ही सीमित हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों या परम्परागत उद्योगों तथा कुछ अत्यधिक पिछड़े इलाकों या अत्यधिक विकसित इलाकों में ही ऐसे कार्यक्रम अधिक आयोजित किये जाते है। फल–फूल वानिकी, सेवा क्षेत्र के कार्यों आदि में उद्यमिता प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत ही सीमित संख्या में आयोजित किये गये है। पिछले इलाकों में ऐसे कार्यक्रमों का अनुवर्तन नहीं होने से उनका पूरा लाभ भी नही उठाया जा सकता है।

9. **क्षेत्रीय आव□यकता एवं संसाधनों पर कम ध्यान** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के समय क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा सामान्यतः प्रारम्भिक शोध नहीं कर पाने के कारण होता है। कार्यक्रमों के संचालन से पूर्व क्षेत्रीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करने से उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

10. **समन्वय का अभाव** –उद्यमिता विकास कार्यक्रम कुछ संस्थाओं द्वारा तो कुछ सरकारी विभागों द्वारा भी संचालित किये जाते है। कुछ गैर–सरकारी संस्थाएँ भी ऐसे कार्यक्रम संचालित करती हैं। किन्तु, इनके बीच कोई समन्वय नहीं है। फलतः उद्यमिता का विकास नियोजित रूप से नहीं होता है।

11. **वित्त की कमी** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रायः वित्त की कमी से भी असफल हो जाते है। सरकार द्वारा निर्धारित बजट में ही कार्यक्रम को पूरा करना होता है। यदि बजट अपर्याप्त होता है तो कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम के चरणों, कार्यक्रम की क्रियाओं आदि में कटौती कर दी जाती है। फलतः इन कार्यक्रमों से अपेक्षित सफलता नही मिल पाती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

12. **प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनियमितता** – कभी–कभी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षणर्थियों के चयन में भारी अनियमितता देखने को मिलती है। भाई–भतीजावाद, घूसखोरी, राजनीतिक दबाव आदि कारणों से ऐसा होता रहता है। ऐसे में प्रशिक्षणर्थी अपेक्षित स्तर के नहीं चुने जा सकते है। फलतः उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं आते है।

II. परिस्थितियों से सम्बन्धित बाधाएँ

कुछ उद्यमिता विकास कार्यक्रम तत्समय उपलब्ध परिस्थितियों के कारण भी असफल हो जाते है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्नांकित प्रकार की हो सकती है :

1. **सामाजिक मान्यताएँ** – कुछ सामाजिक मान्यताएँ ऐसी है जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में बाधा उपस्थित करती है। उदाहरणार्थ, समाज में कुछ वर्गो के लोगों की मान्यता यह है कि उन्हें उद्यमिता नहीं अपनानी चाहिये। वे यह मानते है कि उद्यमिता वैश्य वर्ण के लोगों का कार्य है। ऐसी मान्यता के कारण अन्य वर्णों एवं जातियों के लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहते है। फलतः उन वर्णों के योग्य युवक–युवतियाँ इन कार्यों का लाभ उठा नही पाते है।

2. **उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव** – कभी–कभी कुछ योग्य एवं प्रतिभा सम्पन्न युवक–युवतियों में उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव पाया जाता है। उनमें उपलब्धि प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा नहीं होती है। वे नवाचार में कोई रूचि नहीं लेते हैं। फलतः ऐसी योग्य युवा पीढ़ी उद्यमिता कार्यक्रमों में ही भाग नहीं लेती है। अतः कार्यक्रम अधिक सफल नहीं होते हैं।

3. **मनोवृत्ति में परिवर्तन** – कभी–कभी कुछ लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूरी निष्ठा एवं लगन से सम्मिलित हो जाते है किन्तु कुछ समय बाद उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगता है। फलतः वे कभी–कभी उस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी–कभी वे उस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद उद्यमिता को अपनाने का इरादा ही त्याग देते हैं। ऐसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

4. **औपचारिकता पूरी करने पर ध्यान** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम में कई ऐसे प्रतिभागी होते हैं जो इन कार्यक्रमों की औपचारिकता पूरी करने में रूचि लेते है। वे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय एवं दिनों तक कार्यक्रमों में भाग लेने में रूचि लेते हैं। फलतः वे कार्यक्रम की सफलता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देते है।

5. **केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में रूचि** – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में कुछ प्रतिभागी केवल तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में अधिक रूचि दिखाते हैं। वे उद्यमिता के अन्य व्यावहारिक पहलुओं को सीखने में रूचि नहीं लेते है। फलतः ऐसे प्रतिभागी सफल उद्यमी नहीं बन पाते है।

6. **कार्यक्रम में प्रवेश को सफलता की गारण्टी मानना** – उद्यमिता विकास कार्यक्रम में कुछ प्रतिभागी ऐसे भी आ जाते है जो यह मानते है कि इन कार्यक्रमों में प्रवेश पाना ही उद्यमिता में सफलता प्राप्त करना है। किन्तु ऐसी मान्यता एवं सोच ठीक नही हैं उद्यमिता कार्यक्रम में प्रवेश उद्यमिता में सफलता की गारण्टी नहीं है। इस कार्यक्रम में प्रवेश से ही उद्यमिता के सभी पहलुओं की जानकारी नहीं हो जाती है। इसमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जो प्रतिभागी कड़ा परिश्रम, एवं अध्ययन नहीं करते तथा उद्यमीय व्यवहार को नहीं अपनाते है वे असफल हो जाते है। ऐसे प्रतिभागी कार्यक्रम की असफलता के लिए भी उत्तरदायी होते है।

7. **संसाधनों की कमी** – कई प्रतिभागी प्रशिक्षण के उपरान्त संसाधनों की कमी की समस्या का सामना करने लगते है। उन्हें भौतिक, वित्तीय, मानवीय आदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उपलब्ध नही हो पाते है। फलतः वे उद्यमिता को अपना नही पाते है। इससे भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

8. **संसाधनों की लागत में भारी वृद्धि** – कभी कभी प्रतिभागी ने जिस कार्य या उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके लिए आवश्यक संसाधनों की लागत में भारी वृद्धि हो जाती है। ऐसे में उस कार्य या उद्योग को स्थापित करना प्रतिभागी की क्षमता के बाहर हो जाता है। फलतः उस उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता प्रभावित होने लगती है।

9. **प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि** – कभी–कभी प्रतिभागी ने जिस उद्योग या कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस उद्योग या कार्य में प्रतिस्पर्धा में तीव्र वृद्धि हो जाती है। फलतः वह प्रतिभागी उस उद्योग/कार्य में प्रवेश करने में भारी कठिनाई एवं जोखिम अनुभव करता है। फलतः उस प्रतिभागी का प्रशिक्षण भी व्यर्थ चला जाता है।

10. **सरकारी नीतियों में परिवर्तन** – कभी–कभी सरकारी नीतियों में अचानक भारी परिवर्तन कर दिया जाता है। ऐसे में प्रशिक्षित उद्यमी अपनी निर्धारित परियोजना को क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव करते है। फलतः कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित कर देते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सुझाव

(Suggestions for Sucess of EDP's)

भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए अग्रांकित सुझावों पर ध्यान देना चाहियेः–

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु **जिला स्तर पर संस्थाएँ स्थापित** की जानी चाहिये।
2. इन कार्यक्रमों के लिए **लोचशील अर्थात् स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप** पाठ्यक्रम बनाये जाने चाहिये।
3. इन कार्यक्रमों को पाठ्यक्रमों के समय के साथ–साथ अद्यतन (Latest) करना चाहिये।
4. सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के कार्यक्रमों का एक उच्च संस्था द्वारा समन्वय किया जाना चाहिये।
5. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में **फील्ड प्रशिक्षण की अवधि** बढ़ानी चाहिये तथा विद्यमान संस्थाओं से इस हेतु सहयोग प्राप्त करना चाहिये।
6. **प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण** की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिये।
7. अतिथि प्रशिक्षकों के स्थान पर राज्य स्तर पर **प्रशिक्षकों का 'पूल'** बनाया जाना चाहिये।
8. उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए पर्याप्त **संरचना साधन** उपलब्ध करने चाहिये।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु **आवश्यक वित्त की पर्याप्त व्यवस्था** की जानी चाहिये।
10. प्रशिक्षार्थियों का चयन करने से पूर्व **उद्यमिता प्रवर्तन कार्यक्रम** (Promotion Programme) करने चाहिये। ऐसा करके सक्षम एवं योग्य प्रतिभागियों का चयन किया जा सकेगा।
11. प्रतिभागियों को उद्यमिता अपनाने हेतु **प्रतिबद्ध** (commit) करना चाहिये तथा उनमें प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न करनी चाहिये।
12. प्रतिभागियों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति **मिथ्या धारणाओं को दूर करना** चाहिये।
13. **सरकारी नीतियों में स्थायित्व लाना** चाहिये ताकि उद्यमी एक उचित अवधि तक उन नीतियों के अनुरूप अपना कार्य प्रारम्भ कर सके।
14. प्रतिभागियों को उपक्रम प्रारम्भ करने की प्रारम्भिक अवस्थाओं में बाजार परिवर्तनों की जोखिमों से सुरक्षित करना चाहिये।
15. राज्य के सभी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम **नियमित रूप से आयोजित** करने चाहिये।
16. उद्यम पूँजी कोषों की स्थापना की जानी चाहिये ताकि प्रशिक्षित उद्यमियों को आवश्यक वित्त आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
17. सरकार को गैर–सरकारी एवं निजी क्षेत्र के संगठनों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरणा देनी चाहिये।
18. सरकारी नियमों एवं नीतियों को उदार बनाया जाना चाहिये।
19. नवाचार करने एवं अपनाने वाले नये उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये।
20. अन्त में, महामहिम पूर्व राष्ट्रपति **डॉ. कलाम के इस सुझाव** पर अमल करना चाहिये कि स्कूल एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में उद्यमिता की शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिये। इससे युवा पीढ़ी में प्रारम्भ से ही उद्यमिता की भावना का विकास होगा तथा इनके विकास कार्यक्रम भी सफल होगें।

प्रश्न बोध – निम्बन्धात्मक प्रश्न –

1. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता में कौन–कौन सी बाधाएँ है?
2. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु सुझाव दीजिए।
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संक्षेप में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Section – D

अध्याय– प्रथम

उद्यमी की भूमिका
Role of Entrepreneur

उद्यमिता व उद्यमी का परिचय–

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अधिकतर आबादी गांवों में रहती है, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है और देश के प्रत्येक हिस्से में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में उद्यमिता द्वारा ही बेरोजगार व्यक्ति स्वरोजगार हेतु प्रेरित होकर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकते है।

उद्यमिता मनुष्य में जन्म से उपलब्ध शक्ति, सामर्थ्य, प्रकटीकरण, रचनात्मकता को उजागर करना हैं। उद्यमिता कोई पैतृक वस्तु नहीं है तथा न ही किसी जाति, धर्म, आर्थिक या सामाजिक स्तर पर निर्भर करती है बल्कि यह तो मनुष्य के मानसिक स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक नही है कि मनुष्य को बचपन से ही उद्यमी बनने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि मनुष्य में उद्यमिता का विकास उचित सलाह, प्रशिक्षण, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन द्वारा किया जा सकता है।

उद्यमिता का अर्थ–

सामान्य शब्दों में, उद्यमिता से आशय ऐसी योग्यता या प्रवृत्ति से है जो जोखिम तथा अनिश्चितता को वहन करती है तथा जिसके द्वारा कुछ विशिष्टता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

व्यापक अर्थ में, उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता के साथ नवप्रवर्तन, नेतृत्व तथा व्यूह रचनात्मक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता है यह नये उपक्रम की स्थापना, नियन्त्रण एवं निर्देशन की योग्यता, उपक्रम में नये–नये सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता है।

विभिन्न विद्वानों ने 'उद्यमिता' को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया है।

प्रो. पारीक एण्ड नाडकर्णी के अनुसार– ''उद्यमिता का अर्थ समाज में नये उपक्रम को स्थापित करने की साधारण प्रकृति से है।''

हिगिन्स के अनुसार– ''उद्यमिता विनियोग एवं उत्पादन के अवसरों को देखने, नयी उत्पादन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने हेतु साधनों को संगठित करने, पूंजी लाने, श्रम को नियुक्त करने, कच्चे माल की व्यवस्था करने, संयन्त्र का स्थान ढूंढने, नई वस्तुओं एवं तकनीक को अपनाने, कच्ची सामग्री के नये स्त्रोतों का पता लगाने और उपक्रम के दैनिक संचालन के लिए उच्च प्रबन्धकों का चयन करने का कार्य है।''

प्रो. राव एवं मेहता के अनुसार– उद्यमिता वातावरण का सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है।''

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्यमिता व्यवसाय में विभिन्न जोखिमों को वहन करने, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेने, सामाजिक नवप्रर्वतन करने तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है यह व्यवसाय को समाज व वातावरण से जोड़ती है।

उद्यमी का अर्थ–

सामान्यतः व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को साहसी या उद्यमी कहा जाता है। जो नया उपक्रम प्रारम्भ करते है, पूंजी उपलब्ध करवाते है तथा व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करते है।

उद्यमिता जीवन की एक कार्यप्रणाली एवं भावना का समन्वय है। यह धन के सृजन की एक कार्य–विधि ही नहीं, वरन् व्यक्तित्व विकास का प्रभावशाली विकल्प भी है। यह औद्योगिक प्रगति का एक सहज मार्ग ही नहीं, वरन् साहस और संचेतना का एक उच्च शिखर भी है। यह उद्योग–संचालन का संगठित ज्ञान ही नहीं, वरन् मानवीय मूल्यों, सामाजिक गरिमाओं व उद्यमीय प्रवृत्तियों का एक सम्मिश्रण भी है। यह आत्म–सहायता एवं आत्मनिर्भरता का सुन्दर प्रयास ही नहीं, वरन् मानवीय आकांक्षाओं एवं अभिप्साओं की सन्तृप्ति का एक द्वार भी है। यह राष्ट्र के समग्र विकास का एक नियोजित कार्यक्रम ही नहीं, वरन् मानवीय प्रेरणाओं, क्षमताओं व क्रियाशीलता की अभिव्यक्ति भी है।

उद्यमी की परिभाषाओं को निम्नलिखित तीन रूपों में विभाजित किया जा सकता है।

(I) अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में– जोखिम अथवा अनिश्चतता वहनकर्ता के रूप में।

फ्रेंक एच. नाइट के अनुसार– साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम वहन करता है और अनिश्चतता की व्यवस्था करता है।''

इस प्रकार साहसी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जोखिम उठाने अथवा अनिश्चतता सहन करने का कार्य करता है।

(II) विकास□ील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में – समन्वयकर्ता एवं संगठनकर्ता के रूप में।

प्रो. पारीक एवं नाडलर्वी के अनुसार– उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जो किसी नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी है।

गेराल्ड एवं सिल्वर के अनुसार – ''उद्यमी वह एकाकी व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के नये विचार की कल्पना करता है और फिर उस उत्पाद या सेवा के निर्माण हेतु किसी व्यवसाय की स्थापना करने के लिए पूंजी एकत्रित करने का तरीका तलाश करता है।''

इस प्रकार उद्यमी अथवा साहसी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी उपक्रम की स्थापना करने, उसके लिए आवश्यक साधनों–पूँजी, श्रम, कच्चा–माल एवं यंत्र आदि को जुटाता है और उनका समन्वय, संगठन एवं प्रबन्ध की जोखिम उठाने का कार्य करता है।

(III) विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में–नव–प्रवर्तक के रूप में–

आर्थर डेविग के अनुसार– उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपान्तरित करता है।

भाुम्पीटर के भाब्दों में– ''एक विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमी वह है जो अर्थव्यवस्था में कुछ नवीनता प्रदान करता है, जैसे– उत्पादन की एक विधि जिसका सम्बन्धित निर्माणी शाखा में अभी तक अनुभव द्वारा

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

परीक्षण नहीं किया गया है एवं उत्पाद जिससे उपभोक्ता अभी तक परिचित नहीं है, कच्चे माल का एक नया स्त्रोत एवं नये बाजार आदि।

इस प्रकार विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो नवाचारों को जन्म देता है अथवा नव–प्रवर्तक सम्बन्धी कार्य करता है।

सभी परिभाषाओं का अध्ययन कर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो एक नवीन व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, उद्यमी ही व्यावसायिक जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का सामना करता है तथा सामयिक निर्णय लेना है। साथ ही वह आवश्यक साधनों, जैसे– पूंजी, श्रम, कच्चा–माल एवं यंत्र आदि जुटाता है, समन्वय, संगठन तथा प्रबन्ध का कार्य करता है और नव–प्रवर्तन द्वारा अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत नवाचार को जन्म देता है।

''उद्यमी'' राष्ट्र एवं मानव मात्र की कल्पनाओं को साकार कने वाला मानवीय अभिकर्ता है। यह व्यावसायिक अवसरों की खोज एवं उनका रूपान्तरण करके विकास की प्रक्रिया को सबल बनाता है। यह आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए संघर्षशील रहता है। वह समाज के वातावरण, व्यक्तित्व एवं राष्ट्र के ढाँचे में बदलाव लाता है। क्रियाशीलता उसकी निष्ठा है तथा सृजन उसका कार्यक्षेत्र। उपलब्धि उसकी उत्प्रेरणा है तथा नवप्रवर्तन उसका प्रमुख उत्तरदायित्व।

आज सम्पूर्ण विश्व में इस कल्पित कथा को नकार दिया गया है कि उद्यमी जन्मजात पैदा होते हैं, प्रशिक्षित नहीं किए जा सकते। उद्यमी विकास कार्यक्रमों एवं उद्यमिता प्रशिक्षण योजनाओं के द्वारा सरकार समाज के हर वर्ग में उद्यमवृत्ति का प्रसार करने पर बल दे रही है। आर्थिक योजनाओं व औद्योगिक नीतियों के माध्यम से उद्यमीय प्रवृत्तियों एवं भावना को विकसित किया जा रहा है। उद्यमिता विकास संस्थानों के द्वारा सरकार उद्यमिता के ज्ञान–विज्ञान को बढ़ावा दे रही है। परिणामस्वरूप, देश में उद्यमियों का तेजी से विकास हो रहा है।

उद्यमी के कुछ व्यक्तिगत गुण जन्मजात होते हैं, किन्तु अनेक गुण अध्ययन एवं परिश्रम के द्वारा विकसित किये जा सकते हैं। प्रत्येक देश में अनेक तकनीकी एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है जो उद्यमी के व्यावसायिक गुणों के विकास में सहायक होते हैं। उद्यमी इन संस्थानों से मार्गदर्शन, परामर्श एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी योग्यताओं एवं कौशल का विकास कर सकते हैं।

उद्यमी की वि□ाशताएँ–

उद्यमी की विभिन्न विद्वानों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण से उद्यमी की निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

1. **व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह-** उद्यमी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय का प्रारम्भ, संचालन, प्रबन्धकीय कार्य एवं नवाचार सम्बन्धी क्रियाएँ करता है। औद्योगिक जटिलताओं एवं प्रबन्धकीय परिवर्तनों के कारण उद्यमी का कार्य एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर कई व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसे– संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों एवं निगमों की स्थापना में कई व्यक्ति संयुक्त रूप से जोखिम उठाते हैं और नव–प्रवर्तनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विकासोन्मुख देशों में तो

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यमी साझेदारी, कम्पनी, प्रवर्तन गृह, विनियोग प्रन्यास तथा प्रबन्ध अभिकर्त्ता के रूप में देखे जा सकते हैं।

2. **नवीन व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना**– विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में उद्यमी की मुख्य विशेषता किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना होता है। उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना हेतु अनेक आवश्यक प्रारम्भिक क्रियाएँ करता है, जैसे– आवेदन के साथ आवश्यक प्रपत्रों को देना, लाईसेंस प्राप्त करना, पूँजी निर्गमन हेतु अनुमति प्राप्त करना और रजिस्ट्रेशन अथवा समामेलन की कार्यवाही करना आदि।
3. **जोखिम अथवा अनि□चतता उठाना**– उद्यमी किसी व्यवसाय अथवा उपक्रम की स्थापना करने अथवा नव–प्रवर्तन का कार्य करने में जोखिम अथवा अनिश्चितता उठाता है।
4. **उद्यमी, उत्पादन का स्वतन्त्र साधन है**– अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन, कच्चा–माल, प्रबन्ध, यन्त्र एवं उपकरण आदि की भाँति, उद्यमी भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तथा स्वतन्त्र साधन है।
5. **उद्यमी का कार्य मानसिक एवं बौद्धिक है**– उद्यमी का कार्य मानसिक एवं बौद्धिक स्वभाव का हैं इसलिए उसको नव–प्रवर्तक एवं परिवर्तन को लागू करने वाला कहा गया है। आज का उद्यमी शोध, अनुसंधान तथा परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए सहर्ष तत्पर दिखायी देता है। इतने पर भी उद्यमी का कार्य अभ्यास की अपेक्षा बौद्धिक क्षमता पर ज्यादा निर्भर रहता है।
6. **आपसी वि□वासाश्रित सम्बन्ध (Fiduciary Relation)**– आज का 'युग निगम संस्कृति' का युग है जिसमें बड़ी–बड़ी कम्पनियों एवं निगमों की स्थापना की जा रही है। यदि उद्यमी अथवा उद्यमियों द्वारा उपक्रम की स्थापना कम्पनी प्रारूप के रूप में की जाती है तो कम्पनी तथा उद्यमी के मध्य विश्वासाश्रित सम्बन्धों की स्थापना होती है। ऐसी स्थिति में उद्यमी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कम्पनी के निर्माण सम्बन्धी सभी तथ्यों को संचालक मण्डल तथा कम्पनी के सदस्यों के समक्ष सही रूप से प्रस्तुत करें।
7. **उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है**– उद्यमी जो अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, उसक प्रतिफल लाभ देता है।
8. **विकास□ील व्यवहार**– उद्यमी की एक विशेषता यह भी है कि वर्तमान में यह एक विकासशील व्यवहार बन गया है। इसलिए अब उद्यमी जितना अधिक अनुभव प्राप्त करता है और जितना अधिक साहसिक कार्य करता है, उसमें उतना ही अधिक निखार आता है और उतना अधिक वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, आजकल एक अनुभवी एवं योग्य डॉक्टर कहीं नौकरी करने की अपेक्षा अपनी निजी क्लिनिक अथवा नर्सिंग होम खोलना अधिक पसन्द करता है। यही कारण है कि भारत में जगह–जगह निजी क्लिनिक एवं नर्सिंग होम देखने को मिलते हैं।
9. **व्यापक कार्यक्षेत्र**– उद्यमी का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है क्योंकि आजकल उद्यमी की आवश्यकता न केवल आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित रह गयी है, अपितु गैर–आर्थिक क्षेत्रों में भी समान रूप से अनुभव की जाने लगी है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. **पे□ावर एवं व्यावहारिक**– प्राचीन धारणा के अनुसार उद्यमी पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते हैं किन्तु अब यह धारणा समाप्त हो रही है क्योंकि लोगों का मानना है कि व्यवसाय एक कला एवं विज्ञान दोनों है और व्यावसायिक ज्ञान को हस्तान्तरित किया जा सकता है। इसलिए उद्यमी भी विकसित किये जा सकते हैं। अतः आधुनिक युग में उद्यमी एक पेशेवर वर्ग के रूप में विकसित हो रहे हैं।
11. **उच्च उपलब्धियों में वि□वास**– उद्यमी की एक विशेषता यह भी है कि वे उच्च प्राप्तियों में विश्वास रखते हैं क्योंकि–
    (i) वे सदैव कठोर परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प में विश्वास रखते हैं,
    (ii) वे अधिक समय तक कार्य करते हैं,
    (iii) कुछ असम्भव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं,
    (iv) समाज में दूसरे व्यक्तियों से अलग पहचान बनाना चाहते हैं,
    (v) वे समाज में कार्य–संस्कृति की स्थापना करते हैं अर्थात् स्वयं कार्य करते हुए, अपने कर्मचारियों में भी कठोर परिश्रम की आशा रखते हैं, एवं
    (vi) वे अपने प्रयासों के प्रतिफल में लाभ के साथ ही व्यावसायिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी प्रसन्त करते हैं।
12. **गति□ील प्रतिनिधि** – उद्यमी एक गतिशील प्रतिनिधि है क्योंकि वह व्यावसायिक परिवर्तनों के द्वारा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील बना देता है, व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का साहसपूर्वक सामना करता है।
13. **अवसर केन्द्रित** – उद्यमी अवसर केन्द्रित होते हैं क्योंकि आर्थिक एवं व्यावसायिक अवसरों की खोज करके उनका विदोहन करते हैं और लाभ अर्जित करने को हमेशा तत्पर रहते हैं।
14. **स्वतन्त्रता प्रेमी** – उद्यमी स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना पसन्द करता है अर्थात् कहीं नियुक्ति पाने के स्थान पर स्वतन्त्र व्यवसाय करना पसन्द करते हैं।
15. **कार्य में तल्लीन एवं कार्य की सन्तुश्टि** – उद्यमी अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात् उसकी प्राप्ति के लिए व्यस्त हो जाता है। उसमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भावना, वचनबद्धता एवं एकाग्रता होती है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों के लिए उनका कार्य ही अपने आप में लक्ष्य एवं सन्तुष्टि का एक बड़ा कारण होता है। यद्यपि वे आत्म–सन्तुष्टि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ–साथ भौतिक प्रतिफल भी प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु उनके लिए यह गौण होता है।
16. **एक संस्था (An Institution)**– एक उद्यमी स्वयं में एक संस्था है क्योंकि इसके कारण समाज में अनेक संस्थाओं का जन्म होता है। आधुनिक युग में विशेषकर विकासशील देशों में अनेक संस्थाएँ उद्यमी अथवा साहसी के रूप में कार्य कर रही हैं ताकि साहस का विकास हो सके। सरकार स्वयं एक उद्यमी बनकर राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान करती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की स्थापना में सरकार ने उद्यमी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
17. **उद्यमी, प्रबन्धक उद्यमी के रूप में कार्य (Entrepreneur, works as Manager Entrepreneur)** – छोटे या लघु–आकारीय व्यावसायिक उपक्रमों में उद्यमी, प्रबन्धक उद्यमी के रूप में कार्य करता है क्योंकि उनका प्रबन्धक एवं संचालन स्वयं उद्यमियों द्वारा किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

18. **उद्यमी, पूँजीपति एवं प्रबन्धक से भिन्न है (Entrepreneur is different from Capitalist and Manager)**– उद्यमी, पूँजीपति एवं प्रबन्धक से भिन्न है। इसके अनेक कारण हैं। उद्यमी का मुख्य कार्य जोखिम उठाना है, जबकि पूँजीपति का कार्य पूँजी उपलब्ध कराना है। उद्यमी अपनी सेवाओं एवं जोखिम के बदले लाभ प्राप्त करता है, जबकि पूँजीपति अपने द्वारा विनियोजित पूँजी पर ब्याज प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी की आय (लाभ) अनिश्चित होती है, जबकि पूँजीपति की आय (ब्याज) निश्चित होती है। इस प्रकार उद्यमी एवं पूँजीपति में अन्तर है।

उद्यमी की भूमिका–

किसी समाज और राष्ट्र की भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक एवं तकनीकी समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के योग और उन संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग पर निर्भर करती हैं। उद्यमी साहसी प्रवृत्ति के वे व्यक्ति होते है जो हानि–लाभ की परवाह किए बगैर उद्योग स्थापित करने को तैयार रहते है और यदि व्यापारिक इकाई में घाटा हो जाए तो घाटे को सहन करने की मानसिक और आर्थिक सामर्थ्य रखते है।

उद्यम अथवा उपक्रम छोटा या बड़ा हो, उस में पाँच तत्व पाये जाते हैं, यथा– भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन एवं साहस। इन सब में साहस/साहसिकता/उद्यमिता ही व्यवसाय का जीवन है क्योंकि साहसी अथवा उद्यमी ही समाज के उत्पादन साधनों का संगठनकर्त्ता है। वह समाज के अप्रयुक्त साधनों को उत्पादन कार्यो में नियोजित करता है और उनका अनुकूलतम उपयोग करता है ताकि न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ उत्पादन किया जा सके। इसलिए यह कहा जाता है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादन के साधनों को उत्पादकता एवं लाभ के निम्न क्षेत्रों में उच्च क्षेत्रों की ओर हस्तान्तरित करता है।

इसी भाव को **जोसेफ ए. भाुम्पीटर** ने इस प्रकार कहा, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर पर पूर्व कल्पना करता है तथा किसी नयी वस्तु, नयी उत्पादन विधि, नये कच्चे माल, नये बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नये संयोजन को अपनाते हुए अवसर का लाभ उठाता है।''

इस उद्यमी का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह (निगम/राज्य/सहकारी) से है जो उद्यम में निहित जोखिमों तथा अनिश्चितताओं का उचित प्रबन्ध करता है तथा व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, उत्पादन के साधनों को संयोजित करता है और नवकरणों को जन्म देता है।

उद्यमी एवं आर्थिक विकास Entrepreneur and Economic Growth

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी की भूमिका निःसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह लोगों को मौद्रिक आय के साधन के लिए रोजगार ही उपलब्ध नहीं करता है बल्कि लोगों को आवश्यकता एवं आराम के अनेक उत्पाद/सेवाएँ भी उपलब्ध करता है। यही नहीं, लोगों की बचतों को उत्पादक कार्यो में लगाने का अवसर उपलब्ध करता है जिससे लोगों को और अधिक रोजगार एवं आय प्राप्त होती है। इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा देश के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। अधिक रोजगार एवं अधिक निवेश के अवसर लोगों की आय को बढ़ाते है जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है और धन एवं आय के वितरण में असमानता कम होने लगती है। देश में गरीब जनता का प्रतिशत कम होता जाता है। देश में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

शिक्षा का प्रसार होता है, लोगों को अज्ञानता, बीमारियों एवं कुरीतियों से मुक्ति मिलती है। फलतः लोगों का आर्थिक–सामाजिक कल्याण होता है तथा सम्पूर्ण मानव जीवन सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है।

नवाचारी उद्यमी एवं आर्थिक विकास Innovator Entrepreneur and Economic Growth

उद्यमी नवाचारी की भूमिका में आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अनेक प्रकार से नवाचार करता है और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में योगदान करता है। प्रो. शुम्पीटर ने उद्यमी को नवाचारकर्ता के रूप में देखा एवं समझा है। उनका तो यहाँ तक मानना है कि ''उद्यमी वह नवाचारी व्यक्ति है जो आर्थिक विकास को गति देने हेतु कुछ नया करता है।'' उनके अनुसार उद्यमी निम्नांकित में से कोई भी नवाचारी कार्य करता है :

(i) किसी आविष्कार का उपयोग करके किसी नये या क्रांतिकारी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है।

(ii) किसी नये उत्पाद के उत्पादन में किसी ऐसी नयी तकनीक को अपनाता है जिसे अब तक जाँचा–परखा नहीं गया है।

(iii) किसी विद्यमान उत्पाद का नयी विधि से उत्पादन करता है।

(iv) सामग्री की आपूर्ति हेतु किसी नये स्त्रोत को खोजता है।

(v) किसी नये उपक्रम का संगठन कर उत्पाद के वितरण का नया मार्ग खोलता है।

उद्यमी नवाचार करता है। इस हेतु वह उन अवसरों की खोज करता है जिनमें नवाचार किया जा सकता है। सामान्यतः उद्यमी निम्नांकित स्त्रोतों में अवसरों की खोज करता है :

(i) लोगों एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में।

(ii) लोगों एवं संस्थाओं की समस्याओं में।

(iii) नवीन आविष्कारों में।

(iv) विद्यमान एवं भावी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में।

(v) प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों में।

(vi) जनसंख्या के आकार एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों में।

(vii) लोगों की विचारधारा एवं अवबोध की प्रक्रिया होने वाले परिवर्तनों में।

(viii) उत्पादन एवं वितरण प्रणालियों तथा कार्य लाभ प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में।

(ix) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, भौगोलिक, जलवायु आदि वातावरणीय घटकों में होने वाले परिवर्तनों में।

(x) अप्रत्याशित घटनाओं में अर्थात किसी व्यक्ति या संस्था की अप्रत्याशित सफलता या असफलता की घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं, युद्ध की घटनाओं, तोड़–फोड़, लूटपाट, आगजनी, उग्रवादी घटनाओं आदि में।

नवाचारी के रूप में उद्यमी इन्हीं या ऐसे ही अन्य स्त्रोतों में नवाचार के अवसर खोजता है और इन अवसरों का लाभ उठाने हेतु नवाचार करता है।

वर्तमान परिस्थितियों में नवाचार के अवसर–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उद्यमी को नवाचारी कार्य करने हेतु अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ऐसे कुछ अवसर निम्नानुसार हैं :

1. देश की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण किया जा रहा है। फलतः उद्यमी के लिए नवाचार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इनमें कुछेक अवसर निम्नांकित स्त्रोतों में ढूंढे जा सकते है :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी गई है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ उद्योगों में भी कुछ कार्यो में निजी क्षेत्र के उद्यमियों की भागीदारी दी जा सकती है।

(iii) निजी क्षेत्र के लिए लाईसेंस की अनिवार्यता केवल छः उद्योगों के लिए ही रह गई है।

(iv) उद्योगों की क्षमता के विस्तार के लिए लाईसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(v) कई उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश की छूट दे दी गई है। इन उद्योगों/सेवाओं में 26 प्रतिशत से लेकर 74 प्रतिशत तक विदेशी उद्यमी को भागीदार बनाया जा सकता है। फलतः बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, जनसंचार आदि में विदेशी सहयोग किया जा सकता है।

(vi) देश में आर्थिक क्षेत्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाये गये हैं जिनमें उद्यमियों को कई रियायतें दी गई है।

2. देश में उद्यमियों को अनेक साधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध हो रहे हैं। इन साधन एवं सुविधाओं में नवाचार के अवसर ढूंढे जा सकते है। प्रमुख साधन एवं सुविधाएँ निम्नानुसार हैं :

(i) लघु उद्योगों के लिए अनेक उत्पाद आरक्षित है। वर्तमान में (जून, 2005 में) 506 उत्पाद आरक्षित हैं जिनका उत्पादन लघु उद्यमियों द्वारा ही किया जा सकता है।

(ii) प्रत्येक राज्य के राज्य वित्त निगम एवं उद्योग विकास निगम उद्यमियों को वित्तीय एवं आधारभूत सुविधाएँ रियायती दरों पर उपलब्ध कर रहे हैं।

3. देश में लोगों की आय बढ़ रही है। लोगों की आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। इनमें नवाचार के अवसर उपलब्ध हैं।

4. देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक जलवायु आदि वातावरणीय घटकों में परिवर्तन हो रहा है।

5. देश के कई घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश किया जा रहा है।

6. देश की सरकार ने व्यवसाय के भूमण्डलीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र के बाद फुटकर व्यापार के भूण्डलीकरण की दिशा में प्रयास चालू हैं।

आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका को निम्न भागों में विभाजित कर समझा जा सकता है।

(i) आर्थिक प्रगति में एक नव–प्रवर्तक के रूप में उद्यमी की भूमिका।

(ii) रोजगार के अवसरों के सृजन में उद्यमी की भूमिका।

(iii) आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने में उद्यमी की भूमिका।

(iv) सामाजिक स्थिरता एवं उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका।

(v) निर्यात संवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी की भूमिका।

(vi) विदेशी मुद्रा अर्जन में उद्यमी की भूमिका।

(vii) स्थानीय माँग को उत्पन्न करने एवं वृद्धि में उद्यमी की भूमिका।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(I) आर्थिक प्रगति में एक नव–प्रवर्तक के रूप में उद्यमी की भूमिका–

(Role of Entrepreneurs in Economic Growth as an Innovator)

उद्यमी आर्थिक क्रियाओं का सूत्रपात करने वाला साहसी है। वह समाज में नये–नये व्यवसायों की स्थापना करके, उद्योगों व नये उत्पादों को गति प्रदान करके अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रगति के मार्ग धकेलता है। वह अपने उत्पादक विनियोगों के द्वारा देश में पूँजी निर्माण एवं धन सृजन की प्रक्रिया को गतिशील करता है। वह अपनी नवीन एवं उत्पादक योजनाओं से समाज में रोजगार के नये–नये अवसर उत्पन्न करता है। वह उपभोग एवं जीवन शैली के नये प्रमाप, नये मूल्य स्थापित करता है। वह देश में तरक्की का मार्ग निर्मित करता है। वह सम्पूर्ण व्यवसाय, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्रियाओं का मूलाधार है। वस्तुतः वह सम्पूर्ण समाज को अपना आर्थिक नेतृत्व प्रदान करता है। वह समाज में ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें सृजनात्मक का पोषण होता है।

आर्थिक विकास की अवधारणा–

आर्थिक विकास की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है। यह मानव कल्याण एवं मानव के सर्वांगीण विकास की अवधारणा है। इस व्यापक रूप में, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण एवं सर्वांगीण विकास होता है।

प्रो. ब्राइट सिंह के अनुसार, ''आर्थिक विकास एक बहुआयामी तत्व है जिसमें केवल मौद्रिक आय में वृद्धि ही सम्मिलित नहीं है बल्कि वास्तविक आदतों, शिक्षों, जनस्वास्थ्य, अधिक आराम और वस्तुतः उन समस्त सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत परिस्थितियों में वृद्धि या परिवर्तन सम्मिलित है जिनसे सम्पूर्ण एवं सुखी जीवन का सृजन होता है।

संयुक्त राश्ट्र संघ (UNO) के अनुसार– ''आर्थिक विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं के उन्नयन से भी सरोकार रखता है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत एवं आर्थिक परिवत्रन भी सम्मिलित हैं।''

आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग होने से राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होती है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसके परिणामस्वरूप, जनसामान्य के जीवस्तर एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि होती है और सभी को अधिक सुखमय जीवन जीने की सुविधाएँ उपलब्ध होती है।

आर्थिक विकास के मापदण्ड –

निम्नांकित घटकों के आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया जा सकता है।

1. शुद्ध राष्ट्रीय आय।
2. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय।
3. आय का वितरण।
4. देश में गरीब जनता का अनुपात।
5. देश की आर्थिक विकास की दर।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. उपभोग की संरचना एवं स्तर।

7. व्यावसायिक संरचना।

8. लोगों का जीवन स्तर।

जब किसी देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, देश की विकास दर, देश में उपभोग का स्तर तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है तो देश आर्थिक विकास की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार देश में आय के वितरण में असमानता घटती है तथा देश में गरीब जनता का प्रतिशत या अनुपात घटता है तो भी देश का आर्थिक विकास हुआ माना जाता है। इतना ही नहीं, जब देश में आर्थिक विकास होता है तब लोगों की व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की संख्या घटती जाती है और व्यापार, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय बढ़ने से देश में शिक्षा का प्रसार होता है, बीमारी पर नियन्त्रण होने लगता है, सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयों में कमी होने लती है। अन्ततः लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होने लगती है। उद्यमी अपने नवप्रवर्तन क्रियाओं से आर्थिक विकास के घटकों में सकारात्मक परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इन बातों के अतिरिक्त, प्रो. आर्थर लुइस का मानना है कि आर्थिक विकास के कारण निम्नांकित परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं –

(i) आर्थिक विकास व्यक्ति के चयन क्षेत्र को व्यापक बना देता है।

(ii) आर्थिक विकास से मानव को अपने वातावरण पर अधिकाधिक नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है।

(iii) आर्थिक विकास लोगों को अधिकाधिक उत्पाद, सेवाएँ एवं अवकाश के क्षण उपलब्ध कराता है।

(iv) आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप यंत्रों का उपयोग बढ़ता है। फलतः बहुत से कार्य आसानी एवं शीघ्रता से पूरे किये जा सकते हैं।

(v) आर्थिक विकास मानव को मानवता की ओर अग्रसर करता है।

उद्यमी एवं आर्थिक विकास–

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी की भूमिका निःसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह लोगों को मौद्रिक आय के साधन के लिए रोजगार ही उपलब्ध नहीं करता है बल्कि लोगों को आवश्यकता एवं आराम के अनेक उत्पाद/सेवाएँ भी उपलब्ध करता है। यही नहीं, लोगों की बचतों को उत्पादक कार्यों में लगाने का अवसर उपलब्ध करता है जिससे लोगों को ओर अधिक रोजगार एवं आय प्राप्त होती हैं। इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा देश के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। अधिक रोजगार एवं अधिक निवेश के अवसर लोगों की आय को बढ़ाते हैं जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है और धन एवं आय के वितरण में असमानता कम होने लगती है। देश में गरीब जनता का प्रतिशत कम होता जाता है। देश में शिक्षा का प्रसार होता है, लोगों को अज्ञानता, बीमारियों एवं कुरीतियों से मुक्ति मिलती है। फलतः लोगों का आर्थिक–सामाजिक कल्याण होता है तथा सम्पूर्ण मानव जीवन सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर होता है।

नवप्रवर्तक का अर्थ (Meaning of an Innovator) –

नव–प्रवर्तक अथवा नव–प्रवर्तनकर्त्ता का अर्थ एक ऐसे उद्यमी से है जो अपने व्यवसाय में कुछ न कुछ कोई नवीन परिवर्तन एवं सृजन करता रहता है, जैसे– नई वस्तु का उत्पादन, उत्पादन की नई विधि, नये यंत्र

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

एवं उपकरण, नया कच्चा–माल या अर्द्ध–निर्मित माल के नये स्त्रोत की खोज, नई प्रबन्ध व्यवस्था, नई संगठन संरचना एवं नया बाजार आदि।

भाुम्पीटर के अनुसार– ''नव–प्रवर्तन उद्यमी किसी भी नये आविष्कार को क्रियान्वित करके उत्पादन के तरीकों में सुधार करने अथवा उसमें क्रान्ति लाने का कार्य करते हैं।''

इस प्रकार नव–प्रवर्तन उद्यमी वह होता है जो नये व्यवसाय में सदैव परिवर्तनों, नये सुधारों को स्थान नहीं देते हैं, अपितु नयी वस्तु, नये यंत्र, नये कच्चे–माल एवं नये बाजारों की खोज करते हैं।

नव–प्रवर्तक उद्यमी में सृजनात्मक का गुण होता है। वह किसी समस्या का मौलिक एवं उपयोगी ढंग से समाधान करता है, किसी नयी वस्तु का सृजन या उसकी खोज करता है, नये विचारों एवं अवधारणाओं का विकास करता है एवं व्यक्तियों एवं संगठनों का विकास करता है। इसके अतिरिक्त ये उद्यमी विभिन्न अनुसन्धानों का व्यावहारिक उपयोग करते हैं।

नव–प्रवर्तक के प्रकार (Kinds of Innovator)–

1. **प्रारम्भिक नव–प्रवर्तक (Initiator Innovator)**– प्रारम्भिक नव–प्रवर्तक का आशय ऐसे उद्यमियों से है जो स्वयं तो नव–प्रवर्तनों की कल्पना नहीं करते हैं, किन्तु नव–प्रवर्तन के विस्तार की आस्था में भाग लेकर विकास को गति प्रदान करते हैं।
2. **मूल प्रवर्तक (Prime Mover Innovator)**– मूल प्रवर्तक वे उद्यमी होते हैं जो कुछ न कुछ नये एवं भिन्न का सृजन करते हैं, जैसे– नई वस्तु का उत्पादन, नई वस्तु के उत्पादन की विधि, नये यंत्र एवं मशीनें, नये कच्चे–माल एवं नये बाजार की खोज आदि। इस प्रकार जो उद्यमी अपने व्यवसाय में सदैव नवीन परिवर्तनों सुधारों को स्थान देते हैं, मूल्यों को परिवर्तित तथा स्थानान्तरित करते हैं, मूल प्रवर्तक कहे जाते हैं।
3. **लघु नव–प्रवर्तक (Initiator Innovator)**– ऐसे उद्यमी जो बहुत थोड़ी मात्रा में नव–प्रवर्तक का कार्य करते हैं, जैसे– समाज के संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग कैसे किया जाए, लघु नव–प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं।
4. **अनुशंगी नव–प्रवर्तक (Initiator Innovator)**– अनुषंगी नव–प्रवर्तक का अर्थ ऐसे उद्यमी से है जिसकी प्रारम्भ में तो भूमिका एक आपूर्तिकर्त्ता एवं मध्यस्थता के रूप में होती है और फिर धीरे–धीरे वह व्यवसायों एवं सहायक उद्योगों का स्वतंत्र संचालन करने लग जाता है।
5. **स्थानीय व्यापारी नव–प्रवर्तक (Initiator Innovator)**– स्थानीय व्यापारी नव–प्रवर्तक वह होता है जो अपनी व्यावसायिक क्रियाओं (व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं प्रत्यक्ष सेवाएँ) को किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखता है अर्थात् एक निश्चित स्थान से बाहर जाने का साहस नहीं करता है।

नव–प्रवर्तक की भूमिका –

नव–प्रवर्तक के रूप में उद्यमी की भूमिका निम्न है –

1. **समाज में नवीनता को जन्म** – उद्यमी का आधारभूत कार्य नवकरण करना होता है। इसलिए वह नये उत्पादन विकसित करता है, उत्पादन विभिन्नीकरण करता है, शोध एवं अनुसन्धान द्वारा व्यावसायिक एवं तकनीकी नव–प्रवर्तन करता है। परिणामस्वरूप उद्योगों का विस्तार होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन** – चूँकि उद्यमी एक नव–प्रवर्तक होता है। इसलिए अपनी व्यावसायिक क्रियाओं में नये–नये कार्य ही नहीं करता है, अपितु देश की विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का पूर्वाभास कर परिवर्तित वातावरण में उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता हैं। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास का चक्रम निरन्तर चलता रहता है।
3. **राश्ट्र के संसाधनों को उत्पादक कार्यो में लगाना** – उद्यमी का नव–प्रवर्तक के रूप में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके प्रवृत्ति के फलस्वरूप नये उद्योगों एवं रोजगार का निर्माण सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के संसाधनों को उत्पादन कार्यो में लगाने से नई उपयोगिता का सृजन होता है।
4. **उत्पादन के संसाधनों को संगठित एवं समन्वित करना** – नव– प्रवर्तक के रूप में उद्यमी उत्पादन के संसाधनों को संगठित एवं समन्वित करता है जिससे न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है और उद्यमियों के लाभों में वृद्धि हो जाती है। यही नहीं, उद्यमी प्रबन्धकीय कौशल से अप्रयुक्त संसाधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।
5. **औद्योगिक विकास का आधार** – नव–प्रवर्तक उद्यमियों में उपक्रम के संसाधनों को विकसित करने, मानवीय क्षमता का विकास करने और नये विचारों को समन्वित करने का नेतृत्व गुण होता है। इस सम्बन्ध में हॉरबिसन का मत है कि ''सृजनात्मकता के कारण नवीन विचारों का जन्म होता है और नेतृत्व योग्यता के अभाव में नव–प्रवर्तन आर्थिक विकास का आधार नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार नेतृत्व, प्रशासन क्षमता एवं सृजनात्मक के द्वारा ही उद्यमी संगठन का निर्माण कर सकता है।''
6. **संगठनों का विस्तार** – उद्यमी नव–प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु शोध एवं अनुसंधान पर अधिक व्यय करते हैं। फलस्वरूप व्यक्तियों में वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः समाज में नवकरणों को जन्म मिलता है, उत्पादन की घिसी–पिटी विधियों के स्थान पर आधुनिक विधियाँ अपनायी जाती हैं और नई–नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे संगठनों का विस्तार होता है।
7. **व्यावसायिक कार्यो का सम्पन्न होना** – एक लघु स्तरीय व्यवसाय में एक व्यक्ति ही नव–प्रवर्तन एवं अन्य जोखिमें उठा सकता हैं किन्तु आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय किये जाते हैं, जिनमें किसी एक व्यक्ति द्वारा सम्पूर्ण जोखिम उठाना सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए कम्पनी, साझेदारी एवं सहकारी समिति के रूप में स्थापना कर व्यक्तियों के एक समूह द्वारा व्यावसायिक कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं।
8. **समाज को नयी–नयी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने का अवसर**– उद्यमी सृजनकर्त्ता एवं नव–प्रवर्तक होता है। इसलिए वह नई वस्तु, नये विचार, नये बाजार एवं नयी उत्पादन तकनीकों को जन्म नहीं देता है अपितु इसके लिए शोध एवं विकास कार्यक्रमों को भी चलाता है। इन सबके परिणामस्वरूप समाज को नयी–नयी वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है और समाज का जीवन–स्तर ऊँचा होता है।
9. **राश्ट्र की आर्थिक समृद्धि** – नव–प्रवर्तन उद्यमी नये–नये उपक्रम प्रारम्भ करते हैं, इसमें आने वाले व्यवधान एवं विध्न बाधाओं से जूझते हुये आगे बढ़ते हैं और वे कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। इसके

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अतिरिक्त नयी–नयी चुनौतियों को भी स्वीकार कर अवसरों में बदलने वाले उद्यमी नव–प्रवर्तन के माध्यम से एक ओर तो स्वयं अपने भाग्य को खोलते हैं तो दूसरी ओर राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान करते हैं।

10. **राश्ट्र के अर्थतन्त्र को गतिमान बनाना** – नव–प्रवर्तक उद्यमी राष्ट्र के अर्थतन्त्र को गतिमान बनाते हैं क्योंकि वे अपनी इकाइयों में नये कच्चे–माल का उपयोग करते हैं, उत्पादन विधि में नई तकनीकों एवं यंत्रों का उपयोग करते हैं, नयी–नयी वस्तु एवं सेवा प्रदान करते हैं, नवीन आन्तरिक एवं बाह्य व्यूहरचना अथवा रणनीति अपनाते हैं तथा नई वितरण नीति का उपयोग करते हैं।
11. **व्यवसायों का अस्तित्व**– आधुनिक व्यावसायिक जगत में नव–प्रवर्तक उद्यमी उत्पादन विधियों, मशीनों, यन्त्रों, प्रौद्योगिकी, वित्त एवं तकनीकों आदि में नये–नये प्रयोग तथा सुधार कर रहे हैं। फलस्वरूप व्यवसाय में न केवल अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो गयी हैं, वरन् फर्म के लिए प्रतिस्पर्द्धा क्षमता को बनाये रखना भी आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध प्रबन्ध विशेषा पीटर एफ. ड्रकर ने कहा कि, ''तीव्र परिवर्तनों एवं नव–प्रवर्तन के इस युग में साहसिक योग्यता को प्राप्त किये बिना आज के व्यवसायों का अस्तित्व में रहना असम्भव है।''
12. **व्यवसाय को गति□ील नेतृत्व**– उद्यमी में मुख्यतः दो गुण होते हैंः जोखिम वहन करने की क्षमता एवं नयी इकाइयों का प्रवर्तन। किन्तु आधुनिक युग में नव–प्रवर्तक उद्यमी व्यवसाय को समाज एवं वातावरण से जोड़ते हैं। अतः वे व्यवसाय में नवीन उद्योग लगाते हैं, अवसरों की खोज करते हैं और सामाजिक मूल्य के संदर्भ में विभिन्न निर्णय लेते हैं और सामाजिक नव–प्रवर्तन करते हैं। इन सबके परिणामस्वरूप व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व मिलता है।
13. **उत्प्रेरक तत्व**– नव–प्रवर्तक उद्यमियों के कारण ही समाज में धन सम्पदा बढ़ती है, गरीबी का उन्मूलन होता है, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और आत्मनिर्भर समाज की रचना सम्भव होती है।
14. **सामाजिक दायित्व एवं सन्तुश्टि**– एक नव–प्रवर्तक के रूप में उद्यमी की भूमिका सामाजिक दायित्व एवं सन्तुष्टि प्रदान करने में भी होती है। फलस्वरूप वे नये मूल्यों, कार्यो एवं उपयोगिताओं का सृजन करते हैं।
15. **नये उपक्रमों की स्थापना**– उद्यमी जोखिम उठाकर नये उद्यमों का प्रवर्तन करने की क्षमता रखता है। वह 'विचारों' को क्रियान्वयन करता है। उद्यमिता के विस्तार से पूरे समाज में नई–नई फर्मों का सृजन तेजी से होता है। फलतः देश में उद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी बड़ा व्यवसाय एक समय में उद्यमी के 'व्यावसायिक साहस' के कारण ही शुरू हुआ होगा। रॉबिन्स एवं कोल्टर के अनुसार, ''उद्यमी 'साहसिक उद्यमों' को जन्म देते हैं जो नये अवसरों की खोज करते हैं, जिनके व्यवहार नवप्रवर्तनकारी होते हैं और जिनके मुख्य उद्देश्य विकास एवं लाभदायकता हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में बढ़ता उपक्रमों का जाल उद्यमिता का ही परिणाम है।
16. **उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास**– साहस के कारण लोगों में स्वतन्त्र जीवन जीने, आत्म–निर्भर बनने तथा कुछ प्राप्त करने की प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। आलस्य एवं अकर्म को छोड़कर व्यक्ति सुखी एवं सम्पन्न जीवन जीने की ललक से भर उठते हैं। उद्यमिता से व्यक्तियों में रचनात्मक मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। इससे सम्पूर्ण समाज में सक्रियता का संचार होता है तथा एक सुखी एवं सम्पन्न समाज की स्थापना की जा सकती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

17. **पूँजी–निर्माण में सहायक**– उद्यमिता ही एक ऐसा घटक है जो देश की बचतों को उत्पादक कार्यों में विनियोजित करने में सहायक हो सकता है। पूँजी–निर्माण आज प्रत्येक देश की एक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है। उद्यमी व्यावसायिक क्रियाओं में वृद्धि करके पूँजी–निर्माण की दर में वृद्धि करता है। रेजर नस्कर्ट ने उचित ही लिखा है कि ''विकासशील देशों में केवल साहसी ही पूँजी के अभेद्य दुर्ग को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा पूँजी–निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकता है।''
18. **आत्म–निर्भर समाज की स्थापना**– आत्म–निर्भर समाज की रचना में उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान है। साहस के द्वारा उत्पादकता में क्रान्ति लायी जा सकती है। उद्यमियों के द्वारा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ–साथ निर्यातों में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूँजी, धन–सम्पदा, रोजगार, आय आदि में भी साहस के विकास से ही वृद्धि सम्भव है। एलबर्ट केली (Albert Kelley) का कथन है कि ''उद्यमिता आर्थिक विकास की श्रृंखला–प्रतिक्रिया'' (Chain-Reaction) के द्वारा किसी भी राष्ट्र को आत्म–निर्भरता की दहलीज तक पहुँचा देती है।''
19. **तीव्र परिवर्तन एवं नवकरण**– आज व्यावसायिक जगत में तेजी से अनेक परिवर्तन घटित हो रहे हैं। उत्पादन विधियों, मशीनों, तकनीकों, यन्त्रों, प्रौद्योगिकी, वित्त एवं वितरण प्रणालियों में नये–नये प्रयोग एवं सुधार किये जा रहे हैं। फलस्वरूप, व्यवसाय में न केवल अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं, वरन् फर्म के लिए प्रतिस्पर्धा क्षमता को बनाये रखना भी आवश्यक हो गया है। पीटर ड्रकर ने कहा कि– तीव्र परिवर्तनों एवं नव–प्रवर्तन के इस युग में साहसिक योग्यता को प्राप्त किये बिना आज के व्यवसायों के लिए जीवित रहना असम्भव है।''
20. **सामाजिक उत्तरदायित्व**– व्यवसाय में बढ़ रहे नवप्रवर्तन कार्यो के फलस्वरूप आज अनेक पुराने व्यवसाय नष्ट हो रहे हैं तथा उनका स्थान कम्प्यूटरों एवं नवीन टेक्नोलॉजी से संचालित उद्योग ग्रहण करते जा रहे हैं। शुम्पीटर ने इस स्थिति को 'रचनात्मक विनाश' (Creative Destruction) कहा है। किन्तु, इस स्थिति ने समाज में रोजगार, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक व्यवसाय तथा राजकीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से एक 'सामाजिक खतरा' (Social Threat) उत्पन्न कर दिया है। ड्रकर लिखते हैं कि ''आज उद्यमिता का विकास करना स्वयं व्यवसाय के हित में नहीं है, वरन् यह उसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बन गया है।'' साहस के विकास से समाज में आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है।
21. **सामाजिक सन्तुश्टि**– आज विश्व के अनेक देशों में 'निजीकरण' (Privatisation) की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। सरकार अपने अनेक उद्योग निजी उद्यमियों को संचालन हेतु सौंप रही है। साथ ही 'संयुक्त क्षेत्र' की अवधारणा पर भी बल दिया जा रहा है। फलस्वरूप, निजी व्यवसायियों पर ''आधुनिक'', ''प्रगतिशील'' एवं ''अग्रवर्ती'' बने रहने तथा सामाजिक हितों एवं उपयोगिता पर अधिक ध्यान देने का प्रमुख दायित्व उत्पन्न हो गया है। उद्यमिता के विकास के द्वारा ही नये मूल्यों, कार्यो व उपयोगिताओं का सृजन करके सामाजिक सन्तुष्टि में वृद्धि की जा सकती है।
22. **सफल इकाइयों की स्थापना**– उद्यमिता के विकास से व्यावसायिक इकाइयों को लाभप्रद एवं कुशल बनाया जा सकता है। साहसी व्यक्ति, प्रशिक्षित, कुशल एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होने के कारण व्यावसायिक सफलता की सम्भावना को बढ़ा देते हैं। साहसी रूग्ण इकाइयों (Sick Units) को

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पुनर्जीवित रकके सरकारी भार को कम करने के साथ–साथ राष्ट्रीय साधनों के सदुपयोग को सम्भव बनाते हैं। उद्यमिता ही व्यावसायिक संस्थानों को शाश्वत जीवन (Perpetual Life) प्रदान करने वाला तत्व है।

23. **सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण**– उद्यमिता सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। नवीन आविष्कारों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप समाज में अन्धविश्वास कम होता है। साहस व्यक्ति के चिन्तन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। समाज कर्मठता एवं उद्यमशीलता के एक नये परिवेश में प्रवेश करता है। शिक्षा व ज्ञान प्रसार होता है। फलस्वरूप, समाज रूढ़ियों व घिसी–पिटी परम्पराओं से मुक्त होता है तथा समाज में एक नयी 'चेतनायुक्त संस्कृति' की स्थापना होती है। डोनाल्ड बी.ट्रो लिखते हैं कि ''उद्यमिता सामाजिक रूपान्तरण एवं ''साहसिक संस्कृति'' की स्थापना का महत्वपूर्ण आधार है।''

24. **राजकीय नीतियों के क्रियान्वयन में योगदान**– उद्यमी राजकीय नीतियों के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश की विकास योजनाओं को पूरा करने, आयात–निर्यात में सन्तुलन स्थापित करने तथा नियोजित विकास को प्रोत्साहित करने में उद्यमी सरकार को सहयोग देते हैं। उद्यमी सरकार के साथ संयुक्त रूप से मिलकर विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं।

इस प्रकार एक नव–प्रवर्तक उद्यमी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(II) रोजगार के अवसरों के सृजन में उद्यमी की भूमिका

(Role of Entrepreneurs in Generation of Employment Opportunities)

उद्यमी को उपक्रम की स्थापना से लेकर वस्तुओं के विक्रय तक विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते है किन्तु उद्यमी के कार्य वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसे अपने समाज एवं राष्ट्र के विकास के सम्बन्ध में भी अनेक कार्य करने होते है वह समाज में व्यावसायिक क्रियाओं की पहल करता है।

व्यावसायिक क्रियाओं से आशय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना है। व्यवसाय के अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है।

व्यापार अपने आप में पूर्ण क्रिया नहीं है क्योंकि व्यापार अथवा वस्तुओं के क्रय विक्रय में समय, स्थान, विनिमय एवं वित्त सम्बन्धी अनेक बाधाएँ आती हैं। कुछ क्रियाएँ तो ऐसी हैं जो इन सभी बाधाओं को दूर करती हैं और व्यापार को सम्भव बनाती हैं। इन क्रियाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएँ कहा जाता है, जो निम्न हैं–

(1) यातायात, (2) बैंक, (3) बीमा, (4) गोदाम, (5) विज्ञापन, (6) वितरण, (7) संचार, (8) पैकेजिंग, (9) परामर्श सुविधाएँ, (10) स्कन्ध एवं उपज विपणन, (11) एजेण्ट्स, (12) स्थान नियुक्ति एजेन्सी, (13) आयोजन प्रबन्ध, (14) मनोरंजन, (15) लेखांकन एवं प्रतिवेदन क्रियाएँ, (16) सुरक्षा एवं संरक्षा, (17) रोजगार संदर्भ केन्द्र।

रोजगार का सृजन प्रत्येक देश, राज्य व समुदाय की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक होता है। उद्यमी नये–नये उपक्रमों की स्थापना करके असंख्य व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करता है। नये संगठन तेजी से कार्यो का सृजन करते जा रहे हैं, यद्यपि विश्व के बड़े एवं सुप्रसिद्ध वैश्विक निगमों का आकार छोटा होता रहा है। अब अमेरिका जैसे सुदृढ़ देशों ने भी बड़े आकार के निगमों की अपेक्षा छोटे–छोटे अनेक नये उद्यमों के विकास पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है ताकि कार्यों व रोजगार का सृजन हो सके। जापान की अर्थव्यवस्था छोटे–छोटे उद्यमों के जरिये विश्व की सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। अमेरिका में भी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पाँच में से चार नये रोजगार का प्रारम्भ उद्यमिता के माध्यम से ही हो रहा है। वहाँ कुल नये कार्यों का 30 प्रतिशत हिस्सा ऐसी कम्पनियों द्वारा सृजित किया गया जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ''उद्यमिता रोजगार उत्पत्ति का वाहन है।

व्यापार की उपरोक्त सभी क्रियाएँ स्वयं में एक उद्यम के रूप में हैं और उद्यमी इनमें से किसी भी क्रिया को स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि उद्यमी अपने व्यवसाय के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, जिसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :

1. **परिवहन सेवाओं द्वारा रोजगार का सृजन**– जब भी एक उद्यमी, उद्योग की स्थापना या व्यवसाय करता है तो उसे परिवहन सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में वह अग्र दो रूपों में रोजगार का सृजन करता है :

   (1) प्रत्यक्ष रूप में– उद्यमी कच्चे–माल को मँगाने एवं पक्के माल को बाजार तक पहुँचाने में अनेक यातायात के साधनों– सड़क, रेल, वायु एवं समुद्री मार्गो आदि का उपयोग करता है, जिससे रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं और अनेकानेक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है।

   (2) अप्रत्यक्ष रूप में– यातायात का कोई भी साधन उपयोग में लिया जाए उसको चलाने, उनकी साफ–सफाई, रख–रखाव एवं तकनीकी खामियों को दूर करने वालों को उद्यमी रोजगार प्रदान करता है।

   इस प्रकार उद्यमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री एवं माल को पहुँचाकर उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देता है। फलस्वरूप देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है जो समृद्धि का सूचक है।

2. **वित्त एवं बैंकिंग सेवाओं द्वारा रोजगार का सृजन**– वित 'व्यापार का आधार' एवं 'व्यवसाय का जीवन रक्त' है। इसका कारण यह है कि व्यावसायिक क्रियाओं के प्रारम्भ से लेकर संचालन तक वित्त की व्यवस्था होती रहती है। इसकी पूर्ति बैंक एवं वित्तीय कम्पनियाँ करती हैं। ऐसी दशा में ये कम्पनियाँ उनके स्वामियों के लिए स्व–रोजगार का माध्यम बन जाती हैं तो दूसरी ओर सेवा करने वाले अन्य व्यक्तियों, जैसे– एजेण्ट, रोकड़िया, लेखाकार, शाखा प्रबन्धक, संग्रहणकर्त्ता एवं सुरक्षाकर्मी आदि को भी रोजगार प्राप्त होता है।

   जहाँ तक उद्यमी की बैंकिंग द्वारा रोजगार सृजन करने की भूमिका का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बैंकों के माध्यम से जो भुगतान प्राप्त किया जाता है, के सम्बन्ध में की जाने वाली सेवाओं से भी रोजगार के साधन खुले हैं।

   इस प्रकार उद्यमी वित्त एवं बैंकिंग द्वारा स्व–रोजगार तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही लाखों शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करता है।

3. **बीमा सेवा द्वारा रोजगार का सृजन**– उद्यमी को माल को गोदामों में संग्रहित करके रखने एवं माल को यातायात के साधनों से लाने ले जाने में माल का नुकसान होने का भय रहता है। इसे सुरक्षा प्रदान करने में बीमा व्यवसाय भारी सेवा करता है। इसके अतिरिक्त अनेक उद्यमियों को बीमा उद्योग से जुड़ने का माध्यम भी है। जीवन बीमा व्यवसाय की भाँति सामान्य बीमा व्यवसाय एजेण्टों एवं विकास अधिकारियों

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

द्वारा किये गये कार्यो से ही उन्नति करता है। ऐसी दशा में स्वरोजगार के इच्छुक बीमा एजेण्ट्स के साथ अनेक कर्मचारी, लिपिक, कम्प्यूटर, ऑपरेटर आदि को भी रोजगार सुलभ कराते हैं।

4. **गोदाम एवं भण्डार सेवा द्वारा रोजगार का सृजन**– उत्पादकों द्वारा वृहत् स्तर पर उत्पादन किया जाता है और उपभोक्ताओं द्वारा धीरे–धीरे थोड़ी–थोड़ी मात्रा में उपयोग के लिए माल खरीदा जाता है। परिणामस्वरूप उत्पादित माल को संग्रहित करके रखना पड़ता है। ऐसी दशा में उद्यमी शीत–भण्डार में संग्रहित करने का काम करते हैं, इससे स्व–रोजगार का निर्माण तो होता ही है, साथ ही अन्य कर्मचारियों एवं माल पहुँचाने वालों को रोजगार मिलता है।

5. **संचार सेवा द्वारा रोजगार का सृजन**– संचार सेवाएँ व्यापारिक क्रियाओं को अधिक सुगम बनाती है। यह उद्यमी व उपभोक्ता के बीच की दूरी को कम करती है। कई बार सार्वजनिक क्षेत्र की डाक, तार, टेलीफोन तथा टेलेक्स आदि सेवाएँ जन–सामान्य और व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती है। ऐसी दशा में निजी क्षेत्र में इस प्रकार की अनेक सेवाएँ– जैसे– एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ., कोरियर, मोबाईल, इन्टरनेट, डिस्क एवं अन्य आदि प्रारम्भ की गई है। परिणामस्वरूप स्व–रोजगार तो उत्पन्न हुआ है, साथ ही अनेक युवक–युवतियों को भी रोजगार मिला है।

6. **विज्ञापन सेवा द्वारा रोजगार का सृजन**– विज्ञापन दूर–दूर तक फैले हुए ग्राहकों को वस्तुओं एवं सेवाओं की किस्म, प्राप्ति स्थान तथा कीमत आदि के बारे में जानकारी देता है। इसके लिए कई व्यक्तिगत एवं संस्थागत विज्ञापन एजेन्सी या स्तर पर व्यवसाय करते हैं। इसका संचालन करने हेतु कलाकार, डिजाइनर, ब्लॉक बनाने वाले, चित्रकार, स्केनर, विज्ञापन प्रतियाँ तैयार करने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, पोस्टर्स को दिखाने हेतु लाईटिंग करने वाले, लाउडस्पीकर से बोलने वाले एवं टी.वी. पर दिये जाने वाले कार्यक्रमों के प्रसारणकर्ता आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विज्ञापन सेवा द्वारा स्व–रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही सहायकों को भी रोजगार मिलता है।

7. **पैकेजिंग सेवाओं द्वारा रोजगार का सृजन**– पैकेजिंग वस्तु का कवज कन्टेनर या रेपर है, जिसमें वस्तु को रखा या लपेटा जाता है ताकि माल को उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुँचाया जा सके। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब पैकिंग सामग्री अच्छी हो, पैकिंग कर्मचारी कुशल हो एवं अच्छी परिवहन सुविधा हो। इस सम्बन्ध में उद्यमी स्वयं अपना कारोबार करते हैं और इसका संचालन करने के लिए अनेक कर्मचारी रखते हैं, जिससे उनको रोजगार मिलता है।

8. **स्कन्ध एवं उपज विपणि द्वारा रोजगार का सृजन**– व्यवसाय की सहायक क्रियाओं में स्कन्ध एवं उपज विपणि भी एक है। स्कन्ध विपणि में अंशों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को बेचकर धन की प्राप्ति की जाती है। किन्तु स्कन्ध का कार्य स्कन्ध विनिमय केन्द्र के सदस्य, अधिकृत लिपिक, प्रतिनिधि सदस्य, विपणि तेजडिये एवं मंदडिये ही कर सकते है। ऐसी दशा में कुछ उद्यमियों ने स्कन्ध विपणि का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, जिससे वे तो स्व–रोजगार पा चुके हैं और अपने कार्यालय के कार्य को करने के लिए अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जिससे उन्हें भी आजीविका का साधन मिल चुका है।

उपज विपणियाँ एक संगठित बाजार है, जहाँ कृषिजन्य वस्तुओं, खाद्यान्न तथा अन्य निर्मित एवं अर्द्ध–निर्मित वस्तुओं का क्रय–विक्रय होता है। इन कार्यो को करने में अनेक जोखिमें हैं जिन्हें उद्यमी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उठाने में माहिर होता है। फलस्वरूप वह बड़े–बड़े गोदाम रखता है, मौसम में उन वस्तुओं की खरीद करता है और बेमौसम में उन्हें बेच लेता है। इससे रोजगार का सृजन होता है।

9. **परामर्श सुविधाओं द्वारा रोजगार सृजन**– प्रत्येक व्यक्ति चाहे व्यवसायी हो या उद्योगपति या चाहे सामान्य व्यक्ति, सभी विषयों की न तो जानकारी रखता है और न ही वह उनका विशेषज्ञ होता है। इसलिए स्थान–स्थान पर अनेक परामर्श केन्द्र खुल गये हैं, जैसे– स्वास्थ्य केन्द्र, प्रबन्धन केन्द्र या संस्थान, अकादमी या केन्द्र, तकनीकी केन्द्र, व्यावसायिक एवं व्यावहारिक दक्षता केन्द्र, सामान्य बीमा परामर्श केन्द्र, विधि समस्या निदान केन्द्र तथा वैवाहिक समस्या निदान केन्द्र आदि। यही नहीं, समस्या का ऑन लाइन समाधान भी सहज होने लगा है। अतः इन परामर्श केन्द्रों के संचालक स्वरोजगार के लोभ में उद्यमी बनकर प्रत्यक्ष रूप से अच्छा खासा धन तो कमा ही रहे हैं, साथ ही इन केन्द्रों का संचालन एवं देखरेख के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उन्हें नियुक्त कर अनेक लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

10. **एजेण्ट्स की सेवाओं द्वारा रोजगार का सृजन**– आज व्यापारिक क्षेत्र इतना व्यापक एवं विस्तृत हो गया है कि एक व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है, कि वह स्वयं ही सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सके। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए कुछ उद्यमियों ने अपने यहाँ दलाल, आढ़तिये, नीलामकर्त्ता, एजेण्ट, परिशोधक, माल प्रेषक और आयात–निर्यात एजेण्ट आदि की सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। फलस्वरूप एजेण्ट्स ने अपने आपको तो स्व–रोजगार दे दिया, साथ ही अनेक कार्य करने वालों को भी रोजगार दिया है।

11. **स्थान–नियुक्ति केन्दों द्वारा रोजगार का सृजन** – चाहे देश हो या विदेश हो, अधिकांश शिक्षण, प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थायें अपने सम्बन्धित विषयों का अध्यापन कार्य कराकर दायित्व का निर्वाह कर लेती हैं। किन्तु उसका उपयोग तभी सम्भव है, जब उन्हें रोजगार मिले। ऐसी दशा में कुछ दूरगामी, तेज बुद्धि एवं जोखिम उठाने वाले उद्यमी स्थान नियुक्ति केन्द्र खोलकर काम को ढूँढ लेते हैं और अपने माध्यम से कई लोगों को रोजगार देते हैं।

    स्थान नियुक्ति केन्द्रों की रोजगार देने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वे सबसे पहले रोजगार तलाशने वाले युवकों एवं युवतियों से 150 से 300 रूपये तक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर उनका बायोडाटा अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, उनसे यह पूछते हैं कि वे कैसा एवं किस प्रकार का रोजगार पसन्द करेंगे, जिन उद्योगपतियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने इन केन्द्रों से सम्पर्क किया उन्हें रोजगार पाने वाले व्यक्तियों से मिला दिया जाता है, तत्पश्चात् स्थान–नियुक्ति केन्द्र का संचालक रजिस्टर्ड व्यक्ति से नौकरी मिल जाने पर एक माह का वेतन अथवा आधे माह का वेतन और पारिश्रमिक लेता है, इतना ही रूपया उन उद्योगपतियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से वसूल करता है। इन सबके परिणामस्वरूप स्थान–नियुक्ति केन्द्र के संचालक स्व–रोजगार के साधन हैं जो रोजगार का सृजन भी करते हैं।

12. **घटना या आयोजन प्रबन्ध द्वारा रोजगार का सृजन** – प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय–समय पर कुछ आयोजन करता रहता है, चाहे शादी हो, बच्चे का जन्म हो, बच्चे की शादी हो एवं स्वयं की शादी की रजत या स्वर्ण जयन्ती हो। इन्हें सफल बनाने के लिए विवाह स्थल सेना, टेन्ट लगवाना, खाना खिलाना (केटरिंग), मनोरंजन हेतु डांस पार्टी बुलाना एवं डी.जे. लगाना आदि किये जाने आवश्यक हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लेकिन ये सब कार्य कौन करें? इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि कुछ लोग या संगठन (उद्यमी) ऐसे देखे जा सकते हैं जो कुछ कमीशन अथवा शुलक या पारिश्रमिक लेकर आयोजन को बढ़िया ढ़ंग से सम्पन्न कर देते हैं। परिणामस्वरूप वे स्वयं के लिए स्व–रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं तो अन्य लोगों की सेवाएँ लेकर उन्हें भी रोजगार देते हैं।

13. **मनोरंजन उद्यमियों द्वारा रोजगार का सृजन** – आज के युग में अनेक प्रकार से मनोरंजन किया जा सकता है, जैसे– नृत्य, संगीत, गायन, मोनो एक्टिंग, कार्टून बनाना, कहानी–लेखन, गीत लेखन, संवाद लेखन, कविता–पाठन, विडियोग्राफी, विडियोगेम एवं फोटोग्राफी आदि। आज मनोरंजन एक बढ़ता हुआ उद्योग हो रहा है। इसलिए कुछ उद्यमी इनमें से अपनी रूचि एवं वित्त व्यवस्था के अनुसार जीवनयापन का साधन बना रहे हैं और कई लोगों की सेवायें लेकर उन्हें भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं।
14. **लेखाविधि एवं रिपोर्टिंग क्रियाओं द्वारा रोजगार का सृजन** – वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यावसायिक क्रियाओं का लेखांकन अनिवार्य है ताकि व्यवसाय के लाभ–हानि को ज्ञात किया जा सके। कुछ व्यक्ति लेखाविधि के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त कर विशेषज्ञ बन जाते हैं और स्वयं स्वतंत्र रूप से स्व–रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्देश्यों जैसे– परियोजना रिपोर्ट और साध्यता रिपोर्ट आदि, की पूर्ति के लिए व्यक्ति, अधिकारी एवं कार्यालय को रिपोर्ट की आवश्यकता होती हैं लेकिन यह एक कठिन कार्य है क्योंकि इसमें अनेक बातों का उल्लेख करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, उद्योग का विवरण, परियोजना की लागत, अवधि ऋण की गणना, वित्त के स्त्रोत, कार्यालय पूँजी की गणना, उत्पादन की लागत तथा तकनीकी साध्यता आदि। अतः इसके लिए रिपोर्ट देने की योग्यता, रूचि एवं गुण होना आवश्यक है। यदि ये बातें किसी व्यक्ति विशेष में हो तो उसके लिए अधिक रोजगार के अवसर होंगे।
15. **सुरक्षा एवं रक्षा सेवाओं द्वारा रोजगार का सृजन** – आज के औद्योगिकीकरण ने अनेक प्रकार की असुरक्षाएँ उत्पन्न की हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, उद्योगपति, संगठन एवं राष्ट्र, सुरक्षा अथवा संरक्षा चाहता है। वैसे तो सरकार विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सुरक्षा करती है, किन्तु उनका प्रयास कुछ हद तक ही सफल हुआ है। ऐसी दशा में निजी उद्यमियों ने इस प्रकार की सेवाएँ देना प्रारम्भ की है जिससे उन्हें एवं उनके सहकर्मियों को रोजगार मिला है।

    सुरक्षा के अतिरिक्त कुछ निजी क्षेत्रों में उद्यमी के रूप में सुरक्षा एजेन्सियाँ स्थापित की हैं। वे अपने यहाँ पूर्व सैनिक, गार्ड, चौकीदार, पहरेदार, चपरासी, लिपिक एवं प्रबन्धक की नियुक्ति करते हैं। ये एजेन्सियों के संचालक के आदेशानुसार कार्य करते हैं, फलस्वरूप सभी को रोजगार मिल जाता है।
16. **वितरण या विपणन सेवा केन्द्रों द्वारा रोजगार का सृजन** – देश में किसी भी प्रकार का उत्पादक, व्यापारी, उद्योगपति एवं उपभोक्ता हो, सभी अपने स्थल पर ही वस्तु या सेवा चाहता है। ऐसी दशा में उन वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण या विपणन विभिन्न सेवा केन्द्रों द्वारा किये जाने के फलस्वरूप उद्यमियों को रोजगार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अपने केन्द्रों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों, लिपिकों, वाहन चालकों एवं पैकिंगकर्त्ताओं को भी रोजगार मिल जाता है।

(III) आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने में उद्यमी की भूमिका
(Role of Entrepreneurs in Complimenting and Supplementing Economic Growth)

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

किसी भी राष्ट्र के तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उद्यमी अहम भूमिका निभाता है, विकास की प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखता है तथा निरन्तर चलने वाले व्यावसायिक उपक्रमों का सृजन करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार ''उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है क्योंकि वह जोखिम एवं अनिश्चतता का वाहन ही नहीं होता वरन एक प्रबन्धक, भविष्य दृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक तथा देश के आर्थिक ढाँचे का निर्माता भी होता है अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए एक ओर व उद्योग की आन्तरिक व्यवस्था पर पूरी निगाह रखता है, तो दूसरी ओर अपने प्रतिद्धन्द्धियों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान देता है।

प्रबन्ध विशेषज्ञ पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है।

इस प्रकार उद्यमी देश में आद्योगिकरण तथा सामाजिक आर्थिक नवीनता का सूत्रपात करता है, विकास की प्रक्रिया को निरन्तर बढ़ाता है तथा नवीन अवसरों एवं सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप सतत् नयी वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करता हैं तथा समृद्ध समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करता है।

आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने में उद्यमी की भूमिका को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **नवीन व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना** – उद्यमी केवल किसी एक व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना ही नहीं करता है, अपितु नये–नये उपक्रमों की स्थापना करने का प्रयास भी करता रहता है। इस सम्बन्ध में उद्यमी एक व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना करके उसे प्रबन्धकों को सौंप देते हैं फिर नये उपक्रम की स्थापना में जुट जाते हैं। इस प्रकार वे एक के बाद एक व्यावसायिक उपक्रमों की निरन्तर स्थापना करते रहते हैं, जैसे– भारत में बिड़ला, टाटा, धीरूभाई अम्बानी एवं उनके पुत्र आदि।
2. **आधुनिक व्यवसाय का आधार**– प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय चाहे व छोटे पैमाने अथवा बड़े पैमाने के हों, में कदम–कदम पर कुछ न कुछ जोखिमें एवं अनिश्चिताएँ सदैव बनी रहती हैं। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि ''व्यवसाय जोखिम का खेल है'' और ''व्यवसाय जोखिम से परिपूर्ण है।'' जब तक कोई व्यक्ति इन्हें उठाने को तैयार नहीं होगा, तब तक व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यह कार्य उद्यमी निभाता है क्योंकि वही कुशल एवं योग्य होता है, जो जोखिमों को उठाकर किसी व्यवसाय को प्रारम्भ कर सकता है।
3. **सम्पूर्ण उद्योग का नेतृत्वकर्त्ता** – उद्यमी केवल व्यावसायिक जोखिमों को ही वहन नहीं करता है, अपितु उद्योग का आर्थिक नियोजन, भविष्य–दृष्टा, नवीन उत्पादन विधियों का आविष्कारक, देश के आर्थिक ढाँचे का निर्माता एवं प्रतिद्वन्द्वियों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखने वाला होता है। इसलिए प्रो. मार्शल ने उद्यमी को 'उद्योग का कप्तान' कहा है।
4. **समाज के उत्पादन साधनों का संगठनकर्त्ता** – उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों, जैसे– श्रम, भूमि, पूँजी एवं सामग्री आदि को एकत्रित करता है, समुचित अनुपात में मिलाता है, उसमें प्रभावशाली समन्वय स्थापित करता है, गतिशील बनाता है एवं न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ एवं अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करता है यही नहीं, वह कच्चे एवं अर्द्ध–निर्मित माल के नये–नये उपयोगों की खोज करता है एवं नये आविष्कारों को मूर्तरूप भी देता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

5. **तीव्र आर्थिक विकास का सन्तुलन चक्र** – उद्यमी व्यावसायिक अवसरों की खोज करते हैं, उनका विदोहन करने के लिए नये–नये उद्योग स्थापित करते हैं, उपलब्ध साधनों का अधिकतम सदुपयोग करते हैं, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं, उत्पादन की नवीन तकनीकों को विकसित करते हैं और नवीन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार देश में औद्योगिक क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक विकास का सन्तुलन चक्र चलता रहता है।
6. **पूँजी निर्माण में सहायक** – उद्यमी पूँजी निर्माण में सहायक होता है। यह हम भली–भाँति जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि अत्यावश्यक है। जो राष्ट्र पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि नहीं कर पाते हैं या सीमित रूप में ही कर पाते हैं, वह औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े ही रहते हैं। उद्यमी अपनी क्रियाओं से पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करता है।
7. **आत्म–निर्भर समाज की स्थापना** – विकसित उद्यमी व्यावसायिक उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि करके, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही साथ निर्यात संवर्द्धन में भी योगदान देते हैं। परिणामस्वरूप रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि से व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बचत एवं पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, वस्तुओं के आयात में कमी होगी, जिससे एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना का स्वप्न साकार होगा।
8. **औद्योगिक वातावरण के सृजन में सहायक** – उद्यमी औद्योगिक वातावरण के सृजन में भी सहायक होते हैं। औद्योगिक उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना करके, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करके, जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का सामना करके तथा नवाचार क्रियायें करके ऐसे वातावरण का सृजन करते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों को भी उद्योगों की स्थापना की प्रेरणा मिलती है। परिणामस्वरूप एक उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का विकास होता है जिससे नवीन उद्योगों की स्थापना की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।
9. **क्षेत्रीय विशमताओं की समाप्ति में सहायक** – क्षेत्रीय विषमताएँ देश को कमजोर करती हैं और सम्पूर्ण औद्योगिक विकास में बाधक होती हैं। उद्यमी देश के पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना एवं संतुलित आर्थिक विकास जन्म लेता है, क्षेत्रीयता की भावनाएँ समान होने लगती हैं और सामाजिक स्तरों में एकरूपता आने लगती है। जेसे बिहार जैसे पिछड़े राज्य में उद्यमी उपक्रम लगाकर आर्थिक विकास में गति प्रदान कर रहे है।
10. **उद्यमिता प्रवृत्तियों का विकास** – उद्यमी के कारण लोगों में स्वतन्त्र जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने एवं कुछ प्राप्त करने की प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। उद्यमी से व्यक्तियों में रचनात्मक मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज में सक्रियता का संचार होता है और सुखी एवं सम्पन्न समाज की स्थापना की जा सकती है।
11. **विद्यमान व्यावसायिक उपक्रमों का विकास एवं विस्तार में सहायक** – उद्यमी न केवल नये–नये व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करते हैं अपितु विद्यमान उपक्रमों का विकास एवं विस्तार भी करते हैं। यह विकास एवं विस्तार का कार्य सभी क्षेत्रों, जैसे– उत्पाद की किस्म एवं मात्रा में सुधार, विद्यमान उत्पादन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण, नवीन वस्तुओं का उत्पादन, उत्पाद के विभिन्न उपयोगों की खोज, नये–नये बाजारों की खोज एवं विद्यमान बाजारों का विस्तार आदि में किया जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

12. **नयी उत्पादन तकनीक का विकास** – उद्यमी उत्पादन की विद्यमान तकनीकों से ही सन्तुष्ट नहीं रहता, अपितु वह उत्पादन की नई से नई तकनीकों का विकास करता है एवं उनका उपयोग करता है। वह उत्पादन के क्षेत्र में नवीन आविष्कारों एवं खोज का कार्य निरन्तर चालू रखता है। इन सबके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अच्छे से अच्छा उत्पादन निरन्तर प्राप्त होता रहता है। इससे उपभोक्ताओं के जीवन–स्तर में भी सुधार एवं वृद्धि होती रहती है।
13. **गरीबी उन्मूलन में सहायक** – उद्यमी द्वारा नवीन उद्योगों की स्थापना से लेकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाती है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और व्यक्ति गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलता है। इस प्रकार उद्यमी गरीबी का उन्मूलन करने और व्यक्तियों के जीवन–स्तर में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
14. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि** – उद्यम के विकास से देश में नये–नये उद्योग खुलते हैं, विद्यमान इकाइयों का विकास एवं विस्तार होता है, जिससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने लगता है। **रिब्सन** के मतानुसार, ''विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है।''
15. **आर्थिक–सामाजिक समस्याओं में कमी** – उद्यमी के विकास से देश के विभिन्न भागों में व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होंगे जिसमें शहरों में व्याप्त, आर्थिक, सामाजिक समस्याएँ कम होगी, जैसे– वर्ग संघर्ष, दूषित वातावरण, गन्दी बस्तियों का निर्माण, सामाजिक अपराध आदि।
16. **उपक्रम का संगठन एवं प्रबन्ध करना** – संगठन संरचना तैयार करने के लिए उद्यमी उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करता है, विभिन्न विभागों एवं कर्मचारियों में कार्यो का वितरण करता है तथा उन्हें आवश्यक अधिकार एवं दायित्व सौंपता है। उद्यमी कर्मचारियों के पारस्परिक सम्बन्ध को भी निश्चित करता है।

    उद्यमी उपक्रम के प्रबन्ध हेतु विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करता है। इनके अनुरूप उपक्रम की योजनाओं का निर्माण करता है तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। उसे समय–समय पर अनेक प्रबन्धकीय निर्णय भी लेने होते हैं। वह कर्मचारियों को आवश्यक निर्देशन प्रदान करके उनकी कार्य–रूचि, मनोबल व संगठन–निष्ठा को बनाये रखता है। वह उपक्रम व ब्राह्य वातावरण में उचित सामंजस्य बनाये रखता है। उद्यमी में प्रबन्ध कौशल का होना अत्यन्त आवश्यक है।
17. **वित्त प्राप्त करना** – उद्यमी को अपनी वित्तीय योजना के अनुसार विभिन्न स्त्रोतों से आवश्यक वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। उद्यमी उपक्रम की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करता है। वह विभिन्न स्त्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही उपयुक्त निर्णय लेता है। उद्यमी समय–समय पर अपनी वित्तीय योजना में परिवर्तन भी करता रहता है। उद्यमी आय के पुनर्विनियोजन, कोषों के निर्माण आदि के सम्बन्ध में भी निर्णय लेता है।
18. **कु□ाल विपणन व्यवस्था करना** – अन्तर्राष्ट्रीय बाजार व तीव्र प्रतियोगिता के परिवेश में वस्तुओं के प्रभावी विपणन की व्यवस्था करना उद्यमी का एक प्रमुख कार्य है। इसके लिए उद्यमी बाजार अनुसंधान, विक्रय पूर्वानुमान, विक्रय संवर्द्धन, विज्ञापन आदि कार्य करता है। वह कुशल मध्यस्थों एवं विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करता है तथा उनकी उचित प्रेरणा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

19. **पारिश्रमिक प्रदान करना** – उद्यमी इस कार्य के अन्तर्गत उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक प्रदान करता है। अन्य शब्दों में, यह उद्यमी का महत्वपूर्ण कार्य है जो उद्यमी की आय की उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित करने से सम्बन्धित है। प्रतिफल का वितरण बाजार एवं उद्योग की दशाओं, संसाधनों की सीमान्त उत्पादकता आदि अनेक तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

20. **जोखिम उठाना**– उद्यमी व्यवसाय में जोखिमों के साथ जीता है तथा व्यवसाय के संचालन एवं विकास की अनेक जोखिमों को वहन करता है। जोखिम के बिना व्यवसाय की कल्पना करना असम्भव है। व्यवसाय में पग–पग पर ज्ञात व अज्ञात जोखिमें बनी रहती हैं। उद्यमी कुछ जोखिमों का बीमा करवाकर उनसे मुक्त हो सकता है। किन्तु व्यवसाय में कई जोखिमों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होता है, जैसे– माँग, प्रतियोगिता मूल्य, प्रौद्योगिकी, फैशन, सरकारी नीति, सामाजिक मूल्य आदि में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न जोखिम, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं व व्यापार चक्रों से उत्पन्न जोखिम, नवप्रवर्तन के कारण जोखिम आदि। अतः उद्यमी का कार्य ज्ञात जोखिमों से सुरक्षित होना व अज्ञात जोखिमों को झेलना है। उद्यमी अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर व्यावहारिक जोखिमों का उचित प्रबन्ध कर सकता है।

21. **उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भाग लेना** – देश में उद्यमिता के विकास हेतु सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक एवं तकनीकी संगठनों, प्रबन्ध संस्थानों आदि द्वारा समय–समय पर विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विचार–गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। उद्यमी इन कार्यक्रमों में भाग लेता है। इनके माध्यम से उद्यमी को व्यावसायिक परिवर्तनों एवं नवीन विचारधारा की जानकारी होती है। विभिन्न समस्याओं पर विचार–विमर्श होने के कारण उद्यमी के ज्ञान में वृद्धि होती है।

22. **राश्ट्रीय विकास में योगदान देना** – उद्यमी समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए उसे भी समाज की श्रेष्ठ रचना में पूर्ण सहयोग देता है। समाज के भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम विदोहन करके, रोजगार व आय का सृजन करके, नवीन सन्तुष्टियों का सृजन करके तथा अपने सामाजिक दायित्वों का निग्रह करके उद्यमी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है। पीटर ड्रकर के शब्दों में, ''उद्यमी समाज के संसाधनों को घटती हुई अथवा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से बढ़ती हुई अथवा अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में हस्तान्तरित करके राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकता है।''

23. **व्यवसाय के भविश्य को सुरक्षित बनाना** – उद्यमी अपने उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए इसके सुनहरे भविष्य का निर्माण करता है। उद्यमी का वास्तविक कार्य उपक्रम के वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुरक्षित बनाना है। अतः उद्यमी को प्रत्येक योजना का निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। पीटर ड्रकर लिखते हैं कि ''किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में उद्यमी का विशिष्ट कार्य आज के व्यवसाय को इस योग्य बनाना है कि वह 'कल' का निर्माण कर सके। वह आज के विद्यमान व्यवसाय को जीवित रहने तथा भविष्य में सफल होने की सामर्थ्य प्रदान करता है।''

आज प्रत्येक देश में राष्ट्र के औद्योगिक विकास में अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं व फर्मो का योगदान होता है। सरकार भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में ''उद्यमी'' बनकर हाथ बँटाती है। अनेक वर्ग– पेशेवर संस्थाएँ, नियोजक वर्ग, प्रवर्तक, ठेकेदार, सरकार, प्रबन्धक, अंशधारी, संचालक आदि मिलकर ''उद्यमी'' के

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कार्यो को करते हैं। आज उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया इतनी जटिल, व्यापक एवं विशिष्ट हो गई है कि एक व्यक्ति के लिए उद्यमी के सभी कार्यो को कर पाना सम्भव नहीं रहा है। छोटे उपक्रमों में उद्यमी के सभी कार्य एक व्यक्ति स्वयं करता है। व्यवसाय का स्वामी ही पूँजी लगाता है, साधनों को एकत्रित करता है, जोखिम उठाता है, प्रबन्ध करता है तथा वह ही अनेक निर्णय लेता है। किन्तु संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों व आधुनिक निगमों में उद्यमी एक व्यक्ति नहीं, वरन्, अनेक व्यक्ति होते हैं।

ये पेशेवर उद्यमी साहस और दृढ़ता की अपेक्षा अपने मस्तिष्क पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। ये व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण के लिए कार्यविधि तथा टेक्नोलॉजी दोनों का प्रयोग करते हैं। पुरानी शैली का उद्यमी अपनी आजीविका कमाने के लिए कार्य करता था जबकि आधुनिक उद्यमी एक ऐसी कम्पनी एवं व्यवसाय के सृजन के लिए कार्य करता है जो विनियोगकर्ताओं एवं उद्यमी के लिए धन का सृजन कर सके। नये उद्यमी कई स्त्रोतों से प्रकट हो रहे हैं। कई उद्यमी निगमीय रास्ते से अलग हुए साहसी हैं, कुछ व्यक्ति उच्च स्थिति बनाने, शीघ्र मुद्रा अर्जित करने अथवा अपने निजी जीवन पर नियंत्रण की दृष्टि से उद्यमीय पथ पर अग्रसर हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण भी छोटी एवं बड़ी कम्पनियों में उद्यमीय भावना का विकास हुआ है तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने छोटे व्यवसायों को वृहत् व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बना दिया है। शिक्षा जगत ने भी ज्ञान का विस्तार करके नये पेशेवर उद्यमी वर्ग के उदय होने में योगदान दिया है। शिक्षा जगत अपने उद्यमीय पाठ्यक्रमों, साहसियों के अध्ययनों, वित्त–विपणन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उद्यमियों को तैयार करने में सहायता पहुँचाता है। परम्परागत उद्यमी छोटे–छोटे व्यवसायों की स्थापना करता था, वह मालिक, आत्मनिर्भर, गुप्त ढंग से कार्य करने वाला था जबकि नया उद्यमी वास्तविक रूप से साहसी है, वह नेतृत्व प्रदान करने वाला, खुले ढंग से कार्य करने वाला, जिज्ञासु, पूरे तंत्र के साथ जुड़कर चलने वाला तथा व्यावसायिक योजना को कार्यान्वित करने वाला होता है। पुराना उद्यमी आकस्मिक निर्णय लेता था, जबकि नया उद्यमी सामंजस्य कायम करने वाला तथा सबके विचारों पर गौर करने वाला होता है।

इस प्रकार उद्यमी किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने एवं सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

बोध प्र□न–

लघुत्तरात्मक प्र□न–

1. उद्यमी एक नवप्रवर्तक हैं? समझाइए।
2. किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में ''उद्यमी उत्प्रेरक तत्व है।'' समझाइये।
3. रोजगार के अवसरों के सृजन में उद्यमी की भूमिका बताइये।

निबन्धात्मक प्र□न–

1. किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में उद्यमी द्वारा निष्पादित विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए?
2. एक राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका का विवेचन कीजिए।
3. उद्यमी एक नवप्रवर्तक, रोजगार का सृजनकर्ता एवं आर्थिक विकास का संवाहक है?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय–द्वितीय

सामाजिक स्थिरता एवं उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका (Role of Entrepreneur in bringing Social Stability and Balanced Regional Development of Industries)

मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसका अन्तिम उद्देश्य सुखी समाज की रचना करता है। उद्यमी इसी समाज का एक अंग है, जो समाज में जन्म लेता है, समाज से प्रेरित होता है और समाज में विकसित होता है। इसलिए वह समाज–विशेष रूप से स्थानीय समाज के विकास के लिए अपनी भूमिका निर्वाह करता है। वह भौतिक एवं मानवीय साधनों का मितव्ययतापूर्वक सर्वोत्तम उपयोग करता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, समाज के विभिन्न वर्गो के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है और अन्य व्यक्तियों को भी साहसिक कार्यो को प्रारम्भ करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार उद्यमी समाज के अच्छे के लिए कार्य करता है। इस दिशा में उद्यमी की भूमिका का निम्नलिखित दो भागों में अध्ययन करते है –

(1) सामाजिक स्थिरता में उद्यमी की भूमिका –

(Role of Entrepreneur in bringing Social Stability)

उद्यमी लाभ अर्जन के लिए अथक प्रयास करता है। वह अपने अमूल्य संसाधनों के साथ विविधि प्रकार की जोखिम उठाता है। वह अनेक तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरने के बावजूद भी अपने नैतिक दायित्वों को नहीं भुलाता। वस्तुतः वह नीतिगत मूल्यों, आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों में एक उचित सन्तुलन बनाए रखता है। लाभ का ध्येय होने के बावजूद उद्यमी नीतिगत आचरण संहिताओं का पालन करता है। वह सभी प्रकार के कानूनों को मानता है। उसकी कार्यवाही व क्रियाएँ नीतिगत होती हैं, किसी प्रकार के शोषण पर आधारित नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक दबावों के बावजूद वह सामाजिक मूल्यों व सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहता है। उद्यमी सदैव इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि समाज के लिए क्या उपयोगी है तथा आम व्यक्ति के लिए क्या नीतिगत एवं श्रेष्ठ है। उद्यमी अपने कार्यो का निष्पादन मानवीय मूल्यों के संदर्भ में ही करते हैं।

समाज शास्त्रियों के अनुसार उद्यमीय व्यवहार विशिष्ट सामाजिक संस्कृति से प्रभावित होता है। उद्यमिता के विकास में सामाजिक कार्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विशेष योगदान रहा है। कोक्रेन के अनुसार उद्यमी समाज के आदर्श व्यक्तित्व को दर्शाता है तथा उद्यमी की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के निर्धारण में सामाजिक मूल्यों का बहुत महत्व होता है। अधिकांश देशों में उद्यमियों का आविर्भाव विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक समुदाय से ही हुआ है। हेगेन ने प्रतिपादित किया है कि उद्यमीय व्यवहार कुछ निश्चित समुदायों व जातियों से प्रभावित रहा है। पश्चिम में प्रोटेस्टेन्ट धर्म, जापान में समुराई, फ्रांस के परिवार प्रारूप तथा भारत में गुजराती व मारवाड़ी समुदायों ने उद्यमियों के विकास तथा उद्यमीय व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैक्स वेबर ने भी इस तथ्य को इंगित किया है कि उद्यमीय विकास एवं व्यवहार समाज की नीतगत मूल्य प्रणाली से प्रभावित रहा है। कुनकेल के शब्दों में, ''सामाजिक व्यवहार का प्रारूप ही उद्यमीय व्यवहार है।''

उद्यमीय व्यवहार के निम्नलिखित दो सामाजिक पहलू उल्लेखनीय हैं–

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

1. **समाज से सम्बद्ध होना**– आज प्रत्येक देश में सामाजिक परिवर्तनों एवं आर्थिक विकास की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के संदर्भ में स्व–लाभ के लए कार्य करने वाले उद्यमी की धारणा पूर्णतः अव्यावहारिक हो गई है। वर्तमान दशाएँ आज एक ऐसे उद्यमी की माँग करती हैं जो समाज के प्रति जागरूक हो तथा जो दूसरों की प्रगति से चिन्तित न हो। आधुनिक उद्यमी अपनी क्रियाओं के सामाजिक प्रभावों के प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहता हैं। उद्यमिता समाज में नये रोजगार, नई वस्तुएँ, नये व्यवसाय व जीवन के नये मूल्य व नये स्तर विकसित कर सकती है। ''सामाजिक–नवप्रवर्तन'' आधुनिक उद्यमी का प्रमुख कार्य है। विकासशील देशों में उद्यमिता एक सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार है, जो सामाजिक न कि वैयक्तिक लक्ष्यों पर आधारित होता है।

   उद्यमिता किसी भी राष्ट्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है। उद्यमी समाज के एक बड़े भाग के कल्याण हेतु कार्य करता है। उसकी परियोजनाएँ, नीतियाँ एवं निर्णय सामाजिक हित पर आधारित होते हैं। वह समाज में विकास की दशाओं का निर्माण करता है तथा सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बनता है। समाज में सम्बद्ध होकर उद्यमिता एक व्यक्तिक क्रिया नहीं, वरन् एक अर्थपूर्ण सामाजिक उद्यम का स्वरूप ग्रहण कर लेती है।

2. **सामाजिक संचेतना** – उद्यमी समाज से सम्बद्ध होता है, यही कारण है कि उसकी सामाजिक संचेतना अत्यन्त प्रबल होती है। वह आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए रोजगार एवं औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है तथा आर्थिक विकास की नई–नई योजनाओं को प्रारम्भ करता है। वह लाभदायक विनियोग करके न केवल सामाजिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग करता है, वरन् देश में पूँजी का सृजन करके आर्थिक व सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। कई बार स्व–केन्द्रित उद्यमी समाज में अवांछित गतिविधियों, जैसे– कालाबाजारी, संग्रह, कृत्रिम कमी, मूल्य वृद्धि, मुनाफाखोरी आदि में संलग्न हो जाते हैं। वास्तविक उद्यमी असामाजिक प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का उन्मूलन ही नहीं करता है, वरन् समाज में विकास के नये मार्ग, नये साधन भी निर्मित करता है।

   समाज में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एक सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्य करने वाले तो दूसरे नकारात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्य करने वाले। इन दोनों की प्रकृति एवं कार्यो को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि पहले प्रकार के व्यक्ति कुछ कर दिखाने वाले होते हैं जो स्वयं ही सुखी नहीं रहना चाहते हैं बल्कि दूसरों को भी सुखी एवं साधन सम्पन्न देखना चाहते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के व्यक्ति समाज में तोड़–फोड़ करते हैं, उथल–पुथल मचाते हैं, अशान्ति फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं तथा बात–बात में उग्र रूप लेते हैं जिसके अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। इसके लिए विपरीत उद्यमी व व्यक्ति होता है जो समाज में अच्छे परिणामों के साथ सामाजिक स्थिरता चाहता है। इसलिए वह निम्नलिखित भूमिका का निर्वाह करता है :

1. **आत्मनिर्भर समाज की स्थापना** – देश के उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता क्रान्ति से ही एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना की जा सकती है। इसलिए उद्यमी व्यावसायिक उपक्रमों के उत्पादन में वृद्धि करता है, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बचत एवं पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, निर्यात संवर्द्धन में योगदान देता है और वस्तुओं के आयात में कमी करता है। इन सबके परिणामस्वरूप देश में आत्मनिर्भर समाज की स्थापना का स्वप्न साकार होगा।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **समाज के नैतिक मूल्यों की स्थापना** – उद्यमी सामाजिक स्थिरता के लिए समाज के नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। इसलिए वह विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं एवं व्यावसायिक से जुड़े व्यक्तियों के आचरण में नैतिक मूल्यों, आदर्शो एवं प्रमापों को बनाये रखने पर बल देता है।
3. **सामाजिक विकास में योगदान** – उद्यमी समाज में विकसित होता है। इसलिए वह विशेष रूप से स्थानीय समाज के विकास के लिए कार्य करता है। वह भौतिक एवं मानवीय साधनों का मितव्ययितापूर्वक सर्वोत्तम उपयोग करता है। स्थानीय लोगों को रोजगार देता है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न पक्षकारों के प्रति सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी करता है।
4. **सामाजिक ढ़ाँचे में परिवर्तन** – उद्यमी नव–प्रवर्तन क्रियाओं द्वारा सामाजिक ढ़ाँचे में परिवर्तन करता है। इसी प्रकार वह नवीन वस्तुओं, नये बाजारों, नयी तकनीकों, नये साधनों एवं नये उद्योगों की स्थापना के द्वारा समाज को प्रगति पर भी ले जाता है।
5. **बुराइयों की समाप्ति** – खाली दिमाग शैतान का घर होता है। भूखे पेट कोई भी व्यक्ति बुरा कार्य कर सकता है, जैसे– चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, डाका, हत्या एवं कत्ल आदि। लेकिन उद्यमी नये उद्योग लगाकर, विद्यमान उद्योगों में उत्पादन कार्य बढ़ाकर, नई–नई वस्तुओं का उत्पादन कर एक ओर खाली दिमाग रहने से रोकता है, तो दूसरी ओर रोजगार देकर उनके जीवन स्तर में सुधार कर देता है। इनके सबके परिणामस्वरूप समाज में व्याप्त अनके बुराइयाँ समाप्त हो जाती है।
6. **सामाजिक समस्याओं में कमी** – उद्यमी की भूमिका से देश के विभिन्न भागों में व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होने से शहरों में व्याप्त अनेक सामाजिक समस्याएँ, जैसे– वर्ग संघर्ष, दूषित वातावरण, गन्दी बस्तियों का निर्माण एवं सामाजिक अपराध आदि कम होते है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ विकसित होने से दहेज प्रथा एवं मादक प्रवृत्तियाँ आदि समस्यायें भी कम होती है तथा व्यक्तियों का ध्यान बचत एवं पूँजी निर्माण की ओर आकर्षित होता है।
7. **रोजगार अवसरों में वृद्धि** – उद्यमी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। वह नवीन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं पुराने उपक्रमों का विस्तार करके रोजगार अवसरों को बढ़ाने में सहायक होता है।
8. **गरीबी दूर करना** – उद्यमी नये उत्पादनों का विकास करके नये उपक्रमों एवं बाजारों के विस्तार से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से समाज के बेरोजगारों को रोजगार के अधिकतम अवसर देता है। परिणामतः देश की गरीबी दूर होती है।
9. **उच्च जीवन–स्तर** – उद्यमियों ने नवीन तकनीक, नये उत्पादों एवं आविष्कारों द्वारा भौतिकवाद को जन्म दिया है। परिणामस्वरूप समाज के लोगों का रहन–सहन का स्तर ऊँचा हुआ है।
10. **सामाजिक परिवर्तन** – उद्यमी के प्रयासों से ही समाज में रचनात्मक परिवर्तन स्वीकार किये जाने लगे हैं, अन्धविश्वास एवं रूढ़िवादी परम्परायें समाज से समाप्त हो रही हैं और सामाजिक स्थिरता बढ़ती जा रही है।
11. **रोजगार का सृजन** – रोजगार का सृजन प्रत्येक देश, राज्य व समुदाय की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक होता है। उद्यमी नये–नये उपक्रमों की स्थापना करके असंख्य व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करता है। नये संगठन तेजी से कार्यो का सृजन करते जा रहे हैं, यद्यपि विश्व के बड़े एवं सुप्रसिद्ध वैश्विक निगमों का आकार छोटा होता रहा है। अब अमेरिका जैसे सुदृढ़ देशों ने भी बड़े आकार के निगमों

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

की अपेक्षा छोटे–छोटे अनेक नये उद्यमों के विकास पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया है ताकि कार्यों व रोजगार का सृजन हो सके। जापान की अर्थव्यवस्था छोटे–छोटे उद्यमों के जरिये विश्व की सबसे अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई है। अमेरिका में भी पाँच में से चार नये रोजगार का प्रारम्भ उद्यमिता के माध्यम से ही हो रहा है। वहाँ कुल नये कार्यों का 30 प्रतिशत हिस्सा ऐसी कम्पनियों द्वारा सृजित किया गया जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ''उद्यमिता रोजगार उत्पत्ति का वाहन है।

12. **नवाचारों को प्रोत्साहन** – उद्यमिता व्यवसाय में चिन्तन एवं सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। फलस्वरूप, व्यवसाय में नवीन उत्पादन विधियों, नये कच्चे माल, नये यंत्र, नयी टेक्नोलॉजी तथा नयी–नयी वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। साहसी अपने व्यवसाय में प्रबन्ध की नवीन तकनीकों का भी विकास करते हैं। वे 'बाजार अनुसंधान' के द्वारा नये बाजारों की खोज करते हैं तथा विक्रय एवं ग्राहक सन्तुष्टि के लिए नयी विधियों को अपनाते हैं। नवप्रवर्तन हेतु साहसी शोध एवं अनुसंधान पर भी बल देते हैं। पीटर ड्रकर का कथन है कि ''नवप्रवर्तन उद्यमिता का 'महानायक' है।
13. **साधनों का सर्वोत्तम उपयोग** – देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों, जैसे– प्राकृतिक सम्पदा, कच्ची सामग्री, खनिज, मानवीय कौशल आदि का सर्वोत्तम उपयोग साहसिकता के विकास से ही सम्भव है। उद्यमी अपने प्रबन्धकीय कौशल से अप्रयुक्त साधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।
14. **आर्थिक–सामाजिक समस्याओं की कमी** – उद्यमिता के विकास से व्यावसायिक प्रवृत्तियों व उद्योग–धन्धों को प्रोत्साहित करके आय, बचत एवं पूँजी–निर्माण में वृद्धि करता है। इससे अनेक आर्थिक–सामाजिक समस्याओं, जैसे– गरीबी, अशिक्षा, निम्न जीवन–स्तर, सामाजिक अपराध, दहेज प्रथा, महिला अत्याचार, बाल श्रमिक शोषण आदि के उन्मूलन में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, साहस के विकास से देश के विभिन्न भागों में उपक्रमों का फैलाव करके शहरों में व्याप्त समस्याओं, जेसे– प्रदूषित वातावरण, भीड़–भाड़, गंदी बस्तियाँ, वर्ग–संघर्ष आदि को भी कम किया जा सकता है।
15. **सामाजिक उत्तरदायित्व** – व्यवसाय में बढ़ रहे नवप्रवर्तन कार्यों के फलस्वरूप आज अनेक पुराने व्यवसाय नष्ट हो रहे हैं तथा उनका स्थान कम्प्यूटरों एवं नवीन टेक्नोलॉजी से संचालित उद्योग ग्रहण करते जा रहे हैं। शुम्पीटर ने इस स्थिति को 'रचनात्मक विनाश' कहा है। किन्तु, इस स्थिति ने समाज में रोजगार, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक व्यवस्था तथा राजकीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से एक 'सामाजिक खतरा' उत्पन्न कर दिया है। ड्रकर लिखते है कि ''आज उद्यमिता का विकास करना स्वयं व्यवसाय के हित में नहीं है, वरन् यह उसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व बन गया है।'' साहस के विकास से समाज में आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है।
16. **सामाजिक सन्तुश्टि (Social Satisfaction)**– आज विश्व के अनेक देशों में ''निजीकरण'' (Privatisation) की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। सरकार अपने अनेक उद्योग निजी उद्यमियों को संचालन हेतु सौंप रही है। साथ ही ''संयुक्त क्षेत्र'' की अवधारणा पर भी बल दिया जा रहा है। फलस्वरूप, निजी व्यावसायियों पर ''आधुनिक'', ''प्रगतिशील'' एवं ''अग्रवर्ती'' बने रहने तथा सामाजिक हितों एवं उपयोगिता

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

पर अधिक ध्यान देने का प्रमुख दायित्व उत्पन्न हो गया है। उद्यमी अपने कार्यो द्वारा ही नये मूल्यों, कार्यों व उपयोगिताओं का सृजन करके सामाजिक सन्तुष्टि में वृद्धि करता हैं।

17. **सामाजिक परिवर्तनों का उपकरण** – उद्यमिता सामाजिक परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। नवीन आविष्कारों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फलस्वरूप समाज में अन्धविश्वास कम होता है। साहस व्यक्ति के चिन्तन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। समाज कर्मठता एवं उद्यमशीलता के एक नये परिवेश में प्रवेश करता है। शिक्षा व ज्ञान प्रसार होता है। फलस्वरूप, समाज रूढ़ियों व घिसी–पीटी परम्पराओं से मुक्त होता है तथा समाज में एक नयी 'चेतनायुक्त संस्कृति' की स्थापना होती है। डोनाल्ड बी.ट्रो लिखते हैं कि ''उद्यमिता सामाजिक रूपान्तरण एवं ''साहसिक संस्कृति'' की स्थापना का महत्वपूर्ण आधार है।''

उद्योगों के संतुलित क्षेत्रीय विकास का अर्थ है कि देश के सभी प्रदेशों में एक समान उद्योगों का विकास किया जाये अथवा आर्थिक सरंचना एक समान की जाए। उद्योगों के प्रादेशिक संतुलन का उद्देश्य प्रादेशिक असमानताओं को समाप्त करना है ताकि पिछड़े प्रदेशों में दूर–दूर तक फैलाया जाए।

भारत में प्रदे□ाों में असंतुलित औद्योगिक विकास के कारण–

भारत में उद्योगों के क्षेत्रीय असन्तुलित विकास के अनेक कारण रहे हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित कहे जा सकते हैं :

1. हमारे देश में आधारभूत साधनों का वितरण असमान है। खनिज पदार्थ, शक्ति के साधनों का देश के सभी भागों में समान वितरण नहीं है।
2. हमारे देश में सहायक सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास भी सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हुआ है।
3. हमारे देश के विभिन्न राज्यों एवं स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व भी असमान है।
4. सरकार ने प्रारम्भ में औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने में सावधानी नहीं बरती थी। जिन राज्यों या स्थानों पर पहले से ही बहुत अधिक कारखाने थे, वहीं पर और कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेन्स जारी कर दिये गि।
5. भारत में कई प्रदेशों एवं स्थान की रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के कारण वहाँ उद्योगों का स्थानीयकरण नहीं हो सका।
6. हमारे देश में राजकीय उपक्रमों में स्थानीयकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया जाता रहा है। इससे भी उद्योगों के केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

उद्योगों के प्रादे□ाक सन्तुलित विकास के लिए प्रयास–

भारत सरकार ने उद्योगों के संतुलित विकास के लिए अनेक प्रयास किये हैं। प्रमुख प्रयासों का विवरण इस प्रकार है :

1. अविकसित क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ह्रास छूट एवं विनियोग छूट देने का प्रावधान किया है।
2. केन्द्रीय सरकार अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपदान या अनुदान दे रही है।
3. राज्य सरकारें भी अपने–अपने राज्यों में नये उद्योगों की स्थापना के लिए उपदान दे रही हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

4. केन्द्रीय सरकार कुछ क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिए यातायात उपदान दे रही है।
5. कई राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में नये उद्योगों को बिक्री कर में रियायतें दे रही है।
6. केन्द्रीय सरकार कुछ राज्यों में नये उद्योगों को कच्चा माल, मशीनें, उपकरण आदि के आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर रही है।
7. उद्योगों के अत्यधिक केन्द्रीयकरण वाले स्थानों से पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों के स्थानान्तरण पर विशेष प्रोत्साहन लाभ दे रही है।
8. कई राज्य सरकारें औद्योगिक बस्तियों का विकास कर पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही हैं।
9. कई पिछड़े स्थानों पर राज्य सरकारें उद्योगों को सस्ती दरों पर भू आवंटन कर रही हैं और उनके मूल्य को आसान किस्तों में वसूल करती हैं।
10. औद्योगिक वित्तीय संस्थाएँ पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को रियायती शर्तों पर वित्त उपलब्ध कर रही है।
11. वित्तीय संस्थाएँ पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले साहसियों को प्रशिक्षण दे रही है तथा उन्हें उद्योग की परियोजना रिपोर्ट बनाने में सहायता कर रही हैं।
12. पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अनेक सुविधाएँ दे रहा है। यह निगम लघु उद्योगों को किराया क्रय पद्धति पर मशीन भी उपलब्ध कर रहा है।

संतुलित प्रादेशिक औद्योगिक विकास में उद्यमियों की भूमिका–

उद्यमी निम्नांकित प्रयास करके देश में प्रादेशिक औद्योगिक संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं–

1. **प्रादेशिक संसाधनों का सदुपयोग करना**– प्रत्येक प्रदेश में कुछ न कुछ संसाधन अवश्य होते हैं। किसी प्रदेश में खनिज पदार्थ अधिक होते हैं तो किसी में वन अधिक होते हैं। कहीं जल की कमी होती है, तो कहीं रेगिस्तान होता है। उद्यमी को उन्हीं संसाधनों में नवाचार के अवसर खोजने चाहिये। उदाहरणार्थ, उद्यमियों ने राजस्थान के रेगिस्तान में तेल खोज लिया है, राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में संगमरमर खोज लिया है। प्रत्येक प्रदेश के संतुलित विकास के लिए उद्यमी ऐसा ही करके अपनी भूमिका को निभा सकते है।
2. **प्रादेशिक क्षमताओं के अवसर खोजना**– प्रत्येक प्रदेश के निवासियों में कोई न कोई विशेष बात होती है। किसी प्रदेश में पढ़े–लिखे लोग होते हैं, किसी प्रदेश में शारीरिक रूप से बलशाली लोग होते हैं, किसी अन्य प्रदेश में तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक हो सकते हैं, किसी प्रदेश में हस्तकला, नृत्यकला, संगीतकला में दक्ष व्यक्ति हो सकते हैं। उद्यमी इन लोगों की क्षमताओं में नवाचार के अवसर खोज सकते हैं।
3. **प्रादेशिक समस्याओं के समाधान खोजना**– प्रत्येक प्रदेश की अपनी–अपनी समस्याएँ होती हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण उसका विकास नहीं हो पाता है। उद्यमी उन समस्याओं को अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी प्रदेश परिवहन की समस्या हो सकती है, कहीं मीठे जल की समस्या हो सकती है, कहीं अतिवृष्टि की तो कहीं अनावृष्टि या अकाल की। उद्यमी इन स्थानीय समस्याओं में अपने

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कार्य या नवाचार का अवसर खोज सकते हैं और उन्हीं को अपनाकर अपना उपक्रम स्थापित कर सकते हैं।

4. **आधारभूत संरचना का विकास करना**– जिन प्रदेशों का विकास कम होता है, उनमें प्रायः आधारभूत संरचना का अभाव होता है। उद्यमी उस प्रदेश में आधारभूत संरचना का विकास करने का कार्य प्रारम्भ कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5. **संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करना**– कई पिड़े प्रदेशों की सरकारें निजी उद्यमियों के साथ मिलकर संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करने में रूचि लेती हैं। उद्यमी ऐसे अवसर का लाभ उठाकर सरकार के साथ मिलकर उपक्रम स्थापित कर उस प्रदेश के विकास में भूमिका निभा सकते हैं।
6. **राजकीय विकास योजनाओं में सहभागिता करना**– आधुनिक कल्याणकारी सरकारें पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक योजनाओं को लागू करती हैं। सरकार ऐसी कई योजनाओं में निजी उद्यमियों की भागीदारी भी चाहती है। उद्यमी ऐसे ही किन्हीं योजनाओं में भागीदारी कर उस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरणार्थ, महामहिम राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना देखा है और उन्होंने 'पुरा' की योजना प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के आधार पर अपनी 'पुरा' योजना बनाई है। सरकार द्वारा इस योजना को सरकारी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शहरी सुविधाएँ उपलब्ध होगी। फलतः ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन कम हो जायेगा और गाँवों में औद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा। उद्यमियों को इस सरकारी योजना में सहभागिता कर अविकसित प्रदेशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।

इस प्रकार ये कुछ तरीके हैं जिनसे उद्यमी असंतुलित रूप से विकसित प्रदे□ों के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

(2) उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका
(Role of Entrepreneur in Balanced Regional Development of Industires)

एक उद्यमी वह होता है जो नई आर्थिक क्रिया या उपक्रम की पहल करता है एवं उन्हें स्थापित करता है। अन्य शब्दों में, उद्यमी का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जो किसी नयी वस्तु या सेवा के विचार की कल्पना करता है और उस वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करने के लिए एक व्यवसाय की स्थापना हेतु पूँजी प्राप्ति के लिए किसी स्त्रोत की खोज करता है। इस प्रकार उद्यमी अवसरवादी होते हैं जो अवसरों का विदोहन करना अपना प्रथम कर्त्तव्य समझते हैं, चाहे ये अवसर किसी भी क्षेत्र एवं किसी भी प्रकार का उद्योग लगाने का मिल जाए। अतः उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका को इस प्रकार बताया जा सकता है :

1. **बाजार द□ाओं का ज्ञान** – एक उद्यमी को बाजार का पूरा–पूरा ज्ञान होता है, जैसे– कौन सी वस्तु का बाजार कहाँ अच्छा है, किस क्षेत्र में कौन–सी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाए, उस स्थान पर उत्पादित वस्तु की लागत कितनी आयेगी, उस क्षेत्र में श्रम एवं पूँजी की उपलब्धता किस हद तक पूरी की जा सकती है, उत्पादित वस्तु की मांग कितनी हो सकती है, एवं उनके प्रतियोगी बनने के लिए कौन–कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा आदि? इसलिए उद्यमी ऐसे क्षेत्रों में ही उद्योग स्थापित करता है, जहाँ अधिकांश बातें, उसको सकारात्मक परिणाम दे सके। जिससे उद्योगों का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास होता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

2. **सरकारी नीतियों एवं सुविधाओं का लाभ** – सरकार उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास करने को वचनबद्ध है। इसलिए वह अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाती है एवं अनेक प्रकार की सुविधाएँ भी देती हैं, जैसे– रियायती दर पर स्थान उपलब्ध कराना, आवंटित स्थान पर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, विभिन्न संसाधनों को सुगमता से प्रदान करना, कम ब्याज दर पर वित्त सुलभ कराना, करों में छूट देना, आधुनिक तकनीकें एवं मशीनों को किश्तों पर देना, उचित तथा अनुकूल विपणन संभव बनाना आदि। उद्यमी इन नीतियों के अनुसार कार्य करने एवं विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में आगे कदम रखते हैं। जिससे औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय सन्तुलन आता है।
3. **विभिन्न संसाधनों का उपयोग** – प्रकृति ने प्रत्येक देश एवं क्षेत्र को कोई न कोई निःशुल्क प्राकृतिक संसाधन प्रदान किया है। यह दूसरी बात है कि वह संसाधन एक स्थान पर प्रचुर मात्रा में हैं तो दूसरे स्थान पर कम। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में आर्थिक एवं भौतिक संसाधन भी पाये जाते हैं। इससे उद्यमियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे तो उद्यमी वृत्ति के होने के कारण उनका उपयोग कर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण करते हैं। फलस्वरूप उद्योगों का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास होता है।
4. **सामाजिक ढ़ाँचे में रचनात्मक परिवर्तन** – उद्यमी की भूमिका से सामाजिक ढ़ाँचे में कई रचनात्मक परिवर्तन आये हैं, जैसे– समाज उद्योग प्रधान बन गया है, अन्धविश्वासों में कमी आयी है, समाज की कई रूढ़िवादिताएँ एवं घिसी–पिटी परम्पराएँ समाप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप उद्यमी जोखिम उठाकर दूर–दराज क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में नहीं हिचकिचाते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास होता है।
5. **सम्पूर्ण क्षेत्रों में सक्रियता का संचार** – उद्यमी से देश के सभी क्षेत्रों में सक्रियता का संचार हुआ है। इसका कारण यह है कि वे एक ओर लोगों को स्वतंत्र जीने का अवसर देते है तो दूसरी ओर आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे समाज में कुछ कर दिखाने एवं प्राप्त करने की प्रवृत्तियाँ भी विकसित होने लगती है।
6. **विविधता का मूल्यांकन** – प्रकृति में विविधता है, किन्तु उसके तत्वों में एकरूपता देखी जा सकती है। उद्यमी इन विविधताओं का मूल्यांकन करके अपनी विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों, जैसे– प्रखर बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, दूरदर्शिता, निष्ठावान, साहस क्षमता, नवीन तकनीकों का ज्ञान, अवसरों के प्रति जागरूक और बाजार दशाओं का ज्ञान आदि का उपयोग कर समृद्धि के मार्ग को खोलते हैं। फलस्वरूप उद्योगों का समरूप विकास ही नहीं होता है, अपितु क्षेत्रीय असन्तुलन भी कम होता है।
7. **आत्मनिर्भर समाज की स्थापना** – उद्यमी आत्मनिर्भर समाज की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है एवं निर्यातों को बढ़ाया जाता है।
8. **भौगोलिक असमानताओं को दूर करने में सहायता** – उद्यमी भौगोलिक असमानताओं एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार भी पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए निजी उद्यमियों को आकर्षित करती है, उन्हें भूमि एवं पूँजी उपलब्ध कराती है। करों में छूट देती है तथा सब्सिडी भी प्रदान करती है। इन सबके परिणामस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता है।
9. **अवसरों का लाभ उठाना** – कोई भी उपक्रम सदैव ऐसे गतिशील वातावरण में कार्य करता है जिसमें अनेक जोखिमों, धमकियों व संकटों के साथ–साथ अनेक लाभ के अवसर भी उभरकर सामने आते हैं। उद्यमी अपनी व्यावसायिक योजना में ऐसे अवसरों का लाभ उठाना है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

10. **अनिश्चितता का सामना** – अनिश्चितता व्यवसाय के संचालन में न केवल बाधक होती है, वरन् कई बार यह उद्यमी के लिए आर्थिक संकट भी खड़ा कर देती है। अनिश्चितता के कारण जोखिम, अनिर्णय एवं बुरे प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। उद्यमी नियोजन के द्वारा व्यवसाय पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभावों को रोकना है। योजनाओं के द्वारा परिवर्तनों के बुरे प्रभावों को कम किया जाता है तथा अवसरों का लाभ उठाया जाता है।
11. **विकास पथ का निर्माण** – उद्यमी कुशल नियोजन के द्वारा विकास का मार्ग तैयार करता है। इसके द्वारा विकास होता है तथा उपक्रम का प्रबन्ध आसानी से किया जाता है। हेरोल्ड ब्लैंक लिखते हैं कि ''नियोजन हमें परिवर्तनों पर नियन्त्रण प्रदान करता है। यह हमारी आशाओं को संगठित एवं अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। नियोजन हमारे भीतर जो भी सर्वश्रेष्ठ है– हमारा श्रेष्ठ चिन्तन, हमारी श्रेष्ठ रूचियाँ एवं उद्देश्य– उसे बाहर लाने में सहायक होता है तथा हमारी अधिकतम तरक्की को प्राप्त करने का कुशल ढंग विकसित करने में यह हमारी सहायता करता है।''
12. **संसाधनों का निर्धारण** – एक व्यावसायिक योजना के द्वारा न केवल अवसरों को विकसित किया जा सकता है, वरन् अवसरों को लाभ में बदलने के लिए आवश्यक संसाधनों का भी निर्धारण किया जा सकता है। नियोजन में उद्यमी अपने वर्तमान संसाधनों का विश्लेषण करते हुए भावी संसाधनों की आवश्यकता पर भी विचार कर लेता है। उद्यमी मात्र सहायक तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधनों का भेद करते हुए योजना बना सकता है।
13. **क्रिया–पथ का निर्धारण**– उद्यमी कुशल नियोजन द्वारा अपने क्रिया–पथों का निर्माण कर लेता है ताकि सुनिश्चित ढंग से उपक्रम निर्माण अथवा व्यावसाय संचालन की कार्यवाही को आगे बढ़ा सके। सिरोपोलिस (Siropolis) लिखते हैं कि ''कई प्रकार से व्यावसायिक नियोजन का एक पथ–मानचित्र (Road Map) की भाँति है जो उद्यमियों को बतलाता है कि कैसे श्रेष्ठ ढंग से कहाँ पहुँचना है। आज के जटिल वातावरण में उद्यमी के लिए व्यावसायिक नियोजन को टाल पाना सम्भव नहीं है।''
14. **सफलता का आधार** – उद्यमी विचारपूर्वक व्यावसायिक योजना बनाता है। यह योजना केवल पूँजी एकत्रित करने में ही सहायक नहीं होती, वरन् व्यवसाय के संचालन में यह एक 'व्यूहरचनात्मक योजना' के रूप में भी कार्य करती है। इसमें भावी बाजारों, प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य ग्राहकों, विक्रय संगठन, संसाधनों आदि पर विचार किया जाता है। व्यावसायिक नियोजन अवसरों की खोज करने तथा मूल्य जोड़ने में भी सहायक होती है।
15. **विनियोगकर्ताओं का मार्गदर्शन** – उद्यमी द्वारा बनाई व्यावसायिक योजना से विनियोगकर्ता अथवा वित्तीय संस्थाएँ भी लाभान्वित होती हैं क्योंकि व्यावसायिक योजना उन्हें सूचना प्रदान करके उनके विनियोग एवं साख निर्णयों में मार्गदर्शन प्रदान करती है।
16. **उपक्रम के सम्पूर्ण जीवनकाल में सहायक** – सन्तुलित विकास के लिए उद्यमी द्वारा बनाई गई व्यावसायिक योजना के निर्माण की प्रक्रिया ही उद्यमियों को उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए बाध्य करती है। जिस क्षण से वे व्यवसाय में आने का निर्णय लेते हैं, व्यवसाय को प्रारम्भ करते हैं, से लेकर उन वर्षो तक जब वे सक्रिया रूप से व्यवसाय में संलग्न होते हैं, व्यावसायिक योजना उनके साथ रहकर उनका मार्गदर्शन करती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

17. **संयमित जोखिम लेने की प्रवृत्ति** – अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि साहसी चुनौतियों को पसन्द करते हैं, किन्तु वे अत्यधिक जोखिम नहीं लेते। वे ऐसे कार्यो अथवा निर्णयों में चुनौती का अनुभव करते हैं, जिनमें सफलता की थोड़ी सम्भावना होती है तथा जहाँ अपने प्रयासों से उन्हें सफलता मिलने की निश्चितता होती है। वे अत्यधिक सरल कार्यों को पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई चुनौती नहीं होती, किन्तु वे असम्भव कार्यो में भी अपने समय एवं ऊर्जा का अपव्यय नहीं करते हैं और पिछड़े क्षेत्रों में उपक्रम स्थापित करते हैं।

उद्यमी वस्तुतः कोई जुआरी नहीं होते। अतः वे ऐसी स्थितियों को पसन्द नहीं करते हैं जो पूर्णतया दैवयोग पर निर्भर करती हैं। उद्यमी अपने प्रयासों द्वारा घटनाओं व क्रियाओं को प्रभावित करने तथा फिर उपलब्धि के बोध का अनुभव करने में विश्वास करते हैं। वस्तुतः उद्यमी अल्प, संयमित एवं सुविचारित जोखिम उठाने में विश्वास रखते है।

18. **आर्थिक अवसरों पर नजर** – उद्यमी का व्यवहार अत्यन्त अवबोधनशील (Perceptive) होता है। वह बदलते हुए वातावरण में आर्थिक विदोहन के लिए व्यावसायिक अवसरों पर निरन्तर निगाह रखता है। वह चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखता है। उसके लिए परिस्थिति चाहे संकट ही हो या सामान्य, लेकिन उद्यमी सभी परिस्थितियों में लाभप्रद अवसरों की खोज जारी रखता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है।

19. **स्थिति वि□लेशण एवं नियोजन कार्यवाही** – उद्यमी स्थिति का गहन विश्लेषण करके उसके नकारात्मक पहलुओं को भी लाभ के अवसरों में बदलने का प्रयास करता हैं। वह प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, कठिनाईयों, संकटों आदि का सामना करने की पूर्ण व्यूहरचना बनाकर तैयार रखता है और सन्तुलित आर्थिक विकास में योगदान देता है।

उद्यमी अपने उपक्रम की क्रियाओं के नियोजन में अत्यधिक समय लगाते हैं। वे बाजार स्थिति का अध्ययन करने तथा विभिन्न व्यवसायों, उत्पादों, यंत्रों, प्रक्रियाओं टेक्नोलॉजी, वित्त आदि में लाभदायकता की सम्भावना को आँकने एवं उनकी तुलना करने पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। नियोजन के पहलू पर अधिक ध्यान देना उनके सामान्य जोखिम वहन के व्यवहार को दर्शाता है।

20. **संगठन निर्माण** – उद्यमी अपनी कल्पना शक्ति, मानसिक योग्यता तथा संसाधनों के एकत्रीकरण की क्षमता से उपक्रमों की स्थापना करके आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि करता है। वह नये–नये व्यवसायों को स्थापित करके सन्तुलित विकास का मार्ग तैयार करता है।

21. **सर्वोत्तम निश्पादन** – उद्यमी अपने कार्य के प्रमापों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करके सर्वोत्तम निष्पादन पर बल देता हैं। वह अपने कार्य की समीक्षा भी करता रहता है। वह कार्य को श्रेष्ठतापूर्वक पूर्ण करने तथा अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता है और इन्हें दूर करने का प्रयत्न करना है।

22. **नवप्रवर्तनता** – उद्यमी का व्यवहार सदैव नवप्रवर्तन एवं सृजनात्मकता से सम्बन्धित होता है। उद्यमी एक ''विचारवान व्यक्ति'' (Idea Man) होने के कारण वह सदैव नये विचारों, नयी प्रक्रिया व नवीन चीजों की तलाश करता है। वह ''परिवर्तनों का उत्प्रेरक'' तथा नये संयोजनों को चलाने की क्षमता रखता है। वह अनिश्चितताओं को झेलते हुए भी सदैव नये उत्पाद, नई उत्पादन प्रक्रिया तथा नये सुधारों की ओर ध्यान देता है। वह नवप्रवर्तन की दिशा में –

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(i) परिवर्तन का आनन्द लेता है।

(ii) नये विचारों के साथ प्रयोग करता है।

(iii) नये उत्पादों, नयी डिजाइन, नये रंगों का विकास करता है।

(iv) समस्याओं के नये समाधान खोजता है।

(v) नई टेक्नोलॉजी को स्थान देता है।

(vi) अपरम्परागत व्यवहार को महत्व देता है।

(Vii) मौलिकता का प्रदर्शन करता है।

(viii) असंरचित कार्य प्रक्रियाओं को अपनाता है।

23. **विवेकपूर्ण निर्णय**– उद्यमी सदैव विवकेपूर्ण निर्णय लेता है, संवेगात्मक (Emotional) निर्णय नहीं। वह पर्याप्त सूचनाओं, तथ्यों, आँकड़ों, विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं वैज्ञानिक विधियों के आधार पर निर्णय लेता है और विकास को गति प्रदान करता है।

24. **आधारभूत सुविधाएँ** – उद्यमी सरकार द्वारा प्रदान किये गये आधारभूत साधन, जैसे– औद्योगिक बस्तियों का निर्माण, कच्चे माल तथा शक्ति के साधनों की आपूर्ति, परिवहन एवं संचार सुविधाएँ, बीमा तथा वित्तीय सेवाएँ आदि का प्रयोग कर विकास को गति देता है।

25. **सहायक संस्थान** – उद्यमिता के विकास के लिए सरकार अनेक प्रकार के सहायक संस्थानों, एजेन्सियों व संगठनों की स्थापना करती है। इनका कार्य साहसियों को निर्यात, तकनीकी प्रबन्ध, प्रशिक्षण, विपणन, आधुनिकीकरण, कच्चा माल यंत्र आदि के सम्बन्ध में सहायता प्रदान होती है। ये संस्थान अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक परामर्श, यंत्र डिजाइनिंग, उत्पाद विकास, सर्वेक्षण, परियोजना विकास आदि के बारे में भी अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये संस्थाएँ साहस के विकास के लिए अनेक योजनाएँ आयोजित करती हैं। उद्यमी इनका लाभ उठाता है।

26. **प्रशिक्षण सुविधाएँ** – प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्तियों में साहसी योग्यताओं व क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। कई संस्थाओं द्वारा विचारों के आदान–प्रदान हेतु सम्मेलनों एवं विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय साहस एवं लघु व्यापार विकास संस्थान प्रशिक्षण के अनेक पाठ्यक्रम संचालित करता है। सफल उद्यमी से प्रेरणा पाकर अन्य व्यक्ति प्रशिक्षण द्वारा उद्यमिता की वृद्धि कर उपक्रम स्थापित करते हैं।

27. **बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की भूमिका** – बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ भी रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराके, उद्यमियों की परियोजनाओं का शीघ्र अनुमोदन करके, शोध एवं अनुसंधान के लिए ऋण सुविधाएँ प्रदान करके साहसवादिता को प्रोत्साहित करती हैं। इनके अतिरिक्त, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ रूग्ण इकाइयों को विशेष ऋण सुविधा, पुनर्वित्त एवं आवश्यक परामर्श प्रदान करके भी साहस के विकास में योगदान देती हैं।

28. **बड़े साहसियों का दृश्टिकोण** – विद्यमान बड़े साहसियों का छोटे साहसियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी लघु साहसियों को प्रोत्साहित करता है। बड़े साहसी छोटे साहसियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ– मशीनें, यंत्र, कच्चा माल, भवन, वित्त, पमरार्श, प्रबन्ध सेवाएँ आदि उपलब्ध करवाकर प्रोत्साहन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

देते हैं। लघु साहसियों की वस्तुओं को खरीदकर विपणन में सहायता देते हैं। यह सहयोगी दृष्टिकोण साहसी के विकास में सहायक होता है।

29. **नियम व कानून** – सरकार व्यवसाय के लिए व्यावहारिक एवं लाभप्रद कानूनों व नियमों का निर्माण करके औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा देती है। कानूनों के द्वारा साहसियों को उनके व्यवसाय, धन–सम्पदा एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उद्योगों में शान्ति एवं व्यवस्था कायम की जाती है तथा उद्योग स्थापना के नियमों को प्रभावी बनाया जाता है। इस प्रकार साहस के विकास हेतु वैधानिक वातावरण तैयार किया जाता है।
30. **सरकारी नीतियाँ एवं प्रेरणाएँ** – सरकार उद्योगों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रगतिशील नीतियों, जैसे– औद्योगिक नीति, लाईसेंस नीति, कर नीति, आयात–निर्यात नीति, वित्त नीति आदि का निर्माण करके साहस के विकास को प्रोत्साहित करती है। सरकार इन नीतियों के माध्यम से उद्योगों के बारे में अपने दृष्टिकोण, दी जाने वाली प्रेरणाओं एवं सुविधाओं को स्पष्ट करके साहसियों को आकर्षित करती है। सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा गाँवों के लिए विशेष छूटों व सहायता की घोषणा करके साहसियों को प्रोत्साहित करती है।
31. **तकनीकी विकास** – देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक क्रियाओं, तकनीकी अनुसंधान आदि का भी उद्यमिता के विकास में योगदान होता है, नवीन तकनीकों की उत्पादन प्रणालियों से ही नयी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तकनीकी शोध एवं नवीन उत्पादन प्रक्रियाओं से ही नयी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तकनीकी शोध से उत्पादन प्रक्रियाओं को मितव्ययी बनाया जाता है। इनका प्रभाव अन्ततोगत्वा साहसियों के विकास पर ही पड़ता है। सरकार तकनीकी विकास के स्तर पर ध्यान देकर साहसियों के विकास को बढ़ावा देती है।
32. **राजनैतिक एवं प्र□ासनिक प्रणाली** – देश के राजनैतिक ढाँचे, प्रशासनिक चिन्तन, नौकरशाही, सरकारी मशीनरी, राजनेताओं की विचारधारा आदि का भी व्यक्तियों की उद्यमशीलता पर गहरा प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, सुस्त प्रशासनिक मशीनरी से साहसियों के विकास में बाधा पहुँचती है तथा उनकी सृजनात्मक क्षमता कुंठित हो जाती है।
33. **साहस अभिमुखी □िक्षा पद्धति** – शिक्षण संस्थाओं के द्वारा नवयुवकों में साहसी प्रवृत्तियों का विकास किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रबन्ध संस्थान आदि के द्वारा विभिन्न व्यावसायिक एवं उद्यम अभिमुखी पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में उपक्रमों की स्थापना, परियोजना विकास, उपक्रम प्रबन्ध, उद्यमशीलता आदि के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान की जाती है।
34. **भाोध एवं साहित्य**– उद्यमिता के विकास में अनेक शोध संस्थाओं का भी योगदान होता है। साहस से सम्बन्धित समस्याओं पर शोध होने तथा उनका प्रकाशन होते रहने से देश में साहसियों का विकास होता है। साहसी साहित्य एवं अनुसंधान से साहसियों को उपक्रम स्थापना में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इससे युवा पीढ़ी साहसिक कार्यों की ओर आकर्षित होती है।
35. **साहसियों की पहचान हेतु पद्धति**– प्रत्येक समाज में साहस की सम्भावना विद्यमान रहती है। जो समाज अपनी युवा पीढ़ी की साहसी योग्यताओं एवं क्षमताओं को पहचान कर इसे सृजनात्मक कार्यों में

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

लगाता है, उस समाज में साहसियों का जागरण सम्भव होता है। अतः उद्यमिता का विकास भाव उद्यमियों की पहचान हेतु विकसित पद्धति पर भी निर्भर करता है। हमारे देश में मुख्य रूप से जिला उद्योग केन्द्र उद्यमियों की पहचान एवं विकास का कार्य करते हैं।

इस प्रकार उद्यमिता के विकास, सरकारी योजनाओं के प्रोत्साहन, विभिन्न अवसरों में जोखिम की विधमाणिता आदि का उपयोग कर उद्यमी सन्तुलित आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

बोध प्र□न–

लघुत्तरात्मक प्र□न–

1. उद्योगों के संतुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका बताइये।
2. उद्यमी सामाजिक परिवर्तनों का संवाहक है? समझाइये।
3. सामाजिक स्थिरता में उद्यमी की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

निबन्धात्मक प्र□न–

1. देश की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित एवं सहयोग करने में एक उद्यमी की कौनसी भूमिकाएँ होती है? संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. देश की सामाजिक स्थिरता एवं उद्योगों के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास में उद्यमी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

अध्याय–तृतीय

निर्यात संवर्द्धन में उद्यमी की भूमिका (Role of Enterpreneures in Export Promotion)

मनुष्य की आवश्यकताएँ असंख्य भी है और अनन्त भी। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई राष्ट्र केवल अपने संसाधनों पर आश्रित नहीं रह सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ उपलब्ध कच्चे माल, श्रम, तकनीक, मानव शक्ति एवं ऊर्जा के स्त्रोत के सहारे कुछ वस्तुओं का तो स्वयं उत्पादन करता है तो कुछ अन्य वस्तुओं के लिए देश आयात पर निर्भर रहता है।

प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक वस्तु का निर्माण कर सकता है, पर साधनों की उपलब्धतता के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र की उत्पादन लागत भिन्न हो जाती है। क्योंकि वस्तु उत्पादन हेतु कुछ साधनों जैसे– कच्चा माल, श्रम तकनीक आदि जो उस राष्ट्र में उपलब्ध नहीं है के आयात से लागत बढ़ जाती है। वस्तुओं की उत्पादन लागत के प्रत्येक राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से भिन्न होती है। प्रत्येक राष्ट्र की अलग–अलग उत्पादन लागत के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सिद्धान्त का प्रादुर्भाव हुआ है जिसके तहत प्रत्येक राष्ट्र वही वस्तु बनाता है जिसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत कम होती है। प्रत्येक राष्ट्र का निर्यात–आयात का क्रम तुलनात्मक लागत सिद्धान्त से ही प्रेरित रहता है।

विदेशी बाजारों में बिक्री को बढ़ाने हेतु किये जाने वाले विशिष्ट प्रयासों, प्रेरणाओं एवं सहायताओं का निर्यात संवर्द्धन/निर्यात वृद्धि/निर्यात प्रवर्तन कहते हैं। अन्य शब्दों में निर्यात संवर्द्धन का अभिप्राय उन समस्त सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयत्नों से है जो देश के निर्यातों में वृद्धि के उद्‌देश्य से किये जाते हैं।

निर्यात संवर्द्धन में वे सभी उपाय, विधियाँ, कार्य तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयास शामिल होते हैं जिनके द्वारा देश का निर्यात व्यापार बढ़ता है। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं तथा नीति एवं योजनाएँ बनाई हैं। उद्यमी इनका लाभ उठाते हुए निर्यात संवर्द्धन के लिए निरन्तर प्रयास करते हैं। वे व्यापार समझौतों, मेलों व प्रदर्शनियों में सहभागिता, विदेशी बाजारों की खोज आदि के द्वारा निर्यात बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

आधुनिक युग में निर्यात संवर्द्धन प्रत्येक देश की अनिवार्य आवश्यकता बन गयी है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्णरूप से आत्मनिर्भर हो और निर्यात नहीं बढ़ाना चाहता हो। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जहाँ अनेक समस्याएँ हैं। ऐसी दशा में निर्यात निम्नलिखित कारणों से भी निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता बढ़ गयी है :

1. व्यापार शेष की प्रतिकूलता को समाप्त कर अनुकूलता लाने के लिए।
2. औद्योगिक विकास के लिए।
3. विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करने के लिए।
4. व्यापार ढ़ाँचे को सुदृढ़ करने हेतु परम्परागत वस्तुओं का निर्यात के स्थान पर नई–नई वस्तुओं की खोज करने के लिए।
5. विदेशी मुद्रा की पूर्ति के लिए।
6. देश में औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास की तेज वृद्धि द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए।
7. सामरिक दृष्टिकोण से भी निर्यात संवर्द्धन अनिवार्य हो जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

8. देश का नियोजित आर्थिक विकास करने के लिए।
9. आर्थिक विकास हेतु सामान का आयात करने के लिए।
10. औद्योगीकरण की गति तेज करने के लिए।
11. रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए।
12. राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए।
13. विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए।
14. विदेशी व्यापार ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए।
15. विदेशों में नये बाजार खोजने के लिए।
16. आयातों का अन्तिम भुगतान निर्यातों द्वारा करने के लिए।
17. देश की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए।
18. भुगतान सन्तुलन के साम्य को बनाये रखने के लिए।
19. मानवीय आधार पर दुनिया के विपन्न देशों की आवश्यकता पूर्ति के लिए।
20. औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल का आयात करने के लिए।
21. राजनीति उद्देश्यों की पूर्ति एवं अन्य देशों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए।
22. अर्द्ध–विकसित देशों में उचित विकास के अवसर उत्पन्न करने के लिए।
23. देश के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए।
24. सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए।
25. देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों व अन्ततः विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने के लिए।

निर्यात के सम्बन्ध में उद्यमीय निर्णय (Entrepreneurial Decisions in Relation to Exporting)–

उद्यमी की अपने देश के निर्यातों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों से निर्याता की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। उसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार है–

1. **प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात सम्बन्धी निर्णय**– उद्यमी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने का निर्णय ले सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्यात में उद्यमी सीधे विदेशी क्रेताओं को माल बेचने हैं। प्रत्यक्ष निर्यात में उद्यमी को विदेशी बाजारों का चयन करना, विदेशी ग्राहकों के साथ अनुबन्ध करना, माल को जहाजों से भिजवाने की व्यवस्था करना, आवश्यक प्रलेख भिजवाने एवं भुगतान प्राप्त करने का प्रबन्ध करना आदि निर्णय विचारपूर्वक लेने होते हैं। प्रत्यक्ष निर्यात में उद्यमी का वस्तु पर सीधा नियन्त्रण होता है, जब तक यह ग्राहक तक नहीं पहुँच जाती। प्रत्यक्ष निर्यात घरेलू बाजार में माल बेचने जैसा ही है, मुख्य अन्तर यातायात के रूप में जहाजों द्वारा माल भिजवाना हैं। प्रत्यक्ष निर्यात दशा में माल का पैकिंग करना, माल को समुद्री बन्दरगाह तक पहुँचाना, गन्तव्य पर माल को जहाज से उतरवाना एवं उपभोक्ता या व्यापारी तक पहुँचाना आदि अतिरिक्त कार्य भी करने होते हैं।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उद्यमी अप्रत्यक्ष निर्यात का निर्णय भी ले सकते हैं। अप्रत्यक्ष निर्यात विशेषज्ञ मध्यस्थों के माध्यम से किया जाता है। इसमें उद्यमी का विदेशी व्यवसायियों से सौदेबाजी व वार्तालाप करने तथा वैधानिक सौदे करने का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। अप्रत्यक्ष निर्यात कमीशन एजेन्टों, निर्यात प्रबन्ध कम्पनियों अथवा निर्यात व्यापार कम्पनियों द्वारा किया जाता है। जापानी माल का 60 प्रतिशत व्यवसाय निर्यात व्यापार कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

2. **'क्या निर्यात किया जाये' सम्बन्धी निर्णय**– उद्यमी को यह निर्णय भी लेना होता है कि कौनसी वस्तुएँ निर्यात की जाएँ। कई वस्तुएँ निर्यात–योग्य नहीं होती। उदाहरण के लिए, जो वस्तुएँ विदेशों में ही पर्याप्त मात्रा में बनती हो अथवा जिनकी उत्पादन लागत विदेशों में ही बहुत कम हो अथवा जिनके व्यापार पर प्रतिबन्ध लगे हों, वे निर्यात योग्य नहीं होती हैं। उत्पादों की प्रकृति स्वयं यह निर्धारित कर देती है कि निर्यात कहाँ तक सफल होगा। उद्यमी विदेशी बाजार अनुसंधान करके यह जान सकता है कि किस वस्तु का निर्यात करना लाभप्रद होगा। उसे विदेशी ग्राहकों व उपभोक्ताओं की रूचियों, पसन्द व आवश्यकताओं का भी पता लगाना होता है। उद्यमी को निर्यात किये जाने वाले माल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का भी पता चलाना होता है।

3. **'कहाँ निर्यात किया जाए' सम्बन्धी निर्णय**– उद्यमी को यह जानने के लिए कि कहाँ निर्यात किया जाए, विभिन्न देशों व बाजारों का अध्ययन करना होता है। राष्ट्रों के सम्बन्ध में सूचनाएँ 'निर्यात डायरेक्टरीज' वाणिजय परिषद् अथवा सरकारों के विदेशी व्यापार विभाग से प्राप्त की जा सकती हैं। उद्यमी को निर्यात किये जाने वाले देश का चयन करने के लिए विभिन्न देशों की परम्पराओं, रीति–रिवाजों, उपभोग प्रारूपों आदि का भी अध्ययन करना होता है। एक क्षेत्र सफलतापूर्वक माल बेचने में कामयाब होने पर ही अगले क्षेत्र का चयन किया जाना चाहिए। नये निर्यातक उद्यमी को पहले उन देशों में अपने निर्यात बढ़ाने चाहिए जिनकी संस्कृति एवं रीति–रिवाज उसके देश से अधिक मिलते हों। उदाहरण के लिए, भारत के उद्यमियों को सर्वप्रथम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर आदि देशों में अपने निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

4. **निर्यात वितरण श्रृंखला के चयन के सम्बन्ध में निर्णय**– प्रत्यक्ष निर्यात के सम्बन्ध में उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों तक पहुँचने के लिए वितरण श्रृंखला का चयन करना हैं। एक उद्यमी का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसी श्रेष्ठ वितरण श्रृंखला का निर्धारण करके विदेशी ग्राहकों को माल बेचने के लिए वार्तालाप करना है। उपभोक्ताओं को सीधा माल बेचने के लिए अतिरिक्त उद्यमी निम्नलिखित तीन वितरण श्रृंखला का भी उपयोग कर सकता है –

(i) **विदे□ी एजेन्ट**– विदेशी एजेन्ट ऐसे देशों के नागरिक होते हैं जहाँ माल का निर्यात किया जाना है। ऐसे एजेन्ट माल आयात करने का वैधानिक अधिकार रखते हैं। उद्यमी इनके माध्यम से अपने माल का निर्यात कर सकते हैं।

(ii) **वितरक**– विदेशी वितरक ऐसा व्यापारी अथवा थोक व्यापारी होता है जो घरेलू निर्याताकों से सीधा माल खरीदता है तथा माल का पुनर्विक्रय करता है। यह विदेशों में समस्त आवश्यक सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराता है। विदेशी एजेन्ट की तरह, वितरक किसी भी निर्यातक उद्यमी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वितरकों का चयन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(iii) **विदे□ी फुटकर व्यापारी**– निर्यातक उद्यमी अपना माल सीधा विदेशी फुटकर व्यापारियों को भी बेच सकता है जो अपने भण्डारों के माध्यम से माल का पुनर्विक्रय करते हैं। यह विधि ऐसे उद्यमियों के लिए अधिक आकर्षक होती है जिनके उत्पाद अनोखे होते हैं। विदेशी फुटकर व्यापारियों को सीधे माल बेचने के लिए उद्यमियों को अनुबन्ध वार्तालाप करने होते हैं, वस्तुओं के यातायात सम्बन्धी कार्य करने होते हैं तथा वित्तीय सौदों की व्यवस्था करनी होती है।

(iv) **अन्तिम उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष विक्रय**– निर्यात व्यवसाय का अधिकांश भाग घरेलू कम्पनियों तथा विदेशी ग्राहकों के मध्य चलता हैं।

निर्यात संवर्द्धन में उद्यमी की भूमिका निम्नलिखित है –

1. **विदे□ी बाजार अनुसंधान**– विदेशों में बाजार अनुसंधान करके उद्यमी विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं, रूचियों, माँग, प्रचलित फैशन आदि का पता कर सकता है तथा उसी के अनुरूप माल निर्यात करने की योजना बना सकता है। इससे विदेशी ग्राहकों को अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान की जा सकती है।
2. **बाजार विस्तार**– उद्यमी विदेशों में भारतीय वस्तुओं के बाजारों को विस्तृत बनाकर निर्यातों को बढ़ा सकते हैं। इस हेतु नई–नई वस्तुओं की माँग का सृजन करना होता है।
3. **श्रेश्ठ किस्म की वस्तुएँ**– उद्यमी नवीन टेक्नोलॉजी, नये यंत्रों व मशीनों का प्रयोग करके, उत्पादन की श्रेष्ठ विधियों का प्रयोग करके उत्पादों की किस्म में सुधार कर सकता है। श्रेष्ठ किस्म के कारण ऐसे माल की माँग अधिक होती है तथा निर्यातों में वृद्धि सम्भव हो जाती है।
4. **गैर मूल्य प्रतियोगिता**– उद्यमी विदेशी फर्मो से माल की गुणवत्ता, उपयोग, डिजाइन, किस्म, नवीन तत्व, आकर्षक उपहार आदि के आधार पर अपनी प्रतियोगी शक्ति को सुदृढ़ करके निर्यातों में वृद्धि कर सकते हैं।
5. **लागतों में कमी**– वस्तु की बिक्री में उत्पादन लागत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्यमी लागतों में कमी के नये–नये तरीके अपनाकर वस्तु को विदेशी माल की तुलना में निर्यात योग्य बनाता है। इस हेतु उसे अनुसंधान एवं अध्ययनों पर विशेष ध्यान देते है। उद्यमी को वस्तु के मूल्यों में कमी के प्रयास करता है।
6. **नवकरण**– उद्यमी नये–नये उत्पादों का निर्माण करके, गुणवत्ता व वस्तु की डिजाइन में सुधार करके, उत्पादन की नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाकर विदेशी बाजारों में अपनी वस्तुओं की माँग उत्पन्न कर सकता है। उद्यमी अपनी विपणन विधि, प्रचार–प्रसार के तरीकों तथा विक्रय व्यूहरचना में भी नये सुधार करके विदेशी बाजारों में माल बिक्री की सम्भावनाओं को ऊँचा उठा सकता है।
7. **व्यापार प्रचार**– उद्यमी को विज्ञापन, प्रचार व विक्रय व्यूहरचना के नवीन तरीकों पर ध्यान देता है। विक्रय संवर्द्धन पर विशेष ध्यान देकर वह निर्यातों को प्रोत्साहित करता है।
8. **श्रेश्ठ औद्योगिक वातावरण**– उत्पादन बाधाओं से न केवल माल की कमी उत्पन्न हो जाती है, वरन् इससे ग्राहकों का विश्वास भी डगमगा जाता है। अतः श्रम अशांति, कच्चे माल की कमी, हड़तालें, श्रमिक असन्तुष्टि, विद्युत की कमी, औद्योगिक बन्द, तोड़फोड़ आदि घटनाओं पर नियन्त्रण करता है। ताकि उत्पादन के लिए श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण किया जा सके। इससे निर्यातों की मात्रा बढ़ती है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

9. **निर्यात वित्त**– उद्यमी को अपने वित्त संसाधनों में निरन्तर वृद्धि का प्रयास करता है ताकि वे निर्यात कार्यो को सफलतापूर्वक चला सकें।
10. **सुदृढ़ सूचना प्रणाली**– उद्यमी के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ उसके निर्यात व्यापार को बढ़ाने में अत्यन्त सहायक होती हैं। उद्यमी अपनी प्रबन्ध सूचना प्रणाली तथा विपणन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है। सूचनाओं के आधार पर वह अपने कार्यो के निष्पादन की गति को बल देता है।
11. **बजट संसाधनों का विस्तार**– निर्यात कार्यो हेतु बजट की राशि का उपयुक्त प्रावधान करता है। इससे निर्यातों में वृद्धि होने की सम्भावना बनी रहती है।
12. **सरकारी विभागों में सामंजस्य**– सरकार भी समय–समय पर उद्यमियों के लिए निर्यात वृद्धि हेतु कई सुविधाओं व प्रोत्साहनों की घोषणा करती रहती है। सरकारी विभागों से उद्यमियों को निर्यात हेतु सहायताएँ मिलती हैं। अतः उद्यमी को इन सुविधाओं का लाभ उठाता है वह सरकारी विभागों से सामंजस्य बनाये रखता है। इससे उद्यमी को निर्यात संवर्द्धन हेतु प्रेरणा मिलती है।
13. **दीर्घकालीन व्यापारिक समझौते**– उद्यमी विश्व के विभिन्न देशों से निर्यातों के लिए दीर्घकालीन समझौते करके माल निर्यात के लिए अपनी योजनाएँ बनाते हैं।
14. **निर्यात योग्य माल का संग्रहण**– निर्यात माल की सतत् पूर्ति करके उद्यमी न केवल विदेशी व्यापारियों को सन्तुष्ट करते हैं, वरन् विदेशी बाजारों में अपनी अच्छी छवि भी बनाते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि उद्यमी निर्यात योग्य माल का हर समय बन्दरगाहों तथा दूसरें स्थानों पर भण्डार रखें तथा उसे नियमित रूप से निर्यात करते रहें।
15. **घरेलू उपभोक्ता पर नियन्त्रण**– कई बार कुछ देशों में घरेलू उपभोग अधिक होने के कारण निर्यात योग्य माल का अभाव बना रहता है। अतः उद्यमी एक उचित नियोजन के अन्तर्गत घरेलू आपूर्ति को सीमित रखकर विदेशी निर्यातों को प्रोत्साहित करते हैं।
16. **घरेलू उत्पादन में वृद्धि**– निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमी अपनी प्रभावशाली कार्यकारी योजनाओं द्वारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएँ। घरेलू उत्पादन को तेजी से बढ़ाकर ही देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। अतः उद्यमी भी व्यावसायिक घटकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके कारखाना उत्पादन में वृद्धि के प्रयास करता है।
17. **विदे□ी बाजारों का तुलनात्मक सर्वेक्षण**– उद्यमी इस बात का सर्वेक्षण करवाता है कि उसके देश में बनी कौन–कौनसी वस्तु किस–किस बाजार में कितनी मात्रा में बेची जाती है। उद्यमी उसी के अनुसार निर्यात आदेश प्राप्त करने का प्रयास करता है। विदेशी बाजारों के तुलनात्मक अध्ययन से इन बाजारों में निर्यात की सम्भावनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसी के अनुरूप निर्यात बढ़ाए जाते है।
18. **गैर–परम्परागत निर्यातों पर वि□ेश बल**– भारत में अधिकांशतः परम्परागत वस्तुओं का निर्यात ही अधिक रहा है। किन्तु उद्यमी अपने नियोजित प्रयत्नों से गैर–परम्परागत वस्तुओं जैसे– इंजीनियरिंग सामान, खनिज लोहा, रासायनिक पदार्थ, हीरे– जवाहरात, लोहा एवं इस्पात, गलीचे आदि का निर्यात तेजी से बढ़ाता है। वैश्विक बाजारों में आजकल गैर–परम्परागत वस्तुओं की माँग तेजी से बढ़ी है। अतः नवीन माँगों की पूर्ति के लिए गैर–परम्परागत निर्यातों को प्रोत्साहित करता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

19. **निर्यातों का विविधीकरण**– उद्यमी आर्थिक परिवर्तनों का संवाहक होता है। उसे नई–नई वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान देकर निर्यातों का दायरा विस्तृत करने का प्रयास करता है। उद्यमी अपने निर्यात कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रखता है। उद्यमीय प्रयासों के कारण अब भारत देश का निर्यात उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका के देशों से भी होने लगा है।
20. **बहुपक्षीय निर्यात**– भारत के उद्यमियों ने अपने निर्यात व्यापार को विकसित करने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में बहुपक्षीय समझौते किये हैं। इन समझौतों के अन्तर्गत भारतीय माल के निर्यात को विदेशों में अनेक सुविधाएँ भी प्राप्त हुई हैं।
21. **परियोजनाओं का नियोजन**– उद्यमी अपनी आर्थिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं का उचित नियोजन करके उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित करते है।
22. **प्राविधिक श्रेश्ठता**– उद्यमी सदैव नवरण एवं तकनीकी श्रेष्ठता पर ध्यान देते हुए औद्योगिक माल की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। फलतः निर्यात वृद्धि की सम्भावनाएँ बढ़ती जाती हैं।
23. **उत्पादन के साधनों को गति□ील बनाना**– उद्यमी उत्पादन के साधनों– भूमि, श्रम, पूँजी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध आदि को अपने उद्यमीय प्रयासों से गतिशील बनाता है। वह अपनी संगठनात्मक एवं प्रबन्ध क्षमता के द्वारा सभी साधनों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता को प्रेरित करके कुल उत्पादन एवं निर्यात व्यवसाय की सम्भावनाओं को बढ़ाता है।
24. **विदे□ी विनिमय को बढ़ाने में योगदान** – उद्यमी ने विकसित देश के नारे ''निर्यात करो अन्यथा विनाश तय है,'' एवं ''कम उपयोग, ज्यादा निर्यात'' आदि को ध्यान में रखा और वस्तु की ऐसी किस्म तैयार की जो निर्यात योग्य है और न्यूतनम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करने में सहयोग किया। परिणामस्वरूप चाहे नव–व्यवसायी एवं उद्योगपति हो, विदेशी विनिमय के बाजार को बढ़ाया है।
25. **वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण करने का निर्णय** – सरकार ने निर्यात संवर्द्धन हेतु अनेक सुविधाओं, प्रेरणाओं एवं नीतियों की घोषणा ही नहीं की, अपितु समय–समय पर इनमें परिवर्तन तथा संशोधन भी किया। इसलिए उद्यमी इन सुविधाओं का लाभ उठाता है, अनेक प्रकार से प्रेरणा लेता है और नीतियों का पालन करके ऐसी वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण करने का निर्णय लेता है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके।
26. **बाजारों का विकास** – निर्यात संवर्द्धन के अन्तर्गत उद्यमी निर्यात व्यापार करता है जिससे वे विदेशी बाजार के सम्पर्क में आते हैं। विदेशी बाजारों एवं उपभोक्तओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उद्यमी स्वयं का बाजार अनुसन्धान करके उपयोगी निष्कर्ष भी प्राप्त करते हैं।
27. **विदे□ी बाजारों में प्रतिश्ठा का निर्माण** – उद्यमी निर्यात संवर्द्धन के माध्यम से विदेशी बाजारों में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा का निर्माण करते है।
28. **आर्थिक समृद्धि का अनुकूल आधार** – निर्यात संवर्द्धन से उद्यमी दुर्लभ विदेशी मुद्रा–अर्जित करने में विशेष भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विकासशील अथवा अर्द्ध विकसित देशों में विदेशी मुद्रा अर्थात विदेशी विनिमय के संचय से आर्थिक समृद्धि को अनुकूल आधार मिलता है। इसका कारण यह है कि उद्यमी के लिए उस संचित कोष से आवश्यक कच्चा–माल, अर्द्ध–निर्मित माल, मशीन, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी आयात करना सम्भव हो जाता है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

इसी प्रकार उद्यमी निर्यात संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी वर्ग की भूमिका

(Role of Entrepreneur in Import Substitution)

उद्यमी निर्यात संवर्द्धन में काफी सहयोग करता है किन्तु उसके लिए सदैव ऐसा करना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में आयात प्रतिस्थापन को अपनाया जाता है। आयात प्रतिस्थापन का शाब्दिक अर्थ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करने के स्थान पर स्वयं द्वारा उनका उत्पादन करने से है। अन्य शब्दों में, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ एक ऐसी अवधारणा से हे जिसके अन्तर्गत एक देश उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या निर्माण करता है, अन्यथा जिन्हें विदेश से आयात किया जाता था।

यहाँ यह कहना कोई अतिश्योति नहीं होगी कि निर्यात संवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का संचय करना है। लेकिन इन दोनों में एक मुख्य अन्तर यह है कि निर्यात संवर्द्धन में प्रत्यक्षतः विदेशों को माल भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि आयात प्रतिस्थापन में विदेशी मुद्रा के व्यय एवं प्रयोग का प्रतिबन्धित कर विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।

आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी की भूमिका निम्नलिखित है –

1. **आयातों पर अंकु□ा–** आयात प्रतिस्थापन के लिए यह आवश्यक है कि उद्यमी आयातों पर अंकुश लगाता है तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में ही आन्तरिक स्त्रोतों के बल पर करता है। आयात न होने की दशा में ही ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की योजना बनाकर उद्यमी आयात प्रतिस्थापन करता हैं।
2. **विदे□ाी पूँजी व तकनीक को प्रोत्साहन–** विदेशी पूँजी व तकनीक को प्रोत्साहित करके उद्यमी अपनी जरूरत की वस्तुएँ देश में ही बनाते हैं तथा आयात को कम करते हैं।
3. **नये–नये क्षेत्रों में प्रवे□ा–** उद्यमी उत्पादन के नये–नये क्षेत्रों में अपने उद्योग–धन्धे प्रारम्भ करके आयात की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण अपने देश में अपने ही संसाधनों से करते हैं। इस प्रकार वे आयात प्रतिस्थापन में योगदान करते हैं।
4. **विदे□ाी मुद्रा की बचत** – उद्यमी अपने देश में ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने का उद्योग स्थापित करते हैं जिससे विदेशी तकनीकी उलझनों से बच जाते हैं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का व्यय भी नहीं होता है।
5. **रोजगार सुविधा** – जब हमारे उद्यमी अपने देश में बनायी जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो देश की पूँजी एवं श्रम आदि को रोजगार मिलता है।
6. **राश्ट्रीय आय एवं आर्थिक समृद्धि में वृद्धि** – यदि अपने देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाए तो एक ओर विदेशी मुद्रा की बचत होती है तो दूसरी ओर इन वस्तुओं के निर्माण से देश की पूँजी तथा श्रम आदि को रोजगार मिलता है। इन सबके परिणामस्वरूप परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है।
7. **आयातों में विदे□ाों पर आश्रितता में कमी** – भारत सरकार ने आयात–निर्यात नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित किया है कि निर्यातों में वृद्धि हो और आयात प्रतिस्थापन से आयातों में कमी की जा सके। इसके अतिरिक्त जहाँ कुछ आयातों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है, तो कुछ को सीमित भी किया गया

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

है। इन्हीं नीतियों का पालन करते हुए उद्यमियों ने खाद्यान्न, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी आदि से सम्बन्धित उत्पादों का उत्पादन करता है जिससे आयातों में विदेशों पर आश्रितता में कमी आयी है।

8. **औद्योगिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता** – उद्यमियों द्वारा किये गये विभिन्न कार्यो (वस्तुओं का उत्पादन) से न केवल आयातों में विदेशों पर आश्रितता में काफी कमी आयी है, इससे विदेशी संकट तो कम हुआ ही है, साथ में देश में औद्योगिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

विदे□ी मुद्रा अर्जन में उद्यमी की भूमिका (Role of Enterpreneures in Forex Earnings)

किसी राष्ट्र की सीमाओं में होने वाला व्यापार, आन्तरिक अथवा देशी व्यापार कहलाता है किन्तु दो राष्ट्रो के मध्यम जो व्यापार होना है, उस व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं, इसी से विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है। लेकिन यह कोई आसान कार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए विदेशी बाजार का अध्ययन करना आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना और उनका संचालन करने के लिए दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है : (1) मौद्रिक अथवा भौतिक सम्पत्ति, और (2) बौद्धिक पूँजी आदि। ये दोनों मिलकर किसी औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाई की उत्पादकता, लाभदेयता एवं अर्थवत्ता निर्धारित करते हैं। स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं और मौद्रिक कोष का स्वतंत्र प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। ऐसे में विदेशी विनिमय का महत्व बढ़ गया है। इनके अतिरिक्त विदेशी विनिमय का महत्व एवं आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गयी है कि देश की सुरक्षा आवश्यक हो गयी है। विदेशी मुद्रा की बचत वस्तुओं के आयात–नियात में दुष्चक्र को रोकने, जनहित एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है।

उद्यमी विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षो में वस्तुओं के निर्यात से ही नहीं अपितु अन्य कई स्त्रोतों से विदेशी मुद्रा अर्जन सम्भव हुआ है। भारत में विदेशी मुद्रा अर्जन के प्रमुख स्त्रोत निम्नानुसार है :

1. अदृश्य स्त्रोतों से।
2. वस्तुओं के निर्यातों से।
3. विदेशी से वाणिज्यिक ऋणों से।
4. विदेशी निवेशों से।
5. गैर निवासी भारतीयों से।

विदे□ी मुद्रा के अर्जन में उद्यमी की भूमिका निम्नलिखित है –

1. **वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन** – उद्यमी देश में उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है जिसका निर्यात किया जा सके। ऐसा करने से विदेशी मुद्रा का अर्जन करना सम्भव हो जाता है।
2. **विदे□ी निर्भरता में कमी** – उद्यमी अपने देश में ऐसे उद्योगों की स्थापना करते हैं एवं वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिनकी निर्भरता विदेशों पर हो, जैसे– विदेशी कच्चा–माल, श्रम, तकनीक, पूँजी एवं प्रौद्योगिकी आदि। इस प्रकार उद्यमी अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा अर्जन करने में योगदान देते हैं।
3. **आयात को प्रतिस्थापित करने वाली वस्तुओं का निर्माण** – भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापन नीति में कुछ वस्तुओं के आयात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया है तो कुछ को सीमित कर दिया है। ऐसी

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

दशा में उद्यमी आयात प्रतिस्थापन की सूची में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करके विदेशी मुद्रा के अर्जन में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।

4. **नवीन दि□ाओं की ओर मोड़** – उद्यमी अवसरवादी होता है। इसलिए उसे कोई भी अवसर दिखे या मिले। (जैसे– वैश्वीकरण गाँव) वह उसकी पहचान कर नये–नये उत्पाद तैयार करता है, नई–नई सेवाएँ देना प्रारम्भ करता है, विपणन की नयी रणनीतियाँ बनाता है। इन सबके परिणामस्वरूप अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने में सफल हो जाता है।

5. **निर्यातों में वृद्धि** – उद्यमिता के कारण ही लघु उद्योगपति से बड़े उद्योगपति बन जाते हैं और निर्यात करने के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। हाल के वर्षो में सेवा क्षेत्र निर्यात द्वारा विदेशी विनिमय अधिक किया गया है।

भारतीय निर्यातकों, उद्यमियों, उद्यमियों एवं इंजीनियर उद्योगपतियों ने निम्न सेवाओं का निर्यात किया है:

(1) साफ्टवेयर परामर्श सेवाएँ
(2) प्रबन्ध परामर्श
(3) दूर संचार
(4) परियोजना निर्यात
(5) यात्राएँ एवं पर्यटन
(6) स्वास्थ्य सेवाएँ
(7) बीमा सेवाएँ
(8) बैंकिंग सेवाएँ
(9) निर्माण सेवाएँ
(10) विद्युत एवं गैस सेवाएँ
(11) कम्प्यूटर एवं सूचना सेवाएँ
(12) परिवहन सेवाएँ

उपरोक्त सेवाएँ विभिन्न देशों–यथा दक्षिणी एशियाई देशों, खाड़ी देशों, लेटिन अमेरिका तथा यूरोप के कुछ देशों में निर्यात की जा रही है।

6. **औद्योगिक प्रगति (Industrial Progress)**– आजकल वैश्वीकरण ग्राम की धारणा ने विश्व में आर्थिक चिन्तन की दिशा में अद्भूत नवीन परिवर्तन ला दिये है, जैसे– चीन ने भारत के बाजार को लक्ष्य बनाकर अरबों रूपये की विदेशी मुद्रा कमायी है। इसके अतिरिक्त भारतीय बाजार में एक नयी परम्परा का भी प्रारम्भ किया है।

स्थानीय माँग को उत्पन्न करने एवं उनके वृद्धिकरण में उद्यमी की भूमिका (Role of Enterpreneures in Augmenting and Meeting of Local Demand)

किसी वस्तु की मांग के सृजन में पहले से ही विद्यमान मांग को बढ़ाने तथा मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन हेतु आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University) Ladnun

स्थानीय माँग का अर्थ स्थान विशेष पर किसी वस्तु की मांग की उस मात्रा से है जिसे कोई व्यक्ति एक दिये हुए मूल्य पर खरीदने को तैयार है। अन्य शब्दों में, स्थानीय माँग से अभिप्राय, एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है, जो उपभोक्ता एक स्थान के बाजार में, किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों अथवा विभिन्न आयों या सम्बन्धित वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों पर क्रय करते है।

उद्यमी को अपने क्षेत्र की स्थानीय आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करता है। स्थानीय जन–समूह को उद्योगों के दूषित वातावरण, औद्योगिक हड़तालों, अशान्ति, प्राकृतिक असन्तुलन के दुष्परिणामों को वहन करता है। भोपाल गैस दुखान्तिका के दुष्प्रभावों को कई पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा।

स्थानीय माँग के सम्बन्ध में उद्यमी की भूमिका का निम्नलिखित तीन रूपों में अध्ययन किया जा सकता है :

1. **स्थानीय माँग को उत्पन्न करता (Creating Local Demand)**– उद्यमी स्थानीय माँग को उत्पन्न करने में महत्ती भूमिका का निर्वाह करता है क्योंकि :
   (i) वह जिस क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, वहाँ की समस्याओं से पूरी तरह अवगत होता है।
   (ii) वे यह जानते हैं कि किन–किन वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है?
   (iii) वे देश–विदेश की जानकारियाँ प्रतिस्पर्द्धियों को ध्यान में रखकर और अपनी समझ एवं ज्ञान का उपयोग कर बाजार में नयी–नयी वस्तुएँ एवं सेवाएँ विक्रय के लिए प्रस्तुत करते हैं।
   (iv) वे आज के सभी आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे– विज्ञापन, प्रचार, प्रदर्शन, प्रसार, विक्रय संवर्द्धन एवं अन्य आदि।

उदाहरणार्थ, टैन्ट हाऊस का व्यवसाय करने वाले उद्यमी अनेक प्रकार से स्थानीय माँग उत्पन्न करते हैं, जैसे– महफिल टाइप टेन्ट तैयार रखना, किलेनुमा दो–दो मंजिल के टेन्ट, दुल्हा–दुल्हन के के लिए स्टेज, वी. आई.पी., चेयर्स, बैठने के लिए सजे–सजाये फर्नीचर्स, हॉल को ए.सी. बनाकर या कूलर लगाकर आदि शादी के लिए बिल्कुल तैयार रखते हैं। यही नहीं, लाइट एवं फूलों की सजावट, भोजन परोसने की नयी–नयी विधियाँ जैसे– टेबल एवं चेयर पर बैठकर खाना खाने अथवा खड़े–खड़े खाने की दशा में राउण्ड टेबल का उपयोग करना आदि। इस प्रकार उद्यमी स्थानीय लोगों की इच्छा जागृत कर अथवा इच्छा को आवश्यकता, आवश्यकता को मांग तथा मांग को क्रय में परिवर्तित कर सेवा करते हैं।

स्थानीय मांग का अध्ययन करते समय उद्यमी को यह नहीं भूलना चाहिये कि ग्राहक बाजार का राजा होता है। जब तक उद्यमी उसकी प्रभुसता को स्वीकार एवं अंगीकार नहीं कर लेता है, तब तक वह सफलत नहीं हो सकता है। अतः उद्यमी को सर्वप्रथम अपने स्थानीय ग्राहकों एवं संभावित ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को भली प्रकार समझ लेना चाहिये। उसे ग्राहकों की पसन्द, नापसन्द, वरीयता आदि को भी समझ लेना चाहिए।

ग्राहकों की मांग का अध्ययन करते समय मांग की प्रकृति को भी समझना चाहिये। मांग दीर्घकालीन, अल्पकालीन या तात्कालिक हो सकती है। सामान्यतः कोई भी उद्यमी ग्राहकों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पाद/सेवा का निर्माण नहीं कर पाता है। ऐसी मांग की पूर्ति विद्यमान उत्पादों से ही करनी होती है। अल्पकालीन मांग के लिए उद्यमी सामान्यतः अपनी विद्यमान उत्पादन व्यवस्था से ही उत्पादों का उत्पादन

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

कर सकता है। दीर्घकालीन मांग के अनुसार तो उद्यमी नये उत्पादन की व्यवस्था भी कर सकता है। अतः उद्यमी को मांग की प्रवृत्ति को भली प्रकार समझ लेना चाहिये ताकि वह उत्पादों को उपलब्ध करने अथवा नहीं करने हेतु निर्णय कर सके।

स्थानीय मांग का अध्ययन करते समय उद्यमी को स्थानीय वातावरण का भली प्रकार विश्लेषण कर लेना चाहिये। इस विश्लेषण से उसे यह ज्ञात करना चाहिये कि स्थानीय मांग की पूर्ति करने में कौन–कौन से अवसर उपलब्ध हैं तथा उसके साथ कौन–कौन से संकट जुड़े हुए हैं। साथ ही उसे अपनी क्षमताओं एवं कमियों का आंकलन भी कर लेना चाहिये। यह सब कुछ करने से उद्यमी की सफलता सुनिश्चित हो सकती है।

उद्यमी को मांग का अध्ययन करने हेतु विपणन अनुसंधान एवं बाजार अनुसंधान भी करना चाहिये। इनसे प्राप्त सूचनाएँ उसे स्थानीय मांग का संवर्द्धन एवं पूर्ति करने में सहायक होगी।

2. **स्थानीय माँग को बढ़ाने एवं बनाये रखना (Increasing and Maintaining the Local Demand)**– उद्यमी एक ओर स्थानीय माँग को उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर उसको बढ़ाने एवं बनाये रखने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इसके लिए निरन्तर विज्ञापन देता है और विक्रय संवर्द्धन की विभिन्न तकनीकें अपनाता है, जैसे– मुफ्त नमूना, क्रियान्वयन प्रदर्शन, छूट, प्रीमियम, 'Reduction Sale' मूल्यों में कमी एवं सैल आदि।

   मांग का अध्ययन करने के साथ ही उद्यमी को बाजार का अध्ययन भी कर लेना चाहिये। उसके उत्पादों की मांग करने वालों की संख्या कितनी है, उनकी आयु, आय, धन्धे तथा शिक्षा का स्तर कैसा है, उनमें स्त्री, पुरूष तथा बच्चों का अनुपात कितना है, ग्राहकों की क्रय प्रेरणा क्या है, उनका सामाजिक एवं मानसिक स्तर कैसा है, आदि के सम्बन्ध में उद्यमी को जानकारी कर लेनी चाहिये।

3. **स्थानीय माँग की पूर्ति (Supply of Local Demand)**– उद्यमी स्थानीय माँग की पूर्ति हेतु अनेक प्रयास करते हैं, जैसे– विक्रय–पश्चात् सेवा, शिकायत निवारण, वस्तु की माँग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थानीय बाजार, अनुसंधान द्वारा वस्तु की बदलती माँग का पता लगाना एवं उसके अनुरूप माल निर्माण कर पूर्ति करना तथा नये उत्पाद का विकास करता है। उत्पाद करने के लिए वह उत्पाद के रंग, रूप, गुण, आकार, प्रकार, डिजाइन, ब्राण्ड नाम, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि का निर्णय भी करता है।

   नवीन उत्पाद विकास करना एक जटिल कार्य हैं। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि इसकी विविधता प्रक्रिया को अपनाया जाये। ऐसी प्रक्रिया में अनेक चरण हो सकते हैं। किन्तु एक आदर्श उत्पाद प्रक्रिया में निम्नांकित छः चरण अवश्य होते है –

   1. विचारों की उत्पति,
   2. विचारों की जाँच–परख,
   3. व्यावसायिक विश्लेषण,
   4. उत्पाद विकास,
   5. जाँच विपणन, तथा
   6. उत्पाद का व्यवसायीकरण।

(A) विचारों की उत्पत्ति या जन्म– जब किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी नये उत्पाद का विचार जन्म लेता है, तभी उसके विकास की बात आगे बढ़ती है। नये विचार ही नये उत्पाद की जननी हैं। अतः

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

जितने अधिक अच्छे एवं सुदृढ़ विचारों का जन्म होगा, उतने ही अच्छे उत्पादों का विकास हो सकेगा। विचारों की उत्पत्ति के अनेक स्त्रोत हो सकते हैं, कुछेक प्रमुख स्त्रोत निम्नानुसार हैं–

(i) ग्राहक, जो स्वयं अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसंद, नापसंद, समस्याओं के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।

(ii) विक्रयकर्ता, अर्थात जो ग्राहकों तथा बाजार के निकट सम्पर्क में होते हैं। वे बाजारों की मांग, प्रतिस्पर्धी, उत्पादों, उत्पादों, उपभोक्ताओं की समस्याओं के आधार पर अपनी संस्थाओं को नये उत्पादों के लिए विचार उपलब्ध कर सकते हैं।

(iii) उत्पादन विभाग के कर्मचारी, जो विद्यमान उत्पादों की कमियों एवं अच्छाइयों दोनों से भली–प्रकार परिचित होते हैं।

(iv) अन्य विभागों के कर्मचारी भी नये उत्पादों के लिए सुझाव दे सकते हैं।

(v) मध्यस्थ भी उत्पाद विचारों के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं। उनका उपभोक्ताओं/ग्राहकों/फुटकर व्यापारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है। अतः वे अच्छे विचार दे सकते हैं।

(vi) भाोध एवं विकास कार्यक्रम के द्वारा नये उत्पादों की खोज की जा सकती है। नयी दवाओं, नये रासायनिक पदार्थो, नये उपकरणों, साधनों की खोज, शोध एवं विकास (R & D) कार्यक्रमों के द्वारा ही की जा रही है। अतः यह उत्पाद नवीन विचारों का ठोस एवं आधारभूत स्त्रोत है।

(vii) प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ।

(viii) निवे□ाक।

(ix) विदे□ाी बाजार।

(x) अन्य स्त्रोत, जैसे– पत्र–पत्रिकाएँ, विभागीय प्रतिवेदन, प्राचीन ग्रन्थ, स्वतंत्र शोधकर्ता एवं विचारक, व्यापार संघ चेम्बर आदि।

विचारों की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना पड़ता है तथा इस हेतु नियोजित प्रयास भी करने पड़ते हैं। ऐसे विचारों के लिए आजकर कुछ तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है।

(B) विचारों की जाँच–परख– उत्पाद विकास प्रक्रिया के प्रथम चरण में प्राप्त या संकलित उत्पाद विचारों को इस दूसरे चरण में जांचा–परखा एवं उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनकी जाँच–परख एवं मूल्यांकन के बाद उन विचारों को त्याग दिया जाता है जो उद्यमी के लिए किसी भी प्रकार से अनुपयोगी होते हैं। सामान्यतः निम्नांकित प्रमुख मानदण्डों पर उत्पाद विचारों को जाँचा–परखा जाता है एवं उनका मूल्यांकन किया जाता है :

(i) उद्यमी के उद्देश्य के साथ अनुकूलता,
(ii) विचारों की व्यावहारिकता
(iii) विचारों के अपनाने पर आवश्यक पूँजी,
(iv) कच्चे माल एवं अन्य साधनों की उपलब्धता,
(v) तकनीकी एवं प्रबन्धकीय योग्यता की उपलब्धता,
(vi) विपणन योग्यता
(viii) उद्यमी की ख्याति पर प्रभाव, इत्यादि।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

उत्पाद विचारों की जाँच–परख, उत्पाद विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अतः इसमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिये। इसमें थोड़ी–सी भी असावधानी से प्रतिकूल या अव्यावहारिक उत्पाद विचार छँटनी होने से रूक जाता है और प्रक्रिया के अगले चरण में पहुँच जाता है। ऐसे में उद्यमी को समय, श्रम तथा धन की भारी हानि उठानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, अनुपयोगी विचार को अगले चरण में पास होने देने से कई बार बहुत उपयोगी विचार से भी ध्यान हट जाता है। इसकी भी उद्यमी को कीमत चुकानी पड़ सकती है।

(C) व्यावहारिक वि□लेशण– जाँच–परख के बाद भी उत्पाद विचार दमदार एवं हितकारी नजर आते हैं, उनका व्यावसायिक विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जाँच–परख एवं मूल्यांकन के बाद शेष बचे उत्पाद विचारों की व्यावसायिक उपादेयता, व्यावहारिकता एवं लाभदेयता का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः उत्पाद विचारों के व्यावसायिक विश्लेषण में निम्नांकित बातों का विश्लेषण किया जाता है :

(i) मांग वि□लेशण, जिसमें सभी उत्पाद विचार से निर्मित माल की संभावित मांग का विश्लेषण एवं अनुमान किया जाता है।

(ii) लागत वि□लेशण, जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यक पूँजी, उत्पाद निर्माण एवं विपणन की लागतें आदि का अनुमान एवं विश्लेषण किया जाता है।

(iii) लाभदेयता वि□लेशण, जिसमें उत्पाद की लाभदेयता का अनुमान लगाया जाता है। इस हेतु उत्पाद का 'बेक–इवन विश्लेषण' तथा इससे सम्बन्धित कई अनुपात विश्लेषण किये जाते है।

इनके अतिरिक्त, उत्पाद विचार का व्यावसायिक विश्लेषण के समय सम्पूर्ण व्यावसायिक वातावरण के घटकों, अर्थव्यवस्था की स्थिति, उत्पाद का सम्भावित जीवन–चक्र आदि का भी विश्लेषण किया जाता है।

(D) उत्पाद विकास – इस अवस्था में उत्पाद विचार को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। इस चरण में उत्पाद को वास्तविक रूप से बनाया जाता है तथा उसका परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रंग, रूप, गुण, आकार, किस्म, पैकेजिंग, नाम आदि का भी निर्धारण किया जाता हैं। उत्पाद विकास के इस चरण में निम्नांकित प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं :

(i) लक्षण निर्धारण क्रियाएँ, जिनके अन्तर्गत विपणन विभाग ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, पसन्दगी, वरीयता आदि के आधार पर उत्पाद के लक्षणों को निर्धारित करता है। इसमें उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, आकार, डिजाइन आदि को निर्धारित किया जाता है।

(ii) वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी क्रियाएँ, जिनके अन्तर्गत उत्पाद को भौतिक स्वरूप या मूर्त रूप में तैयार किया जाता है। विपणन विभाग द्वारा निर्धारित उत्पाद के लक्षणों के अनुरूप ही उत्पाद को तैयार किया जाता है।

(iii) क्रियात्मक परीक्षण, जिनमें उत्पाद की क्रियाशीलता/संचालन की जाँच की जाती है।

(iv) उपभोक्ता वरीयता परीक्षण, जिसमें उपभोक्ताओं की वरीयता की जाँच की जाती है। इस हेतु कुछ उपभोक्ताओं से उत्पाद का परीक्षण भी कराया जाता है।

(v) विपणन मिश्रण का निर्धारण, जिसमें उत्पाद के विपणन कार्यों के मिश्रण को निर्धारित किया जाता है। इसमें उत्पाद का नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग, वितरण विधियों, संवर्द्धनात्मक साधनों आदि का निर्धारण सम्मिलित है।

(E) जाँच विपणन– इस अवस्था या चरण में उत्पाद की उपभोक्ताओं से जाँच कराने तथा उनकी प्रतिक्रियाएँ जानने हेतु उसे वास्तविक बाजार में ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। यद्यपि यह बाजार बहुत सीमित क्षेत्र

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

का ही होता है। जाँच विपणन वस्तुतः एक प्रकार का विपणन अनुसंधान ही है। जाँच विपणन के प्रमुख उद्देश्य एवं लाभ निम्नानुसार हैं–

(i) भावी उत्पाद की विक्रय सम्भाव्यता को ज्ञात करना।

(ii) उत्पाद के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों के विचाराओं एवं प्रतिक्रियाओं को जानना।

(iii) उत्पाद विपणन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

(iv) उत्पाद के दोषों का पता लगाना।

(v) प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रियाओं को जानना।

(vi) उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारित करना।

(vii) वैकल्पिक उत्पाद के विपणन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को जाँचना।

(F) उत्पाद का व्यवसायीकरण– जब जाँच विपणन के परिणाम उत्साहजनक आ जाते हैं, तो उत्पाद का व्यवसायीकरण किया जाता है। उत्पाद व्यवसायीकरण से तात्पर्य उत्पाद को वास्तव में पूरे बाजार में प्रस्तुत करने से है।

उत्पाद के व्यवसायीकरण से पूर्व एक व्यापक विपणन योजना तैयार की जाती है। इस योजना में निम्नांकित बातों की व्यवस्था की जाती है :

(i) नये उत्पाद के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, जिनमें पूँजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि प्रमुख हैं।

(ii) बाजार क्षेत्रों का निर्धारण करना।

(iii) लक्ष्य बाजारों के लिए विपणन रणनीति बनाना।

(iv) मूल्य नीति, उधार नीति आदि का निर्धारण करना।

(v) वितरण मध्यस्थों की व्यवस्था करना।

(vi) संवर्द्धनात्मक निर्णय एवं व्यवस्था करना।

(vii) विक्रय दल की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(viii) उत्पाद की सतत किस्म नियंत्रण की व्यवस्था करना।

(ix) अन्य विभागों से समन्वय करना।

(x) नवीन उत्पाद के नाम, ब्राण्ड, पेटेन्ट, पैकेजिंग आदि के पंजीयन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(xi) उत्पादों के परिवहन एवं भण्डारण की व्यवस्था करना।

उत्पाद का व्यवसायीकरण करने के बाद उसका निरन्तर अनुगमन भी करना पड़ता है। इससे उत्पाद विपणन में समस्याएँ नहीं आती हैं तथा माल के छोटे–मोटे दोषों को यथासम्भव दूर किया जा सकता है। हर समय उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके कोई भी संस्था अपने उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत कर सकती है।

4. **मूल्य निर्धारण करना**– उत्पाद निर्धारित हो जाने के बाद वह उत्पाद के मूल्य को निर्धारित भी करता है। उत्पादन से पूर्व ही उत्पाद मूल्य की गणना करने एवं मूल्य का अनुमान लगाने से वित्तीय आवश्यकता एवं बाजार मांग का ठीक–ठीक अनुमान भी लगाया जा सकता है। मूल्य निर्धारित करते समय उद्यमी को निम्नांकित बातों पर ध्यान दिया जाता है।

(i) उद्यमी की मूल्य निर्धारण की व्यवस्था।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

(ii) संस्था के उत्पादों की संख्या एवं उनका मूल्य।

(iii) उत्पाद की लागत।

(iv) उत्पाद जीवन चक्र।

(v) मूल्य निर्धारण के उद्देश्य।

(vi) मध्यस्थों की संख्या।

(vii) संवर्द्धनात्मक प्रयास।

(viii) उत्पाद की मांग।

(ix) उत्पाद की माँग।

(x) प्रतिस्पर्धियों के मूल्य।

(xi) क्रेता के व्यवहार की प्रकृति।

(xii) सरकारी नियम एवं नीतियाँ।

(xiii) नैतिक मूल्य।

5. **संवर्द्धनात्मक निर्णय करना**– उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने के बाद उद्यमी उस उत्पाद की मांग में वृद्धि करने हेतु संवर्द्धनात्मक निर्णय लेता है।

उत्पाद की मांग संवर्द्धन के निम्नांकित प्रमुख तरीके हैं :

(i) विज्ञापन, (ii) विक्रय कला या व्यक्तिगत विक्रय

(iii) विक्रय संवर्द्धन (iv) प्रचार–जनसम्पर्क आदि।

संवर्द्धन के इन सभी तरीकों/साधनों का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। उद्यमी को इन सबका उचित मिश्रण तैयार करना चाहिये तथा उपयोग करना चाहिये ताकि स्थानीय मांग का भली प्रकार संवर्द्धन किया जा सके। उद्यमी को अपना संवर्द्धन मिश्रण तैयार करते समय निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(i) उत्पाद मांग की स्थिति।

(ii) बाजार का क्षेत्र।

(iii) उत्पाद की प्रकृति।

(iv) उत्पाद के ग्राहकों की प्रकृति।

(v) उत्पाद का आकर्षण।

(vi) ग्राहकों के लिए उत्पाद का महत्व।

(vii) उत्पाद क्रय की प्रेरणा।

(viii) उत्पाद की उपयोगिता के प्रमाण की आवश्यकता।

(ix) ग्राहक तक पहुँचने की सम्भावना।

(x) प्रतिस्पर्धियों का संवर्द्धन मिश्रण।

(xi) धन की उपलब्धता।

(xii) कानूनी प्रावधान।

(xiii) आचार संहिता।

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun

6. **वितरकों/मध्यस्थों की नियुक्ति**– उद्यमी को अपने उत्पादों के वितरण हेतु वितरकों/मध्यस्थों की नियुक्ति भी करता है। स्थानीय मांग की पूर्ति करने हेतु स्थानीय मध्यस्थों/वितरकों की नियुक्ति करता है। इनमें डीलर, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी तथा अन्य मध्यस्थ भी हो सकते हैं। उद्यमी वृहद् स्तरीय फुटकर व्यापारियों के माध्यम से उत्पादों के वितरण का निर्णय भी करता है। किन्तु, उसे मध्यस्थों की नियुक्ति करते समय इस बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिये कि स्थानीय ग्राहकों को उचित समय एवं स्थान पर माल तत्काल उपलब्ध हो जाये। इसके अतिरिक्त, उद्यमी को वितरण माध्यमों/मध्यस्थों का चयन करते समय निम्नांकित बातों को भी ध्यान में रखना चाहियेः

(i) मध्यस्थ की बाजार में ख्याति एवं छवि।

(ii) मध्यस्थ का बाजार क्षेत्र एवं विक्रय प्रगति विवरण।

(iii) मध्यस्थ द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद।

(iv) मध्यस्थ के अस्तित्व की अवधि एवं सम्भावित अस्तित्व।

(v) मध्यस्थ की विक्रय नीतियाँ।

(vi) मध्यस्थ की नीतियों एवं संस्था (विपणनकर्ता संस्था) की नीतियों में समानता एवं असमानता।

(vii) मध्यस्थ की विक्रय संगठन संरचना।

(viii) मध्यस्थ की वित्तीय स्थिति।

(ix) मध्यस्थ के पास उपलब्ध आधारभूत साधन।

(x) मध्यस्थ द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदत्त सुविधाएँ।

(xi) मध्यस्थों द्वारा अपेक्षित पारिश्रमिक।

वितरण माध्यमों का निर्धारण हो जाने के बाद मांग संवर्द्धन एवं पूर्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उद्यमी को इन सभी कार्यो के करने में अनेक लोगों एवं विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ती है। किन्तु, उसे स्वयं को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है।

इस प्रकार उद्यमी अपने स्थानीय वर्ग के प्रति उपरोक्त दायित्वों को पूरा कर तथा स्थानीय मांग को उत्पन्न करने और उसके वृद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बोध प्र□न–

लघुत्तरात्मक प्र□न–

1. निर्यात संर्वद्धन में उद्यमी की भूमिका का वर्णन कीजिए।
2. आयात प्रतिस्थापन में उद्यमी की भूमिका का वर्णन कीजिए।
3. किसी भी राष्ट्र के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन क्यों आवश्यक है?

निबन्धात्मक प्र□न–

1. निर्यात संर्वद्धन की आवश्यकता क्यों होती है? निर्यात के सम्बन्ध में विभिन्न उद्यमीय निर्णय का विवेचन कीजिए?
2. विदेशी मुद्रा अर्जन में उद्यमी की भूमिका का सविस्तार का वर्णन कीजिए?
3. स्थानीय मांग के सम्बन्ध में उद्यमी की भूमिका को किन–किन रूपों में देखा जा सकता है, वर्णन कीजिए?

Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun